....पढ़ें सिर्फ उतना, सेलेक्शन के लिये जरूरी है जितना ! वर्ष 1 : अंक 12 : जनवरी 2023 : शुल्क ₹90/-

संस्कृति IAS

करेंट अप-टू-डेट

- पी.टी. एक्सप्रेस
- मुख्य परीक्षा मार्गदर्शिका
- क्विक रिवीज़न

निखत ज़रीन
(अर्जुन पुरस्कार)

शरत कमल
(मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार)

डी.वाई. चंद्रचूड़
(भारत के मुख्य न्यायाधीश)

COP27 SHARM EL-SHEIKH EGYPT2022

G20 INDONESIA 2022

FIFA WORLD CUP Qatar2022

- मासिक करेंट अफेयर्स संकलन
- सीसैट एवं निबंध
- महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार-संग्रह
  (योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, ई.पी.डब्ल्यू.)

संस्कृति IAS

दिल्ली के साथ अब
प्रयागराज में भी...

प्रिलिम्स स्पेशल ऑनलाइन बैच

टारगेट 2023

क्यों ज़रूरी है प्रिलिम्स स्पेशल बैच ?

- ☑ क्योंकि हिंदी माध्यम के अधिकांश कैंडिडेट्स मेन्स नहीं प्रिलिम्स में हो रहे हैं फेल!
- ☑ क्योंकि अच्छे नोट्स की बजाय पी.टी. फेल लोगों द्वारा तैयार की गई गाइडबुक पर हो रहे हैं निर्भर!
- ☑ क्योंकि जिस्ट के दौर में मूल एनसीईआरटी पढ़ना हो गया है बंद!

सामान्य अध्ययन के विभिन्न विषयों में लगभग 600+ घंटों की कक्षाएँ

विषय	अध्यापक	कक्षा की अवधि
इतिहास	श्री अखिल मूर्ति	145 घंटे
भारतीय अर्थव्यवस्था	श्री ए.के. अरुण	60 घंटे
भूगोल	श्री कुमार गौरव	120 घंटे
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	श्री कुमार गौरव	40 घंटे
भारतीय राजव्यवस्था	श्री राजेश मिश्रा	45 घंटे
विज्ञान	श्री रीतेश आर जायसवाल	100 घंटे
करेंट अफेयर्स	टीम संस्कृति	90 घंटे

प्रिलिम्स स्पेशल बैच में शामिल कोर्सेज़

कोर्स	फीस
प्रिलिम्स जी.एस.	₹ 38,500/-
सीसैट	₹25,000/-
करेंट अफेयर्स क्लासेज़	₹10,000/-
कुल फीस	₹73,500/-

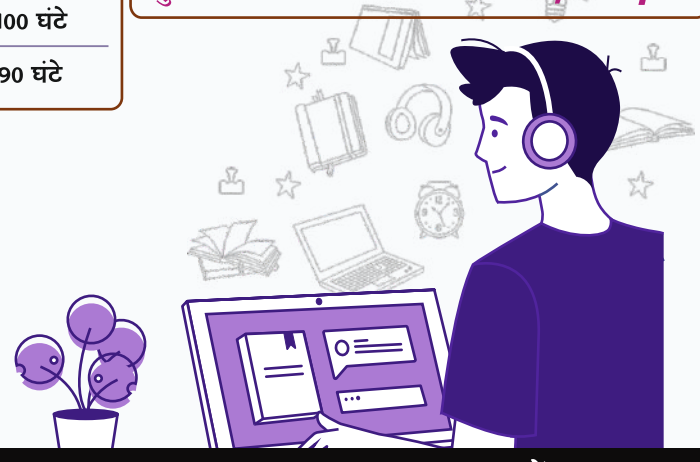

आरंभ | 02 December 08:00AM

प्रत्येक बैच के **प्रथम 20 विद्यार्थियों** के लिए फ़ीस सिर्फ़ ₹ 25,000

हेड ऑफिस
636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-09

9555-124-124

प्रयागराज केंद्र
7/3/AA/1, ताशकंद मार्ग,
पत्रिका चौराहा, प्रयागराज, उ.प्र.

संस्कृति करेंट अप-टू-डेट

वर्ष 1 | अंक 12 | जनवरी 2023 | ₹90

प्रधान संपादक

अखिल मूर्ति

परामर्शदाता मंडल

अमित कुमार सिंह, ए.के. अरुण, सीबीपी श्रीवास्तव, कुमार गौरव, के.पी. द्विवेदी, राजेश मिश्रा, रीतेश आर. जायसवाल, विकास रंजन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

शिवेश मिश्रा

संपादक

सुशीलनाथ कुमार

विज़ुअलाइज़ेशन

मो. साजिद सैफी

संपादन सहयोग

अभिषेक शुक्ल, रश्मि नाहटा, एकता शर्मा

लेखन एवं संकलन

अभिजीत मिश्र, शिव कुमार चौबे, ऋषि कुमार शर्मा, हरिशंकर, सुरेन्द्र कुमार, कुणाल कोटिया

प्रूफरीडिंग सहयोग

कमलेश पाण्डेय

टाइपसेटिंग और डिज़ाइनिंग

तनवीर खान, संतोष झा, जसवीर सिंह, शेखर फुलारा, धनञ्जय शर्मा, अमित कुमार

संपादकीय पत्र व्यवहार

संपादक

संस्कृति करेंट अप-टू-डेट

संस्कृति पब्लिकेशन्स

E-mail: sushilnathkumar@gmail.com

636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि संपादक या प्रकाशक का दृष्टिकोण भी वही हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि विभिन्न विचारधाराओं वाले लेखकों के लेख शामिल करें ताकि पाठकों को किसी विषय पर अलग-अलग दृष्टिकोण मिल सकें।
- इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पत्रिका में छपे लेख लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखे गए हैं। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो लेखक को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- © कॉपीराइट : संस्कृति पब्लिकेशन्स, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

पत्रिका की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों व सुझावों के लिये संपर्क (WhatsApp) करें – 8800873762 (सुशीलनाथ कुमार)

वितरण, विज्ञापन एवं पत्रिका के सब्सक्रिप्शन के लिये संपर्क (WhatsApp) करें – 7428085757 (नरेंद्र प्रताप)

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक अखिल मूर्ति द्वारा 636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09 से प्रकाशित एवं एस.के. इंटरप्राईज़ेज, प्लॉट न. 92/6/2 एवं 92/15, रोड न.-1, मुंडका उद्योग नगर (साउथ साइड) इंड्रस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110041 से मुद्रित।

इस अंक में

संपादकीय 8

पी.टी. एक्सप्रेस 9–67

इतिहास, कला एवं संस्कृति *9–16*

तिरुपति महापाषाण स्थल 9

निकोबारी होदी 9

काशी तमिल संगमम् 10

जनजातीय गौरव दिवस 11

वीरांगना ऊदा देवी 11

बालीयात्रा 12

जी-20 और भारत की सांस्कृतिक कूटनीति 13

मानगढ़ धाम 15

लचित बोरफुकन 15

लंबाडी नृत्य 15

संगाई महोत्सव 16

भूगोल *16*

खेरसॉन 16

हेसरघट्टा झील 16

राष्ट्रीय घटनाक्रम *16–19*

ईट राइट स्टेशन प्रमाणन 16

गांधी मंडेला पुरस्कार 17

स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 17

भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश 18

मियाँ संग्रहालय 18

भारत जल सप्ताह 18

जी-20 : लोगो एवं थीम 19

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम *19–23*

ह्वासोंग-17 मिसाइल 19

नाटो और सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत 20

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 21

फ्रीजेस 22

काला सागर अनाज पहल 22

संविधान *23*

प्रसादपर्यंत का सिद्धांत 23

बैंकिंग *24*

वोस्ट्रो खाता 24

आर्थिक विकास *24–25*

चीन से आयात में रिकॉर्ड वृद्धि 24

मुद्रा निगरानी सूची 24

एक राष्ट्र, एक आई.टी.आर. फॉर्म 25

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी *25–30*

मध्य-पूर्व हरित पहल शिखर सम्मेलन 25

एपिस करिंजोडियन 26

हिमालयन ग्रे एप 26

अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन 27

कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य 28

बुनियादी ढाँचा लचीलापन त्वरक कोष 28

बतागुर कचुगा 28

तराई हाथी रिज़र्व 29

ग्रेट नॉट 30

अवेयर पहल 30

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी *30–34*

लाइकोपीन सेंसर 30

बेलैर्सिया ग्रासिलिस 31

मैस्टाइटिस रोग 31

खसरे का प्रकोप 32

2022 एपी7 32

सैटेलाइट फोन 33
भारतीय जैविक डाटा केंद्र 33
गोल्डन ब्लड 33
कॉर्डी गोल्ड नैनोपार्टिकल्स 34

ऊर्जा **34-35**

कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन 34

रक्षा **35-37**

मेक-II परियोजनाएँ 35
सी विजिल-22 अभ्यास 35
परिवहन विमान निर्माण परियोजना 36

कृषि **37**

डीआरआर धान 60 37

योजना एवं कार्यक्रम **37-39**

लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 37
एकलव्य विद्यालयों के लिये जनसंख्या मानदंड 38
उत्तेजम 38
राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन 39

महत्त्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट **39-41**

उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022 39
शहरी अवसंरचना निवेश 39
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 40
खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट 2022 40

महत्त्वपूर्ण सम्मेलन एवं आयोजन **41-42**

गंगा उत्सव 2022 41
राइज़िंग सन वाटर फेस्ट 2022 41
नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 42

महत्त्वपूर्ण मंत्रालय एवं संगठन **42-46**

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 42

महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन **46-49**

विश्व स्वास्थ्य संगठन 46

विविध **50-61**

महत्त्वपूर्ण शब्दावली 50
महत्त्वपूर्ण व्यक्ति एवं नियुक्तियाँ 52
महत्त्वपूर्ण खेल घटनाक्रम 54
महत्त्वपूर्ण दिवस 56
महत्त्वपूर्ण पुरस्कार 57
महत्त्वपूर्ण पुस्तकें 59
महत्त्वपूर्ण सम्मेलन एवं आयोजन 60

सीसैट खंड **62-67**

आधारभूत संख्यायन 62
तर्कशक्ति 64
बोधगम्यता 66

मुख्य परीक्षा मार्गदर्शिका **68-151**

प्रश्नपत्र-I

भूगोल **68**

कोरोनल होल 68

सामाजिक मुद्दे **69-72**

बाल विवाह से संबंधित विविध मुद्दे 69
टू-फिंगर टेस्ट 70
वैश्विक आबादी की स्थिति 71

प्रश्नपत्र-II

राजव्यवस्था एवं शासन **73-81**

मनरेगा प्रतिबंध में ढील 73
22वें विधि आयोग का गठन 74
समान नागरिक संहिता 74
समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण 75
न्यायिक नियुक्ति में विलंब 76
उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ एवं अनुच्छेद 142 78

नार्को टेस्ट की वैधानिक स्थिति 79
गर्भपात पर कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय 80
मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान की आवश्यकता 81

अंतर्राष्ट्रीय संबंध ***82-84***

आसियान-भारत शिखर सम्मेलन 82
रूस-यूक्रेन के बीच भारत की मध्यस्थता 83
जी-20 का बाली शिखर सम्मेलन 83

प्रश्नपत्र-III

आर्थिक घटनाक्रम ***85-89***

विश्व ऊर्जा आउटलुक 2022 85
भारतीय मुद्रा की संरचना 86
भारत में कृषि निर्यात की स्थिति 87
कालानमक चावल 88
डिजिटल रुपया पायलट 89

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी ***90-103***

अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिज़र्व दिवस 90
ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध 91
ब्लू फ्लैग प्रमाणन 92
मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट 93
ग्रीनवाशिंग 93
उपआर्कटिक बोरियल वन पर खतरा 94
सेन्ना स्पेक्टैबिलिस 95
जलवायु क्षति के लिये भुगतान 97
कॉप-27 : उपलब्धियाँ एवं भावी संभावनाएँ 98
दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति 101
हानि और क्षति कोष समझौता 102
निकोबार परियोजना को मंज़ूरी 102

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ***104-109***

डिजिटल बाज़ार अधिनियम 104
वैश्विक टी.बी. रिपोर्ट 2022 105
ब्लू थेरेपी से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार 107
आर्टेमिस मिशन 107
कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी 108
धारा सरसों संकर-11 109

आपदा और आपदा प्रबंधन ***110-111***

मोरबी त्रासदी 110

प्रश्नपत्र-IV

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि ***112-114***

राजनीति में नैतिकता 112
मुस्कान : सकारात्मक मानसिकता 113

केस स्टडी ***114-116***

केस स्टडी-1 114
केस स्टडी-2 116

महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार 117-148

योजना 117-122
कुरुक्षेत्र 122-129
डाउन टू अर्थ 129-137
इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 137-148

निबंध खंड 149-151

निबंध 149
निबंध उद्धरण 151

क्विक रिवीज़न 152-170

महत्त्वपूर्ण तथ्य : एक नज़र में 152-157
मानचित्र अध्ययन 158-159
प्रारंभिक परीक्षा आधारित प्रश्न 160-165
मुख्य परीक्षा आधारित प्रश्न 166-170

संस्कृति IAS

दिल्ली के साथ अब
प्रयागराज में भी...

हिंदी माध्यम

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

Distance Learning Programme DLP

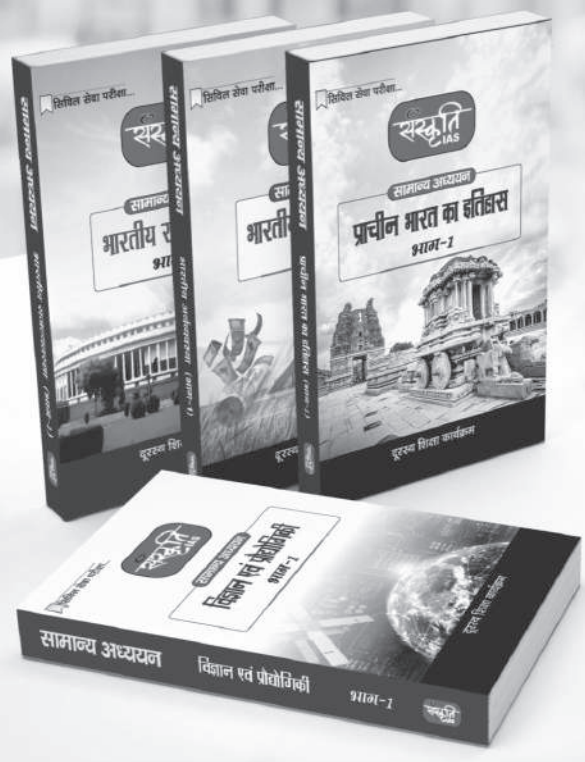

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताएँ

- ☑ यह कार्यक्रम ऐसे विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार (डिज़ाइन) किया गया है, जो किन्हीं वजहों से हमारे कक्षा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं।
- ☑ दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की अध्ययन सामग्री प्रकृति में सरल, संक्षिप्त, प्रामाणिक और परीक्षोन्मुखी है। इसे हिंदी माध्यम की सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की टीम के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में अनुभवी एवं प्रतिबद्ध कॉन्टेंट राइटरों द्वारा तैयार किया गया है।
- ☑ सिविल सेवा परीक्षा के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री इस तरह से तैयार की गई है कि कोई भी टॉपिक छूटने न पाए, अर्थात् अध्ययन की सरलता हेतु सभी अध्यायों में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का उचित समावेश किया गया है।
- ☑ अध्ययन सामग्री को पैराग्राफ्स, बुलेट फॉर्म, सारणी, मानचित्र एवं फ्लोचार्ट के माध्यम से उपयोगी एवं सरल बनाया गया है।

Fee Details

IAS Prelims	₹ 9,000
IAS Mains	₹ 12,000
IAS Prelims + Mains	₹ 14,000
IAS Optional History	₹ 6,000
IAS Optional Geog.	₹ 6,000

प्रिलिम्स अध्ययन सामग्री
25 Booklets

मेन्स अध्ययन सामग्री
27 Booklets

प्री.+मेन्स अध्ययन सामग्री
35 Booklets

For Demo

636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 9555 124 124 sanskritiias.com

संपादकीय

साक्ष्यहीन बात महत्त्वहीन होती है

प्रिय विद्यार्थियो,

आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जिन्हें बातें करने का बहुत शौक होता है। वे प्राय: किसी भी तरह की घटना पर चर्चा करने के लिये सदैव तत्पर रहते हैं। राजनीति, समाज, खेल जगत, अर्थव्यवस्था से जुड़ा कितने भी जटिल विमर्श की अपेक्षा वाला विषय हो, आप अमुक व्यक्ति के पास जाइये, वह आपको उस विषय के लगभग सभी पक्षों पर निर्बाध विमर्श प्रदान कर देगा। आम बोलचाल में ऐसे लोगों को 'बातूनी' कहा जाता है। इनकी चर्चा की खास विशेषता, जैसा कि ऊपर बताया है, यह होती है कि अमूमन हर विषय पर बात करने के लिये इनके पास पर्याप्त सूचनाएँ होती हैं। किंतु, इनकी सूचना का कोई निश्चित स्रोत नहीं होता है। ऐसी ही चर्चाओं के लिये हाल में एक पद प्रचलन में आया है, व्हाट्सएप ज्ञान अथवा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई। ध्यान रहे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कहने का आशय यह नहीं है कि उस व्यक्ति ने वह बात व्हाट्सएप पर पढ़ी है। मूलत: जिन बातों का कोई प्रामाणिक या ठोस स्रोत नहीं होता, उनके लिये प्राय: ऐसा कह दिया जाता है।

इस तरह की प्रवृत्ति को बातूनी कहकर संबोधित करने की वजह होती है। इसलिये, आप शिक्षित बुद्धिजीवियों के बीच में हों या फिर कम शिक्षित लोगों के बीच, अपनी बात को बिना प्रामाणिक साक्ष्य के कहने से परहेज़ करें। आपने देखा होगा कि समाज में अलग-अलग तरह के व्यवहार या बर्ताव को लेकर कई तरह की उक्तियाँ अथवा लोकोक्तियाँ प्रचलन में होती हैं। मसलन, आप गाँव/मुहल्ले में जाकर लोगों के बीच बड़ी-बड़ी बातें कीजिये। अगर लोगों को आपकी कही बात के अनुरूप आपके व्यवहार में कोताही नज़र आई, यानी कथनी-करनी में भेद मालूम हुआ तो कोई न कोई तंज़ कस देगा– "होनहार बिरवान के होत चीकने पात"। इसी तरह की अनगिनत उक्तियाँ समाज में प्रचलित होती हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा समाज परंपरागत रूप से ही तथ्यपरक चर्चा अथवा कथनी-करनी के साहचर्य के प्रति किस तरह जागरूक रहा है।

आप कभी किसी शोध प्रपत्र को पढ़िये, आप देखेंगे जिस विषय पर वह शोध संपन्न हुआ है, उसके संबंध में शोधार्थी ने बहुत से निष्कर्ष दिये होंगे; कई बातें रखी होंगी। किंतु, कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जिसके समर्थन में तथ्य प्रस्तुत न किये गए हों।

आप अच्छे समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में दिये जाने वाले लेखों को पढ़िये। उनमें किसी भी राय को कायम करने से पहले उसका तथ्यात्मक समर्थन किया जाता है।

अब तक हमने जिन बातों की चर्चा की है, वे हमारे सामान्य जीवन से जुड़ी हुई हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि कोई भी बात बोलने या लिखने के लिये उसका तथ्यात्मक होना कितना आवश्यक और प्रासंगिक है!

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिये कि लिखते समय और बोलते समय बिना किसी मान्य या स्वीकृत साक्ष्य/तथ्य के कोई बात न तो लिखें और न बोलें। अगर आप इस बात को व्यवहार में अपनाएंगे तो परीक्षा के हर चरण के लिये आप स्वयं को बेहतर ढंग से तैयार कर पाएंगे। आपकी कही या लिखी बात का विश्वसनीय होना अनिवार्य है और विश्वसनीयता साक्ष्य या तथ्य से ही आती है।

शुभकामनाओं सहित

(अखिल मूर्ति)

इतिहास, कला एवं संस्कृति

तिरुपति महापाषाण स्थल

चर्चा में क्यों

आंध्र प्रदेश के तिरुपति ज़िले में स्थित महापाषाणिक स्थल संरक्षण के अभाव में नष्ट हो रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- आंध्र प्रदेश का तिरुपति ज़िला महापाषाणकालीन एंथ्रोपोमोर्फिक कब्र स्थलों के लिये जाना जाता है।
- तिरुपति और चित्तूर ज़िले में महापाषाणिक संरचनाओं की एक विस्तृत शृंखला मिलती है। विदित है कि अप्रैल 2022 में तिरुपति को चित्तूर से अलग कर एक नया ज़िला बनाया गया है।
- गौरतलब है कि वर्तमान में ग्रेनाइट खनन के कारण ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित महापाषाणिक स्थल संकट का सामना कर रहे हैं।

पांडव गुल्लू स्थल

- 'खंभायुक्त डोलमेन' (Pillared Dolmen) मल्लय्यागरीपल्ली (तिरुपति से 20 किमी. दूर) में पाया जाने वाला महापाषाण युग का एक प्रमुख स्थल है।
- यह स्थल चंद्रगिरि और द्रोणकंबाला के बीच एक पहाड़ी पर स्थित है। इस स्थल के लगभग 2,500 वर्ष प्राचीन होने का अनुमान है।
- पांडवों की स्मृति में स्थानीय रूप से इस संरचना को 'पांडव गुल्लू' या 'पांडवुला बांदा' के नाम से जाना जाता है।

राज्य के अन्य महापाषाण स्थल

- चित्तूर ज़िले में कल्लूर के पास स्थित देवरा येद्दू में एक संकटग्रस्त महापाषाण स्मारक है जो बैल के सींग के समान दिखता है। अवैध उत्खनन के कारण यह स्थल गंभीर संकट का सामना कर रहा है।
- चित्तूर ज़िले के सोदाम के पास बोयापल्ले स्थल से मृत व्यक्ति की स्मृति में बनाया गया एक लंबा व भव्य ढाँचा प्राप्त हुआ है।
- तिरुपति से 15 किमी. पूर्व में कराकंबाडी के पास वेंकटपुरम में एक महापाषाण स्थल है जो मोबाइल टावर की स्थापना के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है।

महापाषाणिक संस्कृति

- पाषाणकालीन संस्कृति के दौरान दक्षिण भारत में शवों को बड़े-बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। ऐसी संरचनाओं को 'महापाषाण' कहते हैं।
- ये महापाषाणिक स्थल डोलमेनोइड सिस्ट (बॉक्स के आकार के पत्थर के दफन कक्ष), केयर्न स्टोन सर्कल (परिभाषित परिधि वाले पत्थर के घेरे) और कैपस्टोन (मुख्य रूप से केरल में पाए जाने वाले विशिष्ट मशरूम के आकार के दफन कक्ष) के रूप में पाए गए हैं।
- इस संस्कृति का आरंभ 1000 ई.पू. से माना जा सकता है जो ईसा की शुरुआती शताब्दियों तक प्रचलित रही। इसकी सर्वाधिक प्रमुख विशेषता लौह धातु तथा काले एवं लाल मृद्भांडों की प्राप्ति है।

निकोबारी होदी

चर्चा में क्यों

हाल ही में, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह जनजातीय विकास परिषद् ने निकोबारी होदी (Nicobari Hodi) शिल्प को भौगोलिक संकेतक (GI Tag) देने के लिये आवेदन किया है।

निकोबारी होदी के बारे में

निर्माण

- निकोबारी होदी एक छोटी एवं हल्की नाव है जो निकोबारी जनजाति का पारंपरिक शिल्प है। चौड़ाई की अपेक्षा इसकी लंबाई लगभग 12 गुना अधिक होनी चाहिये।
- इसे स्थानीय रूप से उपलब्ध वृक्षों का उपयोग करके बनाया जाता है और इसकी डिज़ाइन एक द्वीप से दूसरे द्वीप में थोड़ी भिन्न होती है।
- 60 से 80 वर्ष पुराने पेड़ का सीधा तना या एक तरफ थोड़ा-सा झुका हुआ पेड़ इसके लिये उपयुक्त माना जाता है।

अन्य बिंदु

- आमतौर पर इसका संचालन निकोबार द्वीपसमूह में किया जाता है। इसका उपयोग एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक परिवहन के साधन के रूप में, मछली पकड़ने, नारियल भेजने और नौका दौड़ के लिये किया जाता है।
- अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह ने पहली बार अपने किसी उत्पाद के लिये भौगोलिक संकेतक की मांग की है। इसके लिये जी.आई. आवेदन चेन्नई कार्यालय में किया गया है।

1,000वाँ जी.आई. आवेदन

- चेन्नई में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री की स्थापना सितंबर 2003 में की गई थी। यहाँ अभी तक एक हज़ार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।
- यहाँ का 1,000वाँ आवेदन बनारस की ठंडाई (Thandai) के लिये प्राप्त हुआ है। बनारस की ठंडाई दूध, सूखे मेवे और मसालों से बना पेय है।
- किसी सरदार (प्रमुख) के अधीन परिवारों के समूह को 'तुहेत' (Tuhet) कहते हैं जो होदी को संपत्ति मानता है।

काशी तमिल संगमम्

चर्चा में क्यों

16 नवंबर से वाराणसी में एक माह तक चलने वाले 'काशी तमिल संगमम्' की शुरुआत हुई जो उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के विभिन्न पहलुओं को समझने का एक मंच है।

काशी तमिल संगमम् के बारे में

- 'काशी तमिल संगमम्' का व्यापक उद्देश्य दो ज्ञान परंपराओं एवं सांस्कृतिक परंपराओं को निकट लाना, साझी विरासत की समझ विकसित करना और इन क्षेत्रों के लोगों के बीच आपसी संपर्क को मज़बूत करना है।
  - यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप है जो भारतीय संस्कृति और लोकाचार के साथ आधुनिक एवं 21वीं सदी की मानसिकता के मध्य सामंजस्य पर ज़ोर देती है।
- काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) और आई.आई.टी. मद्रास (IIT Madras) इस आयोजन के ज्ञान भागीदार हैं।
  - उत्तर प्रदेश सरकार और वाराणसी प्रशासन के अतिरिक्त संस्कृति, पर्यटन, रेलवे, कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों को हितधारकों के रूप में शामिल किया गया है।

प्राचीन संबंध

- प्राचीन काल से ही दक्षिण भारत में विद्वानों द्वारा काशी की यात्रा के बिना उच्च शिक्षा अधूरी मानी जाती थी।
- ज्ञान के दो केंद्रों (काशी और कांची) के बीच संबंध साहित्य में समान विषयों के रूप में दिखाई देते हैं। तमिलनाडु के प्रत्येक

गाँव में काशी नाम की उपस्थिति देखी जा सकती है तथा काशीनाथ तमिलनाडु के लोगों में एक लोकप्रिय नाम है।

काशी और कांची के मध्य संबंध

- एक किंवदंती के अनुसार, राजा पराक्रम पांड्य ने अपनी काशी यात्रा से लौटते समय भगवान के इच्छानुसार एक 'लिंगम' स्थापित किया। इस स्थान को शिवकाशी के नाम से जाना जाता है।
  - पराक्रम पांड्य 15वीं शताब्दी में मदुरै के आसपास शासन करते थे।
- पांड्य राजाओं ने 'काशी विश्वनाथर' मंदिर का निर्माण करवाया जो दक्षिण-पश्चिमी तमिलनाडु में तमिलनाडु-केरल की सीमा के निकट तेनकासी में स्थित है।
- काशी विश्वनाथर मंदिर के अलावा तमिलनाडु में काशी के नाम से सैकड़ों शिव मंदिर हैं। एक अन्य राजा अधिवीर राम पांडियन ने 19वीं शताब्दी में तेनकासी में एक अन्य शिव मंदिर का निर्माण कराया।
- तमिल संत कुमारा गुरुपारा ने काशी पर व्याकरण की कविताओं का संग्रह 'काशी कलमबागम' की रचना की है।

जनजातीय गौरव दिवस

चर्चा में क्यों

15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उलिहातू गाँव (खूंटी ज़िला, झारखंड) का दौरा किया। साथ ही, राष्ट्रपति ने खूंटी ज़िले से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी। साथ ही, मध्य प्रदेश के शहडोल में आयोजित जनजातीय समागम को भी संबोधित किया।

जनजातीय गौरव दिवस के बारे में

- विगत वर्ष भारत सरकार द्वारा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास की याद में बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई थी।
- इस वर्ष 15 से 22 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह का आयोजन भी किया गया।

बिरसा मुंडा

- बिरसा मुंडा का जन्म वर्ष 1875 में झारखंड के उलिहातू गाँव में हुआ था। ये मुंडा जनजाति से थे।
- इन्होंने वर्ष 1899-1900 में ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था की शोषक प्रणाली के विरुद्ध छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में 'उलगुलान' क्रांति का आह्वान किया था।
- इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी परिवर्तन को प्रोत्साहित किया, अंधविश्वास के विरुद्ध लड़ने के लिये धार्मिक प्रथाओं को चुनौती दी और अपने अनुयायियों द्वारा 'भगवान' और 'धरती आबा' (पृथ्वी के पिता) के रूप में पहचाने गए।
- इन्हें औपनिवेशिक अधिकारियों को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों को प्रस्तुत करने हेतु मजबूर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये जाना जाता है।

उलगुलान विद्रोह

- इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था 'खुंटकट्टी' कृषि और भूमि स्वामित्व प्रणाली की सामंती ज़मींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई।
- बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को औपनिवेशिक कानूनों का पालन न करने और लगान देने से मना करने के लिये प्रोत्साहित किया।
- 3 मार्च, 1900 को बिरसा मुंडा को अंग्रेज़ों ने चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल में गिरफ्तार कर लिया जिसके पश्चात् यह आंदोलन नेतृत्वविहीन हो गया।

अन्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में

- स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न विचारधाराओं और गतिविधियों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जनजाति समुदायों के संघर्षों की कई धाराएँ भी शामिल हैं।
- झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा एवं सिद्धू-कान्हू, मध्य प्रदेश के तांतिया भील तथा भीमा नायक, आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू, मणिपुर की रानी गैन्डिल्यू और ओडिशा के शहीद लक्ष्मण नायक जैसे महान व्यक्तित्वों ने जनजातीय गौरव के साथ-साथ देश के गौरव को भी बढ़ाया है।
- मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी योद्धाओं में किशोर सिंह, खज्या नायक, रानी फूल कुँवर, सीताराम कंवर, महुआ कोल, शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम शामिल हैं।
- 'छिंदवाड़ा के गांधी' के रूप में सम्मानित बादल भोई ने स्वतंत्रता संग्राम के लिये अहिंसा का मार्ग चुना था।

वीरांगना ऊदा देवी

चर्चा में क्यों

हाल ही में, पासी समुदाय की स्वतंत्रता सेनानी ऊदा देवी की शहादत की याद में लखनऊ के सिकंदर बाग सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

ऊदा देवी के बारे में

- ऊदा देवी को इनकी वीरता के साथ-साथ एक नेता के रूप में इनके कौशल के लिये भी याद किया जाता है।
- इनका जन्म उजीराव, लखनऊ में हुआ था। ये अवध की बेगम हज़रत महल के शाही रक्षक दल में शामिल थीं।
- इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उठाने के लिये लोगों, विशेषकर दलित महिलाओं को एकजुट करने का कार्य किया।

1857 का विद्रोह और ऊदा देवी

- 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ की सेना और हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों के बीच एक लड़ाई लड़ी गई जिसमें मक्का पासी (ऊदा देवी के पति) की मृत्यु हो गई। वे अवध के नवाब वाजिद अली शाह की सेना में पैदल सैनिक के रूप में कार्यरत थे।
- मक्का पासी की मृत्यु ने ऊदा देवी को 1857 के विद्रोह में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिये प्रेरित किया।
- 16 नवंबर, 1857 को गोमती नदी के निकट तैनात ब्रिटिश रेजीमेंट के विरुद्ध लड़ने वाले सैनिकों में ऊदा देवी भी शामिल थीं। इस युद्ध में इन्होंने कम-से-कम तीन दर्जन ब्रिटिश सैनिकों को मारकर वीरता का प्रदर्शन किया और अंततः वीरगति को प्राप्त हुईं।

बालीयात्रा

चर्चा में क्यों

हाल ही में, जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया के बाली में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालीयात्रा का उल्लेख किया।

प्रमुख बिंदु

- इसका आयोजन प्रतिवर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा को कटक में महानदी के तट पर किया जाता है। यह भारत और इंडोनेशिया के बीच प्राचीन व्यापार संबंधों का प्रतीक है।
- इस उत्सव के दौरान केले के तने, कागज़ या थर्मोकोल से सजावटी लघु नावों का निर्माण किया जाता है।
- गौरतलब है कि इन नावों को स्थानीय रूप से बोइता (Boita) के नाम से जाना जाता था। इसलिये, इस उत्सव को बोइता बंदाना (Boita Bandana) भी कहा जाता है।
- यह उत्सव कटक ज़िला प्रशासन और कटक नगर निगम द्वारा कई अन्य सरकारी एजेंसियों के सहयोग से नौ दिनों के लिये आयोजित किया जाता है।
- इस वर्ष की बालीयात्रा को सुंदर कागज़ की मूर्तियों के निर्माण के लिये ओरिगेमी की प्रभावशाली उपलब्धि हासिल करने के कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान दिया गया है।
  - ओरिगेमी (Origami) कागज़ को मोड़कर बनाई जाने वाली मूलतः जापान की एक कला है।

ऐतिहासिक महत्त्व

- बालीयात्रा या बाली की यात्रा (Voyage to Bali) देश के सबसे बड़े ओपन-एयर मेलों में से एक है। यह उत्सव 1,000 वर्षों से भी अधिक पुराना है।
- प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन प्राचीन कलिंग (वर्तमान ओडिशा) और बाली के साथ-साथ जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बर्मा (म्याँमार) व सीलोन (श्रीलंका) जैसे अन्य दक्षिण व दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्रों के मध्य 2,000 वर्ष पुराने सामुद्रिक व सांस्कृतिक संबंधों को स्मरण करने के लिये किया जाता है।
- विदित है कि प्राचीन काल में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में कई बंदरगाह थे और यहाँ से व्यापारियों ने पारंपरिक रूप से इसी समय समुद्र पार करके अपनी यात्राओं को शुरू किया था। ये यात्राएँ उस समय शुरू की गईं जब पवनें नावों के अनुकूल होती थीं।
- इतिहासकारों के अनुसार, कलिंग और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच व्यापार की लोकप्रिय वस्तुओं में काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, रेशम, कपूर, सोना एवं आभूषण शामिल थे।

जी-20 और भारत की सांस्कृतिक कूटनीति

चर्चा में क्यों

हाल ही में, इंडोनेशिया में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के नेताओं को गुजरात और हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कलाकृतियाँ उपहारस्वरूप भेंट कीं।

कलाकृतियाँ और उनका संक्षिप्त विवरण

- अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को कांगड़ा लघु पेंटिंग; ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को माता नी पछेड़ी; ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीस को पिथौरा पेंटिंग; फ्राँस, जर्मनी और सिंगापुर के राष्ट्र प्रमुखों को कच्छ के एगेट बाउल तथा इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी को एक पाटन पटोला दुपट्टा भेंट किया गया।
- इसके अलावा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को चाँदी का कटोरा (सूरत, गुजरात) और किन्नौरी शॉल (हिमाचल प्रदेश) तथा स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को पीतल की तुरही का सेट (मंडी और कुल्लू) भेंट किया गया।

पाटन पटोला दुपट्टा (पाटन)

- 11वीं शताब्दी के दौरान विकसित यह हस्तनिर्मित कपड़ा शुद्ध रेशम से बुना होता है जिसका निर्माण डबल इकत तकनीक (रंगाई की एक तकनीक) से किया जाता है।
- इस कपड़े में दोनों तरफ रंग और डिज़ाइन एक समान होता है तथा यह विशिष्ट गुण टाई रंगाई या गाँठ रंगाई की एक पेचीदा तकनीक से आता है जिसे 'बाँधनी' के रूप में जाना जाता है।

- पटोला शीशम और बाँस की पट्टियों से बने हस्त संचालित हार्नेस करघे पर बुना जाता है।
- यह वस्त्र उत्तरी गुजरात के पाटन क्षेत्र में साल्वी परिवार द्वारा बुना जाता है।

कांगड़ा चित्रकला (कांगड़ा)

- 17वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान विकसित हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला के एक रूप में जाना जाता है।
- इस चित्रकला का मुख्य केंद्र गुलेर, बसोली, चंबा, नूरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा हैं।

- राजाओं के साथ ही श्रीकृष्ण के शृंगारिक चित्र कांगड़ा शैली की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। फूल, पौधे, लता, नदी, पेड़ आदि जैसे प्राकृतिक दृश्य भी इस कला में प्रमुखता से उभारे गए हैं।
- इसमें प्रयुक्त रंगों को फूलों, पत्तियों, जड़ों, मिट्टी के विभिन्न रंगों, जड़ी-बूटियों और बीजों आदि से बनाया जाता है।
- कांगड़ा चित्र बही-खातों के लिये बनाए गए विशेष प्रकार के हस्तनिर्मित कागज़ों, जिन्हें सियालकोट कागज़ भी कहा जाता है, पर तैयार किये जाते हैं।
- महाराजा संसार चंद कटोच (1775-1823) के शासनकाल को कांगड़ा चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है।

माता नी पछेड़ी (गुजरात)

- यह मंदिरों में चढ़ाया जाने वाला हाथ से बना गुजराती कपड़ा है जिसे साबरमती नदी के किनारे रहने वाले 'वाघरी' खानाबदोश समुदाय द्वारा निर्मित किया जाता है।
- यह पवित्र कपड़ा दीवार कला (wall art) का एक रूप है जिसका उपयोग मंदिरों की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता है।

- मूल शैली में केवल दो रंगों– काला और लाल का प्रयोग किया जाता था जो प्राकृतिक रंगों से बने थे।

पिथौरा पेंटिंग (छोटा उदेपुर)

- यह मध्य गुजरात के छोटा उदेपुर की राठवा जनजाति द्वारा बनाई जाने वाली एक अनुष्ठानिक पेंटिंग है।
- ये चित्र अनाज के देवता 'पिथौरा' को चढ़ावे के रूप में बनाए जाते हैं तथा आमतौर पर केवल पुरुषों द्वारा चित्रित किये जाते हैं।

- ये चित्र पारंपरिक रूप से किसी विशेष अवसर, जैसे– विवाह, बच्चे के जन्म आदि अवसरों पर बनाए जाते हैं।
- इन्हें बनाने के लिये चित्रकार बाँस की छड़ियों, कपास और लकड़ी के स्टेंसिल के संयोजन का उपयोग करते हैं। इन चित्रों को बनाने के लिये महुदा के पेड़ से तैयार दूध और शराब में रंगद्रव्य मिलाकर निर्मित किये गए रंग का प्रयोग किया जाता है।
- पारंपरिक रूप से यह केवल भित्ति कला के रूप में प्रचलित है, लेकिन वर्तमान में पिथौरा चित्रकार कागज़ और कैनवास का उपयोग करते हैं जिसे व्यावसायिक रूप से बेचा जाता है।

एगेट बाउल (कच्छ)

- यह कटोरा कैल्सेडोनिक-सिलिका से बना होता है जो एक अर्द्ध-कीमती पत्थर होता है। यह पत्थर नदी के किनारे राजपीपला एवं रतनपुर की भूमिगत खदानों में पाया जाता है और विभिन्न प्रकार की सजावटी वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है।

- यह पारंपरिक शिल्पकला सिंधु घाटी सभ्यता से ही चली आ रही है और वर्तमान में खंभात के शिल्पियों द्वारा इस कटोरे का निर्माण किया जाता है।

किन्नौरी शॉल (किन्नौर)

यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में निर्मित एक शॉल है। यह शॉल स्थानीय प्राचीन परंपरा एवं संस्कृति पर आधारित है जिसके डिज़ाइन एवं तकनीक पर मध्य एशिया और तिब्बत का काफी प्रभाव दिखाई देता है।

मानगढ़ धाम

चर्चा में क्यों

हाल ही में, 'मानगढ़ धाम की गौरव गाथा' नामक एक सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और आदिवासी नेता गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

प्रमुख बिंदु

- मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान के बाँसवाड़ा ज़िले में स्थित है। मानगढ़ पहाड़ी भील समुदाय और राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियों के लिये विशेष महत्त्व रखती है।
- यहाँ 17 नवंबर, 1913 को श्री गोविंद गुरु के नेतृत्व वाले भील जनजाति के लोगों पर अंग्रेज़ों ने गोलियाँ चलाईं जिसमें लगभग 1,500 आदिवासी शहीद हुए।
- गोविंद गुरु ने जनजातीय समुदाय के अधिकारों के लिये अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई के साथ ही अपने समुदाय की बुराइयों के खिलाफ भी अभियान चलाया था। इसलिये उन्हें समाज सुधारक, आध्यात्मिक गुरु, संत और एक लोक नेता की संज्ञा दी जाती है।
- मानगढ़ पहाड़ी को 'आदिवासी जलियाँवाला बाग' के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा इसे 'राष्ट्रीय महत्त्व का स्मारक' घोषित करने की सिफारिश की जा चुकी है।

अन्य प्रमुख आदिवासी संग्राम

संघर्ष का नाम	संबंधित प्रमुख बिंदु
संथाल संग्राम	तिलका मांझी के नेतृत्व में 1780 के दशक में
लरका आंदोलन	सन् 1830-32 में बुधु भगत के नेतृत्व में
सिद्धू-कान्हू क्रांति या हूल क्रांति	सन् 1855 में सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में

लचित बोरफुकन

चर्चा में क्यों

24 नवंबर को अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- 24 नवंबर, 1622 को जन्मे लचित बोरफुकन का पूरा नाम चाउ लचित फुकनलुंग था। वे अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे जिन्हें सन् 1671 के सराईघाट की लड़ाई में मुगल सेनाओं के विरुद्ध नेतृत्व क्षमता के लिये जाना जाता है।
- बोरफुकन ने अपनी नेतृत्व क्षमता से तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगज़ेब के साम्राज्यवादी इरादों को असफल किया। इस कारण उन्हें 'पूर्वोत्तर का शिवाजी' भी कहा जाता है।
- उल्लेखनीय है कि बोरफुकन अहोम राज्य के पाँच पात्र मंत्रियों में से एक थे। इस पद का सृजन अहोम राजा स्वर्गदेव प्रताप सिंह ने किया था।

लचित दिवस

- लचित बोरफुकन की वीरता और सराईघाट के युद्ध में असमिया सेना की जीत के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 24 नवंबर को असम में लचित दिवस (लच्छित दिवस) मनाया जाता है।
- गौरतलब है कि यह पहल असम सरकार द्वारा बोरफुकन की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले उत्सव से संबंधित है।
- लचित के नाम पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में सर्वश्रेष्ठ कैडेट का स्वर्ण पदक दिया जाता है जिसे 'लचित पदक' भी कहा जाता है।

लंबाडी नृत्य

चर्चा में क्यों

हाल ही में, रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में लोक कलाकारों द्वारा लंबाडी नृत्य प्रस्तुत किया गया।

लंबाडी नृत्य के बारे में

- लंबाडी नृत्य (Lambadi Dance) तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बंजारा जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक प्राचीन लोक नृत्य है।
- यह मुख्यत: राजस्थान और तेलंगाना की संस्कृतियों का मिश्रण है। इस नृत्य में कटाई, रोपाई और बुआई से संबंधित दृश्य शामिल होते हैं।

- मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा अच्छी फसल के लिये भगवान से आशीर्वाद लेने हेतु यह नृत्य किया जाता है।

संगाई महोत्सव

चर्चा में क्यों

हाल ही में, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा मणिपुर के मोइरांग खुनौ स्थित संगाई एथनिक पार्क में संगाई महोत्सव का शुभारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु

- यह मणिपुर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। इस वर्ष के महोत्सव की थीम 'फेस्टिवल ऑफ वननेस' है।
- इसका नामकरण यहाँ पाए जाने वाले हिरण की एक दुर्लभ प्रजाति संगाई के नाम पर किया गया है जो मणिपुर का राजकीय पशु है। यह हिरण लोकटक झील में तैरते हुए केइबुललामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है।
- यह उत्सव कला एवं संस्कृति, हथकरघा, हस्तशिल्प, ललित कला, स्थानीय खेल, भोजन, संगीत और साहसिक खेलों के साथ-साथ प्राकृतिक पर्यावरण में राज्य के योगदान को प्रदर्शित करता है।

भूगोल

खेरसॉन

चर्चा में क्यों

हाल ही में, रूस ने यूक्रेन के दक्षिण में स्थित शहर 'खेरसॉन' से अपनी सेनाओं की वापसी की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- खेरसॉन नीपर नदी के मुहाने के पास अवस्थित रूस और यूक्रेन के लिये रणनीतिक रूप से एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। सिंचाई सुविधाओं के साथ यह प्रांत अपनी कृषि उपज के लिये भी एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।
- यह क्रीमिया प्रायद्वीप और काला सागर के साथ सीमा साझा करता है। विदित है कि वर्ष 2014 से क्रीमिया पर रूस का नियंत्रण है।
- यूक्रेन के लिये, खेरसॉन को फिर से हासिल करना कलांचक (Kalanchak) और चैपलिनका (Chaplynka) ज़िलों में अपनी आबादी की रक्षा करने तथा क्रीमिया पर फिर से कब्ज़ा करने हेतु महत्त्वपूर्ण है।

नीपर नदी

- खेरसॉन शहर यूक्रेन में नीपर (Dnipro) नदी के दाहिने (पश्चिम) तट पर स्थित है। यह नदी क्रीमिया प्रायद्वीप के उत्तर में काला सागर में मिलती है।
- यह यूक्रेन की सबसे लंबी तथा वोल्गा, डेन्यूब और यूराल के बाद यूरोप की चौथी सबसे लंबी नदी है
- यह नदी यूक्रेन को दो भागों में विभाजित करती है।

हेसरघट्टा झील

चर्चा में क्यों

हाल ही में, लगभग 28 वर्षों पश्चात् हेसरघट्टा झील के जल स्तर में व्यापक वृद्धि दर्ज की गई है।

प्रमुख बिंदु

- हेसरघट्टा झील बेंगलुरु शहर में स्थित एक मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। यह अर्कावती नदी के जलग्रहण क्षेत्र में नंदी पहाड़ियों के पास स्थित है।
- इसका निर्माण वर्ष 1894 में मैसूर राज्य के तत्कालीन दीवान सर के.के. शेषाद्री अय्यर और तत्कालीन मुख्य अभियंता एम.सी. हचिन्स द्वारा चामराजेंद्र जल परियोजना के तहत किया गया था।
- ईंटों, चूने और गारे के उपयोग से निर्मित यह जल प्रवाह प्रणाली गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के माध्यम से शहर को जलापूर्ति सुनिश्चित करती है।

राष्ट्रीय घटनाक्रम

ईट राइट स्टेशन प्रमाणन

चर्चा में क्यों

हाल ही में, भोपाल रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिये 4-स्टार 'ईट राइट स्टेशन' प्रमाणन से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- यह प्रमाणीकरण भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा मानक खाद्य भंडारण और स्वच्छता नियमों का पालन करने वाले रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है।
- यह प्रमाणन उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक स्थापित करते हैं।
- 4-स्टार रेटिंग यात्रियों के लिये सुरक्षित और स्वच्छ भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्टेशन द्वारा पूर्ण अनुपालन को दर्शाती है। यह प्रमाणीकरण 'ईट राइट इंडिया' अभियान का हिस्सा है।

- यह प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाले अन्य रेलवे स्टेशनों में दिल्ली का आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (मुंबई), मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन (मुंबई), वडोदरा रेलवे स्टेशन और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन शामिल हैं।

'ईट राइट इंडिया' अभियान

इस अभियान को एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये देश की खाद्य प्रणाली में परिवर्तन करना है।

गांधी मंडेला पुरस्कार

चर्चा में क्यों

हाल ही में, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने दलाई लामा (14वें) को पहले 'गांधी मंडेला पुरस्कार 2019' से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- यह पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित मैकलोडगंज के थेकचेन छोएलिंग (Thekchen Choeling) मंदिर परिसर में प्रदान किया गया।
- गांधी मंडेला पुरस्कार 2019 इस पुरस्कार का प्रथम संस्करण है। नवंबर 2022 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। दलाई लामा इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं।
- उल्लेखनीय है कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को वर्ष 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है।
- यह पुरस्कार शांति, समाज कल्याण, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खेल तथा नवाचार के क्षेत्र में गांधी और मंडेला की विरासत को आगे बढ़ाने वाली विभूतियों को प्रदान किया जाता है।

गांधी मंडेला पुरस्कार के बारे में

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे नई दिल्ली स्थित गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह फाउंडेशन भारत सरकार के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी संगठन है।
- इस फाउंडेशन के गठन का उद्देश्य महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के अहिंसा के मूल्यों को प्रोत्साहित करना है।
- इस फाउंडेशन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर इस पुरस्कार की स्थापना की।
- इस फाउंडेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जबकि इसकी वैश्विक उपस्थिति अमेरिका, अफ्रीका, रूस, लंदन, स्विट्ज़रलैंड, चीन, नेपाल और बांग्लादेश में है।

स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी

चर्चा में क्यों

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में 'नादप्रभु केंपेगौड़ा' की 108 फीट ऊँची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की संज्ञा प्रदान की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रतिमा की स्थापना केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 23 एकड़ में विस्तृत हेरिटेज पार्क में की गई है। विदित है कि इस प्रतिमा द्वारा धारित तलवार का वज़न 4,000 किग्रा. है।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का भी उद्घाटन किया।
- इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ने दो ट्रेनों– दक्षिण भारत की पहली एवं देश की पाँचवीं वंदे भारत एक्सप्रेस (चेन्नई से मैसूरु) और भारत गौरव काशी दर्शन (बेंगलुरु से वाराणसी) को भी हरी झंडी दिखाई।

नादप्रभु केंपेगौड़ा के बारे में

- 16वीं सदी के दौरान नादप्रभु केंपेगौड़ा विजयनगर साम्राज्य के सामंत थे। इन्हें बेंगलुरु शहर के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ये दक्षिण कर्नाटक में वोक्कालिगा नामक प्रमुख कृषक समुदाय से संबंधित थे।
- इन्होंने शहर में पीने के पानी और कृषि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये लगभग 1,000 झीलों को विकसित किया था।

भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश

चर्चा में क्यों

हाल ही में, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ (डी.वाई. चंद्रचूड़) को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित का स्थान लिया है।

कौन हैं न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़

- न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ 10 नवंबर, 2024 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे। ये वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे।
- इन्होंने वर्ष 2013 से 2016 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद भी संभाला था। ये भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति 'यशवंत विष्णु चंद्रचूड़' के पुत्र हैं।

न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय (वर्ष 1978 से 1985) तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। वहीं, मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह का रहा। ये वर्ष 1991 में केवल 17 दिनों के लिये भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे।

वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति

- किसी निश्चित संवैधानिक प्रावधान के अभाव में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिये 'मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज' का पालन किया जाता है।
- परंपरानुसार निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश वरिष्ठता के आधार पर करते हैं। यह सिफारिश केंद्रीय कानून मंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजी जाती है, जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।
- वर्ष 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना के बाद से 1970 के दशक में दो अवसरों को छोड़कर प्राय: परंपरा का सदैव पालन किया गया है।
- वर्ष 1973 में न्यायमूर्ति ए.एन.राय को वरिष्ठता क्रम में चौथे स्थान पर होने के बावजूद मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया तथा वर्ष 1977 में न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना के वरिष्ठ न्यायाधीश होने के बावजूद न्यायमूर्ति एम.एच.बेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

मियाँ संग्रहालय

चर्चा में क्यों

हाल ही में, असम में बांग्लाभाषी या बंगाल मूल के मुसलमानों की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले 'मियाँ संग्रहालय' को सील कर दिया गया है।

विवाद का विषय

- यह संग्रहालय असम के गोलपारा ज़िले में अवस्थित है जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवंटित आवास को निर्धारित नियमों का उल्लंघन करके संग्रहालय में परिवर्तित करके बनाया गया है।
- विदित है कि वर्ष 2020 में भी असम में श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र परिसर में मियाँ संग्रहालय की स्थापना को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। इसे चार-चपोरी क्षेत्र के मियाँ समुदाय की संस्कृति और विरासत को दर्शाने के लिये स्थापित किया गया था।
- चार-चपोरी क्षेत्र में 'चार' ब्रह्मपुत्र नदी पर तैरता हुआ द्वीप है, जबकि 'चपोरी' बाढ़ संभावित निम्न नदी तटों पर स्थित क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह के कारण ये दोनों क्षेत्र अपना आकार परस्पर एक-दूसरे में बदलते रहते हैं।

भारत जल सप्ताह

चर्चा में क्यों

1 नवंबर, 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सातवें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 1 से 5 नवंबर तक किया गया। पहले भारत जल सप्ताह का आयोजन वर्ष 2012 में किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- भारत जल सप्ताह, 2022 का विषय (Theme) 'सतत् विकास एवं समानता के लिये जल सुरक्षा' है।
- इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य जल संसाधनों के संरक्षण एवं उनके एकीकृत उपयोग के प्रयासों के प्रति जागरूकता प्रसारित करना है।

- इस आयोजन में डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड भागीदार देश के रूप में शामिल हुए।
- यह आयोजन एक बहुविषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो दीर्घकालिक जल योजना और प्रबंधन के लिये नए दृष्टिकोणों पर केंद्रित है।
- भारत जल सप्ताह के छठे संस्करण का आयोजन वर्ष 2019 में 'जल सहयोग - 21वीं सदी की चुनौतियों से मुकाबला' के विषय के साथ नई दिल्ली में किया गया था।

जी-20 : लोगो एवं थीम

चर्चा में क्यों

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी वर्ष में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन के लिये लोगो (Logo), थीम और वेबसाइट का अनावरण किया।

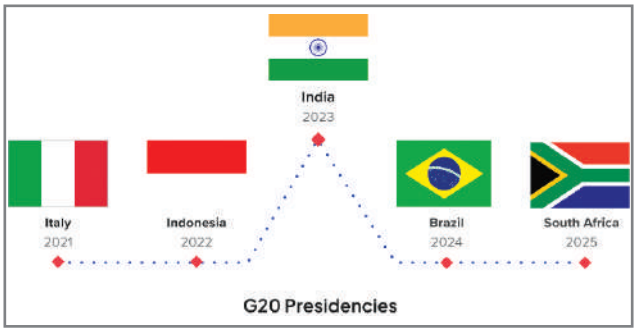

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि 1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक एक वर्ष के लिये भारत जी-20 समूह की अध्यक्षता करेगा।
- भारत से पूर्व इंडोनेशिया इस समूह की अध्यक्षता कर रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत के पश्चात् इस समूह की अध्यक्षता करने वाले देश क्रमशः ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका हैं।
- भारत की जी-20 अध्यक्षता के लिये आधिकारिक वेबसाइट www.g20.in है। साथ ही, एक मोबाइल ऐप 'जी-20 इंडिया' (G20 India) भी जारी किया गया है।

जी-20 : लोगो और थीम

लोगो (Logo)

- जी-20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से प्रेरित है। इसमें केसरिया, सफेद, हरा और नीला रंग शामिल है।
- इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी को जोड़ा गया है जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है।
- पृथ्वी जीवन के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है जो प्रकृति के साथ भारत के पूर्ण सामंजस्य को प्रतिबिंबित करती है। जी-20 लोगो के नीचे देवनागरी लिपि में 'भारत' का उल्लेख है।

थीम (Theme)

भारत की जी-20 समूह की अध्यक्षता की थीम 'वसुधैव कुटुंबकम' या 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' (One Earth One Family One Future) को चुना गया है। इसे महा उपनिषद् के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है।

जी-20

यह विश्व की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी मंच है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद की गई थी। इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर वित्त और शासन को आकार देने व मज़बूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

ह्वासोंग-17 मिसाइल

चर्चा में क्यों

हाल ही में, उत्तर कोरिया ने 'ह्वासोंग-17' (Hwasong-17) नामक अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) का परीक्षण किया।

प्रमुख बिंदु

- ह्वासोंग-17 उत्तर कोरिया की अब तक की सबसे बड़ी मिसाइल होने के साथ ही विश्व की सबसे बड़ी रोड-मोबाइल (road-mobile) तरल-ईंधन वाली अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल 15,000 किमी. (9,320 मील) की दूरी तय कर सकती है।
  - विदित है कि अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता न्यूनतम 5,500 किमी. तथा अधिकतम 7,000 से 16,000 किमी. तक होती है।

- इस मिसाइल का व्यास लगभग 2.5 मीटर तथा पूरी तरह ईंधन से भरे जाने के बाद कुल द्रव्यमान 80 से 110 टन के बीच है।
- उत्तर कोरिया की पहले की आई.सी.बी.एम. के विपरीत, ह्वासोंग-17 को एक ट्रान्सपोर्टर-इरेक्टर-लॉन्चर (TEL) यान से सीधे लॉन्च किया जा सकता है।

ट्रान्सपोर्टर-इरेक्टर-लॉन्चर

यह एक एकीकृत प्राइम मूवर वाला वाहन है जो एक से अधिक मिसाइलों को ले जा सकता है, फायरिंग की स्थिति में मिसाइलों को उठा सकता है और लॉन्च कर सकता है। ऐसे वाहन सतह से हवा में और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल दोनों के लिये मौजूद हैं।

नाटो और सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत

चर्चा में क्यों

हाल ही में, नाटो के सदस्य देश पोलैंड ने दावा किया कि एक रूसी मिसाइल के हमले में उसके दो नागरिकों की मृत्यु हो गई है जिसके पश्चात् नाटो का अनुच्छेद 4 चर्चा का विषय बना हुआ है। विदित है कि पोलैंड पर रूस का कोई भी हमला 30 देशों के इस मज़बूत गठबंधन को रूस-यूक्रेन संघर्ष में खींच सकता है और एक पूर्ण परमाणु युद्ध का जोखिम उत्पन्न कर सकता है।

प्रमुख बिंदु

- नाटो संधि के अनुच्छेद 4 के अनुसार, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता या अन्य किसी प्रकार की सुरक्षा को खतरा होने की स्थिति में सदस्य राष्ट्र एक-दूसरे से परामर्श कर सकते हैं।
- अनुच्छेद 5 के अनुसार, संधि के सदस्य देशों में से किसी एक या एक से अधिक के खिलाफ सशस्त्र हमले को समस्त नाटो सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा। इस प्रकार, यह अनुच्छेद सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत (Collective Defense Principle), अर्थात् 'वन-फॉर-ऑल, ऑल-फॉर-वन' को बताता है।

नाटो के बारे में

- उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला एक 30 सदस्यीय पश्चिमी रक्षात्मक सैन्य गठबंधन (Western Defensive Military Alliance) है जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है।
- शीतयुद्ध के प्रारंभ के साथ एक सैन्य व राजनीतिक संगठन के रूप में नाटो का गठन 4 अप्रैल, 1949 को 12 सदस्यों के साथ हुआ था।
- वर्तमान में इस संगठन में दो उत्तरी अमेरिकी देशों के अतिरिक्त 28 यूरोपीय देश शामिल हैं। वर्ष 2020 में उत्तरी मेसीडोनिया इस संगठन में 30वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था।
- यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद, फिनलैंड और स्वीडन ने भी नाटो की सदस्यता के लिये आवेदन किया है।

नाटो के विकास से संबंधित मुख्य घटनाक्रम

1949	वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर और नाटो का उदय
1989	बर्लिन की दीवार का गिरना
1991	सोवियत संघ का विघटन
1995	बोस्निया और हर्ज़ेगोविना में नाटो अपने पहले बड़े संकट-प्रबंधन अभियान में शामिल हुआ
2001	न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डी.सी. में आतंकवादी हमले व सुरक्षा के लिये व्यापक दृष्टिकोण अपनाने हेतु नाटो ने पहली बार अनुच्छेद 5 को लागू किया
2003	नाटो ने अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (आई.एस.ए.एफ.) की कमान सँभाली
2010	सक्रिय वचनबद्धता, आधुनिक रक्षा नामक सामरिक अवधारणा को अपनाना।

रूस और पश्चिम के मध्य तनाव

- नाटो के सदस्य देशों का विस्तार वर्तमान में 12 से बढ़कर 30 देशों तक हो गया है जो रूस और पश्चिम के मध्य तनाव का प्रमुख स्रोत रहा है।
- रूस, यूरोप में स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन और जॉर्जिया देशों के साथ सीमा साझा करता है। इनमें से बेलारूस और यूक्रेन के अलावा, अन्य या तो नाटो में शामिल हो चुके हैं या सदस्यता के लिये कतार में हैं।

- विदित है कि रूस अपने पड़ोस में पश्चिमी सैन्य और परमाणु ठिकानों की उपस्थिति को खतरे के रूप में देखता है।
- यूक्रेन, रूस की आर्थिक योजनाओं में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेवस्तोपोल और नोवोरोस्सिएस्क जैसे रूस के गर्म पानी के बंदरगाह, जो वर्ष भर नौगम्य रहते हैं, रूसी व्यापार-वाणिज्य के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - ये बंदरगाह काला सागर के तट पर अवस्थित हैं। यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो इससे काला सागर तक रूस की पहुँच और इसके द्वारा प्रदान किये जाने वाले व्यापारिक अवसरों में कटौती हो सकती है।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों

हाल ही में, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया के नोम पेन्ह में 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक के दौरान भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा एवं स्मार्ट कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिये आसियान-भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कोष में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त योगदान की घोषणा की है।
- इस शिखर सम्मेलन के दौरान खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर वैश्विक चिंताओं को प्रकट किया गया तथा नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता के साथ मुक्त, खुले व समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने की भूमिका पर ज़ोर दिया गया।
  - चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, हालाँकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी इसके कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। विदित है कि चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान बनाए गए हैं।
- इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कंबोडिया के सियाम रीप में ता प्रोह्म मंदिर (Ta Prohm Temple) में 'हॉल ऑफ डांसर्स' का उद्घाटन भी किया।

ता प्रोह्म मंदिर

- यह मंदिर भगवान ब्रह्मा को समर्पित है जिसका निर्माण खमेर राजा जयवर्मन सप्तम द्वारा 12वीं-13वीं शताब्दी में किया गया था।
- इस मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य कंबोडिया-भारत सहयोग परियोजना के तहत भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा वर्ष 2003 से किया जा रहा है जिसके वर्ष 2025 तक पूर्ण होने की संभावना है।
- हाल ही में ए.एस.आई. द्वारा इस मंदिर के भीतर 'हॉल ऑफ डांसर्स' की मरम्मत का कार्य पूर्ण किया गया है।
- विदित है कि यह मंदिर 'अंगकोर पुरातात्त्विक परिसर' में स्थित है। अंगकोरवाट का प्रसिद्ध मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है जो मूल रूप से हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित है, परंतु 12वीं शताब्दी के अंत में यह एक बौद्ध मंदिर में परिवर्तित हो गया था।

क्या है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन

- यह एक आसियान पहल है जिसका गठन वर्ष 2005 में 16 देशों के साथ किया गया। इसकी पहली बैठक का आयोजन वर्ष 2005 में मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया था।
- इस समूह के संस्थापक सदस्य देशों में आसियान के 10 देशों (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम) के साथ ही ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूज़ीलैंड और दक्षिण कोरिया भी शामिल हैं।
- इसमें अमेरिका और रूस वर्ष 2011 के छठे शिखर सम्मेलन के दौरान शामिल हुए।

- इसका गठन पूर्वी एशियाई देशों और पड़ोसी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। इस समूह के सदस्य देशों द्वारा सहयोग के छह प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की गई, इनमें शामिल हैं–
  - पर्यावरण और ऊर्जा
  - शिक्षा
  - वित्त
  - वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे और महामारी
  - प्राकृतिक आपदा प्रबंधन
  - आसियान कनेक्टिविटी

भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन

- वर्ष 2022 में आसियान-भारत संबंधों की 30वीं वर्षगाँठ है और इसे आसियान-भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
- आसियान-भारत ने एक संयुक्त बयान में विगत 30 वर्षों के दौरान दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत के मध्य गहरे सभ्यतागत संबंधों, समुद्री संपर्क एवं अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान को स्वीकार किया। यह आसियान-भारत संबंधों को एक मज़बूत आधार प्रदान करता है।
- विदित है कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद-प्रशांत व्यापक दृष्टिकोण का केंद्रबिंदु है।

फ्रीजेस

चर्चा में क्यों

हाल ही में, फ्रीजेस को वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक के लिये शुभंकर के रूप में चुना गया है।

फ्रीजेस के बारे में

- फ्रीजेस एक नरम चमकदार लाल फ्रीजियन टोपी है जिसे लिबर्टी कैप या स्वतंत्रता की टोपी के रूप में भी जाना जाता है।
- यह प्राचीन फारस, बाल्कन और फरगना के क्षेत्रों में पहनी जाने वाली शंक्वाकार टोपी का एक अद्यतन संस्करण है।
- 1789 की फ्राँसीसी क्रांति के दौरान इसे स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में जाना गया जिसे वर्तमान में फ्राँस के राष्ट्रवादियों द्वारा पहना जाता है।
- फ्रीजियन कैप की उत्पत्ति प्राचीन देश फ्रागिया (आधुनिक तुर्की में) में हुई थी।

काला सागर अनाज पहल

चर्चा में क्यों

हाल ही में, रूस ने काला सागर अनाज पहल (Black Sea Grain Initiative) में पुनः शामिल होने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- इसे सोमालिया, जिबूती और सूडान सहित अफ्रीकी देशों को अनाज निर्यात में प्राथमिकता देते हुए पुनः शुरू किया गया है।
- विदित है कि क्रीमिया प्रायद्वीप में अवस्थित सेवस्तोपोल बंदरगाह के रूसी जहाज़ों पर हुए हमले में यूक्रेन की भागीदारी के कारण रूस इस समझौते से बाहर हो गया था।

पहल के बारे में

- रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच काला सागर के माध्यम से खाद्य और उर्वरक निर्यात को फिर से शुरू करने के उद्देश्य से जुलाई 2022 में इस्तांबुल में संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, यूक्रेन एवं रूस के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
- इस पहल का उद्देश्य यूक्रेन के तीन प्रमुख बंदरगाहों– चोरनोमोर्स्क, ओडेसा और युजनी/पिवडेन्नी से खाद्यान्न निर्यात के लिये एक सुरक्षित समुद्री मानवीय गलियारा प्रदान करना है।
- इसका अन्य उद्देश्य अनाज की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करके खाद्य मुद्रास्फीति को सीमित करना है।
- इस पहल के तहत एक संयुक्त समन्वय केंद्र (Joint Coordination Centre : JCC) की स्थापना की गई है जिसमें निरीक्षण एवं समन्वय के लिये रूस, तुर्की, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हैं।
  - उचित निगरानी, निरीक्षण और सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिये सभी वाणिज्यिक जहाज़ों को सीधे जे.सी.सी. के तहत पंजीकृत किया जाता है।

पहल का महत्त्व

- **मानवीय सहायता :** संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार, इस पहल की शुरुआत होने के बाद से लगभग 9.8 मिलियन टन अनाज का निर्यात किया गया है।

- **खाद्यान्न कीमतों में गिरावट**
  - अक्तूबर माह में जारी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के खाद्य मूल्य सूचकांक के अनुसार, खाद्यान्न कीमतों में लगातार छठे महीने में कमी आई है।
  - एफ.ए.ओ. के अनुसार, खाद्य कीमतों के इस वर्ष मार्च में अपने चरम पर पहुँचने के पश्चात् सितंबर माह तक लगभग 14% की कमी आ चुकी है।
  - विदित है कि यह सूचकांक खाद्य वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में होने वाले मासिक परिवर्तन का आकलन करता है।

यूक्रेन द्वारा खाद्यान्न निर्यात

- इस पहल के माध्यम से 50% शिपमेंट को उच्च आय वाले देशों (स्पेन, नीदरलैंड, इटली एवं अन्य) में पहुँचाया गया। जबकि, 25% शिपमेंट निम्न-मध्यम आय वाले देशों (मिस्र, ईरान, सूडान, भारत एवं अन्य) तक तथा 25% शिपमेंट उच्च-मध्यम आय वाले देशों (तुर्की, चीन, बुल्गारिया एवं अन्य) भेजे गए हैं।
- विदित है कि यूक्रेन विश्व स्तर पर गेहूँ, मक्का, रेपसीड, सूरजमुखी के बीज और सूरजमुखी के तेल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है।

संविधान

प्रसादपर्यंत का सिद्धांत

चर्चा में क्यों

हाल ही में, एक सार्वजनिक मंच से केरल के राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल के एक सदस्य को गैर-ज़िम्मेदारीपूर्ण टिप्पणी के लिये बर्खास्त करने की मांग की है। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।

क्या है प्रसादपर्यंत का सिद्धांत

- यह ब्रिटिश कॉमन लॉ से ली गई एक अवधारणा है जिसके तहत ताज (Crown) अपने अधीन नियोजित किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय उसकी सेवाओं से विमुक्त कर सकता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो रक्षा सेवा या संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।
- हालाँकि, अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन नियुक्त किसी सिविल सेवक को पदच्युत करने पर प्रतिबंध लगाता है। यह सिविल सेवकों को आरोपों पर सुनवाई के लिये युक्तियुक्त अवसर प्रदान करता है।
- यदि आरोपों की जाँच करना व्यावहारिक नहीं है या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ऐसा करना उचित नहीं है तो जाँच को समाप्त करने का भी प्रावधान है।
- अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इस अनुच्छेद के अनुसार, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है जो राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
- विदित है कि राज्य के मंत्रियों को केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। अतः संदर्भित 'प्रसादपर्यंत' का अर्थ मुख्यमंत्री द्वारा किसी मंत्री को बर्खास्त करने के अधिकार से है, न कि राज्यपाल के अधिकार से। स्पष्ट है कि किसी राज्य का राज्यपाल बिना मुख्यमंत्री की सलाह के किसी मंत्री को नहीं हटा सकता है।

बैंकिंग

वोस्ट्रो खाता

चर्चा में क्यों

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की अनुमति दिये जाने के बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने रूसी बैंकों के लिये 'वोस्ट्रो' खाते खोलने की मंज़ूरी प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- भारत-रूस के मध्य रुपए में विदेशी व्यापार की सुविधा के लिये दो भारतीय बैंकों– यूको बैंक और इंडसइंड बैंक के साथ 9 विशेष वोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति दी गई है।
- रूस के दो सबसे बड़े बैंक– एस.बी.ई.आर. बैंक (SBER Bank) और वी.टी.बी. बैंक (VTB Bank) पहले विदेशी ऋणदाता हैं जिन्हें रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन को निपटाने के लिये केंद्रीय बैंक से मंज़ूरी मिली है। इन बैंकों ने दिल्ली में अपनी संबंधित शाखाओं में विशेष वोस्ट्रो खाता खोला है।
- यूको बैंक, एस.बी.ई.आर. बैंक और वी.टी.बी. बैंक में एक-एक खाता, जबकि इंडसइंड बैंक में छह खाते खोलने की अनुमति दी गई है।

क्या है वोस्ट्रो खाता

- वोस्ट्रो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ 'आपका' (Yours) होता है।
- यह वह खाता है जिसे एक घरेलू बैंक किसी विदेशी बैंक की ओर से घरेलू मुद्रा में रखता है। अर्थात्, किसी विदेशी बैंक द्वारा भारत में भारतीय मुद्रा में खोला गया खाता वोस्ट्रो खाता कहलाता है।

क्या है नोस्ट्रो खाता

- वोस्ट्रो और नोस्ट्रो दोनों तकनीकी रूप से एक ही प्रकार के खाते हैं। इसमें अंतर केवल खाता खोलने की स्थिति का है। नोस्ट्रो का अर्थ लैटिन भाषा में 'हमारा' (Ours) होता है।
- किसी बैंक की किसी दूसरे देश में कोई शाखा न होने पर उस देश से धन प्राप्त करने के लिये वहाँ के किसी बैंक में अपना खाता खोला जाता है तो उसे नोस्ट्रो खाता कहते हैं।
- वह विदेशी बैंक, भारतीय बैंक के लिये अपने देश की घरेलू मुद्रा में भुगतान स्वीकार करेगा। जैसे– रूस में खोला गया खाता रूबल में भुगतान स्वीकार करेगा।
- जब कोई भारतीय आयातक, किसी विदेशी बैंक को रुपए में भुगतान करना चाहता है तो यह राशि इस वोस्ट्रो खाते में जमा की जाएगी तथा जब किसी भारतीय निर्यातक को माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिये भुगतान करने की आवश्यकता होगी तो इस वोस्ट्रो खाते से कटौती की जाएगी और राशि निर्यातक के खाते में जमा की जाएगी।

आर्थिक विकास

चीन से आयात में रिकॉर्ड वृद्धि

चर्चा में क्यों

वर्ष 2022 के शुरुआती नौ महीनों के दौरान चीन से भारत के आयात में 31% की वृद्धि दर्ज की गई जिससे द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है और व्यापार घाटा रिकॉर्ड उच्च-स्तर पर पहुँच गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस अवधि में भारत ने चीन से 89.66 बिलियन डॉलर मूल्य का आयात किया जो पिछले किसी भी वर्ष में तीन तिमाहियों में सबसे अधिक है।
- इस दौरान भारत से चीन को निर्यात 36.4% की गिरावट के साथ 13.97 बिलियन डॉलर रहा तथा व्यापार घाटा बढ़कर 75.69 बिलियन डॉलर हो गया।
- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 में पहली बार द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन डॉलर के आँकड़े को पार कर 125.6 बिलियन डॉलर हो गया था जिसके लिये भारत के आयात (97.5 बिलियन डॉलर) का एक बड़ा हिस्सा ज़िम्मेदार था।

मुद्रा निगरानी सूची

चर्चा में क्यों

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेज़री विभाग द्वारा जारी की गई मुद्रा निगरानी सूची से भारत को बाहर कर दिया गया है। इस सूची से इटली, मेक्सिको, वियतनाम और थाईलैंड को भी हटा दिया गया है।

क्या है मुद्रा निगरानी सूची

- यह सूची अमेरिका के 20 प्रमुख व्यापार भागीदारों की मुद्रा प्रथाओं और नीतियों की निगरानी करती है। इस सूची में उन देशों को रखा जाता है जो दूसरों पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये अपनी मुद्रा के मूल्य को कृत्रिम रूप से कम करते हैं। मुद्रा के कम मूल्य से उस देश की निर्यात लागत में कमी आती है।

- इस सूची में शामिल देशों को 'करेंसी मैनिपुलेटर' माना जाता है जो व्यापार लाभ के लिये 'अनुचित मुद्रा प्रथाओं' में संलग्न होते हैं।
- विदित है कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। इस सूची से बाहर आने के लिये किसी देश को लगातार दो रिपोर्टों तक तीन में से केवल एक मानदंड पर खरा उतरना होता है।
- इस सूची में शामिल 7 देशों में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर एवं ताइवान शामिल हैं।

तीन निर्धारित मानदंड

- **द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष :** संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष (वस्तु एवं सेवा व्यापार) जो 12 महीनों में कम-से-कम 20 बिलियन डॉलर हो।
- **चालू खाता अधिशेष :** जब कोई देश 12 महीने की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के कम-से-कम 2% के बराबर एक महत्त्वपूर्ण चालू खाता अधिशेष रखता हो।
- **निरंतर एकतरफा हस्तक्षेप :** जब कोई देश एक वर्ष में अपने जी.डी.पी. के कम-से-कम 2% की कुल विदेशी मुद्रा की शुद्ध खरीद करता हो।

एक राष्ट्र, एक आई.टी.आर. फॉर्म

चर्चा में क्यों

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सभी करदाताओं के लिये एकल आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म का प्रस्ताव किया है। इसके लिये सभी हितधारकों से 15 दिसंबर तक इनपुट प्रदान करने को कहा गया है।

आई.टी.आर. फॉर्म के प्रकार

आई.टी.आर. फॉर्म सात प्रकार के होते हैं जिनका प्रयोग विभिन्न श्रेणियों के करदाता करते हैं। ये इस प्रकार हैं–

- **आई.टी.आर. फॉर्म 1 :** इस फॉर्म को 'सहज' कहा जाता है। इसका प्रयोग छोटे तथा मध्यम करदाता करते हैं जिनकी आय वेतन, एकल मकान संपत्ति/अन्य स्रोतों (ब्याज आदि) से 50 लाख रुपए तक है।
- **आई.टी.आर. फॉर्म 2 :** इसका उपयोग आवासीय संपत्ति से आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।
- **आई.टी.आर. फॉर्म 3 :** इस फॉर्म का उपयोग व्यवसाय/पेशे से लाभ के रूप में आय प्राप्त करने वाले करदाताओं द्वारा किया जाता है।
- **आई.टी.आर. फॉर्म 4 :** इस फॉर्म को 'सुगम' कहा जाता है। यह आई.टी.आर. फॉर्म-1 (सहज) की तरह है। यह व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) तथा फर्मों द्वारा फाइल किया जा सकता है जो व्यापार और पेशे से 50 लाख रुपए तक आय अर्जित करते हैं।
- **आई.टी.आर. फॉर्म 5 :** इसका प्रयोग सीमित देयता भागीदारी (LLPs) वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।
- **आई.टी.आर. फॉर्म 6 :** इस फॉर्म का प्रयोग व्यवसायों के लिये किया जाता है।
- **आई.टी.आर. फॉर्म 7 :** इसका प्रयोग ट्रस्ट और गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा किया जाता है।

प्रस्तावित परिवर्तन

- प्रस्ताव के अनुसार, ट्रस्ट एवं गैर-लाभकारी संगठनों (आई.टी.आर. फॉर्म 7) को छोड़कर सभी करदाता एक सामान्य आई.टी.आर. फॉर्म का उपयोग कर सकेंगे।
  - इसमें आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों से आय के प्रकटीकरण के लिये एक अलग मद को शामिल किया जाएगा।
- हालाँकि, सुविधा एवं विकल्प के अनुसार मौजूदा आई.टी.आर. फॉर्म 1 (सहज) तथा आई.टी.आर. फॉर्म 4 (सुगम) जारी रहेगा, किंतु फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 5 और फॉर्म 6 दाखिल करने वाले करदाताओं के पास पुराने फॉर्म भरने का विकल्प नहीं होगा।

अपेक्षित लाभ

- अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप आयकर फाइलिंग प्रणाली।
- रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया का सरल होना।
- व्यक्तिगत, नौकरीपेशा एवं गैर-व्यावसायिक प्रकार के करदाताओं द्वारा लगने वाले समय को कम करना।
- करदाताओं पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिये आई.टी.आर. में रिपोर्ट किये जाने वाले डाटा के साथ-साथ आयकर विभाग के पास उपलब्ध तृतीय पक्ष डाटा के उचित मिलान की सुविधा भी प्रदान करना।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

मध्य-पूर्व हरित पहल शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों

हाल ही में, भारत ने मिस्र के शर्म अल-शेख में मध्य-पूर्व हरित पहल के शिखर सम्मेलन 2022 में भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

- इस पहल का यह दूसरा संस्करण है जिसकी मेज़बानी सऊदी अरब और मिस्र ने संयुक्त रूप से की है।

- इस पहल के तहत सऊदी अरब अगले 10 वर्षों में 2.5 बिलियन डॉलर का योगदान देगा।
- सऊदी अरब ने वर्ष 2030 तक अपने ऊर्जा उत्पादन का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने तथा वर्ष 2035 तक 44 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने की योजना बनाई है।

क्या है मध्य-पूर्व हरित पहल

- यह एक क्षेत्रीय गठबंधन है जो मध्य-पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका (MENA) क्षेत्र के देशों के साथ-साथ अन्य देशों को एक मंच पर लाता है। इसे सऊदी अरब के नेतृत्व में वर्ष 2021 में स्थापित किया गया था।
- इस पहल का प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष 2021 में सऊदी अरब के रियाद में संपन्न हुआ था।

पहल के उद्देश्य

- यह क्षेत्रीय जलवायु कार्रवाई के लिये महत्त्वाकांक्षी और स्पष्ट रूप से परिभाषित रोडमैप प्रदान करता है। इस पहल को क्षेत्रीय कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
- इस पहल को हरित संक्रमण में तेज़ी लाने, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और सतत् भविष्य का निर्माण करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

पहल के लक्ष्य

- इस पहल का प्रथम लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन में कमी पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके तहत 670 मिलियन टन कार्बन डाइ-ऑक्साइड समतुल्य (CO_2e) उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस पहल का दूसरा लक्ष्य इस क्षेत्र में 50 अरब वृक्ष लगाना है। यह महत्त्वाकांक्षी परियोजना 200 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि का पुनर्वास करेगी जिससे कार्बन उत्सर्जन को मौजूदा वैश्विक स्तरों के 2.5% तक कम करने में मदद मिलेगी।

एपिस करिंजोडियन

चर्चा में क्यों

हाल ही में, पश्चिमी घाट में मधुमक्खी की एक नई स्थानिक प्रजाति की खोज की गई है।

इंडियन ब्लैक हनीबी

- इस स्थानिक प्रजाति का नाम 'एपिस करिंजोडियन' (Apis karinjodian) रखा गया है। इस नई प्रजाति को सामान्य नाम 'इंडियन ब्लैक हनीबी' दिया गया है।
- यह प्रजाति एपिस सेराना (Apis cerana) आकारिकी (Morphotypes) से विकसित हुई है जो पश्चिमी घाट के गर्म और आर्द्र वातावरण के अनुकूल हो गई है।
- यह प्रजाति मध्य पश्चिमी घाट और नीलगिरि से लेकर दक्षिण-पश्चिमी घाट तक गोवा, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पाई जाती है।
- गाढ़ा एवं अधिक मात्रा में शहद उत्पादन की इसकी क्षमता शहद उत्पादन में वृद्धि के नए अवसर उपलब्ध कराती है। यह प्रजाति दिखने में गहरे रंग की होती है।
- इसे आई.यू.सी.एन. (IUCN) की लाल सूची में निकट संकटग्रस्त (NT) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस नई प्रजाति की खोज के साथ ही विश्व में मधुमक्खियों की प्रजातियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है।

एपिस इंडिका

- 200 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद पश्चिमी घाट से मधुमक्खी की नई प्रजाति को देखा गया है। इससे पूर्व फेब्रिसियस ने वर्ष 1798 में भारत से एपिस इंडिका प्रजाति की खोज की थी।
- हालाँकि, फेब्रिसियस ने भारतीय मधुमक्खी का नाम एपिस इंडिका रखा था, लेकिन इसे अब तक वैध प्रजाति नहीं माना जाता था।
- बाद में 'रेडियो-मेडियल इंडेक्स' (RMI) के आधार पर एपिस इंडिका की स्थिति को बहाल किया गया। उल्लेखनीय है कि 'रेडियो-मेडियल इंडेक्स' मधुमक्खी की प्रजातियों में अंतर करने के लिये नया पैमाना है।

हिमालयन ग्रे एप

चर्चा में क्यों

हालिया शोध के अनुसार, हिमालयी क्षेत्र में अलग-अलग ऊँचाई पर हिमालयन ग्रे लंगूर के भोजन में भिन्नता का पता चला है। लंगूरों के दो समूहों पर किये गए अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि 2,396 मीटर की औसत ऊँचाई पर कालातोप वनों में रहने वाले लंगूरों ने फूलों को आहार बनाया, जबकि 2,188 मीटर की औसत ऊँचाई पर खज्जियार वनों में लंगूरों ने फल का सेवन किया।

प्रमुख बिंदु

- हिमालयन ग्रे लंगूर को चंबा सेक्रेड लंगूर एवं कश्मीर ग्रे लंगूर के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम सेमनोपिथेकस अजाक्स (Semnopithecus ajax) है।
- यह एक कोलोबाइन (Colobine), अर्थात पत्ती खाने वाला बंदर है। इसे वर्ष 2005 में एक अलग प्रजाति के रूप में मान्यता देने से पूर्व उत्तरी मैदान ग्रे लंगूर की एक उप-प्रजाति माना जाता था।

- इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की लाल सूची में 'संकटग्रस्त' (Endangered) प्रजाति के रूप में शामिल किया गया है।

आवास स्थल

- ये उपोष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, उष्णकटिबंधीय आर्द्र शीतोष्ण, अल्पाइन, शंकुधारी और चौड़ी पत्ती वाले वनों एवं झाड़ियों में औसत समुद्र तल से 2,200-4,000 मीटर के मध्य के क्षेत्रों में निवास करते हैं।
- ये उत्तर-पश्चिमी भारत में हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में पाए जाते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी के कालातोप-खज्जियार वन्यजीव अभयारण्य में और जम्मू-कश्मीर में किश्तवाड़ घाटी में मुख्य रूप से पाए जाते हैं।
- ये भोजन की उपलब्धता और पर्यावरण की स्थिति के आधार पर विभिन्न मौसमों के दौरान अपना आवास बदलते हैं।
- ये फसलों की कटाई के दौरान कृषि क्षेत्रों में आते हैं और वर्ष के अन्य समय घने वनों में चले जाते हैं। यह प्रवृत्ति कालातोप और खज्जियार के क्षेत्रों में अधिक दिखाई देती है।

उत्तरी मैदान ग्रे लंगूर

प्रारंभ में हिमालयन ग्रे लंगूर को उत्तरी मैदान ग्रे लंगूर की एक उप-प्रजाति माना जाता था। उत्तरी मैदान ग्रे लंगूर को बंगाल सेक्रेड लंगूर या हनुमान लंगूर भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम सेमनोपिथेकस एंटेलस (Semnopithecus entellus) है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में कम चिंताजनक (Least Concern) श्रेणी में सूचीबद्ध है।

अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन

चर्चा में क्यों

हाल ही में, शर्म अल-शेख में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के कॉप-27 के दौरान स्पेन एवं सेनेगल ने अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन (International Drought Resilience Alliance : IDRA) की शुरुआत की है।

गठबंधन के उद्देश्य

- यह गठबंधन सूखे की स्थिति से बेहतर तरीके से निपटने में सदस्य देशों को सहायता प्रदान करेगा।
- इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सूखे और जलवायु परिवर्तन के लिये भूमि के लचीलेपन को एक वास्तविक स्वरूप देने हेतु राजनीतिक प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- विदित है कि इसकी घोषणा सर्वप्रथम सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में स्पेन द्वारा की गई थी जिसे आधिकारिक तौर पर मिस्र में लॉन्च किया गया है।

गठबंधन का महत्त्व

- वर्तमान में मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Convention to Combat Desertification : UNCCD) के अतिरिक्त मरुस्थलीकरण पर केंद्रित कोई भी वैश्विक सम्मेलन नहीं है, ऐसे में इस गठबंधन का महत्त्व बढ़ जाता है।
- 30 देशों तथा 20 संगठनों का यह गठबंधन राष्ट्रीय विकास में सूखे के प्रतिरोध को प्राथमिकता देने और एक-दूसरे के साथ प्रौद्योगिकी एवं विशेषज्ञता साझा करने के लिये एक प्रभावी समूह है।
- यह गठबंधन संयुक्त राष्ट्र को सूखे के प्रभाव को कम करने के लिये एक 'विशिष्ट समाधान' प्रदान करता है।

सूखा पर यू.एन.सी.सी.डी. की रिपोर्ट

- यू.एन.सी.सी.डी. द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2000 के बाद से सूखे की आवृत्ति में 29% की वृद्धि हुई है जिससे प्रतिवर्ष लगभग 55 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं।
- वर्ष 2022 में यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चिली, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका में सूखे की भयावह स्थिति को देखा गया है।

वित्तीयन

- गठबंधन के कार्यों का समर्थन करने और अधिक संसाधन जुटाने के लिये स्पेन द्वारा 5 मिलियन यूरो (40.76 करोड़ रुपए) के सीड फंड की घोषणा की गई है।

- इस गठबंधन के तहत केन्या के राष्ट्रपति ने आगामी 10 वर्षों में 10 अरब वृक्षारोपण की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

सूखे की स्थिति

- सूखा विश्व के लगभग प्रत्येक हिस्से में पशुधन और फसलों के लिये सबसे गंभीर खतरे का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह विकासशील देशों के साथ-साथ विकसित देशों के सतत् विकास के लिये सबसे बड़े खतरों में से एक है।
- विदित है कि वर्तमान दौर में जलवायु परिवर्तन की स्थिति में सूखे की बारंबारता और तीव्रता में पहले की तुलना में वृद्धि देखी जा रही है।

कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य

चर्चा में क्यों

हाल ही में, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत तमिलनाडु के आरक्षित वनों के एक क्षेत्र को कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार कृष्णागिरि और धर्मपुरी ज़िलों के 686 वर्ग किमी. के क्षेत्र में है जो वर्तमान में कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य का भाग है।
- यह अभयारण्य होसुर वन प्रभाग की तीन वन श्रेणियों– अंचेत्ती, उरीगाम और ज्वालागिरि में अवस्थित है।

महत्त्व

- यह अभयारण्य कर्नाटक के मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य एवं बिलिगिरि रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिज़र्व तथा तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व और इरोड वन प्रभाग के माध्यम से नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व से जुड़ा हुआ है।
- यह अभयारण्य एक महत्त्वपूर्ण हाथी निवास स्थान है। इसमें दो हाथी गलियारे- नंदीमंगलम-उलिबांडा गलियारा और कोवाइपल्लम-एनीबिदहल्ला गलियारा शामिल हैं।
- इस अभयारण्य की समृद्ध जैव-विविधता स्तनधारियों की 35 से अधिक प्रजातियों और पक्षियों की 238 प्रजातियों का समर्थन करती है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की लाल सूचीबद्ध प्रजातियों में शामिल हैं।

बुनियादी ढाँचा लचीलापन त्वरक कोष

चर्चा में क्यों

हाल ही में, आपदा-रोधी अवसंरचना के लिये गठबंधन (CDRI) ने आपदा-लचीला बुनियादी ढाँचा प्रणाली के वित्तीयन हेतु 50 मिलियन डॉलर (लगभग 400 करोड़ रुपए) के बुनियादी ढाँचा लचीलापन त्वरक कोष (Infrastructure Resilience Accelerator Fund : IRAF) की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- इस कोष की घोषणा मिस्र के शर्म अल-शेख में आयोजित कॉप-27 शिखर सम्मेलन में की गई।
- इस कोष का प्रबंधन यूनाइटेड नेशन मल्टी-पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस, न्यूयॉर्क द्वारा किया जाएगा तथा भारत, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ द्वारा इसका समर्थन किया जाएगा।

कोष के उद्देश्य

- यह कोष आपदा-लचीला बुनियादी ढाँचा प्रणालियों के लिये विकासशील देशों और द्वीपीय राष्ट्रों को धन उपलब्ध कराएगा जो जलवायु परिवर्तन के सर्वाधिक बड़े खतरों का सामना कर रहे हैं।
- यह कोष देशों को बुनियादी ढाँचे के निर्माण से संबंधित तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन की पेशकश करेगा।
- इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के लिये बुनियादी ढाँचा प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देना है, ताकि सतत् विकास सुनिश्चित किया जा सके।

आपदा-रोधी अवसंरचना के लिये गठबंधन (CDRI)

- अगस्त 2019 में 480 करोड़ रुपए की सहायता के साथ सी.डी.आर.आई. को स्थापित करने की मंज़ूरी दी गई। इसके पश्चात् भारत ने सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान इसे लॉन्च किया।
- इसका सचिवालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। इस गठबंधन में 31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 2 निजी क्षेत्र के संगठन सदस्य के रूप में शामिल हैं।
- यह राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों व कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों तथा वित्तपोषण तंत्र, निजी क्षेत्र और शैक्षणिक एवं ज्ञान संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी है।

बतागुर कचुगा

चर्चा में क्यों

हाल ही में, भारत सरकार ने बतागुर कचुगा (Batagur Kachuga) नामक कछुए के विलुप्त होने का खतरा व्यक्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- भारत ने यह चिंता पनामा में आयोजित 'लुप्तप्राय वन्यजीव एवं वनस्पति प्रजाति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसमय' (CITES) पक्षकारों के 19वें सम्मेलन (CoP 19) के दौरान व्यक्त की।
- साइट्स के कॉप-19 का आयोजन पनामा में 14 से 25 नवंबर तक किया गया। इसे विश्व वन्यजीव सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है।

बतागुर कचुगा के बारे में

- बतागुर कचुगा कठोर खोल (Snell) वाला एक कछुआ है। प्रजनन काल में नर के सिर पर चमकीले लाल रंग की धारियों के कारण इसे रेड-क्राउन रूफ्ड कछुआ (Red-Crowned Roofed Turtle) भी कहा जाता है।
  - इसके चेहरे एवं गर्दन पर लाल, पीले, सफेद और नीले रंग की विशेषताएँ भी पाई जाती हैं। इसे 'बंगाल रूफ टर्टल' भी कहते हैं।
- भारत में यह केवल मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय चंबल नदी घड़ियाल अभयारण्य में पाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से यह प्रजाति भारत और बांग्लादेश में गंगा नदी में व्यापक रूप से पाई जाती थी।
- पूर्व में यह कछुआ मध्य नेपाल, पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश और बर्मा में पाया जाता था जो यहाँ की देशज प्रजाति है। यह भारत की 24 स्थानिक कछुआ प्रजातियों में से एक है।

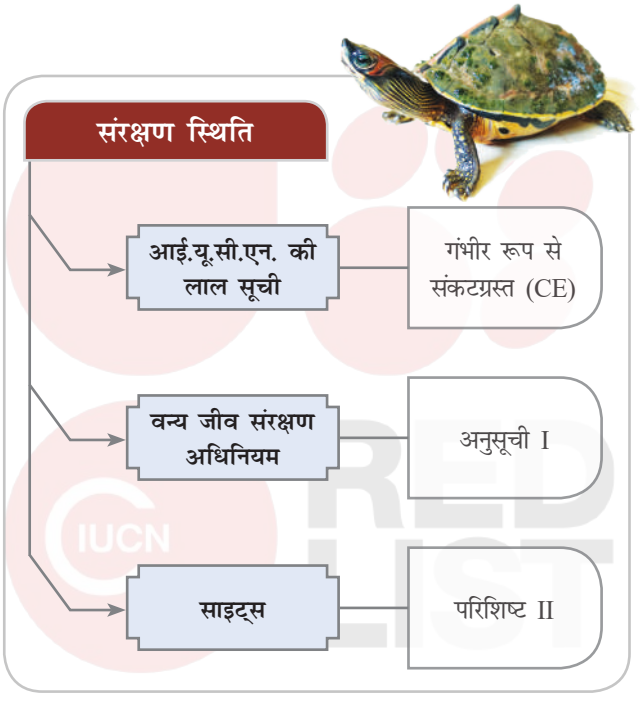

खतरे का प्रमुख कारण

- निवास स्थान की क्षति या उसमें गिरावट।
- प्रदूषण और बड़े पैमाने पर विकास गतिविधियाँ।
- गंगा नदी के किनारे रेत खनन और मौसमी फसलें उगाना।
  - यह प्रजाति नदी के मुहाने पर रेत में घोंसले का निर्माण करती है।
- अवैध शिकार और अवैध व्यापार।
- मछली पकड़ने वाले जाल से प्रभाव।

तराई हाथी रिज़र्व

चर्चा में क्यों

हाल ही में, केंद्र ने उत्तर प्रदेश के दुधवा-पीलीभीत में 'तराई हाथी रिज़र्व' (Terai Elephant Reserve: TER) की स्थापना को मंजूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- यह भारत का 33वाँ हाथी रिज़र्व होगा जो 3,049 वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तृत है। टी.ई.आर. को दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिज़र्व के संयुक्त वन क्षेत्रों में विकसित किया जाएगा।
  - इसमें संरक्षित क्षेत्र, वन क्षेत्र और जंगली हाथियों के संरक्षण के लिये गलियारे शामिल हैं।
- इसमें चार जंगली प्रजातियों– बाघ, एशियाई हाथी, स्वैंप डियर और एक सींग वाले गैंडे का भी संरक्षण किया जाएगा जिसमें किशनपुर तथा कतरनियाघाट वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल हैं।
  - उल्लेखनीय है कि किशनपुर और कतरनियाघाट वन्यजीव अभयारण्य क्रमशः लखीमपुर खीरी एवं बहराइच में हैं। इन दोनों अभयारण्यों को वर्ष 1987 में 'प्रोजेक्ट टाइगर' के दायरे में लाया गया।

महत्त्व एवं संरक्षण

- इसकी स्थापना से मानव-हाथी संघर्ष शमन रणनीतियों को लागू करके भारत-नेपाल सीमायी क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों की सुरक्षा में सहायता मिलेगी। इससे सीमा-पार प्रवासी हाथियों की आबादी के संरक्षण में मदद मिलेगी।
- यह घास के मैदान और गलियारे के रखरखाव के प्रबंधन के मामले में दोनों टाइगर रिज़र्व के लिये भी लाभदायक होगा।
- यह विगत तीन महीनों में 'प्रोजेक्ट एलीफैंट' के तहत मंजूरी प्राप्त करने वाला तीसरा हाथी रिज़र्व है। अन्य दो रिज़र्व छत्तीसगढ़ में लेमरू और तमिलनाडु में अगस्त्यमलाई हैं।
- हाथी को भारत के 'राष्ट्रीय विरासत पशु' के रूप में मान्यता दी गई है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत इसे संरक्षण प्राप्त है। भारत में 30,000 जंगली और लगभग 3,600 बंदी/पालतू एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी आबादी है।

- सभी 33 हाथी रिज़र्व लगभग 80,000 वर्ग किमी. क्षेत्रफल को कवर करते हैं। तमिलनाडु और असम दोनों राज्यों में सर्वाधिक पाँच-पाँच हाथी रिज़र्व हैं तथा इसके बाद केरल (4) व ओडिशा (3) का स्थान आता है।

प्रोजेक्ट एलीफैंट

- केंद्र प्रायोजित 'प्रोजेक्ट एलीफैंट' योजना को वर्ष 1992 में प्रारंभ किया गया था। यह देश में हाथी संरक्षण का समर्थन करती है।
- इसके तहत प्रमुख हाथी आबादी वाले राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।
- इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–
  - मानव-हाथी संघर्ष जैसे मुद्दों को संबोधित करना
  - पालतू/बंदी हाथियों (जैसे- चिड़ियाघर, अभयारण्य, सर्कस या शिविर में रखे गए) का कल्याण
  - हाथी, उनके आवास और गलियारों की रक्षा
  - हाथियों को उनके दाँतों से होने वाले नुकसान को कम करना

ग्रेट नॉट

चर्चा में क्यों

ग्रेट नॉट लंबी दूरी के प्रवासी पक्षी हैं जो मध्य एशियाई उड़ान मार्ग के माध्यम से प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश से पूर्व दक्षिण-पूर्व एशिया में पीला सागर और थाईलैंड में प्रवास करते हैं। हाल ही में, इसे केरल के त्रिशूर में देखा गया है।

प्रमुख बिंदु

- ग्रेट नॉट छोटे काले पैर और मध्यम लंबाई की पतली काली चोंच वाला एक अंतर्राष्ट्रीय जलीय प्रवासी पक्षी है।
- इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम कैलिड्रिस टेन्यूरोस्ट्रिस (Calidris tenuirostris) है।
- यह रूस के कामचटका प्रायद्वीप में खैरूसोवा-बेलोगोलोवाया नदी के मुहाने पर पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है।
- इसके चेहरे एवं गले पर काले रंग के धब्बे तथा पीठ पर धारियाँ होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की लाल सूची में इसे संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है।

मध्य एशियाई उड़ान मार्ग

इस उड़ान मार्ग में आर्कटिक और हिंद महासागरों के बीच यूरेशिया के एक बड़े क्षेत्र को शामिल किया जाता है। इस मार्ग में पक्षियों के कई महत्त्वपूर्ण प्रवास मार्ग शामिल हैं। मध्य एशियाई उड़ान मार्ग के अंतर्गत भारत समेत 30 देश आते हैं।

अवेयर पहल

चर्चा में क्यों

विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सहयोग से मिस्र ने कॉप-27 के दौरान 'अवेयर' (Action on Water Adaptation or Resilience : AWARe) पहल की शुरुआत की है।

पहल के बारे में

- अवेयर पहल जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में जल से संबंधित चुनौतियों एवं समाधानों को संबोधित करने के लिये एक पहल है।
- यह दुनिया भर में जल क्षति को कम करने, इसकी आपूर्ति में सुधार करने एवं जल संबंधी अनुकूलन कार्रवाई को लागू करने का समर्थन करती है।
- इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से सतत् विकास लक्ष्य-6 को प्राप्त करने के लिये जल तथा जलवायु कार्रवाई के बीच सहयोग और अंतर्संबंधों को बढ़ावा देना है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

लाइकोपीन सेंसर

चर्चा में क्यों

मोहाली स्थित नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (INST) के शोधकर्ताओं ने हाल ही में 'लाइकोपीन' का पता लगाने के लिये एक नैनो-बायोसेंसर विकसित किया है।

प्रमुख बिंदु

- यह सेंसर एक पोर्टेबल स्मार्टफोन-आधारित अपकन्वर्टिंग री-यूज़ेबल फ्लोरोसेंट पेपर स्ट्रिप का उपयोग करता है।
- इस पारदर्शी अपकन्वर्ज़न नैनोकण स्ट्रिप (UCNP) को लाइकोपीन के प्रति संवेदनशील पाया गया है। इसका पता लगाने के लिये एक साधारण स्मार्टफोन कैमरे का प्रयोग किया जा सकता है।

अपकन्वर्ज़न (Upconversion)

यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश, उत्सर्जक प्रकाश की तुलना में अधिक फोटॉन ऊर्जा के साथ उत्सर्जित किया जा सकता है।

- शोधकर्ताओं के अनुसार, नई विकसित पारदर्शी स्ट्रिप पूर्व की पेपर स्ट्रिप्स की तुलना में किसी भी धातु शामक का उपयोग न करने के बावजूद अधिकतम संवेदनशीलता के साथ न्यूनतम प्रकीर्णन प्रदर्शित करती है।
- स्ट्रिप की हाइड्रोफोबिसिटी क्षमता लगभग 100% ल्यूमिनेसिसेंस रिकवरी के साथ स्ट्रिप को पुनः उपयोग करने की क्षमता प्रदान

करती है। साथ ही, इससे लाइकोपीन का पता लगाने की प्रक्रिया आसान, सस्ती और कम समय लेने वाली बनाने में मदद मिल सकती है।

लाइकोपीन (Lycopene)

- लाइकोपीन एक कैरोटीनॉयड (Carotenoid) है जो टमाटर, अंगूर, तरबूज और पपीते में पाया जाता है। यह एक उच्च व्यावसायिक मूल्य वाला फाइटोकेमिकल (Phytochemical) है।
- यह पौधों और सूक्ष्मजीवों द्वारा भी संश्लेषित होता है, लेकिन मानव शरीर द्वारा इसका संश्लेषण नहीं किया जा सकता है।
  - मानव द्वारा इसे केवल आहार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
- यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर और हृदय रोगों की रोकथाम में मदद करता है। हालाँकि, लाइकोपीन में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव होते हैं, अत: यह कीमोथेरेपी और विकिरण चिकित्सा में हस्तक्षेप कर सकता है।
  - इसलिये, कैंसर रोगियों को सावधानीपूर्वक लाइकोपीन पूरक का उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है।
- विदित है कि उत्पाद की गुणवत्ता का मूल्यांकन उसमें मौजूद लाइकोपीन के आधार पर किया जाता है और उसी के अनुसार कीमत तय की जाती है।

बेलैर्सिया ग्रासिलिस

चर्चा में क्यों

नेचर जर्नल के हालिया अध्ययन के अनुसार, स्कॉटलैंड के मध्य जुरासिक काल के एक प्रारंभिक सरीसृप के लगभग पूर्ण कंकाल की खोज की गई है।

प्रमुख बिंदु

- यह जीवाश्म उन शारीरिक परिवर्तनों के संबंध में हमारी समझ को अधिक बेहतर कर सकता है जो आधुनिक छिपकलियों जैसे सरीसृपों की शारीरिक योजना का आधार बना।
- यह कंकाल बेलैर्सिया ग्रासिलिस (Bellairsia Gracilis) का है जो एक आदिम स्क्वमाटा (Squamate) है। विदित है कि स्क्वैमेट्स सरीसृपों का जीव-वैज्ञानिक गण (Order) है। इसमें छिपकली, सर्प व उभयचर सहित 10,000 से अधिक जीवित प्रजातियाँ शामिल हैं।
- इन प्रजातियों के पूर्वज समान थे जो 240 मिलियन वर्ष पूर्व पाए जाते थे।

मैस्टाइटिस रोग

चर्चा में क्यों

हाल ही में, बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने सक्रिय संघटक के रूप में करक्यूमिन के साथ एक प्राकृतिक फाइटोकेमिकल यौगिक की इम्यूनोमॉड्यूलेशन क्षमता की जाँच की है। यह मैस्टाइटिस नामक संक्रामक रोग के विरुद्ध मवेशियों में प्रतिरक्षा तंत्र को मज़बूत करने में सहायक होगा।

प्रमुख बिंदु

- भारत में मैस्टाइटिस के कारण होने वाला आर्थिक नुकसान प्रतिवर्ष लगभग 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। वर्तमान में इस रोग के विरुद्ध कोई टीकाकरण उपलब्ध नहीं है।
- विदित है कि यह एक घातक स्तन ग्रंथि संक्रमण है जो डेयरी मवेशियों में सबसे आम बीमारी है। इसे बोलचाल की भाषा में थनैला रोग के नाम से भी जाना जाता है।

रोग के कारण

- यह रोग सूक्ष्मजीवों के कारण होता है जिनमें विषाणु, माइकोप्लाज़्मा, कवक और जीवाणु शामिल हैं।
- इन सूक्ष्मजीवों में पास्चरेला मल्टोसिडा, स्यूडोमोनास प्योसायनस व ई-कोलाई जैसे जीवाणु तथा एस्परगिलस फ्यूमिगेटस और कैंडिडा एस.पी.पी. जैसे कवक शामिल हैं।
- स्तन के आसपास शारीरिक चोट, स्वच्छता का अभाव और घाव भी इस रोग का कारण बनते हैं।

रोग के लक्षण

- थन में सूजन
- रक्त के थक्कों और दुर्गंधयुक्त भूरे रंग के स्राव से दूषित दूध
- पशु के शरीर के तापमान में वृद्धि
- भूख की कमी, पाचन विकारों और दस्त से पीड़ित होना

रोकथाम

इस रोग की रोकथाम के लिये निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं–

- गायों को लेटने के लिये साफ, सूखा और पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराना चाहिये।
- प्रत्येक गाय के थनों की सफाई के लिये अलग कपड़े या कागज़ का उपयोग करना चाहिये।
- दूध दुहने से पहले थन पूरी तरह से सूखा और साफ होना चाहिये।

- दूध निकालने के बाद कीटाणुनाशक थन डिप्स का उपयोग करना चाहिये।
- दूध दुहने के बाद गायों को खिलाएँ, ताकि वे तुरंत लेट न जाएँ। यह तरीका सूक्ष्मजीवों को स्तन ग्रंथि में प्रवेश करने से रोकता है।

उपचार

- कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट (CMT) के माध्यम से लक्षणों के प्रकट होने से पहले ही प्रारंभिक चरण में रोग का पता लगाया जा सकता है।
- संक्रमण का पता चलने के बाद प्राथमिक उपचार में थन की सतह पर बर्फ के टुकड़े लगाने चाहिये।
- संक्रमित स्तन से संक्रमित दूध को दिन में तीन बार निकालकर सुरक्षित तरीके से फेंक देना चाहिये। स्वच्छ निपटान सुनिश्चित करने के लिये संक्रमित दूध में 5% फिनोल को मिला देना चाहिये।
- समूह में गायों को दुहते समय पहले स्वस्थ गायों को और बाद में संक्रमित गायों को दुहना चाहिये।
- बछड़ों को संक्रमित स्तन से दूध पीने से रोकना चाहिये।
- किसी प्रमाणित पशु चिकित्सक से परामर्श करके एंटीबायोटिक दवाओं का उपचार शुरू किया जाना चाहिये।

खसरे का प्रकोप

चर्चा में क्यों

वर्तमान में मुंबई शहर को खसरे (Measles) के भीषण प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है।

क्या है खसरा

- खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो अधिकांशत: बच्चों को प्रभावित करती है। यह छोटे बच्चों में मृत्यु और विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है।
- यद्यपि इस रोग का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, परंतु इससे सुरक्षित रहने के लिये एक टीके का प्रयोग किया जाता है जो सुरक्षित होने के साथ-साथ किफायती भी है।
- यह खाँसने और छींकने, निकट व्यक्तिगत संपर्क या संक्रमित व्यक्ति की नाक या गले के स्राव के सीधे संपर्क से फैलने वाली बीमारी है।
- इससे होने वाली मृत्यु के लिये अंधापन, इन्सेफलाइटिस, गंभीर दस्त और निमोनिया जैसी बीमारी से जुड़ी जटिलताएँ उत्तरदायी हैं।
- इस बीमारी में खराब पोषण, विटामिन ए की कमी और बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर स्थिति गंभीर हो जाती है।

लक्षण

- वायरस के संपर्क में आने के लगभग 10 से 14 दिन बाद व्यक्ति में लक्षण दिखने लगते हैं।
- इसके मुख्य लक्षण बुखार, सूखी खाँसी, नाक बहना, गले में खराश और दाने हैं।
- शरीर पर चकत्ते छोटे लाल धब्बों की तरह दिखाई देते हैं जो थोड़े उभरे हुए रहते हैं। सबसे पहले चेहरे पर दाने निकलते हैं जो कुछ ही दिनों में शरीर के बाकी हिस्सों में भी फैल जाते हैं।

खसरे का टीका

- विश्व स्वास्थ्य संगठन सभी बच्चों के लिये खसरे के टीके की दो खुराक की सिफारिश करता है जिसमें अकेले खसरा या खसरा-रूबेला (MR) या खसरा-मम्प्स-रूबेला (MMR) के संयोजन में टीकाकरण शामिल है।
- विदित है कि भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 9-12 महीने की उम्र में खसरे के टीकाकरण की पहली और 16-24 महीने की उम्र में दूसरी खुराक दी जाती है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, टीके की खुराक से वंचित बच्चों में इस बीमारी के प्रति उच्च जोखिम होता है जो कुछ मामलों में घातक हो सकता है या गंभीर रुग्णता का कारण बन सकता है।

2022 एपी7

चर्चा में क्यों

हाल ही में, खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक बड़े क्षुद्रग्रह के खोज की घोषणा की। इसकी कक्षा पृथ्वी की कक्षा को काटती है। हालाँकि, निकट भविष्य में दोनों के बीच टक्कर होने की संभावना नहीं है, किंतु बहुत लंबी अवधि के लिये इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन है।

प्रमुख बिंदु

- वैज्ञानिकों ने इसे '2022 एपी7' (2022 AP7) नाम दिया है। इसकी चौड़ाई 1.5 किमी. है।
- इसे उस क्षेत्र में खोजा गया है जहाँ सूर्य की चमक के कारण वस्तुओं को पहचानना मुश्किल था।
- इसे दो अन्य निकट-पृथ्वी क्षुद्रग्रहों (Near-Earth Asteroids) के साथ चिली में 'विक्टर एम ब्लैंको' टेलीस्कोप के माध्यम से खोजा गया है।
  - इसे मूल रूप से डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिये विकसित किया गया था।
- 2022 एपी7 क्षुद्रग्रह विगत आठ वर्षों में खोजे गए सभी उपग्रहों में पृथ्वी के लिये संभावित रूप से सबसे बड़ा खतरा है।

- क्षुद्रग्रह 2022 एपी7 को अपनी वर्तमान कक्षा में सूर्य का एक चक्कर लगाने में पाँच वर्षों का समय लगता है, इसीलिये पृथ्वी और क्षुद्रग्रह के बीच न्यूनतम दूरी भी कई मिलियन किमी. रहती है।
- पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में सभी आकार के लगभग 30,000 क्षुद्रग्रह को सूचीबद्ध किया गया है जिनको 'नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स' (NEOs) भी कहते हैं। इनमें से किसी से भी अगले 100 वर्षों तक पृथ्वी को खतरा नहीं है।

सैटेलाइट फोन

चर्चा में क्यों

भारत में सऊदी अरब के एक व्यक्ति को अनधिकृत सैटेलाइट फोन रखने के कारण भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम तथा भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।

प्रमुख बिंदु

- भारत में बिना अनुमति के इसे अपने पास रखना गैर-कानूनी है। नवंबर 2008 में मुंबई आतंकी हमले के बाद इसको रखने और उपयोग करने संबंधी प्रतिबंध कड़े कर दिये गए थे।
- भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 के अनुसार, वायरलेस ट्रान्समीटर के अलावा किसी भी वायरलेस टेलीग्राफी उपकरण को रखना अवैध है। अधिनियम की धारा-3 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के पास बिना लाइसेंस के वायरलेस टेलीग्राफी उपकरण नहीं होगा।
- धारा-4 केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को छूट देने संबंधी नियम बनाने की अनुमति देती है।

सैटेलाइट फोन के बारे में

- सैटेलाइट संपर्क नियमित सेल फोन को संपर्क प्रदान करने वाले सेल फोन टावरों की बजाय उपग्रहों पर निर्भर होते हैं।
- ये उन दूरदराज़ वाले क्षेत्रों में भी बिना रुकावट कार्य करते हैं जहाँ सेलुलर संपर्क का अभाव होता है। इस प्रकार, सैटेलाइट (या सैट) फोन मज़बूत संपर्क के साथ पृथ्वी के अधिकांश भाग को कवर करते हैं।
- कुछ प्रमुख सैटेलाइट कनेक्टिविटी सेवा प्रदाता हैं– इरिडियम, इनमारसैट, थुराया और ग्लोबलस्टार। ध्यातव्य है कि प्रत्येक सैटेलाइट फोन केवल एक विशिष्ट सेवा प्रदाता के साथ ही काम करता है, अर्थात् थुराया फोन इरिडियम नेटवर्क पर काम नहीं करेगा।

भारतीय जैविक डाटा केंद्र

चर्चा में क्यों

हाल ही में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के तहत हरियाणा के फरीदाबाद में जीवन विज्ञान डाटा-भारतीय जैविक डाटा केंद्र (IBDC) के लिये भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष (Repository) का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भुवनेश्वर के सहयोग से क्षेत्रीय जैव-प्रौद्योगिकी केंद्र (RCB) में स्थापित किया गया है।
- यह डिजिटल डाटा को 'ब्रह्म' नामक 4 पेटाबाइट क्षमता वाले सुपरकंप्यूटर पर संगृहीत करेगा। गौरतलब है कि 1 पेटाबाइट 10,00,000 गीगाबाइट (GB) के बराबर होता है।

विशेषताएँ

- भारत सरकार के बायोटेक-प्राइड (Biotech-PRIDE) दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारत में सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान से उत्पन्न सभी जीवन विज्ञान डाटा को इस केंद्रीय भंडार में संगृहीत करना अनिवार्य है।
- यह न केवल शोधकर्ताओं को अपने डाटा को देश के भीतर सुरक्षित रूप से संगृहीत करने के लिये एक मंच प्रदान करेगा, बल्कि यह विश्लेषण के लिये स्वदेशी अनुक्रमों के एक बड़े डाटाबेस तक पहुँच भी प्रदान करेगा।
- यह डाटाबेस पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों के आनुवंशिक आधार को निर्धारित करने और टीकों एवं उपचारों के लिये लक्ष्य खोजने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

महत्त्व

- यह पहला राष्ट्रीय डाटा रिपॉजिटरी होगा जहाँ डाटा न केवल पूरे भारत से जमा किया जाएगा, बल्कि पूरे भारत के शोधकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा।
- यह केंद्र फेयर सिद्धांत, अर्थात् खोज योग्य, सुलभ, अंतर संचालन और पुन: प्रयोज्य (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable : FAIR) के अनुसार डाटा साझा करने के लिये प्रतिबद्ध है।

गोल्डन ब्लड

चर्चा में क्यों

गोल्डन ब्लड मनुष्यों के शरीर में पाया जाने वाला एक दुर्लभ रक्त समूह है। हाल ही में, इस रक्त समूह के केवल 9 व्यक्तियों ने रक्तदान के लिये सहमति व्यक्त की है।

प्रमुख बिंदु

- गोल्डन ब्लड को आरएच नल (Rh null) नाम से भी जाना जाता है। विश्व के केवल 45 लोगों के शरीर में पाया जाने वाला यह रक्त किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्तियों के शरीर में चढ़ाया जा सकता है।
- ऐसे में, इस रक्त समूह के एक बूंद की कीमत 1 ग्राम सोने से भी ज़्यादा मानी जाती है। इसी वजह से इसे गोल्डन ब्लड ग्रुप नाम दिया गया है।
- गोल्डन ब्लड ग्रुप का कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। सर्वप्रथम यह रक्त समूह वर्ष 1961 में ऑस्ट्रेलिया की एक आदिवासी महिला के शरीर में पाया गया था।

कॉर्डी गोल्ड नैनोपार्टिकल्स

चर्चा में क्यों

हाल ही में, चार भारतीय संस्थानों के सहयोग से निर्मित कॉर्डी गोल्ड नैनोपार्टिकल्स (Cor-AuNPs) ने जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस (Cordyceps militaris) और स्वर्ण लवण (Gold Salts) के संश्लेषण से प्राप्त ये नैनोकण मानव शरीर में तीव्र और सटीक दवा वितरण को सुनिश्चित कर सकते हैं।
- कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस एक परजीवी कवक है जिसे बोडोलैंड विश्वविद्यालय के जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है।
- भरपूर औषधीय गुणों के कारण कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस को 'सुपर मशरूम' भी कहा जाता है जो शरीर में बेहतर प्रवेश के लिये स्वर्ण नैनोकणों के संश्लेषण में जैव-उत्प्रेरक घटकों को जोड़ता है।
- विदित है कि स्वर्ण लवण सामान्यतया दवा में उपयोग होने वाले सोने के आयनिक रासायनिक यौगिक होते हैं।
- जैव-संश्लेषित नैनोगोल्ड कण चिकित्सीय दवाओं के विकास में नैनोकणों के नए अनुप्रयोग हैं जिसे मलहम, टैबलेट, कैप्सूल और अन्य रूपों में दवा वितरित करने के लिये उपयोग किया जा सकता है।

ऊर्जा

कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन

चर्चा में क्यों

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट की कामेंग जल-विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित की।

प्रमुख बिंदु

- यह परियोजना पश्चिमी कामेंग ज़िले में 80 वर्ग किमी. से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है जिसे लगभग 8,200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है।
- इसमें 3,353 मिलियन यूनिट विद्युत पैदा करने के लिये 150 मेगावाट की 4 इकाइयों वाले दो बाँध और एक बिजलीघर है।
- यह एक रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है जो बिचोम और टेंगा नदियों (कामेंग की सहायक नदियाँ) पर स्थित है।
- यह परियोजना 'पेरिस समझौता 2015' के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

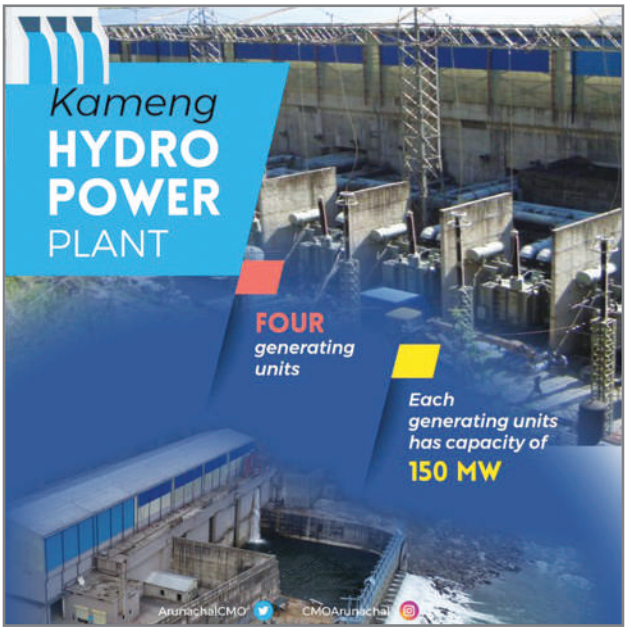

निर्माण कार्य

- नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अर्थात् नीपको लिमिटेड (NEEPCO Ltd.) द्वारा विकसित की गई यह पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है।

- नीपको लिमिटेड, भारत सरकार का मिनीरत्न विद्युत उत्पादन उद्यम है तथा महारत्न कंपनी 'नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन' (NTPC) लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है।

कामेंग नदी

- यह ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है तथा इसे असम में जिया भोरेली (Jia Bhorelli) के नाम से जाना जाता है।
- इसका उद्गम अरुणाचल प्रदेश में न्येगी कांगसांग (Nyegi Kangsang) के निकट अवस्थित एक हिमाच्छादित झील से होता है।

रक्षा

मेक-II परियोजनाएँ

चर्चा में क्यों

भारतीय सेना ने 'मेक प्रोजेक्ट्स' के तहत जारी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिये पाँच मेक-II परियोजनाओं के 'परियोजना स्वीकृति आदेश' (PSOs) को मंज़ूरी प्रदान की।

प्रमुख बिंदु

- मेक-II परियोजनाएँ अनिवार्य रूप से उद्योग द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएँ हैं। इनमें प्रोटोटाइप के विकास के लिये भारतीय विक्रेताओं द्वारा डिज़ाइन एवं विकसित किये गए अभिनव समाधान शामिल हैं।
- मेक-II खरीद योजना विभिन्न प्रकार की हथियार प्रणालियों, गोला-बारूद और आधुनिक प्रशिक्षण प्रणालियों, जो वर्तमान में देश में उपलब्ध नहीं हैं, में उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी प्रणालियों के स्वदेशीकरण हेतु रक्षा उद्योग में डिज़ाइन एवं विकास को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देती है।
- भारतीय सेना पहले से ही पूंजी अधिग्रहण की मेक-II प्रक्रिया के तहत जारी 43 परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है।

पी.एस.ओ. की मंज़ूरी वाली 5 परियोजनाएँ

हाई फ्रीक्वेंसी मैन पैक्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो (HFSDR)

- यह अत्याधुनिक, हल्के वज़न वाला एच.एफ.एस.डी.आर. बढ़ी हुई सुरक्षा के साथ-साथ बढ़ी हुई डाटा क्षमता एवं बैंडविड्थ के माध्यम से लंबी दूरी का रेडियो संचार प्रदान करेगा।
- साथ ही, यह जी.आई.एस. (GIS) का उपयोग करके मानचित्र आधारित नेविगेशन के साथ ब्लू फोर्स ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करेगा जिससे वास्तविक समय में स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ेगी। ये रेडियो सेट फिलहाल इन्वेंट्री में मौजूदा एच.एफ. रेडियो सेटों की जगह लेंगे।

ड्रोन किल सिस्टम

- इस क्षेत्र में विश्व स्तर के उत्पादों को विकसित करने के लिये स्वदेशी उद्योग के पास पर्याप्त विशेषज्ञता है। यह परियोजना एम.एस.एम.ई./स्टार्टअप के लिये आरक्षित है।
- यह लो रेडियो क्रॉस सेक्शन (RCS) ड्रोन/मानव-रहित एरियल सिस्टम (UAS) के खिलाफ एक हार्ड किल एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे दिन और रात दोनों समय सभी प्रकार के इलाकों में काम करने के लिये विकसित किया जा रहा है।

इन्फैंट्री ट्रेनिंग वीपन सिम्युलेटर (IWTS)

- यह एक आधुनिक प्रशिक्षण सुविधा है जो गोला-बारूद पर बार-बार होने वाले खर्च को कम करने के अलावा फायरिंग रेंज की उपलब्धता और खराब मौसम की चुनौतियों से भी निजात दिलाएगी।
- यह परियोजना भी एम.एस.एम.ई./स्टार्टअप के लिये आरक्षित है। आई.डब्ल्यू.टी.एस. का उपयोग विभिन्न प्रकार के हथियारों पर युवा सैनिकों के निशानेबाज़ी कौशल को बढ़ाने के लिये किया जाएगा। यह युद्ध की स्थितियों के अनुरूप उपयोगकर्ता के अनुकूल ग्राफिक्स प्रदान करती है।

155 मिमी. टर्मिनली गाइडेड मुनिशन (TGM)

मेक-II परियोजना के तहत 155 मिमी. टर्मिनली गाइडेड मुनिशन के विकास के लिये छह विकासशील एजेंसियों को परियोजना स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।

मीडियम रेंज प्रिसिशन किल सिस्टम (MRPKS)

यह एक बार लॉन्च होने के बाद दो घंटे तक हवा में 'लोइटर' (एक स्थान पर धीरे-धीरे घूमना या निगरानी करना) कर सकता है और 40 किमी. तक की दूरी तक हाई वैल्यू टार्गेट्स को वास्तविक समय में ढूँढ़कर उन पर निशाना साध सकता है।

सी विजिल-22 अभ्यास

चर्चा में क्यों

अखिल भारतीय (Pan-India) तटीय रक्षा अभ्यास 'सी विजिल-22' (SEA VIGIL-22) के तीसरे संस्करण का आयोजन 15-16 नवंबर को किया गया।

परिकल्पना एवं अवधारणा

- सी विजिल नामक तटीय रक्षा अभ्यास की परिकल्पना वर्ष 2018 में '26/11' के बाद से समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करने के उद्देश्य से की गई थी।
- तटीय सुरक्षा, तटीय रक्षा निर्माण का एक प्रमुख उप-समूह है। सी विजिल की अवधारणा पूरे भारत में तटीय सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करना और व्यापक तटीय रक्षा तंत्र का आकलन करना है।
- यह इसका तीसरा संस्करण है। सी विजिल का पहला अभ्यास जनवरी 2019 में किया गया था।

आयोजन एवं हितधारक

- यह अभ्यास भारत के संपूर्ण समुद्री तट (7,516 किमी.) एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में किया गया। इसमें मछली पकड़ने वाले समुदायों तथा तटीय समुदायों सहित अन्य समुद्री हितधारकों के साथ सभी तटीय राज्यों व केंद्र-शासित प्रदेशों को शामिल किया गया।
- यह अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा तटरक्षक बल और समुद्री गतिविधियों से संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर समन्वयपूर्वक आयोजित किया गया।

ट्रोपेक्स (TROPEX)

- यह एक अंतर-सेवा सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत की भागीदारी शामिल है। इसमें भारतीय सेना, वायु सेना, नौसेना और तटरक्षक बल की भागीदारी होती है।
- यह अभ्यास आमतौर पर प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में प्रारंभ होता है और एक महीने तक चलता है। यह आमतौर पर तीन चरणों में किया जाता है– स्वतंत्र कार्य चरण, संयुक्त कार्य चरण और सामरिक चरण।
- इस अभ्यास को भारतीय नौसेना इकाइयों के साथ-साथ भारतीय वायु सेना, भारतीय सेना और भारतीय तटरक्षक बल की युद्ध तैयारी का परीक्षण करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- यह अभ्यास एक जटिल वातावरण में अंतर-संचालनीयता और संयुक्त संचालन को मज़बूत करने के लिये भी प्रयासरत है। इसकी शुरुआत वर्ष 2005 से हुई। वर्ष 2015 से पूर्व इसका संचालन वार्षिक स्तर पर किया जाता था।
- यह थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज (TROPEX) की दिशा में उठाया गया कदम है जो भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़ा द्विवार्षिक अभ्यास है।

वास्तविक मूल्यांकन

- सी विजिल और ट्रोपेक्स एक-साथ पूरे स्पेक्ट्रम में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कवर करते हैं। भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, सीमा शुल्क विभाग और अन्य समुद्री एजेंसियों की संपत्तियों ने इस अभ्यास में भाग लिया।
- यह समुद्री सुरक्षा एवं तटीय रक्षा के क्षेत्र में भारत की तैयारियों का आकलन करने का अवसर प्रदान करता है जो देश की मज़बूती और कमज़ोरियों का वास्तविक मूल्यांकन करता है।

परिवहन विमान निर्माण परियोजना

चर्चा में क्यों

हाल ही में, गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायु सेना के लिये परिवहन विमान निर्माण परियोजना की आधारशिला रखी गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस परियोजना के तहत स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस और भारत की टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) द्वारा सी-295 विमानों का निर्माण किया जाएगा।
- यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत में सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा।
- इस परियोजना की कुल लागत 21,935 करोड़ रुपए है और इन विमानों का प्रयोग नागरिक उद्देश्यों के लिये भी किया जा सकता है।
- ये विमान भारतीय वायु सेना के 1960 के दशक में खरीदे गए 'एवरो विमान' (Avro aircraft) का स्थान लेंगे।

पृष्ठभूमि

- सुरक्षा कैबिनेट समिति ने सितंबर 2021 में मेसर्स एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एस.ए., स्पेन से 56 सी-295 एमडब्ल्यू परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दी थी।
- इस अनुबंध के अंतर्गत 16 विमान वर्ष 2023 से 2025 के बीच स्पेन से तैयार होकर भारत लाए जाएंगे।
- जबकि, 40 परिवहन विमान भारत में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS) द्वारा निर्मित किये जाएंगे।
- भारत में निर्मित होने वाला पहला सी-295 एमडब्ल्यू विमान सितंबर 2026 में प्राप्त होने की संभावना है। यद्यपि, इसका निर्माण वर्ष 2031 तक प्रतिवर्ष 8 विमानों की दर से किया जाएगा।
- इन विमानों की खरीद के साथ ही भारत, विश्व में 35वाँ सी-295 विमान ऑपरेटर देश बन गया है।

भारतीय रक्षा विनिर्माण क्षेत्र

- भारत बोइंग में वार्षिक रूप से 1 बिलियन डॉलर का निवेश करता है जिसमें से 60% से अधिक विनिर्माण क्षेत्र में किया जाता है।
- बोइंग के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में 'टाटा' द्वारा एएच-64 अपाचे हेलिकॉप्टर के लिये एयरो-स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है। यह बोइंग के सीएच-47 चिनूक हेलिकॉप्टरों के लिये क्राउन और टेल-कोन भी निर्मित करता है।
- इसके अतिरिक्त, हैदराबाद में टी.ए.एस.एल. के साथ लॉकहीड मार्टिन का एक संयुक्त उद्यम है जो सी-130जे सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान के घटकों का निर्माण करता है।
- भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़े अब तक के संयुक्त उद्यमों ने लगभग 600 मिलियन डॉलर के मूल्य का निर्यात किया है।

कृषि

डीआरआर धान 60

चर्चा में क्यों

हैदराबाद स्थित भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान (IIRR) ने उन्नत सांबा मंसूरी की एक संशोधित किस्म विकसित की है। विदित है कि मंसूरी धान की एक प्रजाति है।

विशेषताएँ

फॉस्फोरस की कम आवश्यकता

- धान की इस किस्म का नाम 'डीआरआर धान 60' (DRR Dhan 60) है। इसमें अपेक्षाकृत 30% कम फॉस्फोरस उर्वरक की आवश्यकता होती है।
- यह 60 किग्रा./हेक्टेयर फॉस्फोरस की मात्रा के साथ देश में कम फॉस्फोरस सहिष्णु धान की पहली किस्म है।
  - विदित है कि फॉस्फोरस धान की वृद्धि और पैदावार के लिये आवश्यक एक प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्त्व है।

उत्पादन

- सांबा मंसूरी निम्न मृदा फॉस्फोरस के प्रति सहिष्णु, जीवाणु झुलसा (Bacterial Blight) रोग प्रतिरोधी, उच्च उपज वाली, प्रीमियम अनाज और अच्छी गुणवत्ता वाली किस्म है।
- इसकी परिपक्वता अवधि लगभग 125-130 दिनों की है। यह प्रति हेक्टेयर 5.19 टन की अधिकतम उपज देती है।

योजना एवं कार्यक्रम

लाडली लक्ष्मी योजना 2.0

चर्चा में क्यों

हाल ही में, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 'लाडली लक्ष्मी योजना 2.0' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत राज्य में लाडली लक्ष्मी बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिये 25 हज़ार रुपए की प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों में दी जाएगी।
- विदित है कि लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत वर्ष 2007 में की गई थी।
- इसके अतिरिक्त, राज्य में 'लाडली लक्ष्मी पथ' की शुरुआत की गई जिसके तहत प्रत्येक ज़िले में एक सड़क का नाम 'लाडली लक्ष्मी पथ' के नाम पर रखा जाएगा। साथ ही, 'लाडली लक्ष्मी वाटिका' का भी उद्घाटन किया गया।

योजना के उद्देश्य

- राज्य में लिंगानुपात में सुधार लाना।
- लोगों में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना।
- बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना।
- जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना तथा परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना।
  - विशेषकर दो बालिकाओं के जन्म के बाद बालक के जन्म को हतोत्साहित करना।
- कन्या भ्रूण हत्या/शिशु हत्या को रोकना।
- बालिकाओं के विकास के लिये सकारात्मक एवं सक्षम वातावरण का निर्माण करना।
- बाल विवाह को हतोत्साहित करना।

लाभ

- इस योजना के तहत बालिका के नाम से 1,18,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।
- पंजीकृत बालिका को छठी कक्षा में प्रवेश पर 2,000 रुपए, नौवीं कक्षा में प्रवेश पर 4,000 रुपए, ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश पर 6,000 रुपए एवं बारहवीं कक्षा में प्रवेश पर 6,000 रुपए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- बारहवीं कक्षा के पश्चात् स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में (अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों में प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जाएगी।
- बालिका की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर बारहवीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित होने पर एवं बालिका का विवाह निर्धारित आयु पूर्ण करने के बाद होने पर 1 लाख रुपए का अंतिम भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

एकलव्य विद्यालयों के लिये जनसंख्या मानदंड

चर्चा में क्यों

हाल ही में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय स्थायी समिति ने एकलव्य विद्यालयों की स्थापना के लिये निर्धारित जनसंख्या मानदंडों को अव्यावहारिक बताया है।

निर्धारित मानदंड

- जनजातीय कार्य मंत्रालय सभी उप-ज़िलों में 15 एकड़ भूमि पर नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) बनाने की योजना पर कार्य कर रहा है।
- मंत्रालय द्वारा ऐसे क्षेत्रों में ये विद्यालय स्थापित किये जाते हैं जहाँ 20,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति समुदाय की आबादी निवास करती है, जो कम-से-कम कुल जनसंख्या का 50% होती है।

मानदंडों की समीक्षा

- समिति के अनुसार, वनों या पहाड़ी क्षेत्रों में 15 एकड़ की भूमि की पहचान करने और अधिग्रहण करने में महत्त्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- ये मानदंड कम जनजातीय आबादी वाले ज़िलों को एकलव्य स्कूलों के लाभ से वंचित करते हैं।

एकलव्य विद्यालयों से संबंधित चुनौतियाँ

- उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होना
- भूमि के कानूनी अधिग्रहण में विलंब
- गाँवों या ब्लॉक के बाहरी क्षेत्रों में अवस्थिति
- अधिकांश चिह्नित भूमि वन भूमि क्षेत्र के अंतर्गत शामिल
- नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों और उत्तर-पूर्व भारत में अनुशंसित 15 एकड़ भूमि के अधिग्रहण में कठिनाई

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

- ई.एम.आर.एस. की स्थापना वर्ष 1997-98 में दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, ताकि उन्हें उच्च एवं व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठाने और विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।
- ये विद्यालय न केवल अकादमिक शिक्षा पर, बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रत्येक स्कूल में 480 छात्रों की क्षमता होती है।
- इनका निर्माण संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत राज्य सरकारों को विद्यालयों के निर्माण और आवर्ती खर्चों के लिये प्रदत्त अनुदान के माध्यम से किया जाता है।

उत्तेजम

चर्चा में क्यों

उत्तेजम (UTTAJEM) कार्यक्रम की शुरुआत तेलंगाना में जगतियाल के ज़िलाधिकारी ए. शरत द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिये की गई।

कार्यक्रम के बारे में

- इसके तहत पढ़ाई में कमज़ोर छात्रों को स्कूल शुरू होने से एक घंटा पहले और स्कूल के समय के बाद एक घंटे के लिये अतिरिक्त कक्षाएँ दी जाती हैं।
- अतिरिक्त कक्षाओं के दौरान छात्रों को पोहा या उपमा जैसे पौष्टिक आहार प्रदान किये जाते हैं।

- इसके तहत शुरू किये गए सरल एवं लक्ष्य-उन्मुख उपाय पिछले दो वर्षों से सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन

चर्चा में क्यों

हाल ही में, वस्त्र मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन' के तहत विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 74 करोड़ रुपए की 20 रणनीतिक अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- इन परियोजनाओं में से पाँच स्पेशियलिटी फाइबर, छह एग्रो-टेक्सटाइल, दो स्मार्ट टेक्सटाइल, दो रक्षात्मक परिधान, दो जियो-टेक्सटाइल, एक रणनीतिक एप्लीकेशन, एक खेल परिधान एवं एक एक्टिव-वीयर से संबंधित हैं।
- ये परियोजनाएँ जियो-टेक, औद्योगिक और रक्षात्मक, कृषि तथा अवसंरचना विकास की दिशा में महत्त्वपूर्ण हैं।
- इसके अतिरिक्त, वस्त्र मंत्रालय ने उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (NITRA) और भारतीय तकनीकी वस्त्र संघ (ITTA) के साथ साझेदारी में 'तकनीकी वस्त्र पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव– प्रोटेक' (National Conclave on Technical Textiles - Protech) का भी आयोजन किया।
- विदित है कि इस मिशन को वर्ष 2020 में 4 वर्ष की अवधि (2020-21 से 2023-24) के लिये मंजूरी प्रदान की गई।

तकनीकी वस्त्र अनुप्रयोग

- कृषि
- स्वास्थ्य
- सड़कें
- बुलेटप्रूफ जैकेट
- रेलवे ट्रैक
- अग्निरोधक जैकेट
- खेलों के परिधान
- अंतरिक्ष अनुप्रयोग

महत्त्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट

उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022

चर्चा में क्यों

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने 'एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 : द क्लोजिंग विंडो- क्लाइमेट क्राइसिस कॉल्स फॉर रैपिड ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज़' नामक एक रिपोर्ट को जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में शीर्ष सात उत्सर्जक देशों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (भूमि उपयोग और वानिकी क्षेत्रों को छोड़कर) पूर्व-महामारी स्तर (वर्ष 2019) से अधिक हो गया है।
- शीर्ष उत्सर्जक देशों में चीन, यूरोपियन यूनियन, भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रूस और अमेरिका शामिल हैं।
- शीर्ष सात उत्सर्जक देशों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परिवहन ने वर्ष 2020 के दौरान वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में 55% का योगदान दिया।

रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष

- जी-20 के सदस्य देश वैश्विक जी.एच.जी. उत्सर्जन के 75% के लिये उत्तरदायी हैं।
- वर्ष 2020 में वैश्विक औसत प्रति व्यक्ति जी.एच.जी. उत्सर्जन 6.3 टन कार्बन डाइ-ऑक्साइड के समतुल्य (tCO_2e) है। यह अमेरिका में 14 tCO_2e, रूस में 13 tCO_2e, चीन में 9.7 tCO_2e, ब्राज़ील एवं इंडोनेशिया में 7.5 tCO_2e तथा यूरोपीय संघ में 7.2 tCO_2e है।
- जबकि, भारत में यह 2.4 tCO_2e दर्ज किया गया है जो वैश्विक औसत से बहुत कम है।

शहरी अवसंरचना निवेश

चर्चा में क्यों

हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को शहरी अवसंरचना विकास के लिये अगले 15 वर्षों में लगभग 840 बिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी।

विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट

- विश्व बैंक ने 'फाइनेंसिंग इंडियाज़ इन्फ्रास्ट्रक्चर नीड्स : कंस्ट्रेंट्स टू कमर्शियल फाइनेंसिंग एंड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पॉलिसी एक्शन' नामक शीर्षक से रिपोर्ट को जारी किया है।
- इस रिपोर्ट में भारत की बढ़ती शहरी जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बुनियादी ढाँचे में वार्षिक निवेश को पिछले दशक में औसतन 10.6 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष से बढ़ाकर अगले 15 वर्षों के लिये औसतन 55 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष करने पर ज़ोर दिया गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

बढ़ती शहरी जनसंख्या

- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2036 तक भारत के शहरों की आबादी 600 मिलियन हो जाएगी जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% होगी।

- इससे भारतीय शहरों की आधारभूत सेवाओं, जैसे– स्वच्छ पेयजल, विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति, कुशल एवं सुरक्षित सड़क परिवहन आदि की मांग में वृद्धि होगी जिससे शहरी बुनियादी ढाँचे पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना है।

वित्तपोषण

- विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारें शहरों के बुनियादी ढाँचे का 75% से अधिक वित्तपोषण करती हैं।
- शहरी स्थानीय निकाय अपने अधिशेष राजस्व के माध्यम से 15% वित्तपोषण करते हैं। जबकि, वर्तमान में शहरी बुनियादी ढाँचे के निवेश का केवल 5% निजी क्षेत्र से आता है।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023

चर्चा में क्यों

हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को आठवें स्थान पर रखा गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस सूचकांक में शीर्ष तीन स्थानों को रिक्त रखा गया है क्योंकि किसी भी देश ने समग्र रूप से उच्च रेटिंग प्राप्त करने के लिये सभी सूचकांक श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है।
- इस सूचकांक में चौथे स्थान पर डेनमार्क है, जबकि इसके पश्चात् स्वीडन, चिली और मोरक्को को स्थान दिया गया है।
- विश्व में ईरान (63वाँ), सऊदी अरब (62वाँ) एवं कज़ाकिस्तान (61वाँ) ने सबसे निम्न प्रदर्शन किया है। जबकि, सूचकांक में चीन को 51वें एवं अमेरिका को 52वें स्थान पर रखा गया है।

भारत की स्थिति

- इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग में दो स्थानों का सुधार हुआ है। विदित है कि विगत वर्ष इस सूचकांक में भारत को 10वाँ स्थान प्राप्त हुआ था।
- भारत ने हरितगृह गैस (GHG) उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रेटिंग, जबकि जलवायु नीति एवं नवीकरणीय ऊर्जा वर्गों में मध्यम रेटिंग प्राप्त की है।

सूचकांक के बारे में

- इस सूचकांक को तीन पर्यावरणीय गैर-सरकारी संगठनों 'जर्मनवॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क' द्वारा जारी किया गया है।
- यह सूचकांक 59 देशों एवं यूरोपीय संघ के जलवायु प्रदर्शन का आकलन करता है। ये देश विश्व में जी.एच.जी. उत्सर्जन के 92% से अधिक के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- यह सूचकांक चार श्रेणियों में प्रत्येक देश के प्रदर्शन का आकलन करता है–
  - जी.एच.जी. उत्सर्जन (समग्र रैंकिंग का 40%)
  - नवीकरणीय ऊर्जा (20%)
  - ऊर्जा उपयोग (20%)
  - जलवायु नीति (20%)

खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट 2022

चर्चा में क्यों

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization : FAO) द्वारा खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट, 2022 जारी की गई।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2022 में वैश्विक खाद्य आयात का मूल्य बढ़कर 1,940 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। यह वर्ष 2021 के रिकॉर्ड स्तर से 10% अधिक होगा।
- हालाँकि रिपोर्ट के अनुसार, आयात बिल में बढ़ोतरी के प्रमुख कारणों में ऊँची खाद्य कीमतों और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्राओं के मूल्य में आई गिरावट शामिल हैं।
- उच्च आय वाले देश हर प्रकार के खाद्य उत्पादों का आयात करना जारी रखेंगे, जबकि विकासशील देशों को सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली खाद्य सामग्री पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा।

व्याप्त असमानता

- कृषि स्वचालन (Agricultural Automation) खाद्य उत्पादन को अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन यदि छोटे पैमाने के उत्पादकों तथा हाशिये के समूहों तक इन प्रौद्योगिकियों की सुगम पहुँच नहीं होती तो ये असमानता को बढ़ावा दे सकते हैं।
- 1960 के दशक तक उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया में उच्च आय वाले देश अत्यधिक यंत्रीकृत थे। जबकि, निम्न और मध्यम आय वाले देश कम यंत्रीकृत थे।
- प्रति 1,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर ट्रैक्टरों की संख्या के उपलब्ध आँकड़े मशीनीकरण की दिशा में असमान क्षेत्रीय प्रगति को उजागर करते हैं।
- उदाहरण के लिये, वर्ष 2005 में जापान में 1,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर 400 से अधिक ट्रैक्टर थे, जबकि घाना में प्रति 1,000 हेक्टेयर पर केवल 0.4 ट्रैक्टर थे।

चिंताएँ

- कृषि स्वचालन से उन जगहों पर बेरोज़गारी हो सकती है जहाँ ग्रामीण श्रम प्रचुर मात्रा में है और मज़दूरी कम है।

- रिपोर्ट के अनुसार, नीति निर्माताओं को श्रम प्रचुर क्षेत्रों में स्वचालन पर सब्सिडी देने से बचना चाहिये।

सुझाव

- अकुशल श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये। संक्रमण के दौरान इस श्रेणी के श्रमिकों के अपना रोज़गार खोने की अधिक संभावना होती हैं।
- एफ.ए.ओ. के अनुसार, तकनीकी प्रगति एवं उत्पादकता में वृद्धि के बिना करोड़ों लोगों को गरीबी, भूख, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण से बाहर निकालने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।
- ऐसे परिदृश्य में यह सुनिश्चित करना चाहिये कि स्वचालन समावेशन और स्थिरता को बढ़ावा देता हो।

महत्त्वपूर्ण सम्मेलन एवं आयोजन

गंगा उत्सव 2022

चर्चा में क्यों

हाल ही में, गंगा उत्सव-नदी महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में दो सत्रों में किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस उत्सव का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के तहत किया गया।
- इस उत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश की नदियों का महोत्सव मनाना और नदियों के कायाकल्प के महत्त्व पर जागरूकता का प्रसार करना है।

प्रमुख कार्यक्रम

- इस उत्सव की विभिन्न गतिविधियाँ केंद्र, राज्य एवं ज़िला स्तर पर वास्तविक रूप से और वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गईं।
- गंगा और उसकी सहायक नदियों सहित विभिन्न नदियों पर देश भर के 75 से अधिक स्थानों पर समानांतर गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

गंगा उत्सव के बारे में

- प्रारंभ में यह उत्सव वर्ष 2017 में 'एक शाम गंगा के नाम' के रूप में सीमित हितधारकों को शामिल करने वाले एक छोटे से आयोजन के साथ शुरू हुआ था।
- भारत-जर्मन सहयोग जैसे अंतर्राष्ट्रीय संघ की सहायता से यह आयोजन वर्ष 2018 में 'बाल गंगा मेला' के रूप में विकसित हुआ।
- जबकि, गंगा उत्सव 2021 को 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के भाग के रूप में मनाया गया था।

राइज़िंग सन वाटर फेस्ट 2022

चर्चा में क्यों

हाल ही में, मेघालय में तीन-दिवसीय राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस उत्सव के दौरान जल क्रीड़ा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह पूर्वोत्तर में अपनी तरह का पहला आयोजन है।
- इसका आयोजन असम और मेघालय की सरकारों के साथ भारतीय सेना की पूर्वी कमान द्वारा किया गया है।

उमियम झील

- यह मेघालय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। इसे स्थानीय रूप से 'बारा पानी' (Large Water) के रूप में जाना जाता है।
- सिल्वन हिल्स और खासी पाइन वृक्ष इस विशाल झील की सुंदरता में वृद्धि करते हैं।
- प्रारंभ में इसे जल-विद्युत उत्पादन के लिये एक बाँध या जलाशय के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है।
- विदित है कि असम एवं मेघालय सरकार ने संयुक्त रूप से इसे 'विश्व स्तरीय' जलीय क्रीड़ा स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है।

- इस उत्सव का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय खेल प्रेमी युवाओं को रोइंग और सेलिंग जैसी जल क्रीड़ाओं को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना है।

- इस दौरान शिलॉन्ग के पास उमियम झील में ईस्टर्न कमांड एक्वाटिक नोड में नौकायन और रोइंग नौकाओं को पेश किया गया।
- विदित है कि इस उत्सव के दौरान गारो जनजाति समुदाय ने वांगला नृत्य की प्रस्तुति दी।

नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन

चर्चा में क्यों

हाल ही में, नो मनी फॉर टेरर (NMFT) के तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय द्वारा किया गया जिसमें विश्व भर के लगभग 450 प्रतिभागियों ने भाग लिया है।
- इस सम्मेलन में भारत ने एन.एम.एफ.टी. के लिये एक स्थायी सचिवालय का प्रस्ताव रखा है।
- एन.एम.एफ.टी. के पिछले दो सम्मेलन पेरिस (वर्ष 2018) तथा मेलबर्न (वर्ष 2019) में आयोजित किये गए थे।

महत्त्व

- यह सम्मेलन आतंकवादी संगठनों को गैर-कानूनी ढंग से दी जाने वाली मदद रोकने के लिये विभिन्न देशों और संगठनों को एक अनूठा मंच प्रदान करता है।
- इस सम्मेलन के दौरान चार सत्रों में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया–
  - आतंकवाद और आतंकवाद के वित्तपोषण में वैश्विक रुझान
  - आतंकवाद के लिये धन के औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों का उपयोग
  - उभरती प्रौद्योगिकियों और आतंकवादियों को गैर-कानूनी तरीके से वित्तीय सहायता
  - आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने में चुनौतियों का समाधान करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

उद्देश्य

- इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने पर बल देना है।
- यह आतंकवादी वित्तपोषण के सभी पहलुओं– तकनीकी, कानूनी, विनियामक और सहयोग पर चर्चाओं को शामिल करता है।
- यह अन्य उच्च-स्तरीय आधिकारिक और राजनीतिक विचार-विमर्श को गति प्रदान करता है जो आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने पर केंद्रित है।

वर्ष 2022 में भारत में आयोजित अन्य सम्मेलन	
इंटरपोल की वार्षिक आम सभा का आयोजन	दिल्ली में
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की आतंकवाद-रोधी समिति के विशेष सत्र का आयोजन	मुंबई और दिल्ली में

महत्त्वपूर्ण मंत्रालय एवं संगठन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1985-86 में पूर्ववर्ती कल्याण मंत्रालय को महिला एवं बाल विकास विभाग तथा कल्याण विभाग में विभाजित किया गया था। इसी के साथ तत्कालीन कल्याण मंत्रालय का गठन करने के लिये अनुसूचित जाति विकास प्रभाग, जनजातीय विकास प्रभाग तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग को गृह मंत्रालय से और वक्फ प्रभाग को कानून मंत्रालय से स्थानांतरित किया गया था।
- तदुपरांत, मई 1998 में मंत्रालय का नाम बदलकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कर दिया गया। इसके अलावा, अक्तूबर 1999 में एक पृथक् जनजातीय कार्य मंत्रालय के गठन के लिये जनजातीय विकास प्रभाग को अलग कर दिया गया था।
- जनवरी 2007 में वक्फ इकाई सहित अल्पसंख्यक प्रभाग को कल्याण मंत्रालय से अलग कर एक पृथक् मंत्रालय का गठन किया गया था तथा बाल विकास प्रभाग को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में शामिल कर दिया गया था।
- वर्तमान में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार हैं।

नि:शक्तता संबंधी विषय

राष्ट्रीय स्तर पर

- नि:शक्तता विषय को संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में रखा गया है। भारत सरकार विभिन्न प्रकार की नि:शक्तता से संबंध रखने वाले सात राष्ट्रीय संस्थानों (NI) एवं सात संयुक्त क्षेत्रीय केंद्रों (CRC) का संचालन करती है जो पी.डब्ल्यू.डी.

(Person With Disability : PWD) को पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करते हैं तथा पुनर्वास पेशेवर के लिये पाठ्यक्रम चलाते हैं।

- साथ ही, सरकार इसी प्रकार की सेवाएँ प्रदान करने के लिये गैर-सरकारी संगठनों और राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम को निधि उपलब्ध कराती है तथा ये स्वरोज़गार के लिये पी.डब्ल्यू.डी. को रियायती दरों पर ऋण प्रदान करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

- केंद्र सरकार निम्नलिखित संस्थाओं की पक्षकार भी है–
  - दिसंबर 1992 में बीजिंग में अपनाई गई एशिया तथा प्रशांत महासागर क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों की संपूर्ण भागीदारी एवं समानता संबंधी उद्घोषणा (UNCRPD)।
  - मई 2008 में प्रभावी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय।
- इसने विभिन्न राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है। विकलांगता, केंद्र स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दायित्वों में से एक है जिस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

नि:शक्तता कार्य विभाग

- 11वीं पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नि:शक्तता प्रभाग को एक पृथक् विभाग में परिवर्तित करके सुदृढ़ बनाया जाएगा जिससे यह अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों से बेहतर तालमेल करके दिव्यांगों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेगा।
- 'नि:शक्तता' की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए यू.एन.सी.आर.पी.डी. की देखरेख में व्यापक स्तर पर कार्य किया जाना था, किंतु कार्यान्वयन संरचना की अपर्याप्त क्षमता को देखते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में वर्तमान नि:शक्तता ब्यूरो के स्तरोन्नयन की आवश्यकता महसूस की गई।
- सरकार ने 3 जनवरी, 2012 को सैद्धांतिक रूप से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में एक पृथक् नि:शक्तता कार्य विभाग सृजित करने का निर्णय लिया।
- मई 2012 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दो विभागों का सृजन किया गया है–
  (i) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
  (ii) नि:शक्तता कार्य विभाग जिसे दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के रूप में पुन: नामित किया गया है।

आवंटित विषय

कार्य आवंटन नियमावली, 1961 के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्य–

- संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल घुमंतू तथा प्रवासी जनजातियों से संबंधित विषय।
- यह विभाग निम्नलिखित समूहों से संबंधित मामलों के लिये नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा–
  (i) अनुसूचित जाति
  (ii) सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग
  (iii) अधिसूचित जनजाति
  (iv) आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग
  (v) वरिष्ठ नागरिक
  - उपर्युक्त प्रविष्टि के अंतर्गत (i) से (iv) में उल्लिखित समूहों के सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण के उद्देश्य से विशेष योजनाएँ, अर्थात् छात्रवृत्तियाँ, छात्रावास, आवासीय विद्यालय, कौशल प्रशिक्षण, रियायती ऋण तथा स्व-रोज़गार के लिये आर्थिक सहायता आदि। इन समूहों के संबंध में क्षेत्रीय कार्यक्रमों के संपूर्ण प्रबंधन तथा अन्वीक्षण आदि का दायित्व संबंधित केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का होगा। प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय या विभाग अपने क्षेत्र से संबंधित मूलभूत दायित्व का निर्वहन करेगा।
- हाथ से मैला साफ करने वालों का वैकल्पिक व्यवसाय में पुनर्वास
- वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल तथा सहायता के लिये कार्यक्रम
- नशाबंदी
- मद्यपान तथा नशीले पदार्थ के दुरुपयोग के पीड़ितों तथा उनके परिवारों का पुनर्वास
- भिक्षावृत्ति की रोकथाम
- विभाग में निष्पादित किये जाने वाले मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय तथा करार
- विभाग को आवंटित विषयों के संबंध में जागरूकता सृजन, अनुसंधान, मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण
- विभाग को आवंटित विषयों से संबंधित धर्मार्थ तथा धार्मिक दान एवं स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्द्धन व विकास
- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का कार्यान्वयन
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन (आपराधिक न्याय संचालन को छोड़कर अनुसूचित जातियों के संबंध में)
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 का कार्यान्वयन
- माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 का कार्यान्वयन
- आयोग एवं प्रतिष्ठान से संबंधित कार्य
  - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
  - राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग
  - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम
- राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान
- डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान
- बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान
- विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के लिये राष्ट्रीय आयोग

सामाजिक सशक्तीकरण के लिये योजनाएँ

- **प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY):** इस योजना का मुख्य उद्देश्य चयनित गाँवों के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करना है। इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं–
  - आवश्यकताओं, संभावनाओं और आकांक्षाओं के आधार पर ग्राम विकास योजना तैयार करना
  - केंद्र/राज्य सरकारों की व्यक्तिगत/पारिवारिक लाभ योजनाओं के दायरे को अधिकतम करना
  - स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी और आजीविका जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिये बुनियादी ढाँचे में सुधार
  - यह योजना विकास के प्रमुख 8 घटकों, जैसे– सड़क संपर्क (आंतरिक और अंतर-गाँव/ब्लॉक), दूरसंचार संपर्क (मोबाइल/इंटरनेट), स्कूल, आँगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उप-केंद्र, पेयजल सुविधा, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अंतराल को कम करने के लिये तैयार की गई है।
- **उपेक्षित व्यक्तियों के लिये आजीविका एवं उद्यम समर्थन (SMILE):** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 12 फरवरी, 2022 को 'स्माइल' नामक एक व्यापक योजना शुरू की है। इसमें दो उप-योजनाएँ शामिल हैं– 'ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिये पुनर्वास योजना' तथा 'भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिये केंद्रीय क्षेत्रक योजना'।
- **प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY):** इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोज़गार अवसरों का सृजन करके अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी को कम करना है। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति बहुल गाँवों में पर्याप्त बुनियादी ढाँचा और आवश्यक सेवाएँ सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार किया जाएगा।
  - साथ ही, इसका उद्देश्य साक्षरता बढ़ाने तथा स्कूलों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिये गुणवत्तापूर्ण संस्थानों के साथ-साथ जहाँ आवश्यक हो आवासीय विद्यालयों और भारत में कहीं भी आकांक्षी ज़िलों/एस.सी. बहुसंख्यक ब्लॉकों में, पर्याप्त आवासीय सुविधाएँ प्रदान करके स्कूलों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में साक्षरता बढ़ाने तथा अनुसूचित जाति के नामांकन को प्रोत्साहित करना है।
- **सामाजिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिये एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा कार्यान्वित योजना :** इसका उद्देश्य लक्ष्य समूह को पारंपरिक एवं तकनीकी व्यवसायों व उद्यमिता के क्षेत्र में उपयुक्त तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से सक्षम तथा स्वावलंबी बनाने के लिये प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके लिये एस.सी.ए./संस्थान के माध्यम से अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रशिक्षु को वेतन रोज़गार प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है तथा प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद अपना व्यवसाय शुरू करने के लिये वह एन.बी.सी.एफ.डी.सी. सामान्य ऋण योजनाओं के तहत ऋण भी प्राप्त कर सकता है।
- **ई-उत्थान :** अनुसूचित जातियों के लिये विकास कार्य योजना।

आर्थिक विकास से संबंधित योजनाएँ

- **स्वरोज़गार योजना :** स्वरोज़गार योजना का आरंभ हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिये जनवरी 2007 में किया गया था। इसका उद्देश्य हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों तथा उनके आश्रितों को मार्च 2009 तक वैकल्पिक व्यवसाय प्रदान करना था।
  - चूँकि, इसे लक्षित तिथि तक पूरा नहीं किया जा सका था, अत: इस योजना की अवधि को इस प्रावधान के साथ मार्च 2010 तक बढ़ा दिया गया कि यदि अपेक्षित हो तो इसके बाद भी शेष बचे लाभार्थियों को कवर किया जाए। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के पश्चात् इसमें संशोधन किया गया था।
  - संशोधित योजना के अनुसार, प्रत्येक परिवार से एक अभिज्ञात मैनुअल स्केवेंजर (हाथ से मैला ढोने वाले) को एकमुश्त नकद सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थियों को 2 वर्ष की अवधि के लिये कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है जिसके दौरान 3,000 रुपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति भी दी जाती है।
- **प्रधानमंत्री दक्षता एवं कुशलता संपन्न हितग्राही योजना (PM-DAKSH):** अनुसूचित जाति के युवाओं (18-45 वर्ष के बीच की आयु) को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये वर्ष 2020-21 के दौरान इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसे तीन निगमों– राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

- **आर्थिक विकास से संबंधित अन्य प्रयास**
  - अनुसूचित जातियों के लिये ऋण वृद्धि गारंटी योजना
  - राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय और विकास निगम
  - अनुसूचित जाति उप-योजना के लिये विशेष केंद्रीय सहायता
  - अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता प्रदान करने की केंद्र प्रायोजित योजना
  - हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिये स्वरोज़गार योजना
  - अनुसूचित जातियों के लिये उद्यम पूंजी निधि
  - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
  - सामाजिक सशक्तीकरण की योजना
  - पिछड़े वर्गों के लिये उद्यम पूंजी कोष

शैक्षिक योजनाएँ

- कक्षा IX और X में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
- साफ-सफाई और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जोखिमपूर्ण व्यवसाय में रत व्यक्तियों के बच्चों के लिये मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति योजना
- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की योग्यता का उन्नयन
- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति
- 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-13 से 2016-17 तक) के लिये अनुसूचित जाति इत्यादि के अभ्यर्थियों के लिये राष्ट्रीय समुद्रपारी छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्रक योजना
- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये फैलोशिप
- बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना
- अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिये नि:शुल्क कोचिंग योजना
- ओ.बी.सी. छात्रों के लिये मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
- अन्य पिछड़े वर्गों के लिये मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजना
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति
- अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप
- अन्य पिछड़े वर्गों के बालक-बालिकाओं के लिये छात्रावास निर्माण
- विमुक्त, घुमंतू तथा अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के बालक-बालिकाओं के लिये छात्रावासों के निर्माण की नानाजी देशमुख योजना
- एन.बी.सी.एफ.डी.सी. (NBCFDC) की शिक्षा ऋण योजना
- अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित छात्रों को ओवरसीज अध्ययन के लिये शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉ. आंबेडकर योजना
- डी.एन.टी. (DNT) के लिये मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति तथा मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित डॉ. आंबेडकर योजना
- ओ.बी.सी. तथा अन्य लोगों के लिये वाइब्रेंट इंडिया के तहत पी.एम. यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (PM-YASASVI)

गैर-सरकारी संगठनों के लिये योजना

- अनुसूचित जातियों के लिये कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों और अन्य संगठनों को अनुदान सहायता योजना
- ओ.बी.सी. के कल्याण के लिये कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता योजना
- मद्यपान एवं नशीली दवा दुरुपयोग निवारण योजना
- मद्यपान और नशीले पदार्थ दुरुपयोग की रोकथाम के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार योजना
- **अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY):** इस योजना की शुरुआत देश के वयोवृद्ध नागरिकों की सुरक्षा के लिये की गई है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिये वृद्धाश्रम का निर्माण किया जाएगा तथा उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सेवा प्रदान करने के लिये प्रत्येक ज़िले में केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा। पहले से चल रही वयोश्री योजना का इसमें विलय कर दिया गया है।
- **ई-अनुदान पोर्टल :** एन.जी.ओ. के लिये अनुदान सहायता योजनाओं हेतु ऑनलाइन पोर्टल।

संबंधित आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)

- यह एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना अनुसूचित जातियों और एंग्लो इंडियन समुदायों के शोषण के विरुद्ध उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने तथा उनकी रक्षा के लिये की गई थी।
- इसके लिये संविधान में विशेष प्रावधान किये गए थे। संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)

- प्रारंभ में इसका गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1993 के तहत किया गया था तथा वर्ष 2016 तक इसे 7 बार पुनर्गठित किया जा चुका है। पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) अधिनियम, 2018 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया है।

- वर्तमान आयोग (8वें) को 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 के माध्यम से गठित करके संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 338B को शामिल किया गया।
- आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें भारत सरकार के सचिव के समान रैंक और वेतन प्राप्त होता है।

राष्ट्रीय विमुक्त, खानाबदोश और अर्द्ध-खानाबदोश जनजाति आयोग (NCDNSNT)

- यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत गठित एक राष्ट्रीय आयोग है। यह देश में विमुक्त व घुमंतू जनजातियों के विकास संबंधी विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है।
- इसे पहली बार 22 नवंबर, 2003 को स्थापित किया गया था जिसे मार्च 2005 में पुनर्गठित किया गया। आयोग ने 6 फरवरी, 2006 से अपना कार्य प्रारंभ किया।
- फरवरी 2022 में इन समुदायों के कल्याण तथा आर्थिक सशक्तीकरण के लिये 'सीड' (SEED) योजना का शुभारंभ किया गया।

कमज़ोर एवं वंचितों का सशक्तीकरण

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को समाज के कमज़ोर एवं वंचित वर्गों के सशक्तीकरण का काम सौंपा गया है। मंत्रालय के लक्ष्य समूह में शामिल हैं–
  - अनुसूचित जाति
  - अन्य पिछड़ा वर्ग
  - वरिष्ठ नागरिक
  - मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार
  - विमुक्त, खानाबदोश और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ
  - भिक्षावृत्ति में संलग्न लोग
  - ट्रान्सजेंडर
- मंत्रालय लक्ष्य समूहों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिये विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को लागू कर रहा है। परिणामस्वरूप, इन समूहों के कल्याण में काफी सुधार हुआ है। वर्ष 1931 के बाद जातिगत जनगणना बंद होने के कारण ओ.बी.सी. के लिये अलग जनसांख्यिकीय डाटा उपलब्ध नहीं है।
- मंडल आयोग ने कुल जनसंख्या का 52% ओ.बी.सी. आबादी होने का अनुमान लगाया था। इसी तरह मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार लोगों के लिये प्रामाणिक डाटा उपलब्ध नहीं है। अनुमानों के अनुसार न्यूनतम 1% आबादी व्यसन में संलग्न समझी जाती है।
  - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है।
- मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान एल्डर लाइन योजना के तहत वृद्धजनों की समस्याओं को दूर करने के लिये प्रमुख राज्यों में राज्यवार कॉल सेंटर शुरू किये। इन कॉल सेंटरों पर टोल-फ्री नंबर 14567 के ज़रिये संपर्क किया जा सकता है। इसको एल्डर लाइन टाटा ट्रस्ट और एन.एस.ई. फाउंडेशन की सहायता से संचालित किया गया।
- मंत्रालय ने अत्याचारों के विरुद्ध एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन (NHAA) शुरू की है। यह हेल्पलाइन देश भर में हिंदी, अंग्रेज़ी और राज्य/केंद्र-शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में टोल-फ्री नंबर 14566 पर उपलब्ध है। इसका उद्देश्य अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना, भेदभाव को समाप्त करना तथा सभी को सुरक्षा प्रदान करना है।

महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन

विश्व स्वास्थ्य संगठन

परिचय

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization - WHO) स्वास्थ्य के लिये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी।
- यह स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, दुनिया को सुरक्षित रखने तथा कमज़ोर समुदायों की सेवा के लिये राष्ट्रों, साझेदारों और लोगों को आपस में जोड़ता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्थान पर उच्चतम स्तर की स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सके।
- डब्ल्यू.एच.ओ. दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में नेतृत्व प्रदान करने, स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार देने, नियम व मानक तय करने, प्रमाण आधारित नीतिगत विकल्प पेश करने, देशों को तकनीकी समर्थन प्रदान करने और स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी एवं आकलन करने के लिये ज़िम्मेदार है।

मुख्यालय

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसके सदस्य देशों की संख्या 194 है। डब्ल्यू.एच.ओ. का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में स्थित है।

- भारत में डब्ल्यू.एच.ओ. के कार्यालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

डब्ल्यू.एच.ओ. का महानिदेशक

- डब्ल्यू.एच.ओ. का महानिदेशक इसका मुख्य तकनीकी और प्रशासनिक अधिकारी होता है।
- विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से महानिदेशक का चुनाव किया जाता है।
- डब्ल्यू.एच.ओ. के वर्तमान महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस (इथियोपिया) की नियुक्ति मई 2022 में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में की गई थी। यह उनका दूसरा कार्यकाल है।
  - विदित है कि एक महानिदेशक को दो बार नियुक्त किया जा सकता है।
- कनाडा के डॉ. जॉर्ज ब्रॉक चिशोल्म वर्ष 1948 में डब्ल्यू.एच.ओ. के पहले महानिदेशक नियुक्त किये गए थे तथा उन्होंने ही सबसे पहले 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (WHO) नाम का प्रस्ताव दिया था।

प्रशासन

विश्व स्वास्थ्य सभा

- यह डब्ल्यू.एच.ओ. का निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किये गए एक विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- इसके मुख्य कार्यों में संगठन की नीतियों का निर्धारण, महानिदेशक की नियुक्ति, वित्तीय नीतियों की निगरानी, प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा करना व उसे स्वीकृत करना आदि शामिल हैं।
- स्वास्थ्य सभा की बैठक प्रतिवर्ष स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में आयोजित की जाती है। आगामी विश्व स्वास्थ्य सभा (76वीं) मई 2023 में आयोजित की जाएगी।

कार्यकारी बोर्ड

- यह तकनीकी रूप से योग्य 34 सदस्यों से बना निकाय है जो तीन वर्ष के कार्यकाल के लिये चुने जाते हैं।
  - विदित है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण वर्तमान में कार्यकारी बोर्ड का हिस्सा हैं।
- इसका मुख्य कार्य स्वास्थ्य सभा के निर्णयों और नीतियों को लागू करना तथा आवश्यक सलाह देना है, अर्थात् यह स्वास्थ्य सभा के काम को सुविधाजनक बनाता है।
- कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष पद का चयन डब्ल्यू.एच.ओ. के छह क्षेत्रीय समूहों में से रोटेशन के आधार पर किया जाता है तथा इसका कार्यकाल एक वर्ष का होता है।
  - डब्ल्यू.एच.ओ. सदस्य देशों को छह क्षेत्रीय समूहों में बाँटा गया है तथा प्रत्येक का एक क्षेत्रीय कार्यालय होता है। ये छह क्षेत्र हैं– अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र।

सचिवालय

- डब्ल्यू.एच.ओ. के सचिवालय में दुनिया भर के 150 से अधिक देशों में स्थित कार्यालयों, जेनेवा स्थित मुख्यालय, छह क्षेत्रीय कार्यालयों और अन्य स्टेशनों के विशेषज्ञ, कर्मचारी तथा फील्ड कार्यकर्ता शामिल हैं।
- विभिन्न देशों में काम करने वाले डब्ल्यू.एच.ओ. कर्मचारी स्वास्थ्य मंत्रालयों एवं अन्य क्षेत्रों को सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर सलाह देते हैं तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना बनाने, उन्हें लागू करने और निगरानी करने में सहयोग प्रदान करते हैं।
- डब्ल्यू.एच.ओ. की आठ हज़ार से अधिक पेशेवरों की टीम में डॉक्टर, महामारी विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और प्रबंधक सहित दुनिया के प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं। यह टीम स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिये वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करने, परोपकार को बढ़ावा देने, बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच का विस्तार करने से संबंधित कार्य करती है।
- दक्षिण-पूर्व एशिया के लिये डब्ल्यू.एच.ओ. के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह कार्यरत हैं।
  - भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की सदस्य डॉ. सिंह वर्ष 2014 में दक्षिण-पूर्व एशिया के लिये डब्ल्यू.एच.ओ. क्षेत्रीय निदेशक का पद ग्रहण करने वाली पहली महिला बनीं।

डॉ. सौम्या स्वामीनाथन– डब्ल्यू.एच.ओ. की मुख्य वैज्ञानिक

- डॉ. सौम्या स्वामीनाथन को मार्च 2019 में डब्ल्यू.एच.ओ. की पहली मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया था। ये भारत की एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं तथा तपेदिक और एच.आई.वी. पर वैश्विक मान्यता प्राप्त शोधकर्ता हैं।
- डॉ. स्वामीनाथन वर्ष 2015 से 2017 तक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिये भारत सरकार की सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की महानिदेशक रह चुकी हैं।
- वर्ष 2009 से 2011 तक इन्होंने जेनेवा में उष्णकटिबंधीय रोगों में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिये यूनिसेफ/यू.एन.डी.पी./विश्व बैंक/डब्ल्यू.एच.ओ. के विशेष कार्यक्रमों में समन्वयक के रूप में भी काम किया है।

अन्य कार्यालय

जेनेवा मुख्यालय के अलावा डब्ल्यू.एच.ओ. वर्तमान में विभिन्न आउटपोस्ट कार्यालयों (Outposted Offices) का संचालन करता है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं–

- पैंडेमिक और एपिडेमिक आसूचना के लिये डब्ल्यू.एच.ओ. हब, बर्लिन (जर्मनी)
- संयुक्त राष्ट्र में डब्ल्यू.एच.ओ. का कार्यालय, न्यूयॉर्क (यू.एस.ए.)
- डब्ल्यू.एच.ओ. का ल्योन कार्यालय (फ्राँस)
- डब्ल्यू.एच.ओ. सेंटर फॉर हेल्थ डेवलपमेंट, कोबे (जापान)
- डब्ल्यू.एच.ओ. अकादमी, ल्योन (फ्राँस)
  - यह स्वास्थ्य में सुधार के लिये प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिये डब्ल्यू.एच.ओ. का एक शिक्षण केंद्र है तथा फ्राँस अकादमी के विकास के लिये प्रमुख निवेशक है।
  - यह सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के तहत स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, डब्ल्यू.एच.ओ. और संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों, नीति निर्माताओं व अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मियों को व्यक्तिगत एवं स्वास्थ्य शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करती है।
- डब्ल्यू.एच.ओ. ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जामनगर (भारत)
  - इसका उद्देश्य लोगों व पृथ्वी के स्वास्थ्य में सुधार के लिये आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया भर से पारंपरिक चिकित्सा क्षमता का दोहन करना है।
  - यह केंद्र आयुष मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा वित्तीय रूप से समर्थित है तथा विश्व में पारंपरिक चिकित्सा के लिये पहला और एकमात्र वैश्विक आउटपोस्ट केंद्र (Global Outpost Centre) है।
- डब्ल्यू.एच.ओ. बुडापेस्ट केंद्र (हंगरी)
- ग्लोबल सर्विस सेंटर, कुआलालंपुर (मलेशिया)

डब्ल्यू.एच.ओ. सहयोगी केंद्र

- इसके सहयोगी केंद्र अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालयों या अकादमियों जैसे संस्थान हैं जिन्हें इस संगठन के कार्यक्रमों के समर्थन में गतिविधियों को चलाने के उद्देश्य से डब्ल्यू.एच.ओ. महानिदेशक द्वारा नामित किया गया है।
- वर्तमान में नर्सिंग, पेशेवर स्वास्थ्य, संचारी रोग, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, पुरानी बीमारियों और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में डब्ल्यू.एच.ओ. के 80 से अधिक सदस्य देशों में 800 से अधिक डब्ल्यू.एच.ओ. सहयोगी केंद्र हैं।
- इनके प्रमुख कार्यों में सूचनाओं का संग्रह, मिलान और प्रसार; उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास व अनुप्रयोग; अनुसंधान प्रशिक्षण सहित प्रशिक्षण प्रदान करना; विभिन्न संस्थानों की गतिविधियों का समन्वय करना आदि शामिल हैं।

डब्ल्यू.एच.ओ. का वित्तपोषण

- **अनुमानित योगदान (Assessed Contribution):** संगठन के सभी सदस्यों और सहयोगी सदस्यों को वार्षिक आधार पर भुगतान करना होता है। मूल्यांकन पैमाने की गणना संयुक्त राष्ट्र द्वारा मुख्यत: देश की जी.डी.पी. के आधार पर की जाती है। इसे विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा प्रति दो वर्ष में अनुमोदित किया जाता है तथा यह संगठन के वित्तपोषण का मुख्य स्रोत है।
- **निर्दिष्ट स्वैच्छिक योगदान (Specified Voluntary Contributions):** अनुमानित योगदान के अतिरिक्त सदस्य देशों द्वारा दी गई राशि इस योगदान के अंतर्गत आती है। अन्य योगदानों में होने वाली कमी के अधिकांश भाग को स्वैच्छिक योगदान द्वारा ही पूरा किया जाता है।
- **कोर स्वैच्छिक योगदान (Core Voluntary Contributions):** ऐसी गतिविधियाँ जिनमें संसाधनों के बेहतर प्रवाह और कार्यान्वयन में अवरोध समाप्त करने के लिये तत्काल वित्तपोषण की आवश्यकता होती है, वे कोर स्वैच्छिक योगदान द्वारा वित्तपोषित होती हैं।
- **पी.आई.पी. योगदान (PIP Contributions):** वर्ष 2011 में इन्फ्लुएंज़ा वायरस महामारी की क्षमता को साझा करने के साथ इसमें सुधार लाने तथा विकासशील देशों को टीके और अन्य आपूर्ति में वृद्धि करने के लिये महामारी इन्फ्लुएंज़ा तैयारी (PIP) योगदान शुरू किया गया था।
- **लचीला वित्तपोषण (Flexible Funding):** ये वे कोष हैं जिनका उपयोग और आवंटन अपने अनुमोदित कार्यक्रम बजट के भीतर आवश्यकतानुसार किया जा सकता है जो कि वैश्विक स्वास्थ्य की बदलती मांगों के साथ परिवर्तित किया जा सकता है।
- **सतत् वित्तपोषण कार्यकारी समूह (Sustainable Financing Working Group):** डब्ल्यू.एच.ओ. के कार्यकारी बोर्ड ने एक निर्णय द्वारा 'सतत् वित्तपोषण कार्यकारी समूह' की भी स्थापना की है जिसका उद्देश्य डब्ल्यू.एच.ओ. से दुनिया की अपेक्षाओं और संगठन के वित्तीय संसाधनों के अंतराल को भरना है।

डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा शुरू की गई पहलें

- **राष्ट्रीय एम.-हेल्थ प्रोग्रामिंग के लिये मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करना :** मोबाइल और वायरलेस तकनीकों के माध्यम से दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा वितरण करने के लिये 'Be He@lthy, Be Mobile' (BHBM) नामक पहल वर्ष 2012 में डब्ल्यू.एच.ओ. तथा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा शुरू की गई थी।
- वर्ष 1996 में डब्ल्यू.एच.ओ. ने वर्ष 2020 तक ट्रेकोमा के वैश्विक उन्मूलन (GET2020) के लिये गठबंधन की शुरुआत

की जो महामारी विज्ञान मूल्यांकन, निगरानी, परियोजना मूल्यांकन और संसाधन जुटाने एवं राष्ट्रीय क्षमता को मज़बूत करने का समर्थन करता है।

- **सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन पहल :** अगस्त 2020 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन के लिये वैश्विक रणनीति को अपनाया। इसके तहत सभी देशों को सर्वाइकल कैंसर के मामले प्रति एक लाख महिलाओं पर चार से नीचे लाए जाने की आवश्यकता है।
- सभी के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिये 'व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना' (2013-30) की शुरुआत की गई।
- **स्वस्थ वृद्धावस्था का संयुक्त राष्ट्र दशक (United Nations Decade of Healthy Ageing : 2021-30):** यह एक वैश्विक सहयोग है जो सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ संरेखित है तथा वृद्ध लोगों व उनके परिवारों के जीवन में सुधार लाने के लिये सरकारों, नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, पेशेवरों, शिक्षाविदों, मीडिया और निजी क्षेत्र को एक मंच पर लाता है।
- नवंबर 2020 में विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र (संकल्प WHA73.9) द्वारा वर्ष 2030 तक मेनिनजाइटिस (Meningitis) से निपटने के लिये वैश्विक रोडमैप को मंज़ूरी दी गई है।
- **पीत ज्वर महामारी उन्मूलन (Eliminate Yellow Fever Epidemics : EYE) रणनीति (2017–26):** इसका विकास गावी (GAVI), यूनिसेफ और डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
- वर्ष 2014 में यूनिसेफ एवं डब्ल्यू.एच.ओ. के नेतृत्व में ग्लोबल एवरी न्यूबॉर्न एक्शन प्लान (ENAP) लॉन्च किया गया जो रोकथाम योग्य नवजात मृत्यु दर और मृत जन्म को समाप्त करने तथा मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिये रणनीतिक कार्रवाइयों का रोडमैप प्रदान करता है।
- संयुक्त राष्ट्र पोषण कार्रवाई दशक (2016-25) पोषण स्तर को बढ़ाने और कुपोषण के सभी रूपों के उन्मूलन के लिये 10 वर्षीय प्रतिबद्धता है।
- डब्ल्यू.एच.ओ. ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर वर्ष 2018 में 'सफर' (SAFER) पहल की शुरुआत की जो शराब से होने वाले नुकसान को कम करने के लिये लागत प्रभावी तरीके सुझाता है।
- ग्लोबल हेल्थ एंड एनर्जी प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन (HEPA) का उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा के लिये स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना है।
- फिल्मों के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी आंदोलन के लिये 'हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल' (HAFF) की शुरुआत की गई जिसका चौथा संस्करण वर्ष 2023 में आयोजित किया जाएगा।
- डब्ल्यू.एच.ओ. ने वर्ष 2015 में 'वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध एवं निगरानी प्रणाली का उपयोग' (GLASS) नामक पहल शुरू की जो रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) निगरानी को मानकीकृत करने वाला पहला वैश्विक सहयोगी प्रयास है।
- **वैश्विक स्तन कैंसर पहल (GBCI):** यह डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा वर्ष 2021 में शुरू की गई पहल है जो स्तन कैंसर पर स्वास्थ्य प्रणालियों को मज़बूत करने के लिये सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करती है।
- मई 2020 में डब्ल्यू.एच.ओ., कोस्टारिका सरकार और अन्य साझेदारों ने सभी देशों में लोगों के लिये कोविड-19 स्वास्थ्य उत्पादों तक समान एवं सस्ती पहुँच के उद्देश्य से 'कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल' (C-TAP) लॉन्च किया जो वर्तमान में 45 सदस्य देशों द्वारा समर्थित है।

डब्ल्यू.एच.ओ. के पाँच सबसे बड़े योगदानकर्ता (2020-21)

1. जर्मनी
2. बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
3. संयुक्त राज्य अमेरिका
4. यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी आयरलैंड
5. यूरोपीय आयोग

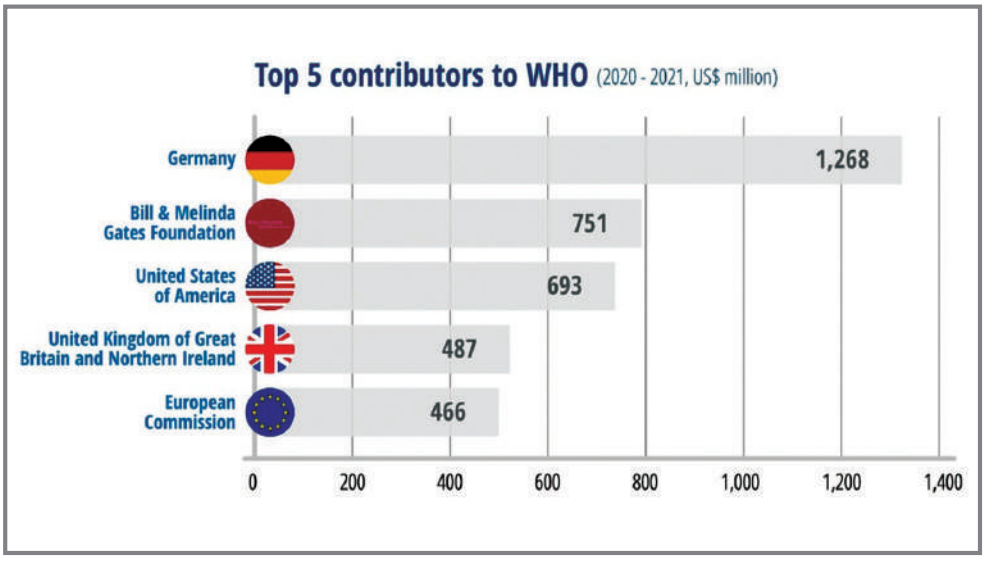

विविध

महत्त्वपूर्ण शब्दावली (Important Terminology)

रोग नेशन (Rogue Nation)

इस शब्द का प्रयोग ऐसे देशों के लिये किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय विधियों का उल्लंघन करने के साथ-साथ अन्य राष्ट्रों की सुरक्षा के लिये भी खतरा पैदा करते हैं। जिन देशों ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं या इस संधि से बाहर हो गए हैं, सामान्यत: ऐसे देशों के लिये इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है।

कंट्रोल फायरलाइन (Control Fireline)

'कंट्रोल फायरलाइन' कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से निर्मित एक ऐसी सीमा-रेखा होती है जिसके पार आग को नियंत्रित करने व बढ़ने से रोकने का प्रयास विभिन्न तरीकों से किया जाता है। इसके लिये अग्निरोधी वनस्पतियों को उगाने के साथ-साथ आग को फैलने से रोकने में सहायक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है।

रिवर्स ऑक्शन (Reverse Auction)

'रिवर्स ऑक्शन' एक नीलामी प्रक्रिया है, इसमें क्रेता और विक्रेता की पारंपरिक भूमिकाएँ उलट जाती हैं, अर्थात् रिवर्स ऑक्शन में विभिन्न विक्रेता उन कीमतों को प्राप्त करने के लिये बोली लगाते हैं जिन पर वे अपना माल और सेवाएँ बेचना चाहते हैं। वस्तुत: नीलामी की परंपरागत प्रक्रिया में किसी वस्तु की बिक्री के लिये कई क्रेता प्रतिस्पर्द्धी बोलियाँ लगाते हैं, जबकि रिवर्स ऑक्शन में किसी वस्तु का एक क्रेता और कई संभावित विक्रेता होते हैं। रिवर्स ऑक्शन को 'गिरते मूल्य की नीलामी प्रक्रिया' भी कहते हैं। सरकारी अनुबंधों के लिये बोली लगाना रिवर्स ऑक्शन का एक उदाहरण है।

ब्लू चिप कंपनियाँ (Blue Chip Companies)

'ब्लू चिप कंपनियों' से तात्पर्य ऐसी कंपनियों से है जिनका वार्षिक टर्नओवर तथा बाज़ार पूंजीकरण अपेक्षाकृत अधिक होता है। दीर्घकाल में ऐसी कंपनियों के शेयर से लाभ होने की संभावना अधिक होती है। ध्यातव्य है कि बाज़ार पूंजीकरण से तात्पर्य एक शेयर के मूल्य एवं व्यापार योग्य उपलब्ध शेयर की संख्या के गुणनफल से है।

खाद्य पोषीकरण (Food Fortification)

'खाद्य पोषीकरण' से तात्पर्य, किसी खाद्य पदार्थ में विटामिन या खनिज जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया से है, ताकि इन खाद्य पदार्थों के पोषण मान में सुधार हो सके और न्यूनतम लागत पर सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ मिल सके।

फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (Free Float Market Capitalization)

'फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइज़ेशन' कंपनी के बाज़ार पूंजीकरण की गणना करने की क्रियाविधि है जिसमें 'फ्री शेयर' को शामिल किया जाता है। इन शेयरों का खुले बाज़ार में सक्रिय रूप से कारोबार होता है जिसमें कंपनी के प्रमोटर्स और सरकार के शेयरों को शामिल नहीं किया जाता है।

ब्राउन कार्बन 'टारबॉल' (Brown Carbon 'Tarballs')

ये प्रकाश अवशोषित करने वाले अत्यंत छोटे और खतरनाक कार्बन कण होते हैं जो बायोमास या जीवाश्म ईंधन के दहन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। इनमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन (कम मात्रा में), सल्फर व पोटेशियम की सूक्ष्म मात्रा भी शामिल होती है।

डिजिटल फॉरेंसिक (Digital Forensic)

डिजिटल फॉरेंसिक के तहत कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सर्वर या डिजिटल मीडिया नेटवर्क के ज़रिये साक्ष्यों को खोजा जाता है। इसमें एक कुशल फॉरेंसिक टीम द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों के माध्यम से जटिल डिजिटल आपराधिक मामलों को हल किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिये न्यायालय की सहमति आवश्यक है।

संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality)

- डॉ. आंबेडकर के अनुसार, 'संवैधानिक नैतिकता का अर्थ किसी कीमत पर अपने हितों को प्राप्त करने के लिये काम कर रहे विभिन्न समूहों या विभिन्न लोगों के विरोधाभाषी हितों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना और प्रशासनिक सहयोग से बिना किसी टकराव के मुद्दों का समाधान करना है।'
- संवैधानिक नैतिकता को व्याख्यायित करने वाले तत्त्वों में विधि का शासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति एवं पसंद की स्वतंत्रता, विधि सम्यक् प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, समानता का अधिकार और सामाजिक न्याय आदि शामिल हैं।

हाइपरलूप (Hyperloop)

हाइपरलूप परिवहन का पाँचवां तथा नवीनतम मोड है जिसके माध्यम से हवाई जहाज़ की अपेक्षा भी तीव्र यात्रा संभव है। इसमें सील्ड ट्यूब्स, चुंबकीय तकनीक से लैस ट्रैक के ऊपर तैरते हुए चलेंगी जिनके ज़रिये लोग बिना किसी घर्षण और एयर रेजिस्टेंस के 1,100 से 1,200 किमी. प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकते हैं। वर्जिन हाइपरलूप कंपनी द्वारा लॉस वेगास से नेवादा तक इसका पहला सफल परीक्षण किया गया है।

डार्क वेब (Dark Web)

यह इंटरनेट का वह हिस्सा या ऐसी वेबसाइट है जो सामान्यत: पब्लिक की पहुँच में नहीं होती हैं। इनके आई.पी. एड्रेस विवरणों को

जान-बूझकर छिपा कर रखा जाता है। साथ ही, इनके सर्वर को खोज पाना बहुत मुश्किल होता है। डार्क वेब का उपयोग गैर-कानूनी कार्यों, जैसे– अवैध वस्तुएँ, बाल तस्करी और सरकारी गोपनीय दस्तावेज़ों की सौदेबाज़ी में किया जाता है।

फिशिंग (Phishing)

सामान्यत: काँटे में चारा लगाकर मछली पकड़ने की प्रक्रिया को फिशिंग (Fishing) कहा जाता है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में फिशिंग या इलेक्ट्रॉनिक जालसाज़ी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपराधी द्वारा किसी विश्वसनीय इकाई (आई.टी. प्रशासक, बैंक या भुगतान ऐप) का मुखौटा धारण कर लक्षित व्यक्ति या संस्था की गोपनीय जानकारी (नाम, खाता संख्या, डेबिट या क्रेडिट कार्ड विवरण तथा पासवर्ड) हासिल करने का प्रयास किया जाता है।

द्विपक्षीय नेटिंग (Bilateral Netting)

यह वित्तीय संविदाओं के निपटारे की एक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत भुगतान के समय प्रत्येक पक्ष द्वारा भुगतान राशि की गणना करने के पश्चात् एकल भुगतान दायित्व निकाला जाता है। सकल राशि में प्राप्त अंतर का भुगतान शुद्ध देनदारी के रूप में संबंधित पक्ष द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था के तहत अनुबंधित कर्ज़, निपटान, नकदी और अन्य जोखिमों को कम किया जाता है।

बहुपक्षवाद या बहुलवाद (Multilateralism)

बहुपक्षवाद एक अवधारणा है जिसके तहत विभिन्न पक्षों को साथ लेकर चलने, उनकी राय का सम्मान करने और आपसी सहयोग से विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किये जाते हैं। इसके तहत कम-से-कम तीन पक्ष या सरकारें किसी मुद्दे या समस्या के समाधान की प्रक्रिया में भाग लेती हैं। यह सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया में एकपक्षवाद (unilateralism) को हतोत्साहित कर कमज़ोर पक्षों/देशों की सहभागिता का समर्थन करता है।

नियो बैंक (Neo Bank)

'नियो बैंक' से तात्पर्य ऐसी वित्तीय प्रौद्योगिकी फर्मों (फिनटेक) से है जो केवल ऑनलाइन माध्यम से ग्राहकों तक सभी वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं। किसी भी स्थान पर इनकी कोई भौतिक शाखा उपलब्ध नही होती है।

सुपर ऐप (Super App)

सुपर ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। सुपर ऐप उस तकनीकी परिस्थिति में देश के अनुकूल होता है जब देश की बड़ी आबादी स्मार्ट फोन पर निर्भर हो जाती है। टाटा ग्रुप इस वर्ष के अंत तक एक 'ऑल-इन-वन' सुपर ऐप लॉन्च करने की योजना बना रहा है।

क्षणिक संदेश सेवा (Ephemeral Messaging)

क्षणिक संदेश सेवा या डिसपियरिंग मैसेजिंग, मल्टीमीडिया संदेशों का मोबाइल-टू-मोबाइल ट्रान्समिशन है। इसमें संदेश, प्राप्तकर्ता द्वारा देखे जाने के बाद मोबाइल स्क्रीन से स्वत: गायब हो जाता है। संदेशों की गोपनीयता का स्तर बढ़ाने के लिये इस सेवा का इस्तेमाल टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप जैसे विभिन्न ऐप द्वारा किया जा रहा है।

हैट हैकर (Hat Hacker)

- **व्हाइट हैट हैकर :** यह हैकर सामान्य रूप से सरकार या किसी बड़ी संस्था के लिये या लोगों की सुरक्षा के लिये हैकिंग करते हैं। इन्हें 'एथिकल हैकर' के रूप में भी जाना जाता है।
- **ब्लैक हैट हैकर :** ये अपनी दक्षता का गलत इस्तेमाल करके गैर-कानूनी काम करने वाले हैकर होते हैं। जैसे किसी की निजी जानकारियाँ चुराना, किसी के एकाउंट को हैक करना और उन जानकारियों का ऑनलाइन इस्तेमाल पैसा कमाने में करना। इनको क्रैकर्स भी कहा जाता है।
- **ग्रे हैट हैकर :** इस श्रेणी के हैकर ब्लैक और व्हाइट का सम्मिश्रण होते हैं जो कुछ समय के लिये अच्छा काम करते हैं, लेकिन कभी-कभी गैर-कानूनी काम भी करते हैं।

तकनीकी मंदी (Technical Recession)

तकनीकी मंदी का अभिप्राय अर्थव्यवस्था में एक प्रकार की मंदी से है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में लगातार दो तिमाही तक संकुचन की स्थिति बनी रहती है, अर्थात् जी.डी.पी. दर ऋणात्मक रहती है अथवा इसमें गिरावट आती है। तकनीकी मंदी मुख्यत: किसी घटना विशेष के कारण उत्पन्न होती है। भारत ने पहली बार वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम छमाही में 'तकनीकी मंदी' में प्रवेश किया है।

माइक्रोवेव वेपन्स (Microwave Weapons)

'माइक्रोवेव वेपन्स' विद्युत-चुंबकीय हथियार होते हैं जिनमें उच्च ऊर्जा वाली लक्षित किरणों (Focused high energy rays) को लक्ष्य पर छोड़ा जाता है। ये हथियार शरीर का तापमान 50°C तक बढ़ा देते हैं जिससे शरीर में पानी की कमी होने से शरीर कमज़ोर हो जाता है। हालाँकि, इनसे किसी गंभीर चोट या मृत्यु जैसा खतरा नहीं होता है। इनको 'डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स' भी कहा जाता है।

वेबिनार (Webinar)

वेबिनार शब्द 'वेब' और 'सेमिनार' का संयुक्त रूप है। यह वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाने वाला इवेंट होता है। इसमें विशेष रूप से ऑनलाइन दर्शकों द्वारा भाग लिया जाता है। वेबिनार के विकल्प के रूप में उपयोग किये जाने वाले अन्य शब्द वेब इवेंट, ऑनलाइन सेमिनार, वेब लेक्चर और वर्चुअल इवेंट हैं।

डीप वेब (Deep Web)

'डीप वेब' वर्ल्ड वाइड वेब के ऐसे भाग हैं जिनकी सामग्री मानक वेब सर्च-इंजन द्वारा अनुक्रमित नहीं की जाती है, अर्थात् सर्च इंजन के रिजल्ट से इन सामग्रियों तक नहीं पहुँचा जा सकता है। डीप वेब के किसी डॉक्यूमेंट तक पहुँचने के लिये उसके यू.आर.एल. एड्रेस पर जाकर लॉग इन करना पड़ता है। इनमें एकाउंट, ब्लॉगिंग सहित अन्य वेबसाइटें शामिल हैं। डीप वेब को 'इनविजिबल वेब' या 'हिडन वेब' भी कहा जाता है। 'सरफेस वेब' इसके विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होने वाला पद है।

महत्त्वपूर्ण व्यक्ति एवं नियुक्तियाँ

व्यक्ति	*नियुक्ति/इस्तीफा*
संगीता वर्मा	भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) की कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त
शेफाली जुनेजा	संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष नामित
एलिज़ाबेथ जोन्स	संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में प्रभारी नियुक्त
आध्यात्मिक नेता माता अमृतानंदमयी	सी-20 (C 20) समूह की अध्यक्ष नियुक्त
जे.वाई. ली	सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक के कार्यकारी अध्यक्ष नामित
राजेश रंजन	आइवरी कोस्ट में अगले भारतीय राजदूत नामित
डॉ. जी. हेमाप्रभा	वर्ष 2024 तक आई.सी.ए.आर.-गन्ना प्रजनन संस्थान की निदेशक नियुक्त
वी.आर. कृष्णा गुप्ता	बी.पी.सी.एल. के अध्यक्ष नामित
विशाल कपूर	एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसेज़ लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त
डॉ. के. राधाकृष्णन	उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन एवं मान्यता को मज़बूत करने के लिये गठित उच्च-स्तरीय पैनल के अध्यक्ष
सुब्रकांत पांडा	फिक्की के अध्यक्ष नामित
के.वी. कामथ	रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त
किशोर के. बासा	राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष नामित
मोहम्मद तैय्यब इकराम	अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष चयनित
ऋतुराज अवस्थी	22वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त
गोपाल विट्ठल	ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन्स एसोसिएशन (GSMA) के उपाध्यक्ष नियुक्त
धनंजय वाई. चंद्रचूड़	भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त
रमेश केजरीवाल	ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चयनित
नीरज चोपड़ा	स्विट्ज़रलैंड पर्यटन बोर्ड द्वारा 'मैत्री राजदूत' नियुक्त
ग्रेग बार्कले	अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् के पुनः अध्यक्ष चयनित
गौरव द्विवेदी	प्रसार भारती के सी.ई.ओ. (CEO) नियुक्त
एम.एस. धोनी	नावी टेक्नोलॉजीज़ के ब्रांड एंबेसडर नामित

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी	नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नामित
सूरज भान	नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के अध्यक्ष नियुक्त
संध्या देवनाथन	मेटा की न्यू इंडिया हेड नियुक्त
अरुण कुमार सिंह	ओ.एन.जी.सी. के अध्यक्ष नियुक्त
अरुण गोयल	भारत के चुनाव आयुक्त नियुक्त
क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव	अर्बन गबरू के ब्रांड एंबेसडर नामित
सैयद आसिम मुनीर	पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख
अनवर इब्राहिम	मलेशिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त
अभिजीत बोस	व्हाट्सएप इंडिया प्रमुख के पद से इस्तीफा
राजीव अग्रवाल	मेटा इंडिया के सार्वजनिक नीति निदेशक पद से इस्तीफा

निधन

व्यक्ति	*संबंधित क्षेत्र*
पिनाकी चौधरी	राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता बंगाली फिल्म निर्देशक
निपोन गोस्वामी	वयोवृद्ध असमिया अभिनेता
नील पवन बरुआ	असम के प्रख्यात कलाकार
जमशेद ईरानी	स्टील मैन ऑफ इंडिया
एलाबेन भट्ट	सेवा फाउंडेशन की संस्थापक और महिला कार्यकर्ता
विजयकुमार मेनन	प्राचीन कला समीक्षक और ललित कला के विद्वान
मास्टर श्याम सरन नेगी	स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता
सर डेविड बटलर	आधुनिक निर्वाचन विज्ञान के जनक
आर.एल. कश्यप	प्रसिद्ध गणितज्ञ
केविन कॉनरॉय	बैटमैन फिल्म के वाक् अभिनेता
मेहरान करीमी नासेरी	18 वर्ष तक पेरिस एयरपोर्ट परिसर में रहने वाले ईरान के शरणार्थी
कृष्णा गरु	तेलुगू फिल्म सुपरस्टार
अब्बास मुंतसिर	प्रसिद्ध भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी
दलजीत कौर खंगूरा	दिग्गज पंजाबी अभिनेत्री
बाबू मणि	पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान
आरिज़ पिरोजशॉ खंबाटा	रसना के संस्थापक

महत्त्वपूर्ण खेल घटनाक्रम

सुल्तान जौहर कप

- **आयोजन स्थल** : तमन दया हॉकी स्टेडियम, जौहर बाहरू, मलेशिया
- **विजेता** : भारत
- **उपविजेता** : ऑस्ट्रेलिया
- भारत ने तीसरी बार यह टूर्नामेंट जीता है।

फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप

- **आयोजन स्थल** : डी.वाई. पाटिल स्टेडियम (नवी मुंबई), पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (गोवा) एवं कलिंग स्टेडियम (भुवनेश्वर)
- **विजेता** : स्पेन
- **उपविजेता** : कोलंबिया
- **सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी** : विक्की लोपेज (स्पेन)

मेक्सिकन ग्रैंड प्रि. 2022

- **आयोजन स्थल** : ऑटोड्रोमो हरमनोस रोड्रिगेज, मेक्सिको
- **विजेता** : मैक्स वर्स्टापेन (रेड बुल), बेल्जियम
- **उपविजेता** : लुईस हैमिल्टन (मर्सिडीज), यूनाइटेड किंगडम

एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप

- **आयोजन स्थल** : नई दिल्ली
- **विजेता**
  - **महिला वर्ग** : पी.वी. नंदीधा
  - **पुरुष वर्ग** : आर. प्रज्ञानानंद

21वीं एशियन स्क्वैश टीम चैंपियनशिप

- **आयोजन स्थल** : चेओंगजू, दक्षिण कोरिया
- **पुरुष वर्ग**
  - **स्वर्ण** : भारत
  - **रजत** : कुवैत
  - **कांस्य** : हांगकांग एवं मलेशिया
- **महिला वर्ग**
  - **स्वर्ण** : हांगकांग
  - **रजत** : मलेशिया
  - **कांस्य** : भारत एवं दक्षिण कोरिया

बी.डब्ल्यू.एफ. (BWF) पैरा-बैडमिंटन चैंपियनशिप

- **आयोजन स्थल** : टोक्यो, जापान
- **पुरुष वर्ग**
  - **विजेता** : प्रमोद भगत (भारत)
  - **उपविजेता** : नीतीश कुमार (भारत)
- **महिला वर्ग**
  - **विजेता** : मनीषा रामदास (भारत)
  - **उपविजेता** : मैमिको टोयोडा (जापान)

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी

- **आयोजन स्थल** : ईडन गार्डन स्टेडियम, कोलकाता
- **विजेता** : मुंबई
- **उपविजेता** : हिमाचल प्रदेश

टी-20 क्रिकेट विश्व कप 2022

- **आयोजन स्थल** : ऑस्ट्रेलिया
- **विजेता** : इंग्लैंड (कप्तान- जोस बटलर)
- **उपविजेता** : पाकिस्तान (कप्तान- बाबर आज़म)
- **प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट** : सैम करन, इंग्लैंड
- सेमीफाइनल में इंग्लैंड से 10 विकेट से हारकर भारत इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया था।

ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रि. 2022

- **आयोजन स्थल** : साओ पाउलो
- **प्रथम** : जॉर्ज रसेल (मर्सिडीज)
- **द्वितीय** : लुईस हैमिल्टन (मर्सिडीज)
- **तृतीय** : कार्लोस सैंज (फेरारी)
- **चतुर्थ** : मैक्स वर्स्टापेन (रेड बुल)

22वाँ फीफा पुरुष विश्व कप 2022

- **आयोजन स्थल** : कतर
- **शुभंकर** : लाइब
  - यह कीफियेह से प्रेरित है जो अरब के पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक हेडड्रेस है।
  - लाइब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है– विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी।

- कतर इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करने वाला पहला अरब देश बन गया है, जबकि एशिया महाद्वीप में इसका आयोजन दूसरी बार किया जा रहा है।
  - वर्ष 2002 में पहली बार दो एशियाई देशों– जापान और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी की थी।
- विश्व कप के दौरान इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल का नाम 'अल रिहला' है। अरबी शब्द अल रिहला का अर्थ 'यात्रा' होता है। इसे जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी एडिडास ने बनाया है।
- अल रिहला पहली फीफा विश्व कप गेंद है जिसे विशेष रूप से पानी आधारित स्याही और गोंद का उपयोग कर बनाया गया है।
- इस विश्व कप में कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फैन्टिनो हैं।
- अगला फीफा विश्व कप वर्ष 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा।

अन्य तथ्य

- भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 'इक्विटी भुगतान नीति' के तहत केंद्रीय अनुबंधित पुरुष और महिला खिलाड़ियों को समान मैच फीस प्रदान करने की घोषणा की है।
- ट्रैक एशिया कप 2022 साइक्लिंग टूर्नामेंट का आयोजन एल.एन. सी.पी.ई. आउटडोर वेलोड्रोम, केरल में किया जाएगा। ट्रैक एशिया कप सबसे बड़ी साइकिल प्रतिस्पर्द्धा में से एक है।
- केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के ढेंकानाल में 'बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट' का उद्घाटन किया।
- भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 टी-20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् द्वारा अब्दुल कादिर (पाकिस्तान), शिवनरेन चंद्रपॉल (वेस्टइंडीज) और शार्लोट एडवर्ड्स (इंग्लैंड) को हाल ऑफ फेम में शमिल किया गया है।
- उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा इन चार शहरों में वर्ष 2023-24 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी करेगी।
- भारत वर्ष 2023 में महिला विश्व मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा।
- भारत के विराट कोहली टी-20 मैच में 4000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज़ बन गए हैं।
- 19 वर्षीय डेनिश खिलाड़ी होल्गर रुने ने छह बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को पराजित कर पेरिस में अपना पहला पुरुष एकल, 2022 मास्टर्स खिताब जीता।
- पी.वी. सिंधु ने वर्ष 2022 के लिये फिट इंडिया मूवमेंट की फिट इंडिया स्कूल वीक पहल का शुभंकर 'तूफान और तूफानी' लॉन्च किया।
- केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने कोच्चि, केरल में IBSA ब्लाइंड फुटबॉल महिला एशियाई/ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन किया।
- कबड्डी विश्व कप 2025 यूनाइटेड किंगडम के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार है जब कबड्डी विश्व कप एशिया से बाहर आयोजित किया जाएगा।
- विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् टी-20 विश्व कप 2022 की सबसे मूल्यवान टीम में शामिल किया गया है, जबकि हार्दिक पांड्या को 12वें खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है। जोस बटलर को टी-20 विश्व कप टीम का कप्तान बनाया गया है।
- प्राग हाफ-मैराथन के विजेता केन्याई एथलीट केनेथ किप्रोप रेनजू को संदिग्ध डोपिंग के लिये पाँच साल के लिये प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् ने घोषणा की कि वर्ष 2024 अंडर-19 पुरुषों का टी-20 विश्व कप श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा, जबकि वर्ष 2026 संस्करण जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया जाएगा।
- वर्ष 2025 में अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप मलेशिया और थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2027 अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप का आयोजन संयुक्त रूप से बांग्लादेश और नेपाल द्वारा किया जाएगा।
- ओलंपिक पदक विजेता एम.सी. मैरी कॉम, पी.वी. सिंधु, मीराबाई चानू और गगन नारंग को भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है।
- फ्रिजियन कैप को पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर चुना गया है।
- स्टार भारतीय पैडलर शरत कमल अचंता अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (ITTF) के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
- शिवा नरवाल ने दक्षिण कोरिया के डेगू में आयोजित एशियाई एयरगन चैंपियनशिप की पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है।
- फीफा के वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फैन्टिनो को फुटबॉल के शासी निकाय के प्रभारी के रूप में चार वर्ष के लिये पुनर्निर्वाचित किया गया है।
- जर्मन रेसिंग ड्राइवर सेबस्टियन वेट्टेल ने फॉर्मूला वन रेसिंग से संन्यास की घोषणा की है।
- भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं।

महत्त्वपूर्ण दिवस

क्र.सं.	दिवस/सप्ताह	तिथि	थीम/विषय/अन्य तथ्य
1.	विश्व शाकाहार दिवस	1 नवंबर	सामान्य भविष्य
2.	युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण क्षरण को रोकने के लिये अंतर्राष्ट्रीय दिवस	6 नवंबर	–
3.	राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस	7 नवंबर	–
4.	विश्व रेडियोग्राफी दिवस	8 नवंबर	रोगियों का समर्थन करने वाले रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर
5.	राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस	9 नवंबर	–
6.	शांति और विकास के लिये विश्व विज्ञान दिवस	10 नवंबर	सतत् विकास के लिये बुनियादी विज्ञान
7.	राष्ट्रीय शिक्षा दिवस	11 नवंबर	पाठ्यक्रम में बदलाव, शिक्षा में बदलाव
8.	विश्व निमोनिया दिवस	12 नवंबर	निमोनिया सभी को प्रभावित करता है
9.	विश्व मधुमेह दिवस	14 नवंबर	मधुमेह देखभाल तक पहुँच
10.	जनजातीय गौरव दिवस	15 नवंबर	भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में
11.	अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस	16 नवंबर	सहिष्णुता हमारी दुनिया की संस्कृतियों की समृद्ध विविधता, हमारी अभिव्यक्ति के रूपों और मानव होने के तरीकों का सम्मान, स्वीकृति और सराहना है।
12.	विश्व शौचालय दिवस	19 नवंबर	अदृश्य को दृश्यमान बनाना
13.	विश्व टेलीविज़न दिवस	21 नवंबर	संघर्षों, खतरों, शांति और सुरक्षा पर दुनिया का ध्यान आकर्षित कर निर्णय लेने पर टेलीविज़न के प्रभाव को स्वीकार करते हुए।
14.	महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिये अंतर्राष्ट्रीय दिवस	25 नवंबर	महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिये सक्रियता एवं एकजुटता
15.	भारतीय संविधान दिवस	26 नवंबर	26 नवंबर, 1949 को संविधान अपनाया गया
16.	राष्ट्रीय दुग्ध दिवस	26 नवंबर	–

महत्त्वपूर्ण पुरस्कार

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार (2021-22)

- **प्राप्तकर्ता :** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
- इस पुरस्कार की स्थापना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2009 में की थी।

राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार

- भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार (NFNA) प्रदान किये।
- राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नर्सों तथा नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं को मान्यता प्रदान करने के लिये की थी।

कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान, 2022

- **प्रदानकर्ता :** गांधी पीस फाउंडेशन
- **प्राप्तकर्ता :** आरफा खानम शेरवानी (द वायर की वरिष्ठ संपादक)
- विदित है कि वर्ष 2021 के पुरस्कार विजेता स्वतंत्र पत्रकार और यूट्यूबर अजीत अंजुम थे।

बेली के. एशफोर्ड मेडल 2022

- **प्रदानकर्ता :** अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन (ASTMH)
- **प्राप्तकर्ता :** भारतीय चिकित्सक और वैज्ञानिक डॉ. सुभाष बाबू
- उष्णकटिबंधीय चिकित्सा में विशिष्ट योगदान के लिये एक या एक से अधिक शोधकर्ताओं को प्रतिवर्ष यह पदक प्रदान किया जाता है।
- डॉ. सुभाष बाबू बेली के. एशफोर्ड पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं।
- 82 वर्ष के इतिहास में यह पदक किसी भी भारतीय व्यक्ति या भारतीय संस्थान को नहीं प्रदान किया गया था।

रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म ग्लोबल अवार्ड

- लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में केरल टूरिज़्म को प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
- केरल सरकार के पर्यटन मिशन द्वारा कार्यान्वित स्ट्रीट (Sustainable, Tangible, Responsible, Experiential, Ethnic, Tourism hub : STREET) परियोजना के लिये यह पुरस्कार दिया गया।

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, 2022

प्रमुख तथ्य

- युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, 2022 की घोषणा की। इस वर्ष पहली बार केवल ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए।
- इसके लिये चयन समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर थे। ये पुरस्कार 30 नवंबर को प्रदान किये गए।

मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड

- **खिलाड़ी :** शरत कमल अचंता
- **संबंधित क्षेत्र/खेल :** टेबल टेनिस

लाइफटाइम अचीवमेंट मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार

खिलाड़ी	संबंधित क्षेत्र/खेल
सुश्री अश्विनी अकुंजी सी.	एथलेटिक्स
धर्मवीर सिंह	हॉकी
बी.सी. सुरेश	कबड्डी
निर बहादुर गुरुंग	पैरा एथलेटिक्स

अर्जुन पुरस्कार

- इस वर्ष 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है जिनमें प्रमुख हैं–

खिलाड़ी	संबंधित क्षेत्र/खेल
सीमा पुनिया	एथलेटिक्स
लक्ष्य सेन	बैडमिंटन
निखत ज़रीन	बॉक्सिंग
आर. प्रज्ञानानंद	शतरंज
सुशीला देवी	जूडो
मानसी गिरीशचंद्र जोशी	पैरा बैडमिंटन
प्रणय एच.एस.	बैडमिंटन

द्रोणाचार्य अवार्ड

- **नियमित श्रेणी**

खिलाड़ी	संबंधित क्षेत्र/खेल
जीवनजोत सिंह तेजा	तीरंदाज़ी
मोहम्मद अली कमर	बॉक्सिंग
सुमा सिद्धार्थ शिरूर	पैरा शूटिंग
सुजीत मान	कुश्ती

- **लाइफटाइम अचीवमेंट श्रेणी**

खिलाड़ी	संबंधित क्षेत्र/खेल
दिनेश जवाहर लाड	क्रिकेट
बिमल प्रफुल्ल घोष	फुटबॉल
राज सिंह	कुश्ती

राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार

संस्थान	श्रेणी
ट्रान्सस्टेडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान एवं पोषण
कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन
लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन	विकास के लिये खेल

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (MAKA) ट्रॉफी 2022

- गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर

तेनज़िंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2021

- **प्रदानकर्ता :** युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
- यह पुरस्कार प्रतिवर्ष साहसिक कार्यों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिये दिया जाता है।

क्र.सं.	विजेता	श्रेणी
1.	नैना धाकड़	लैंड एडवेंचर
2.	शुभम धनंजय वनमाली	वाटर एडवेंचर
3.	कैप्टन कुँवर भवानी सामयाल	लाइफटाइम अचीवमेंट

53वाँ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

- भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के 53वें संस्करण का आयोजन 20 से 28 नवंबर के मध्य पणजी, गोवा में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में किया गया।
- इस फिल्म महोत्सव में फ्राँस को फोकस देश के रूप में चुना गया है। विदित है कि इसी वर्ष 75वें कान फिल्म समारोह में भारत को 'कंट्री ऑफ ऑनर' प्रदान किया गया था।

प्रमुख पुरस्कार		
गोल्डन पीकॉक पुरस्कार	स्पेनिश फिल्म– आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स	सर्वश्रेष्ठ फिल्म
सिल्वर पीकॉक पुरस्कार	ईरानी लेखक और निर्देशक नादेर सैइवर को 'नो एंड' के लिये	सर्वश्रेष्ठ निर्देशक
सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड	कार्लोस सौरा	स्पेनिश फिल्म निर्माता
इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार	चिरंजीवी	दक्षिण भारतीय अभिनेता

अन्य पुरस्कार

- केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी (NISA) को वर्ष 2020-21 के लिये राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी प्रदान की गई है।
- महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की फीचर फिल्म 'पाथेर पांचाली' को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है।
- मशहूर फिल्मकार एस.एस. राजामौली की फिल्म आरआरआर (RRR) को लॉस एंजिल्स में आयोजित सैटर्न अवार्ड्स 2022 में 'सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म' का सम्मान प्रदान किया गया।
- पश्चिम बंगाल सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना ने महिला एवं बाल विकास श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार जीता है।
- बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में योगदान के लिये पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम. कैनेडी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित 'फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर' सम्मान से सम्मानित किया। यह सम्मान उनके बेटे एडवर्ड एम. टेड केनेडी जूनियर को सौंपा गया।
- कर्नाटक सरकार ने दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया।
- कर्नाटक गायिका, संगीतकार, सहयोगी, मानवतावादी और वक्ता अरुणा साईराम को फ्राँस सरकार के सर्वोच्च सम्मान 'शेवेलियर डी ल'ऑर्डे डेस आर्ट्स एट डेस' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- प्रसिद्ध मलयालम कथा लेखक सेतु (ए. सेतुमाधवन) को मलयालम भाषा और साहित्य में उनके समग्र योगदान के लिये इस वर्ष केरल सरकार के प्रतिष्ठित 'एजुथाचन पुरस्कारम' के लिये चुना गया है।

- अमित दासगुप्ता को ऑस्ट्रेलिया-भारत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीज़न में मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।
- प्रसिद्ध मलयालम लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता एम.टी. वासुदेवन नायर को पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिये चुना गया।
- राज्य स्तरीय स्थानीय स्व-सरकारी संगठनों के सहयोग से संचालित केरल राज्य परिवहन निगम की 'ग्राम वंडी' पहल ने शहरी परिवहन में राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया।
- पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, दिवंगत कवि व लेखक गिरीश चंद्र तिवारी एवं दिवंगत पत्रकार वीरेन डंगवाल को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।
- पूर्ववर्ती शाही परिवार के सदस्य यदुवीर कृष्णराज चामराजा (YKC) वाडियार को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार के लिये चुना गया है।
- राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, हैदराबाद को 'इंडिया एग्रीबिज़नेस अवार्ड्स 2022' से सम्मानित किया गया।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा भोपाल रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता एवं पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिये 4-स्टार 'ईट राइट स्टेशन' प्रमाणन से सम्मानित किया गया।
- भारत में जन्मे नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को विज्ञान में उनकी विशिष्ट सेवा के सम्मान में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स-III द्वारा प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है।
- गूगल ने भारत के श्लोक मुखर्जी (कोलकाता) को गूगल डूडल प्रतियोगिता 2022 का विजेता घोषित किया।
- राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC) ने कॉर्पोरेट संचार उत्कृष्टता के लिये 16वें पब्लिक रिलेशन्स काउंसिल ऑफ इंडिया ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव 2022 में चैंपियन ऑफ चैंपियन्स अवार्ड जीता।
- थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में 'देश श्रेणी' में परिवार नियोजन में नेतृत्व (EXCELL) पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला भारत एकमात्र देश बन गया है।
- लेखक खालिद जावेद की 'द पैराडाइज ऑफ फूड' ने साहित्य के लिये पाँचवां जेसीबी पुरस्कार प्राप्त किया जिसका बारन फारूकी द्वारा उर्दू से अंग्रेज़ी में अनुवाद किया गया है।
- कथक प्रतिपादक उमा शर्मा को भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिये प्रतिष्ठित 'सुमित्रा चरत राम पुरस्कार' मिला है।
- सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिये यूनेस्को-मदनजीत सिंह पुरस्कार, 2022 कैमरून की फ्रांका मा-इह सुलेम योंग को प्रदान किया गया है।
- मूल रूप से कश्मीर घाटी के रहने वाले दानिश मंज़ूर भट को भारत के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित एक समारोह में जयपुर फुट यू.एस.ए. के पहले वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- असम की वन्यजीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को 'चैंपियन्स ऑफ द अर्थ' पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- RK'S INNO समूह के सबसे कम उम्र के संस्थापक और सी.ई.ओ. में से एक रवि कुमार सागर को प्रतिष्ठित डॉ. अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

महत्त्वपूर्ण पुस्तकें

पुस्तक	लेखक
द बॉडी बाय द शोर	ताबिश खैर
तेजो तुंगभद्रा	वसुधेंद्र (मैत्रेयी कर्नूर)
दीज़ हिल्स कॉल्ड होम	टेम्सुला एओ
साउथ वर्सेज़ नॉर्थ : इंडियाज़ ग्रेट डिवाइड	नीलकांतन आर.एस.
हिमालय : एक्सप्लोरिंग द रूफ ऑफ द वर्ल्ड	जॉन केयू
रिकैलीब्रेट : चेंजिंग पैराडिम	एन.के. सिंह एवं पी.के. मिश्रा
मुफस्सिल जंक्शन	इयान जैक
लेसन्स	इयान मैकइवान
मांज़ीज़ मेहम	तनुज सोलंकी
लेस इज़ लॉस्ट	एंड्रयू सीन ग्रीर

पुस्तक	लेखक
हैप्पी एंडिंग	मिनिता सांघवी
नो वे इन	उद्यान मुखर्जी
एट द फीट ऑफ लिविंग थिंग्स	अपराजिता दत्ता, रोहन आर्थर एवं टी.आर. शंकर रमन द्वारा संपादित
द मेकिंग ऑफ अ कैट्सट्रॉफ	जयति घोष
कब्बोन पार्क	रूपा पाई
द चाइना फैक्टर	शांतनु रॉय चौधरी
क्रॉप डाइवर्सिटी इन पेरिल	एल. वेदवल्ली और आर. रेंगालक्ष्मी
फॉल फ्रॉम ग्रेस	वी. बालासुब्रमण्यन
अरब स्प्रिंग : दैट वाज़ एंड दैट वाज़ नॉट	के.पी. फेबियन
फोर्क्स इन द रोड्स	सी. रंगराजन
गॉड्स ऑफ विलो	अमरीश कुमार

पुस्तक	लेखक
ए फॉर अज़रख	नीना सबनानी
एंड एवरी मॉर्निंग द वे होम गेट्स लॉन्गर एंड लॉन्गर	फ्रेडरिक बैकमेन
द ग्रेटेस्ट गोन स्टोरीज़ एवर टोल्ड	मनोहर शेट्टी द्वारा संपादित
माय नेम इज़ नॉट देवदास	आयुष गुप्ता
आवर मिसिंग हार्ट	सेलेस्टे न्गो
स्क्रिप्ट फॉर अ बेटर मलेशिया	अनवर इब्राहिम
द लास्ट हीरोज : फूट सोल्जर ऑफ इंडियन फ्रीडम	पी. साईनाथ
स्ट्रैटजिक चैलेंज्स : इंडिया इन 2030	जयदेव रानाडे द्वारा संपादित

पुस्तक	लेखक
मेगाथ्रेट्स	नूरील रौबिनी
द विज़डम ब्रिज	कमलेश डी. पटेल
लीडरशिप विद सोल	आंद्रे लैक्रोइक्स
सॉसर इन सन एंड शैडो	एडुआर्डो गैलियानो, मार्क फ्राइड द्वारा अनूदित
सॉसर अगेंस्ट द एनिमी	साइमन कूपर
द सॉग ऑफ द सेल	सिद्धार्थ मुखर्जी
इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी	पुलाप्रे बालाकृष्णन
हैदराबाद : विभाजन त्रयी	मनरीत सोढ़ी सोमेश्वर
लाइट डाउन	मणि हज़ारिका

महत्त्वपूर्ण सम्मेलन एवं आयोजन

आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन

- तीन-दिवसीय 'आकाश फॉर लाइफ' अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन नवंबर में देहरादून में किया गया।
- यह सम्मेलन सभी विचारधाराओं के विस्तारित एकीकरण के माध्यम से पारंपरिक एवं आधुनिक ज्ञान के सम्मिश्रण को प्रदर्शित करता है।

पहला आसियान-भारत स्टार्टअप महोत्सव, 2022

- **आयोजन स्थल :** बोगोर, इंडोनेशिया
- यह महोत्सव स्टार्टअप अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने के लिये आसियान-भारत सहयोग को और मज़बूत करेगा।
- यह महोत्सव आसियान कमेटी ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन (COSTI) और भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य समग्र आसियान-भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार निगम कार्यक्रम का हिस्सा है।
- यह भारत सरकार के आसियान-भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास कोष (ADF) द्वारा समर्थित है।

सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन सम्मेलन

- **आयोजन स्थल :** गोवा
- इस सम्मेलन में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के प्रतिनिधि और प्रदर्शक उन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा एवं सहयोग करेंगे।
- इस संगठन का लक्ष्य वर्ष 2045 तक संपूर्ण वायु यातायात प्रणाली वैश्विक परिषद् के विज़न को वास्तविकता में बदलना है।
- इस सम्मेलन में भविष्य के आसमान के लिये डिजिटलीकरण और स्वचालन जैसी आधुनिक तकनीक को भी शामिल किया गया है।

इन्वेस्ट कर्नाटक 2022

- **आयोजन स्थल :** बेंगलुरु
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्वेस्ट कर्नाटक, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया।
- इस बैठक का उद्देश्य संभावित निवेशकों को आकर्षित करना और अगले दशक के लिये विकास एजेंडा स्थापित करना है।

वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट, 2022

- **आयोजन स्थल :** लंदन, यूनाइटेड किंगडम
- यह सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय यात्रा एक्सपो में से एक है। भारत इसमें एक भागीदार के रूप में शामिल हुआ।
- इस वर्ष की प्रदर्शनी की थीम 'द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ' है।

15वाँ शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन

- **आयोजन स्थल :** कोच्चि, केरल
- इस सम्मेलन की थीम 'आज़ादी@75 - सतत् आत्मनिर्भर शहरी गतिशीलता' थी।
- यह शहरी परिवहन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिये विकासशील राज्य और स्थानीय क्षमता पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है।
- इसके अतिरिक्त, यह समाज के सभी पहलुओं के लिये निष्पक्ष

और टिकाऊ शहरी परिवहन प्रणाली बनाने हेतु मानदंड निर्धारित करेगा।

- यह कुशल एवं उच्च गुणवत्ता वाले शहरी परिवहन नेटवर्क के निर्माण तथा क्रियान्वयन पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

आसियान-भारत शिखर सम्मेलन

- **आयोजन स्थल :** नोम पेन्ह, कंबोडिया
- वर्ष 2022 आसियान-भारत संबंधों की 30वीं वर्षगाँठ है और इसे आसियान-भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया गया।
- इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया।
- इस सम्मेलन का उद्देश्य व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी सहित सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा करना है।
- विदित है कि कंबोडिया वर्तमान में आसियान का अध्यक्ष है।

42वीं इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस

- **आयोजन स्थल :** देहरादून, उत्तराखंड
- इस वर्ष सम्मेलन की थीम 'डिजिटल कार्टोग्राफी टू हार्नेस ब्लू इकोनॉमी' है।

18वाँ अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन 2022

- **आयोजन स्थल :** अमृता हॉस्पिटल, कोच्चि
- इस सम्मेलन का मुख्य विषय 'सुस्थिर टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को मज़बूत करना' है।
- इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा नियामकों, स्वास्थ्य वित्तपोषण प्राधिकरणों, सेवा प्रदाताओं और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को शामिल करने वाले प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है।
- इस आयोजन के मुख्य आकर्षण स्पेस टेलीमेडिसिन प्रोग्राम, टेलीहेल्थ टूरिज़्म और ए.आई.-आधारित टेलीहेल्थ सिस्टम जैसे विषयों पर वैज्ञानिक सत्र हैं।

17वाँ जी-20 शिखर सम्मेलन

- **आयोजन स्थल :** बाली, इंडोनेशिया
- भारत द्वारा अनावरण किया गया जी-20 का लोगो (Logo) पृथ्वी को कमल के साथ जोड़ता है और इसकी थीम 'वसुधैव कुटुम्बकम' है।
- दो-दिवसीय शिखर सम्मेलन की थीम 'रिकवर टूगेदर, रिकवर स्ट्रांगर' और अन्य विषयों के साथ वैश्विक आर्थिक सुधार, वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था, डिजिटल परिवर्तन, स्थायी ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है।

लीडआईटी शिखर सम्मेलन

- **आयोजन स्थल :** शर्म अल-शेख, मिस्र
- इसका आयोजन भारत एवं स्वीडन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
- यह निजी क्षेत्र की कंपनियों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से निम्न कार्बन संक्रमण की ओर बढ़ावा देने के लिये एक स्वैच्छिक पहल है।
- लीडआईटी को न्यूयॉर्क में वर्ष 2019 में जलवायु कार्रवाई सम्मेलन के दौरान विश्व आर्थिक मंच (WEF) के समर्थन से स्वीडन और भारत ने लॉन्च किया था।

पहली वैश्विक मीडिया कॉन्ग्रेस

- **आयोजन स्थल :** अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात
- **प्रायोजक :** अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी कंपनी तथा अमीरात समाचार एजेंसी (संयुक्त रूप से)।
- ग्लोबल मीडिया कॉन्ग्रेस पत्रकारों, टेक फर्मों, कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, स्ट्रीमिंग दिग्गजों, मनोरंजन अधिकारियों, नियामकों और प्रमुख मीडिया हितधारकों के लिये एक मंच प्रदान करेगी।

हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद

- **आयोजन स्थल :** दिल्ली
- इस वर्ष सम्मेलन का विषय 'हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) का संचालन' है।
- यह एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र से संबंधित समुद्री मुद्दों पर विचार-विमर्श को बढ़ावा देता है।

अन्य तथ्य

- अगले वर्ष पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी फिजी द्वारा की जाएगी। भारत और फिजी ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया है।
- केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि भवन में पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
- 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि होंगे।
- पी.एम. गतिशक्ति मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल (व्यापार केंद्र एवं संग्रहालय) में आयोजित किया जाएगा।

❑❑❑

सीसैट खंड

आधारभूत संख्ययन

बीजगणित (Algebra)

बीजगणित, गणितीय समीकरणों को हल करने और अज्ञात राशियों का मान प्राप्त करने में मदद करता है। बीजगणित में चरों का उपयोग अज्ञात राशियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये कर सकते हैं। बीजगणित, गणित की उस शाखा को कहते हैं जिसमें संख्याओं के गुणों और उनके पारस्परिक संबंधों का विवेचन सामान्य प्रतीकों (Symbols) द्वारा किया जाता है। ये प्रतीक अधिकांशतः अक्षर (a, b, c,..., x, y, z) और संक्रिया चिह्न (+, –, ×, ...) तथा संबंधसूचक चिह्न (=, > , <...) होते हैं।

बीजगणित चर तथा अचर राशियों के समीकरण को हल करने तथा चर राशियों के मान निकालने पर आधारित है। बीजगणित इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षरों या अन्य प्रतीकों का उपयोग करके गणितीय समीकरण और संबंध को बताने में रचनात्मक है। समीकरण में अज्ञात राशियों को बीजगणित के माध्यम से हल किया जा सकता है।

उदाहरण :

☞ यदि x और y दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, जो समीकरण $x^2 - y^2 = 11$ को संतुष्ट करते हैं, तो $(x^2 + y^2)$ का मान ज्ञात कीजिये।

(a) 41 (b) 57
(c) 61 (d) इनमें से कोई नहीं

हल :

दिया गया है–

$$x^2 - y^2 = 11$$

$\Rightarrow$ $(x + y)(x - y) = 11 \times 1$

$\Rightarrow$ $(x + y) = 11$ ... (i)

$\Rightarrow$ $(x - y) = 1$ ... (ii)

समीकरण (i) और (ii) को हल करने पर,

$$x = 6, y = 5$$

अब प्रश्नानुसार,

$$x^2 + y^2 = 6^2 + 5^2 = 36 + 25 = 61$$

■ इस प्रकार, विकल्प (c) सही उत्तर है।

☞ यदि $8^{\sqrt{x}} + 15^{\sqrt{x}} = 17^{\sqrt{x}}$ है, तो x का मान ज्ञात कीजिये।

(a) 6 (b) 8
(c) 4 (d) इनमें से कोई नहीं

हल :

ज्ञात है कि 8, 15, 17 एक पाइथागोरियन त्रिक है।

$\Rightarrow$ $8^2 + 15^2 = 289 = 17^2$ ...(i)

अब प्रश्नानुसार दिया गया है–

$$8^{\sqrt{x}} + 15^{\sqrt{x}} = 17^{\sqrt{x}}$$ ...(ii)

समीकरण (i) और (ii) की तुलना करने पर,

$$\sqrt{x} = 2$$

$\Rightarrow$ $x = 4$

■ इस प्रकार, विकल्प (c) सही उत्तर है।

☞ यदि $n = 2.33 \times 2.33 + 0.33 \times 0.33 - 0.66 \times 2.33$, तो n का मान ज्ञात कीजिये।

(a) 4 (b) 2.66
(c) 0.44 (d) इनमें से कोई नहीं

हल :

प्रयुक्त सूत्र : $(a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$

अब प्रश्नानुसार,

$\Rightarrow$ $n = 2.33 \times 2.33 + 0.33 \times 0.33 - 0.66 \times 2.33$

$\Rightarrow$ $n = (2.33)^2 + (0.33)^2 - 2 \times (0.33) \times (2.33)$

$\Rightarrow$ $n = (2.33 - 0.33)^2$

$\Rightarrow$ $n = (2)^2 = 4$

■ इस प्रकार, विकल्प (a) सही उत्तर है।

☞ किन्हीं दो संख्याओं का योग 23 है तथा उनका गुणनफल 216 है, तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिये।

(a) 67 (b) 97
(c) 83 (d) इनमें से कोई नहीं

हल :

दिया गया है,

दोनों संख्याओं का योग 23 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 216 है।

मान लीजिये कि दो संख्याएँ m और n हैं।

प्रयुक्त सूत्र : $m^2 + n^2 = (m + n)^2 - 2mn$

अब प्रश्न के अनुसार,

$m + n = 23, mn = 216$

उपरोक्त सूत्र का उपयोग करके,

$m^2 + n^2 = (23)^2 - 2 \times 216$

$\Rightarrow m^2 + n^2 = 529 - 432 = 97$

संख्याओं के वर्गों का योग 97 है।

■ इस प्रकार, विकल्प (b) सही उत्तर है।

1. यदि $p = -4$ और $q = -2$, तो $p^3 - 3p^2 + 3p + 3q + 3q^2 + q^3$ का मान ज्ञात कीजिये।

(a) 126 (b) 136

(c) −136 (d) −126

2. बहुपद $3x^5 + 2x^3y^3 + 4y^4 + 6$ की घात ज्ञात कीजिये।

(a) 4 (b) 5

(c) 6 (d) इनमें से कोई नहीं

3. एक व्यक्ति 6 घंटों में किसी दूरी को एक तरफ से पैदल चलकर और दूसरी तरफ से गाड़ी में वापसी कर तय कर सकता है। वह उस दूरी को दोनों तरफ से पैदल चलकर 10 घंटों में तय कर सकता है। दोनों तरफ से गाड़ी चलाकर उस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा?

(a) 4 घंटे (b) 3 घंटे

(c) 2 घंटे (d) इनमें से कोई नहीं

4. यदि $x^2 - 11x + 1 = 0$ है, तो $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)$ का मान ज्ञात कीजिये।

(a) 114 (b) 119

(c) 121 (d) इनमें से कोई नहीं

5. पानी से भरे हुए एक बर्तन का भार 40 किग्रा. है। यदि यह एक-तिहाई पानी से भरा हुआ है, तो इसका भार 20 किग्रा. हो जाता है। खाली बर्तन का भार ज्ञात कीजिये।

(a) 10 किग्रा. (b) 15 किग्रा.

(c) 20 किग्रा. (d) 25 किग्रा.

6. दो संख्याओं x और y का म.स.प. तथा ल.स.प. क्रमशः 3 व 105 है। यदि $x + y = 36$ हो, तो $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ का मान ज्ञात कीजिये।

(a) 1 (b) $\frac{1}{6}$

(c) $\frac{12}{315}$ (d) $\frac{4}{35}$

7. यदि x का 37.5% 600 है, तो x का मान क्या होगा?

(a) 1400 (b) 1600

(c) 800 (d) 1800

8. यदि $\frac{y}{x} = 2 - \frac{x}{y}$ है, तो $\frac{(x^3 + xy^2)}{(x^3 + y^3)}$ का मान क्या होगा?

(a) $\frac{2}{3}$ (b) 1

(c) 0 (d) इनमें से कोई नहीं

9. व्यंजक $2x^3 + x^2 - 2x - 1$ किससे विभाज्य है?

(a) $2x - 3$ (b) $2x + 3$

(c) $2x + 1$ (d) इनमें से कोई नहीं

10. यदि $(x + y)$ का 20% = $(x - y)$ का 50% है, तो $\frac{x}{y}$ का मान ज्ञात कीजिये।

(a) 5 : 7 (b) 7 : 4

(c) 7 : 3 (d) इनमें से कोई नहीं

11. यदि x और y दोनों धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि $x^2 - y^2 = 13$, तो $(x^2 + y^2)$ का संभव मान क्या होगा?

(a) 85 (b) 95

(c) 87 (d) इनमें से कोई नहीं

12. यदि $x + \frac{1}{x} = 3$ है, तो $\left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right)$ का मान ज्ञात कीजिये।

(a) 51 (b) 47

(c) 69 (d) इनमें से कोई नहीं

13. यदि $2x - \frac{1}{2x} = 6$ है, तो $\left(4x^2 + \frac{1}{4x^2}\right)$ का मान ज्ञात कीजिये।

(a) 34 (b) 38

(c) 42 (d) इनमें से कोई नहीं

14. यदि एक संख्या, उसका 50% और उसी संख्या के 25% का औसत 280 है, तो संख्या ज्ञात कीजिये।

(a) 280 (b) 360

(c) 480 (d) इनमें से कोई नहीं

15. यदि $x + 3y = 9$ है, तो $(x - 5)^3 + (3y - 4)^3$ का मान क्या होगा?

(a) 120 (b) 100

(c) 81 (d) 0

तर्कशक्ति

घन एवं पासा (Cube and Dice)

उदाहरण :

☞ एक पासे की दो अलग-अलग आकृतियाँ दी गई हैं, तो ज्ञात कीजिये कि 4 के विपरीत कौन-सी संख्या आएगी?

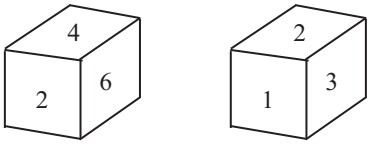

(a) 5 (b) 3
(c) 1 (d) 6

हल :

पासे की दोनों स्थितियों से ज्ञात है कि-

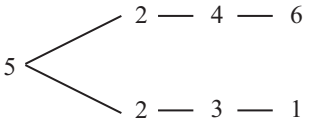

स्पष्ट है, '3', '4' के विपरीत है।
इस प्रकार, विकल्प (b) सही उत्तर है।

☞ एक पासे की तीन अलग-अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं तो ज्ञात कीजिये कि प्रश्नचिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

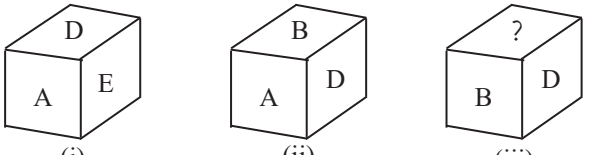

(a) E या C (b) C या F
(c) A (d) इनमें से कोई नहीं

हल :

पासे की तीनों स्थितियों से यह ज्ञात है कि-

B ⟷ E
A/D ⟷ C/F

चूँकि चित्र (ii) और (iii) में B से D की दिशाएँ विपरीत हैं, इसलिये A के विपरीत C या F में से कोई एक आएगा।

■ इस प्रकार, विकल्प (b) सही उत्तर है।

16. एक पासे की चार स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई हैं। जब ऊपरी फलक पर 2 है तो नीचे कौन-सा अंक होगा?

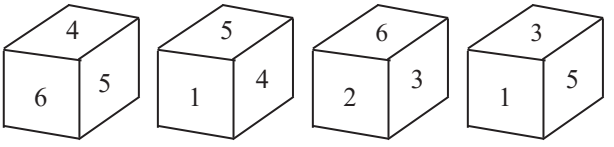

(a) 3 (b) 4
(c) 5 (d) 6

17. एक ही पासे की दो अलग-अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं। अगर नीचे चार बिंदु हैं, तो ऊपर कितने बिंदु होंगे?

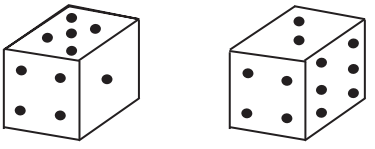

(a) 3 (b) 2
(c) 1 (d) 5

18. एक ही पासे की तीन भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। चिह्न '*' के विपरीत फलक पर कौन-सा चिह्न होगा?

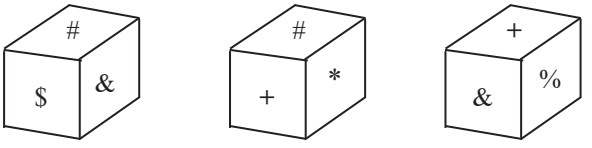

(a) & (b) +
(c) % (d) इनमें से कोई नहीं

19. उस पासे का चयन कीजिये जिसे दी गई शीट की रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है।

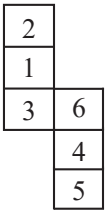

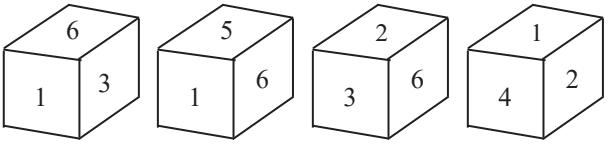

(I) (II) (III) (IV)

(a) केवल III और IV (b) केवल I
(c) केवल I और II (d) केवल II

20. 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग से रंगे हुए हैं। इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है। कितने घनों पर सभी तीन रंग हैं?

(a) 0 (b) 4
(c) 8 (d) 16

21. एक ही पासे की दो अलग-अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं जिनके फलकों पर अक्षर F, G, H, I, J और K अंकित किये गए हैं। वह अक्षर चुनिये जो अक्षर 'F' वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा।

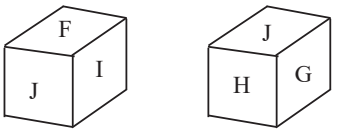

(a) J (b) I
(c) G (d) H

22. 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, पीले और नीले रंग से रंगे हुए हैं। इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है। कितने घनों के किसी भी फलक पर कोई रंग नहीं है?

(a) 0 (b) 4
(c) 8 (d) 16

23. एक ही पासे की तीन अलग-अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं। उस संकेत का चयन कीजिये जो '%' वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा।

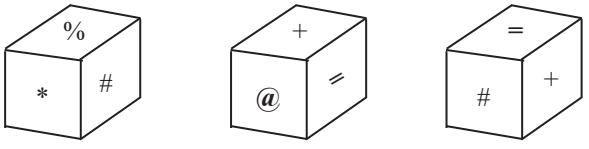

(a) = (b) +
(c) @ (d) *

24. उन पासों का चयन कीजिये जिन्हें दी गई शीट की रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है।

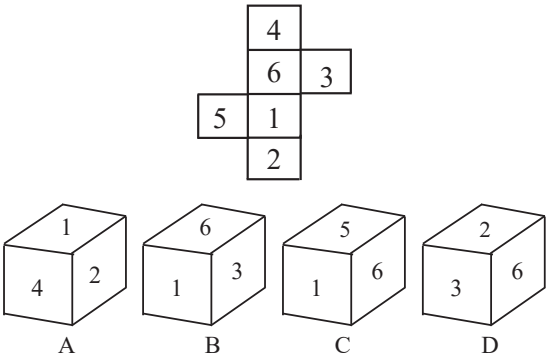

(a) केवल A और B
(b) केवल B और C
(c) केवल B और D
(d) केवल B, C और D

25. एक ही पासे की दो अलग-अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं जिनके छह फलकों पर A से F तक के अक्षर अंकित किये गए हैं। वह अक्षर चुनिये जो 'C' अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा?

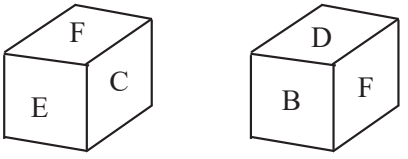

(a) F (b) A
(c) D (d) B

26. एक 8×8×8 सेमी. का घन है जिसकी विपरीत सतहें लाल, नीले और पीले रंग से रंगी हुई हैं। उसके बाद घन को 2 सेमी. के छोटे घनों में काट दिया जाता है। छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिये जो केवल नीले रंग से रंगे हैं।

(a) 8 (b) 20
(c) 16 (d) इनमें से कोई नहीं

27. एक घन की सतह हरे रंग से रंगी गई है। इस घन को 64 समान घनों में काटा गया है। ज्ञात कीजिये कि कितने घनों की केवल एक सतह रंगी हुई है?

(a) 8 (b) 16
(c) 24 (d) इनमें से कोई नहीं

28. दी गई आकृति में घनों की संख्या ज्ञात कीजिये।

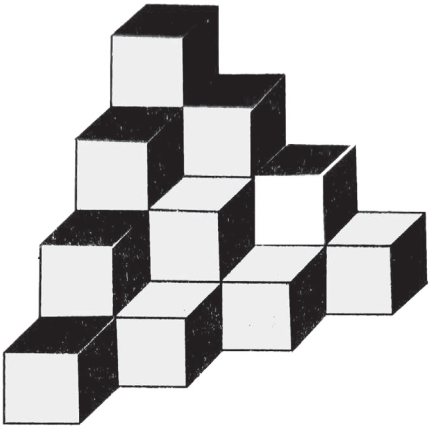

(a) 20 (b) 10
(c) 16 (d) 18

29. एक ही पासे की तीन भिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई हैं जिनके छह फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएँ अंकित हैं। 1 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन-सी संख्या होगी?

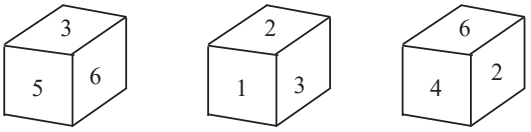

(a) 5 (b) 4
(c) 6 (d) 2

30. एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। चिह्न '!' वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन-सा चिह्न होगा?

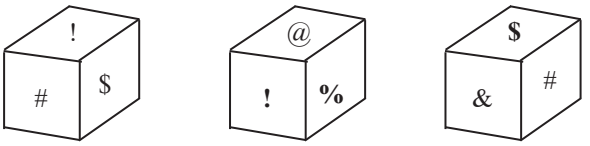

(a) $ (b) %
(c) # (d) &

बोधगम्यता

परिच्छेद-1

विश्व के दुखों को केवल भौतिक सहायता द्वारा मिटाया नहीं जा सकता। जब तक कि मनुष्य का स्वभाव न बदले, उसकी भौतिक आवश्यकताएँ सदैव बढ़ती रहेंगी, और दुखों का सदा अनुभव किया जाता रहेगा, और भौतिक सहायता की कोई भी मात्रा उन्हें पूर्णतः दूर नहीं कर सकेगी। समस्या का एकमात्र समाधान यह है कि मानव जाति को विशुद्ध बनाया जाए। अज्ञानता बुराई की जननी है, और उन सभी दुखों की भी जिन्हें हम देखते हैं। मनुष्य को प्रकाश मिले, वे विशुद्ध और आत्मिक रूप से सशक्त एवं शिक्षित हों; केवल तभी दुनिया से दुख कम होंगे। हम देश के प्रत्येक घर को धर्मार्थ-शरणस्थल में बदल सकते हैं, हम धरती को अस्पतालों से भर सकते हैं, परंतु जब तक मनुष्य का चरित्र परिवर्तित न होगा मानवीय दुख अनवरत बने रहेंगे। **(UPSC 2013)**

31. परिच्छेद के अनुसार, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा, मनुष्य के दुखों के कारण के रूप में सर्वाधिक संभावित सत्य है?

(a) समाज में व्याप्त बुरी आर्थिक और सामाजिक दशाएँ।
(b) मनुष्य का अपना चरित्र परिवर्तित करने से इनकार।
(c) उसके समाज से भौतिक और सांसारिक सहायता की अनुपस्थिति।
(d) परिवर्तनशील सामाजिक संरचना के कारण अनवरत बढ़ती हुई भौतिक आवश्यकताएँ।

32. परिच्छेद के संदर्भ में, निम्नलिखित धारणाएँ बनाई गई हैं :

1. लेखक मानवीय दुखों के उन्मूलन में भौतिक और सांसारिक सहायता को प्राथमिक महत्त्व देता है।
2. धर्मार्थ आवास, अस्पताल इत्यादि मानवीय दुखों को एक बड़ी सीमा तक दूर कर सकते हैं।

इन धारणाओं में कौन-सी वैध है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

परिच्छेद-2

यह अक्सर भुला दिया जाता है कि विश्वव्यापीकरण केवल अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों और लेनदेन संबंधी नीतियों के बारे में ही नहीं है, बल्कि इसका सरोकार समान रूप से राष्ट्र की घरेलू नीतियों से भी है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से (WTO आदि द्वारा) मुक्त व्यापार और निवेश प्रवाह संबंधी नियत दशाओं को पूरा करने हेतु किये गए आवश्यक नीतिगत परिवर्तन प्रत्यक्षतः घरेलू उत्पादकों तथा निवेशकों को प्रभावित करते हैं। किंतु, विश्वव्यापीकरण में अधःशायी आधारभूत दर्शन कीमतों, उत्पादन एवं वितरण प्रतिरूप के निर्धारण के लिये बाज़ारों की अबाध स्वतंत्रता पर बल देता है तथा सरकारी हस्तक्षेपों को उन प्रक्रियाओं के रूप में देखता है जो विकृति उत्पन्न करती हैं तथा अदक्षता लाती हैं। अतः सार्वजनिक उद्यमों का विनिवेशों तथा विक्रयों द्वारा निजीकरण हो; और अभी तक जो क्षेत्र एवं कार्यकलाप सार्वजनिक क्षेत्र के लिये आरक्षित हैं, आवश्यक है कि उन्हें प्राइवेट क्षेत्र के लिये खोल दिया जाए। इस तर्क का विस्तार शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं तक है। कामगारों की छँटनी के माध्यम से श्रम बल का समायोजन करने पर लगे प्रतिबंध हटा लिये जाने चाहिये तथा तालाबंदी पर लगे प्रतिबंधों को हटाकर निर्गमन को अपेक्षाकृत आसान बनाया जाना चाहिये। रोज़गार तथा वेतन बाज़ार शक्तियों की स्वतंत्र गतिविधियों द्वारा शासित होना चाहिये क्योंकि उनको नियंत्रित करने में कोई भी उपाय निवेश को हतोत्साहित कर सकते हैं और उत्पादन में अदक्षता भी उत्पन्न कर सकते हैं। सर्वोपरि रूप से राज्य की भूमिका में कमी लाने के समग्र दर्शन के अनुरूप, ऐसे राजकोषीय सुधार किये जाने चाहिये जिनसे आमतौर पर कराधान के स्तर निम्न हों तथा वित्तीय विवेक के सिद्धांत के पालन हेतु शासकीय खर्च न्यूनतम हो। ये सब घरेलू स्तर पर किये जाने वाले नीतिगत कार्य हैं तथा विश्वव्यापीकरण कार्यसूची के सारभाग विषयों, यथा- माल और वित्त के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं हैं। **(UPSC 2014)**

33. इस परिच्छेद के अनुसार, विश्वव्यापीकरण के अंतर्गत सरकारी हस्तक्षेपों को ऐसी प्रक्रियाओं के रूप में देखा जाता है जिनके कारण–

(a) अर्थव्यवस्था में विकृतियाँ और अदक्षता आती है।
(b) संसाधनों का इष्टतम उपयोग होता है।
(c) उद्योगों को अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रदता होती है।
(d) उद्योगों के संबंध में बाज़ार शक्तियों की गतिविधि स्वतंत्र होती है।

34. इस परिच्छेद के अनुसार, विश्वव्यापीकरण का आधारभूत दर्शन क्या है?

(a) कीमतों और उत्पादन के निर्धारण के लिये उत्पादकों को पूर्ण स्वतंत्रता देना
(b) वितरण प्रतिरूप विकसित करने हेतु उत्पादकों को स्वतंत्रता देना
(c) कीमतों, उत्पादन और रोज़गार के निर्धारण हेतु बाज़ारों को पूर्ण स्वतंत्रता देना
(d) आयात और निर्यात के लिये उत्पादकों को स्वतंत्रता देना

35. इस परिच्छेद के अनुसार, विश्वव्यापीकरण सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित में से कौन-सा/से आवश्यक है/हैं?

1. सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण
2. सार्वजनिक व्यय की विस्तार नीति
3. वेतन और रोज़गार निर्धारित करने की बाज़ार शक्तियों की स्वतंत्र गतिविधि
4. शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का निजीकरण

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4 (d) केवल 2, 3 और 4

36. इस परिच्छेद के अनुसार, विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया में राज्य की भूमिका कैसी होनी चाहिये?

(a) विस्तृत होती हुई (b) घटती हुई
(c) सांविधिक (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

परिच्छेद-3

पिछली दो या तीन पीढ़ियों से व्यक्तियों की सतत् बढ़ती हुई संख्या मनुष्यों की तरह नहीं, वरन् केवल कामगारों की तरह जीवन जीती रही है। अत्यधिक मात्रा में श्रम करना आज समाज के हर क्षेत्र में एक नियम बन गया है जिसका परिणाम यह हुआ है कि व्यक्ति में आध्यात्मिक तत्त्व की संपन्नता नहीं हो पाती है। वह अपने थोड़े-से अवकाश-समय को किसी गंभीर गतिविधि में लगाने में अत्यधिक कठिनाई महसूस करता है। वह मनन करना नहीं चाहता; या यदि वह चाहे तो कर भी नहीं पाता। वह तलाश करता है, पर आत्मोन्नति की नहीं बल्कि मनोरंजन की जो उसे इस लायक बनाता है कि वह मानसिक रूप से खाली हो और अपनी सामान्य गतिविधियों को भूल जाए। इसलिये, हमारे युग की तथाकथित संस्कृति, नाट्यकला की अपेक्षा चलचित्र पर, गंभीर साहित्य की अपेक्षा समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं और अपराध-कथाओं पर अधिक आधारित है।

(UPSC 2022)

37. यह परिच्छेद इस विचार पर आधारित है कि–

(a) मनुष्य को कठिन श्रम नहीं करना चाहिये
(b) हमारे युग की सबसे बड़ी बुराई अत्यधिक कार्य-तनाव है
(c) मनुष्य अच्छी तरह मनन नहीं कर सकता
(d) मनुष्य अपने आध्यात्मिक कल्याण का ध्यान नहीं रख सकता

38. मनुष्य आत्मोन्नति की तलाश नहीं करता, क्योंकि–

(a) वह बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं है
(b) उसके पास इसके लिये समय नहीं है
(c) उसे भौतिकवाद ने विभ्रमित कर दिया है
(d) उसे मनोरंजन प्रिय है और वह मानसिक रूप से खाली है

❑❑❑

Answer Key

1.	(d)	**2.**	(c)	**3.**	(c)	**4.**	(b)	**5.**	(a)	**6.**	(d)	**7.**	(b)	**8.**	(b)	**9.**	(c)	**10.**	(c)
11.	(a)	**12.**	(b)	**13.**	(b)	**14.**	(c)	**15.**	(d)	**16.**	(c)	**17.**	(a)	**18.**	(a)	**19.**	(b)	**20.**	(c)
21.	(c)	**22.**	(c)	**23.**	(b)	**24.**	(b)	**25.**	(d)	**26.**	(a)	**27.**	(c)	**28.**	(a)	**29.**	(c)	**30.**	(d)
31.	(b)	**32.**	(d)	**33.**	(a)	**34.**	(c)	**35.**	(c)	**36.**	(b)	**37.**	(b)	**38.**	(b)				

मुख्य परीक्षा मार्गदर्शिका

प्रश्नपत्र-I

भूगोल

कोरोनल होल

संदर्भ

हाल ही में, नासा (NASA) ने 'मुस्कराते हुए' (Smiling) सूर्य की तस्वीर को साझा किया है। इस तस्वीर में सूर्य की सतह पर काले धब्बे (Dark Patches) हैं जो आँख एवं मुस्कान के सदृश प्रतीत होते हैं। यह तस्वीर नासा सौर गतिकी वेधशाला ने ली है।

कोरोनल होल के बारे में

- नासा के अनुसार, इन काले धब्बों को 'कोरोनल होल्स' (Coronal Holes) कहा जाता है। इन्हें पराबैंगनी प्रकाश में देखा जा सकता है, लेकिन आमतौर पर आंखों के लिये ये अदृश्य होते हैं।

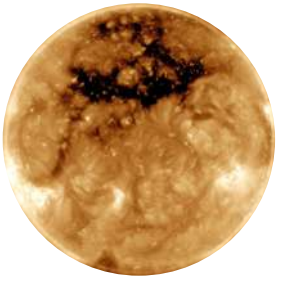

- ये सूर्य की सतह पर वैसे क्षेत्र होते हैं जहाँ से तीव्र सौर पवनें अंतरिक्ष में निकलती हैं।
- इन क्षेत्रों में सौर सामग्री बहुत कम होने के कारण इनका तापमान कम होता है और इस प्रकार ये अपने आसपास की तुलना में बहुत अधिक गहरे रंग के दिखाई देते हैं।
- इन क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र अंतर-ग्रहीय अंतरिक्ष के लिये खुला होता है जो सौर पवन की तेज़ गति वाली धारा के रूप में सौर सामग्री को बाहर भेजता है। कोरोनल होल की स्थिति कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक रह सकती है।
  - उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में सूर्य की कुल सतह के लगभग 6% से 8% पर कोरोनल होल देखे गए थे।

कोरोनल होल एवं प्रभाव

- कोरोनल होल कोई अनोखी घटना नहीं हैं। ये पूरे सूर्य में लगभग 11 वर्ष के सौर चक्र में दिखाई देते हैं। ये सौर न्यूनतम (Solar Minima) के दौरान अधिक समय तक दिखाई दे सकते हैं। सौर न्यूनतम के समय सूर्य पर गतिविधि काफी कम हो जाती है।
- ये कोरोनल होल पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष के वातावरण को समझने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं जिसके माध्यम से प्रौद्योगिकी यान तथा अंतरिक्ष यात्री गुज़रते हैं।
- यद्यपि, कोरोनल होल का कारण स्पष्ट नहीं है, किंतु ये सूर्य के उन क्षेत्रों से संबंधित होते हैं जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ऊपर एवं दूर होते हैं और सतह पर लूप बैक (इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या डिजिटल डाटा स्ट्रीम का बिना किसी संशोधन के उसी रूप में स्रोत पर वापस आना) नहीं करते हैं।
- वैज्ञानिक इन तेज़ सौर पवन धाराओं का अध्ययन करते हैं क्योंकि ये कभी-कभी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव डालती हैं जिससे भू-चुंबकीय तूफान उत्पन्न होते हैं।

भू-चुंबकीय तूफान (Geomagnetic Storm)

- भू-चुंबकीय तूफान पृथ्वी के चुंबकीयमंडल (Magnetosphere) से संबंधित होते हैं। चुंबकीयमंडल किसी ग्रह के चारों ओर का वह स्थान है जो उसके चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field) से प्रभावित होता है।
- जब एक उच्च गति वाली सौर धारा पृथ्वी पर पहुँचती है, तब कुछ परिस्थितियों में ऊर्जायुक्त और आवेशित सौर पवन कणों के ध्रुवों पर वायुमंडल से टकराने की संभावना होती है।
  - पृथ्वी की ओर बढ़ने वाली धारा से ध्रुवीय क्षेत्रों में ऑरोरा (Aurora) प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इससे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के आसमान में हरे रंग की रोशनी देखने को मिल सकती है।
- भू-चुंबकीय तूफान चुंबकीयमंडल में एक बड़ा विक्षोभ उत्पन्न करते हैं क्योंकि सौर पवन से पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्षीय वातावरण में ऊर्जा का बहुत ही कुशलतापूर्वक विनिमय होता है।
- मज़बूत सौर पवन के पृथ्वी पर पहुँचने के परिणामस्वरूप उत्पन्न भू-चुंबकीय तूफान से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल के कुछ भाग जैसे- आयनमंडल में परिवर्तन हो सकता है।
- उपग्रहों के विकिरण के संपर्क में आने और रेडियो एवं जी.पी.एस. (GPS) सिग्नल के वायुमंडल की इस परत से गुज़रने के कारण संचार बाधित हो सकता है।

❑❑❑

सामाजिक मुद्दे

बाल विवाह से संबंधित विविध मुद्दे

संदर्भ

हाल ही में, बाल विवाह को समाप्त करने के लिये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष तथा यूनिसेफ की वैश्विक कार्यक्रम संचालन समिति ने बाल विवाह की स्थिति की समीक्षा के लिये भारत की यात्रा की।

पृष्ठभूमि

- इस समिति का दौरा ऐसे समय में हुआ है जब महामारी के कारण बाल वधू (बाल विवाह) की संख्या में वृद्धि का अनुमान है।
- इस समिति के अनुसार, महामारी के परिणामस्वरूप विश्व स्तर पर 10 मिलियन बच्चे बाल वधू बन सकते हैं।

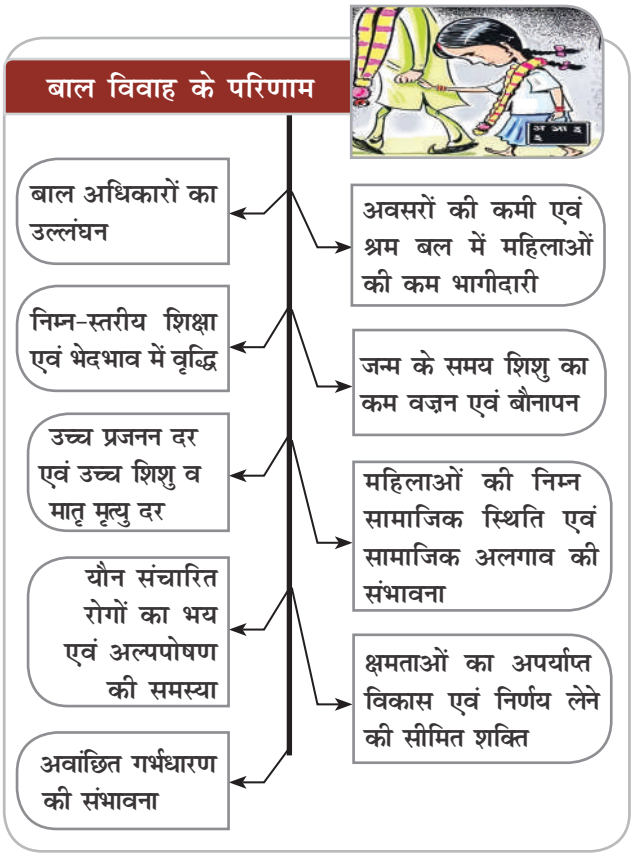

वैश्विक स्थिति

- यूनिसेफ के आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में बाल विवाह में बालिकाओं की कुल संख्या 12 मिलियन प्रतिवर्ष है। इस आधार पर वर्ष 2030 तक 18 वर्ष की आयु से पूर्व की 150 मिलियन से अधिक अतिरिक्त बालिकाएँ विवाहित हो जाएंगी।
- यद्यपि, विगत एक दशक में बाल विवाह उन्मूलन की दिशा में दक्षिण एशिया में काफी प्रगति हुई है, किंतु यह प्रगति असमान रही है।

भारत में बाल विवाह की वर्तमान स्थिति

- भारत में बाल विवाह की दर वर्ष 2005-06 में 47.4% से घटकर वर्ष 2015-16 में 26.8% हो गई।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के आँकड़ों के अनुसार, विगत पाँच वर्षों में बाल विवाह की दर 3.5% की गिरावट के साथ 23.3% हो गई है।
- भारत में बाल विवाह के समग्र प्रसार में गिरावट की प्रवृत्ति निरंतर जारी है, लेकिन इतने अधिक जनसंख्या वाले देश में 23.3% की दर अभी भी चिंताजनक रूप से उच्च है।
- एन.एफ.एच.एस. के आँकड़ों के अनुसार, आठ राज्यों में बाल विवाह का प्रचलन राष्ट्रीय औसत से अधिक है जिनमें पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा शीर्ष पर हैं।
  - इन शीर्ष राज्यों में 40% से अधिक महिलाओं के विवाह की आयु 18 वर्ष से कम है।
  - अधिक गरीब आदिवासी जनसंख्या वाले राज्यों में बाल विवाह का प्रचलन ज़्यादा है।

भारत में राज्यवार स्थिति

खराब स्थिति वाले राज्य

- एन.एफ.एच.एस.-5 के अनुसार, झारखंड में 20-24 वर्ष आयु वर्ग की 32.2% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पूर्व हो गया है।
- यहाँ शिशु मृत्यु दर 37.9% है और 15-19 वर्ष आयु वर्ग की 65.8% महिलाएँ रक्ताल्पता से पीड़ित हैं।
- असम में भी बाल विवाह का प्रचलन अधिक है। यहाँ बाल विवाह की दर वर्ष 2015-16 में 30.8% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 31.8% हो गई है।
  - शहरी क्षेत्रों (17%) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (28%) में बाल विवाह का प्रसार अधिक है।

स्थिति में सुधार वाले राज्य

- कुछ राज्यों में बाल विवाह में कमी दर्ज की गई है जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और हरियाणा शामिल हैं।
- उच्च साक्षरता स्तर और बेहतर स्वास्थ्य एवं सामाजिक सूचकांक वाले राज्यों ने इस क्षेत्र में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है।

- वर्ष 2019-20 में केरल में 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह करने वाली महिलाओं की संख्या मात्र 6.3% थी।
- इसी प्रकार, तमिलनाडु में भी 20-24 वर्ष आयु वर्ग की मात्र 12.8% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व हुआ था।

बाल विवाह रोकथाम के प्रयास

विधिक प्रावधान

- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 सहित कई कानून हैं जिनका उद्देश्य बच्चों को मानव व अन्य अधिकारों के उल्लंघन से बचाना है।
- संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर महिलाओं के लिये भी विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है।
- कर्नाटक सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2017 में संशोधन कर 'बाल विवाह' को संज्ञेय अपराध बना दिया है।

अन्य प्रयास

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी केंद्रीकृत योजनाओं के अतिरिक्त राज्यों ने बाल विवाह से जुड़े कारकों में सुधार के लिये शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता कार्यक्रमों तक कई पहलें शुरू की हैं।
- पश्चिम बंगाल की कन्याश्री योजना उच्च शिक्षा की इच्छुक बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। साथ ही, रूपश्री योजना एक बेटी के विवाह के समय गरीब परिवारों को ₹25,000 का एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है।
- लड़कियों को सुरक्षित स्कूल तक पहुँच प्रदान करने के लिये बिहार सहित कई अन्य राज्य बालिका साइकिल योजना लागू कर रहे हैं।
- इस दिशा में केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे प्रयास भी महत्त्वपूर्ण हैं।

सुझाव

- गरीबी उन्मूलन पर बल
- महिलाओं के लिये न्यूनतम 12 वर्ष की शिक्षा सुनिश्चित करना
- लैंगिक समानता एवं बाल विवाह के विरुद्ध चेतना में वृद्धि
- कठोर कानून एवं उसके सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता पर बल
- बेहतर शिक्षा और बच्चों के लिये सार्वजनिक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता
- माध्यमिक शिक्षा के विस्तार एवं आधुनिक कौशल प्रदान करने की आवश्यकता
- व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से बालिकाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना
- विवाह के वित्तीय बोझ को कम करने वाली योजनाओं को अनिवार्यत: शिक्षा प्राप्ति से जोड़ना
- स्वास्थ्य, पोषण, प्रतिगामी सामाजिक मानदंडों व असमानताओं पर सामाजिक जागरूकता का प्रसार

आगे की राह

- माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में महिलाओं के क्लब बनाकर 'सामूहिक अध्ययन' को बढ़ावा देना, ताकि बाल विवाह के विरुद्ध वैचारिक आदान-प्रदान के माध्यम से चेतना बढ़ाई जा सके।
- लोगों में महिलाओं के प्रति 'प्रगतिशील अभिवृत्ति' (Progressive Attitude) विकसित करने के लिये 'लैंगिक समानता' विषय पर कार्यक्रम एवं व्याख्यान का आयोजन किया जाना चाहिये।
- देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में स्थापित 'बाल ग्राम सभाएँ' (Children's Village Assemblies) बाल विवाह के विरुद्ध बेहतर मंच सिद्ध हो सकती हैं।
- नियमित रूप से लोगों से मिलने-जुलने वाले कर्मचारियों को 'बाल विवाह निषेध अधिकारी' के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

टू-फिंगर टेस्ट

संदर्भ

उच्चतम न्यायालय के अनुसार, कथित बलात्कार पीड़ितों का 'टू-फिंगर टेस्ट' करने वालों को कदाचार का दोषी माना जाएगा। इससे पूर्व भी उच्चतम न्यायालय ने इस टेस्ट को लेकर नाराज़गी जताई है। यौन उत्पीड़न के शिकार लोगों की जाँच को लेकर केंद्र सरकार का दिशा-निर्देश भी इसका निषेध करता है, किंतु यह प्रथा जारी है।

क्या है टू-फिंगर टेस्ट

- यौन उत्पीड़न की शिकार किसी महिला के स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय ज़रूरतों का पता लगाने तथा साक्ष्य एकत्र करने आदि के लिये उसे एक चिकित्सा परीक्षण से गुज़रना पड़ता है।
- इस टेस्ट में चिकित्सक द्वारा दो उँगलियों के माध्यम से पीड़ित महिला की योनि की माँसपेशियों की शिथिलता और हाइमन का आकलन किया जाता है, ताकि संभोग के प्रति उसकी आदत का निर्धारण किया जा सके।
- साथ ही, उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल कॉलेजों के पाठ्यक्रम से 'टू-फिंगर टेस्ट' को हटाने का भी आदेश दिया है।

सरकारी दिशा-निर्देश

- वर्ष 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'यौन हिंसा पीड़ितों के लिये चिकित्सीय एवं कानूनी देखभाल दिशा-निर्देश तथा प्रोटोकॉल' शीर्षक से एक दस्तावेज़ जारी किया था।
- इसके अनुसार, प्रति-योनि (Per-Vaginum) परीक्षण को आमतौर पर टू-फिंगर टेस्ट के रूप में संदर्भित किया जाता है और इसका प्रयोग बलात्कार/यौन हिंसा की पुष्टि के लिये नहीं किया जाना चाहिये।
  - प्रति-योनि परीक्षण चिकित्सकीय रूप से आवश्यक होने पर केवल वयस्क महिलाओं में ही किया जा सकता है।
- दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी भी चिकित्सकीय जाँच के लिये बलात्कार पीड़िता (नाबालिग या मानसिक रूप से अक्षम होने की स्थिति में उसके अभिभावक) की सहमति आवश्यक है।
- हालाँकि, उपरोक्त दिशा-निर्देश कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।

आलोचना

- यह तरीका अवैज्ञानिक है और इससे कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं होती है। साथ ही, ऐसी जानकारी का बलात्कार के आरोप से कोई संबंध नहीं है।
- साथ ही, यह परीक्षण इस गलत धारणा पर आधारित है कि यौन रूप से सक्रिय किसी महिला का बलात्कार नहीं हो सकता है।
  - इस प्रकार, बलात्कार की पुष्टि के लिये किसी महिला के यौन संबंधों का इतिहास पूरी तरह से महत्त्वहीन है।
- इससे महिला के केवल यौन रूप से सक्रिय होने का पता चल सकता है और इससे जबरन संबंध बनाया जाना सिद्ध नहीं होता है।
- यह परीक्षण सेक्सिस्ट और पितृसत्तात्मक है। साथ ही, यह महिला के निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
- इसके अतिरिक्त, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भी कौमार्य परीक्षण तथा टू-फिंगर टेस्ट को अनैतिक मानते हुए इसकी वैज्ञानिक वैधता को नकारता है। यह टेस्ट मानवाधिकार उल्लंघन के साथ ही पीड़िता के लिये दर्द का कारण भी बन सकता है जो यौन हिंसा की तरह ही है।
- यह टेस्ट भारत सहित ज़्यादातर देशों में प्रतिबंधित है। साथ ही, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र भी इसे मान्यता नहीं देता है।

उच्चतम न्यायालय का मत

- मई 2013 में उच्चतम न्यायालय ने इस परीक्षण को महिला के निजता के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए सरकार से यौन उत्पीड़न की पुष्टि के लिये बेहतर चिकित्सा प्रक्रिया अपनाने को कहा था।
  - वर्ष 2013 में लिलु राजेश बनाम हरियाणा राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस टेस्ट को असंवैधानिक करार दिया था।
- आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा-पत्र, 1966 और शक्ति के दुरुपयोग तथा अपराध पीड़ितों के लिये न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा, 1985 का आह्वान करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बलात्कार पीड़िता ऐसी कानूनी मदद के हकदार हैं जो उन्हें फिर से आघात न पहुँचाता हो तथा उनकी शारीरिक या मानसिक पवित्रता व गरिमा का उल्लंघन न करता हो।

टू-फिंगर टेस्ट को रोकने के अन्य प्रयास

- इस वर्ष अप्रैल में मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य को इस टेस्ट पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था।
- इसी वर्ष अगस्त में देश के शीर्ष चिकित्सा शिक्षा नियामक-राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने टू-फिंगर टेस्ट संबंधी दिशा-निर्देश सहित फोरेंसिक चिकित्सा पर मॉड्यूल को संशोधित किया है।
  - इसके अनुसार, छात्रों को इन परीक्षणों के अवैज्ञानिक आधार के बारे में अदालतों को सूचित करने के लिये प्रशिक्षित किया जाएगा।

वैश्विक आबादी की स्थिति

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार, 15 नवंबर को वैश्विक आबादी 8 अरब के आँकड़े तक पहुँच गई। वर्ष 1974 में वैश्विक आबादी 4 अरब थी। जनसंख्या की वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए निकट भविष्य में मानव आबादी के दोगुने होने की संभावना नहीं है। वस्तुतः मानवता की अगली बड़ी चुनौती घटती हुई जनसंख्या हो सकती है।

वैश्विक परिदृश्य

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वैश्विक आबादी के 7 अरब से 8 अरब तक पहुँचने में 12 वर्ष का समय लगा, जबकि इसे 9 अरब तक पहुँचने में लगभग 15 वर्ष (वर्ष 2037 तक) का समय लगने का अनुमान है जो इस बात का एक संकेत है कि जनसंख्या की समग्र वृद्धि दर में कमी आ रही है।
- वर्ष 2022 तक विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है जिसमें चीन और भारत 1.4

बिलियन से अधिक व्यक्तियों के साथ दो सर्वाधिक आबादी वाले देश हैं।

- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का अनुमान है कि 2080 के दशक में वैश्विक आबादी 10.4 अरब के शिखर पर पहुँच जाएगी और सदी के अंत तक स्थिर रहेगी।

प्रजनन दर एवं उत्प्रवास

- वैश्विक आबादी का 60% हिस्सा ऐसे क्षेत्रों में निवास करता है जहाँ प्रजनन दर, प्रतिस्थापन स्तर से काफी कम है। वर्ष 1990 में यह हिस्सा 40% के आसपास था।
- 1950 के दशक के बाद से वैश्विक प्रजनन दर में गिरावट आई है जो प्रति महिला लगभग 4.5 जन्म से कम होकर वर्ष 2020 में प्रति महिला 2.4 जन्म तक पहुँच गई है। जल्द ही यह दर प्रतिस्थापन प्रजनन दर से कम हो सकती है।
  - संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में उच्चतम प्रजनन स्तर की प्रवृत्ति देखी जाती है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन (Migration) अब कई देशों में वृद्धि का कारक है। वर्ष 2020 में 281 मिलियन लोग अपने मूल (जन्म वाले) देश से बाहर निवास कर रहे हैं।
  - सभी दक्षिण एशियाई देशों– भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हाल के वर्षों में अत्यधिक उत्प्रवास (Emigration) देखा गया है।

भारत की स्थिति

- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में स्थिरता आ रही है। इसमें अभी भी 0.7% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही है। इस प्रकार, भारत वर्ष 2023 तक चीन को पछाड़ते हुए विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा।
- भारत में प्रजनन दर (TFR) 2.1 जन्म प्रति महिला के स्तर पर पहुँच गई है जिसमें गिरावट जारी है। यह प्रतिस्थापन प्रजनन दर (Replacement-level Fertility) के बराबर है।

प्रतिस्थापन प्रजनन दर

- प्रतिस्थापन प्रजनन दर से तात्पर्य केवल मानव आबादी को बनाए रखने के लिये आवश्यक न्यूनतम दर से है। प्रतिस्थापन प्रजनन दर प्रति महिला 2.1 जन्म होती है।
- विश्व की दो-तिहाई जनसंख्या उन देशों में निवास करती है जहाँ प्रजनन दर, प्रतिस्थापन दर से कम है।
- भारत में प्रजनन दर में गिरावट के प्रमुख कारण महिला सशक्तीकरण, गर्भनिरोधक का बढ़ता प्रयोग, शिशुओं के मध्य अंतर (Reversible Spacing) वाली विधियों को अपनाना तथा मिशन परिवार विकास, राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना, नसबंदी कराने वालों के लिये मुआवज़ा योजना एवं राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन जैसे सरकारी प्रयास हैं।

चीन और भारत

- जुलाई 2022 में जारी 'विश्व जनसंख्या अनुमान 2022' में चीन की 1.426 अरब जनसंख्या की तुलना में इस वर्ष भारत की जनसंख्या का अनुमान 1.412 अरब रखा गया है।
- चीन की जनसंख्या वृद्धि दर अभी स्थिर है और वर्ष 2023 की शुरुआत से इसमें गिरावट प्रारंभ हो सकती है।

अन्य अनुमान

- वाशिंगटन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2054 में विश्व की जनसंख्या 9.7 अरब पहुँच जाएगी। इसके बाद इसमें गिरावट शुरू हो जाएगी तथा वर्ष 2100 में जनसंख्या 8.7 अरब तक पहुँच जाएगी।
- इसी तरह, भारत की जनसंख्या वर्ष 2048 में 1.7 अरब तक पहुँचने का अनुमान है और उसके बाद गिरावट के साथ इस सदी के अंत तक 1.1 अरब रह जाने की संभावना है।

❑❑❑

प्रश्नपत्र–II

राजव्यवस्था एवं शासन

मनरेगा प्रतिबंध में ढील

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने केरल के ग्राम पंचायतों में एक ही समय में कई प्रकार के कार्य करने की संख्या को बढ़ा दिया है। पूर्व में केरल के ग्राम पंचायतों में एक समय में 20 प्रकार के कार्य किये जा सकते थे, अब इसकी संख्या को बढ़ाकर 50 कर दिया गया है।

केंद्र सरकार का आदेश

- केंद्र सरकार ने इस वर्ष जुलाई में एक आदेश के माध्यम से राज्यों को निर्देश दिया था कि यदि ग्राम पंचायत में 20 प्रकार के कार्य उपलब्ध हैं तो नए कार्य के लिये मस्टर रोल जारी नहीं किया जा सकता है।
- हालाँकि, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों को इन 20 प्रकार के कार्यों में शामिल नहीं किया गया था।

केरल सरकार का तर्क

- केरल सरकार ने भौगोलिक रूप से बड़ी और अधिक जनसंख्या वाली पंचायतों के आधार पर केंद्र सरकार के आदेश का विरोध किया था क्योंकि इस प्रतिबंध के कारण राज्य सरकार कई पंजीकृत जॉब कार्ड धारकों को रोज़गार देने में सक्षम नहीं हो पा रही थी।
- राज्य ने तर्क दिया कि बड़ी पंचायतों की स्थिति में इस प्रतिबंध के लिये पंचायतों के स्थान पर पंचायत वार्डों पर विचार किया जाना चाहिये।

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना)

पृष्ठभूमि

- इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (NREGA) के रूप में वर्ष 2005 में अधिसूचित किया गया था।
- यह अधिनियम 2 फरवरी, 2006 से लागू हुआ। इसके पहले चरण में 200 ज़िलों को शामिल किया गया था।
- 1 अप्रैल, 2008 को इसे देश के सभी ज़िलों में लागू कर दिया गया। इस योजना को शत-प्रतिशत शहरी आबादी वाले ज़िलों को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया है।
- 31 दिसंबर, 2009 को इस अधिनियम का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम कर दिया गया।

उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों की गारंटीयुक्त मज़दूरी प्रदान करके ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत अकुशल शारीरिक श्रम प्रदान किया जाता है।
- इसके अलावा, सूखा/प्राकृतिक आपदा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में 50 दिनों तक के अतिरिक्त अकुशल मज़दूरी का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा स्वयं के फंड से इसका प्रावधान किया जाता है।
  - उल्लेखनीय है कि 'युक्तधारा' (Yuktadhara) मनरेगा के लिये एक भू-स्थानिक नियोजन पोर्टल है।

महत्त्वपूर्ण उपबंध

- यह मांग आधारित योजना है। इसमें मांग किये जाने पर कार्य उपलब्ध न कराए जाने तथा किये गए कार्य के लिये मज़दूरी के भुगतान में विलंब होने की स्थिति में भत्ता एवं मुआवज़ा का कानूनी प्रावधान है।
- काम मांगने वाले व्यक्ति को यदि उसके रोज़गार की मांग से संबंधित आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह बेरोज़गारी भत्ता पाने का हकदार है।

22वें विधि आयोग का गठन

संदर्भ

ऋतुराज अवस्थी

हाल ही में, केंद्र सरकार ने 22वें विधि आयोग का गठन किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ऋतुराज अवस्थी को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

अन्य सदस्य

- आयोग के अन्य पाँच सदस्यों में केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.टी. शंकरन, कानून के प्राध्यापक प्रो. आनंद पालीवाल, प्रो. डी.पी. वर्मा और प्रो. राका आर्य तथा मदुरै (तमिलनाडु) के अधिवक्ता एम. करुणानिधि शामिल हैं।
- विदित है कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान की अध्यक्षता में 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2018 को समाप्त हुआ था। इसके चार वर्ष बाद 22वें विधि आयोग का गठन किया गया है।

22वाँ विधि आयोग

- 19 फरवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22वें विधि आयोग के गठन को अनुमोदित किये जाने के ढाई साल बाद इसका गठन किया गया है।
- इसका कार्यकाल आधिकारिक राजपत्र में संविधान के आदेश के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष का होगा। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक 3 वर्ष के लिये इसका पुनर्गठन किया जाता है।

भारत का विधि आयोग

- कानून मंत्रालय के अनुसार, भारतीय विधि आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक 'गैर-सांविधिक' निकाय है।
- मूल रूप से इस आयोग का गठन वर्ष 1955 में किया गया था जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन महान्यायवादी एम.सी. सीतलवाड़ ने की थी।
- यह आयोग भारत में कानूनों की उत्कृष्ट तथा महत्त्वपूर्ण समीक्षा करता है। साथ ही, प्रगतिशील विकास तथा देश के कानून के संहिताकरण के बारे में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
- इसका लक्ष्य समाज में न्याय को अधिकतम करने और विधि के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देने के लिये कानूनों में सुधार का सुझाव देना है।
- आयोग के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ अप्रचलित कानूनों की समीक्षा/निरसन, गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों की जाँच करना और सामाजिक-आर्थिक विधानों के लिये पोस्ट-ऑडिट करना तथा न्यायिक प्रशासन की प्रणाली की समीक्षा करना शामिल है।
- इस आयोग का कार्य कुछ निर्धारित संदर्भ के साथ कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करना है। आयोग अपनी संदर्भ शर्तों के अनुसार सरकार को (रिपोर्ट के रूप में) सिफारिशें करता है। विधि आयोग ने अभी तक 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।

आयोग के कार्य

- यह आयोग अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य करेगा–
  - उन कानूनों की पहचान करना जिनकी वर्तमान में आवश्यकता या प्रासंगिकता नहीं है और जिन्हें तुरंत निरस्त किया जा सकता है।
  - समान नागरिक संहिता की मांग पर विचार करना।
  - राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के आलोक में मौजूदा कानूनों की जाँच करना और सुधार के तरीकों का सुझाव देना।
  - ऐसे कानूनों का भी सुझाव देना जो निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिये आवश्यक हो सकते हैं।
  - संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक कानूनों पर सुझाव देना।
  - सामान्य महत्त्व के केंद्रीय अधिनियमों को संशोधित करने का सुझाव देना जिससे उन्हें सरल बनाया जा सके और उनमें व्याप्त विसंगतियों, अस्पष्टताओं व असमानताओं को दूर किया जा सके।
  - प्रक्रियाओं में देरी को समाप्त करने, मामलों को तेज़ी से निपटाने और अभियोग की लागत कम करने के लिये न्याय आपूर्ति प्रणालियों में सुधार लाने के उद्देश्य से अध्ययन तथा अनुसंधान करना।

समान नागरिक संहिता

संदर्भ

हाल ही में, गुजरात में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस वर्ष यू.सी.सी. पर विशेषज्ञ समिति का गठन करने वाला गुजरात, उत्तराखंड के पश्चात् दूसरा राज्य है।
- मई माह में उत्तराखंड ने राज्य में यू.सी.सी. को लागू करने के लिये उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई के नेतृत्व में एक समिति के गठन की घोषणा की थी।

- विदित है कि असम और हिमाचल प्रदेश भी यू.सी.सी. के विचार का समर्थन कर चुके हैं।

क्या है समान नागरिक संहिता

- यू.सी.सी. पूरे देश के लिये एकसमान कानून प्रदान करती है जो सभी धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत मामलों, जैसे– विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि से संबंधित होती है।
- संविधान के भाग-IV में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के तहत अनुच्छेद 44 में प्रावधान है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा।
- विदित है कि गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ धर्म, लिंग और जाति की परवाह किये बिना यू.सी.सी. लागू है।

क्र.सं.	देश में लागू विभिन्न पर्सनल लॉ	
1.	हिंदू विवाह अधिनियम, 1955	हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों पर लागू
2.	पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936	पारसियों से संबंधित मामलों पर लागू
3.	भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872	ईसाइयों से संबंधित मामलों पर लागू
4.	मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937	मुसलमानों से संबंधित मामलों पर लागू

समान नागरिक संहिता का महत्त्व

- विवाह, तलाक और उत्तराधिकार संबंधी नियमों में समानता।
- धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को मज़बूती तथा धार्मिक आधार पर लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने में सहायक।
- सांस्कृतिक-धार्मिक परंपराओं के कारण वंचित महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार।
- समुदायों में परस्पर सद्भाव व धार्मिक सद्भाव के कारण कट्टरता में कमी।
- भारत के विशाल जनसंख्या आधार का प्रशासन सुविधाजनक।
- समुदायों में व्याप्त बुराइयों, सामाजिक कुरीतियों तथा अन्यायपूर्ण और तर्कहीन परंपराओं के उन्मूलन में सहायक।

विपक्ष में तर्क

- संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन।
- भारत की विविधता, रीति-रिवाज़ और क्षेत्रीय परंपराओं को खतरा तथा आदिवासियों की पहचान का संकट।
- सांप्रदायिक राजनीति का सहारा लेकर इसे एक अत्याचार के रूप में पेश किया जा सकता है जिससे देश में सामाजिक तनाव और अशांति।
- भारतीय समाज की बहुसंस्कृतिवादी पहचान में कमी।
- धार्मिक पहचान का कमज़ोर होना।

आगे की राह

- वर्तमान परिदृश्य में यह संहिता राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रतिकूल हो सकती है। इसलिये, रीति-रिवाज़ों और परंपराओं के केवल उन्हीं तत्त्वों को एकीकृत कानून में लाया जाना चाहिये जो व्यक्तियों के साथ होने वाले अन्याय के कारण बनते हैं।
- पर्सनल लॉ में कुछ अच्छे और न्यायसंगत प्रावधान हैं जिन्हें एकीकृत कानून में शामिल किया जा सकता है। साथ ही, इससे जुड़ी स्वदेशी संस्कृति को संरक्षित करने के लिये तर्कसंगत रीति-रिवाज़ों और परंपराओं की रक्षा की जानी चाहिये। यह देश में विविधता में एकता की रक्षा करने में मदद करेगा।
- भारत जैसे विशाल लोकतंत्र और विधि के शासन वाले देश में व्यवस्था में परिवर्तन क्रमिक एवं प्रगतिशील रूप से लाया जाना चाहिये तथा आदर्श रूप में यू.सी.सी. के लक्ष्य को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिये।

राज्य के नीति निदेशक तत्त्व

- संविधान के भाग-IV में अनुच्छेद 36-51 तक सिद्धांतों की विस्तृत शृंखला को शामिल किया गया है।
- इसके अंतर्गत यू.सी.सी. के अलावा नागरिकों को समान न्याय और नि:शुल्क कानूनी सहायता (अनुच्छेद 39A), ग्राम पंचायतों का संगठन (अनुच्छेद 40), उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (अनुच्छेद 43A), कृषि और पशुपालन का संगठन (अनुच्छेद 48), अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना (अनुच्छेद 51) आदि तत्त्व शामिल हैं।
- अनुच्छेद 37 के अनुसार, संविधान के भाग-IV में उल्लिखित निदेशक तत्त्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, अर्थात् इन्हें लागू करने की अनिवार्यता नहीं होती है। किंतु, कानून निर्माण में इन तत्त्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है।

समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण

संदर्भ

हाल ही में, समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण (NBDSA) ने एक निजी समाचार चैनल पर दिशा-निर्देशों का पालन न करने के कारण 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।

प्राधिकरण के बारे में

- यह न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA) द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है।
- इस प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रख्यात न्यायविद् होता है। इसके सदस्यों में समाचार संपादक के अलावा कानून, शिक्षा, साहित्य, लोक प्रशासन आदि क्षेत्रों के अनुभवी लोग शामिल होते हैं जिन्हें बोर्ड द्वारा बहुमत से नामित किया जाता है।
  - उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए.के. सीकरी वर्तमान में इसके अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

न्यूष ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA)

- यह निजी टेलीविषन समाचार, करंट अफेयर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
- एन.बी.डी.ए. पूर्णतः अपने सदस्यों द्वारा वित्तपोषित है जिसके सदस्यों में 26 समाचार और समसामयिक मामलों के प्रसारक शामिल हैं। भारतीय मीडिया संगठनों के विभिन्न वरिष्ठ सदस्य इसके निदेशक मंडल में कार्यरत हैं।

उद्देश्य

- यह समाचार प्रसारकों, डिजिटल समाचार मीडिया और अन्य संबंधित संस्थाओं की भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों सहित उनके हितों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सुरक्षित रखने का कार्य करता है।
- यह अपने सदस्यों को साझा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये एक मंच प्रदान करता है और उन्हें अनुचित या अनैतिक व्यवहार करने वाले व्यक्तियों से संरक्षण प्रदान करता है।

प्राधिकरण के उद्देश्य एवं कार्य

- एन.बी.डी.एस.ए. का उद्देश्य समाचार प्रसारण में उच्च मानकों एवं नैतिकता को बढ़ावा देना है। इन उच्च मानकों में वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की रिपोर्टिंग के समय संवेदनशीलता का परिचय देना, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में न डालना आदि पर ध्यान देना शामिल है।
- यह प्राधिकरण स्वयं कार्रवाई शुरू कर सकता है और नोटिस जारी कर सकता है या अन्य किसी भी मामले के संबंध में कार्रवाई कर सकता है जो उसके नियमों के अंतर्गत आते हैं।
- यह कार्रवाई सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या किसी सरकारी निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ई-मेल से भेजी गई शिकायतों के माध्यम से भी शुरू की जा सकती है।

शिकायत निवारण प्रक्रिया

- शिकायत निवारण के लिये दो-स्तरीय प्रक्रिया विद्यमान है जहाँ किसी प्रसारित सामग्री से पीड़ित व्यक्ति द्वारा पहले संबंधित प्रसारक को शिकायत दर्ज कराई जाती है और यदि वह उसके निवारण से संतुष्ट नहीं होता है तो इसके पश्चात् प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
  - ऐसे मामले जो पहले से ही न्यायालय में जा चुके हैं, उनके खिलाफ प्राधिकरण में शिकायत दर्ज नहीं कराई जा सकती है।
- शिकायत प्राप्ति से 14 दिनों के भीतर प्राधिकरण संबंधित प्रसारक को कारण बताने के लिये नोटिस जारी करेगा कि नियमों के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिये।
- प्राधिकरण, प्रसारक द्वारा लिखित रूप में दर्ज किये जाने वाले कारणों के लिये चेतावनी दे सकता है, उसकी निंदा कर सकता है और उसके प्रति अस्वीकृति व्यक्त कर सकता है।
- प्राधिकरण, प्रसारक पर जुर्माना भी लगा सकता है जो 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।

न्यायिक नियुक्ति में विलंब

संदर्भ

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक नियुक्तियों के लिये कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों पर केंद्र सरकार द्वारा कोई निर्णय न लिये जाने की आलोचना की है।

हालिया घटनाक्रम

- उच्चतम न्यायालय के अनुसार, बिना किसी स्पष्टीकरण के लंबे समय तक अनुशंसित नियुक्तियों पर कोई निर्णय न लेने की सरकार की प्रवृत्ति, कानून के शासन और न्याय को प्रभावित करेगी।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में से सात न्यायिक रिक्तियाँ हैं। जबकि 1 नवंबर तक, 25 उच्च न्यायालयों में 1,108 न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या में से 335 न्यायिक रिक्तियाँ थीं।

उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम व्यवस्था

- यह उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण करने वाली संस्था है।
- यह न तो संवैधानिक संस्था है और न ही वैधानिक, बल्कि इसकी स्थापना उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से हुई है।

- इस कॉलेजियम की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है और इसमें उच्चतम न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल होते हैं।

कॉलेजियम व्यवस्था से संबंधित विभिन्न वाद

प्रथम न्यायाधीश मामला (1981)

इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई अनुशंसा को राष्ट्रपति ठोस कारणों के आधार पर अस्वीकार कर सकता है।

दूसरा न्यायाधीश मामला (1993)

- इस मामले के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई अनुशंसा पर कार्यपालिका अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती है।
- कार्यपालिका की आपत्ति के बाद, मुख्य न्यायाधीश कार्यपालिका की आपत्ति को स्वीकार करे या अस्वीकार; दोनों ही परिस्थितियों में उसका निर्णय कार्यपालिका पर बाध्यकारी होगा।
- उच्चतम न्यायालय के अनुसार, अनुशंसा मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय से नहीं होगी, बल्कि उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेने के बाद भेजी जानी चाहिये।

तीसरा न्यायाधीश मामला (1998)

इस मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में अनुशंसा करने से पहले उच्चतम न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा।

उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधान

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

- उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित कई विवादों के बाद अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है।

अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

- उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजेगा।
- यदि 5 में से 2 न्यायाधीश किसी व्यक्ति की नियुक्ति का विरोध करें तो उसके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को नहीं भेजी जाएगी।
- सभी न्यायाधीशों की सलाह लिखित रूप में होनी चाहिये, मौखिक नहीं।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हताएँ

संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार, कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिये तभी पात्र होगा, यदि वह–

- भारत का नागरिक हो।
- किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यूनतम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो।
- अथवा किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम-से-कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। इसमें वह अवधि भी जोड़ी जाएगी जब वह षिला न्यायाधीश या उससे ऊपर के किसी न्यायिक पद पर रहा हो।
- अथवा वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो।

उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान

मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हताएँ

संविधान के अनुच्छेद 217(2) के अनुसार, कोई व्यक्ति, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिये तभी पात्र होगा, यदि वह–

- भारत का नागरिक हो।
- भारत के राज्यक्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो
- अथवा किसी उच्च न्यायालय में लगातार न्यूनतम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो।

न्यायाधीशों का स्थानांतरण

- उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों तथा संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करना होगा।

कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना

- कॉलेजियम द्वारा की गई नियुक्तियों में स्पष्टता एवं पारदर्शिता की कमी होती है।
- भाई-भतीजावाद या व्यक्तिगत पहचान के आधार पर नियुक्ति की संभावना होती है।
- कॉलेजियम की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, इसकी भी कोई तय समय सीमा नहीं है।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग

- केंद्र सरकार द्वारा 99वें संशोधन अधिनियम, 2014 के माध्यम से एक 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' की स्थापना की गई थी।
- यह संशोधन न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के मामले में कॉलेजियम को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से लाया गया था।
- उच्चतम न्यायालय ने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिये खतरा है।

उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ एवं अनुच्छेद 142

चर्चा में क्यों

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सज़ा काट रहे सभी छह दोषियों को समय सीमा से पहले ही रिहा करने का आदेश दिया है।

प्रमुख बिंदु

- इन दोषियों में नलिनी श्रीहरन, आर.पी. रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार शामिल हैं।
- शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का उपयोग करते हुए 30 वर्ष से अधिक जेल में रहने के पश्चात् इन दोषियों की रिहाई का आदेश दिया है।
- ज्ञातव्य है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मई 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा कर दी गई थी।

अनुच्छेद 142 की विशेषताएँ

- भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक शक्तियों के प्रतिबंध और सीमाओं के रूप में कार्य करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के वे विशेषाधिकार हैं जहाँ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिये न्यायपालिका अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर निर्णय देती है।
- यह अपने समक्ष लंबित मामलों में पूर्ण न्याय प्रदान करने हेतु आवश्यकता होने पर तदर्थ डिक्री (राजाज्ञा) पारित कर सकता है।
- संविधान में शामिल करते समय अनुच्छेद 142 को इसलिये वरीयता दी गई थी क्योंकि सभी का यह मानना था कि इससे देश के वंचित वर्गों और पर्यावरण का संरक्षण करने में सहायता मिलेगी। अत: जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक उच्चतम न्यायालय का आदेश ही सर्वोपरि होगा।
- व्यावहारिक रूप में देखा जाए तो कभी-कभी अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय को प्राप्त शक्तियाँ इसे कार्यपालिका एवं विधायिका से सर्वोच्चता प्रदान करती हैं। हालाँकि, उच्चतम न्यायालय ने इसका स्पष्टीकरण दिया कि इस अनुच्छेद का उपयोग मौजूदा कानून को प्रतिस्थापित करने के लिये नहीं, बल्कि एक विकल्प के तौर पर किया जा सकता है।

अनुच्छेद 142 के प्रावधान

- अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय के डिक्रियों और आदेशों के प्रवर्तन एवं प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश का उल्लेख है।
- अनुच्छेद 142(1) में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसे निर्णय पारित कर सकता है या ऐसे आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी मामले में 'पूर्ण न्याय' के लिये आवश्यक हो।
  - ऐसा कोई निर्णय या आदेश संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के समान ही संपूर्ण भारत में प्रवर्तनीय होगा।
- अनुच्छेद 142(2) के अनुसार, संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाज़िर कराने के, किन्हीं दस्तावेज़ों के प्रकटीकरण या पेश कराने के अथवा अपने किसी अवमान का अन्वेषण करने या दंड देने के प्रयोजन के लिये कोई आदेश जारी करने की शक्ति होगी।

अनुच्छेद 142 के कुछ अन्य उपयोग

- यूनियन कार्बाइड मामला (भोपाल गैस त्रासदी)
- बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामला
- बाबरी मस्जिद मामला
- राष्ट्रीय राजमार्गों से लगे हुए शराब के ठेकों को प्रतिबंधित करने का मामला

नार्को टेस्ट की वैधानिक स्थिति

संदर्भ

हाल ही में, नई दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को मृत्यु के एक आरोपी का नार्को टेस्ट (Narco Test) कराने की अनुमति दे दी है। इस मामले में अभियुक्त ने इस परीक्षण के परिणामों से अवगत होते हुए अपनी सहमति जताई है। उल्लेखनीय है कि नियमों के मुताबिक नार्को टेस्ट कराने के लिये भी व्यक्ति की सहमति आवश्यक है।

क्या है नार्को टेस्ट

प्रक्रिया

- नार्को विश्लेषण ग्रीक शब्द 'नार्को' से लिया गया है जिसका अर्थ एनेस्थीसिया या टॉरपोर होता है। इसका उपयोग नैदानिक और मनोचिकित्सा तकनीक का वर्णन करने के लिये किया जाता है।
- नार्को टेस्ट के दौरान सोडियम पेंटोथल, स्कोपोलामाइन और सोडियम एमाइटल जैसी दवाओं को आरोपी के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है।
- परीक्षण के दौरान इंजेक्शन में दिये जाने वाले पदार्थ की मात्रा व्यक्ति क
  लिंग, आयु, स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति के अनुसार तय की जाती है।

क्रियाविधि

- यह दवा व्यक्ति को एक कृत्रिम निद्रावस्था (Hypnotic) या अचेतन अवस्था (Sedated State) में ले जाती है जिसमें व्यक्ति की कल्पना निष्प्रभावी हो जाती है।
- इस कृत्रिम निद्रावस्था में अभियुक्त का संकोच कम हो जाता है और सत्य सूचनाएँ तथा जानकारी प्रकट करने की संभावना होती है।
- इसके बाद जाँच एजेंसियों द्वारा संबंधित व्यक्ति से डॉक्टरों की मौजूदगी में पूछताछ की जाती है और उसकी विडियो रिकॉर्डिंग की जाती है।

सोडियम पेंटोथल

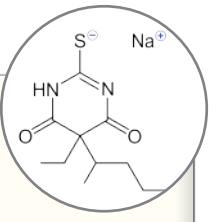

- सोडियम पेंटोथल या सोडियम थियोपेंटल कम अवधि में तेज़ी से काम करने वाला एनेस्थेटिक है।
- इसका अधिक मात्रा में उपयोग सर्जरी के दौरान रोगियों को बेहोश करने के लिये किया जाता है।
- यह दवाओं के बार्बिट्युरेट (Barbiturate) वर्ग से संबंधित है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती है।
- चूँकि, यह दवा झूठ बोलने के संकल्प को कमज़ोर करती है, इसलिये इसे 'ट्रूथ सीरम' भी कहते हैं।
- ऐसा माना जाता है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान खुफिया अधिकारियों ने इसका इस्तेमाल किया था।

पॉलीग्राफ परीक्षण से भिन्नता

- पॉलीग्राफ परीक्षण इस धारणा पर आधारित होता है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो उस समय उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाएँ सामान्य की तुलना में भिन्न होती हैं।
- इस परीक्षण में शरीर में दवाओं को इंजेक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि कार्डियो-कफ्स (Cardio-Cuffs) या संवेदनशील इलेक्ट्रोड जैसे उपकरण संदिग्ध के शरीर से जोड़े जाते हैं।
- साथ ही, प्रश्न पूछे जाने के दौरान विभिन्न शारीरिक गतिविधियों, जैसे- रक्तचाप, नाड़ी दर, श्वसन दर, पसीने की ग्रंथि गतिविधि में परिवर्तन, रक्त प्रवाह आदि को मापते हैं।
  - इस प्रक्रिया में व्यक्ति के सत्य, असत्य, धोखे और अनिश्चितता का मूल्यांकन करने के लिये प्रत्येक प्रतिक्रिया को एक संख्यात्मक मान प्रदान किया जाता है।
- यह परीक्षण पहली बार 19वीं शताब्दी में इतालवी अपराध विज्ञानी सेसारे लोम्ब्रोसो द्वारा किया गया था जिन्होंने पूछताछ के दौरान आपराधिक संदिग्धों के रक्तचाप में परिवर्तन को मापने के लिये एक मशीन का प्रयोग किया था।

परीक्षणों का औचित्य

- हाल के दशकों में, जाँच एजेंसियों ने इन परीक्षणों के इस्तेमाल की मांग की है जिन्हें कभी-कभी यातना (Torture) या थर्ड डिग्री (Third Degree) का बेहतर विकल्प माना जाता है।
- हालाँकि, इनमें से किसी भी विधि की सफलता दर 100% नहीं है और ये विषय चिकित्सा क्षेत्र में भी विवादास्पद बने हुए हैं।
- जब अन्य साक्ष्य किसी मामले की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते हैं तो जाँच एजेंसियाँ इस परीक्षण का उपयोग करती हैं।

साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया में विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का उपयोग किया जाता है।

परीक्षणों पर अंकुश

न्यायालय का मत

- वस्तुत: इन परीक्षणों पर न्यायपालिका ने कई प्रतिबंध भी आरोपित किये हैं। वर्ष 2010 में सेल्वी एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि कोई भी लाई डिटेक्टर टेस्ट अभियुक्त की सहमति के आधार पर ही किया जाना चाहिये।
- न्यायालय के अनुसार, वर्ष 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित 'अभियुक्त पर पॉलीग्राफ टेस्ट के क्रियान्वयन के लिये दिशा-निर्देश' का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये। यह सहमति न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज की जानी चाहिये।

परीक्षण बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता

- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना नार्को विश्लेषण, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं किया जा सकता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह के परीक्षणों को अवैध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन माना है।
- हालाँकि, नार्को परीक्षण के दौरान दिये गए बयान न्यायालय में स्वीकार्य नहीं हैं, सिवाय कुछ परिस्थितियों को छोड़कर जब न्यायालय को लगता है कि मामले के तथ्य और प्रकृति इसकी अनुमति देते हैं।
- इसके अतिरिक्त, परीक्षण किये जाने वाले व्यक्ति की वकील तक पहुँच सुलभ होनी चाहिये तथा पुलिस एवं वकील द्वारा उसे परीक्षण के शारीरिक, भावनात्मक व कानूनी निहितार्थों के बारे में समझाया जाना चाहिये।

परीक्षण परिणामों की स्थिति

- चूँकि, परीक्षण के दौरान व्यक्ति अचेतन अवस्था में होता है और पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने के विकल्प का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता है, इसीलिये इस दौरान दिये गए वक्तव्यों को बयान के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है।
- उच्चतम न्यायालय के अनुसार, स्वेच्छा से लिये गए परीक्षण से प्राप्त किसी भी जानकारी या सामग्री को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

गर्भपात पर कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय

संदर्भ

हाल ही में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के 25 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी है।

हालिया घटनाक्रम

- न्यायालय के अनुसार, इस मामले में गर्भपात की प्रक्रिया चिकित्सकों के जाँच के अधीन है।
- यदि चिकित्सक की राय में इस तरह की प्रक्रिया से पीड़िता के जीवन को क्षति पहुँचने की संभावना है तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के संबंध में चिकित्सक के पास निर्णय लेने का अंतिम अधिकार होगा।
- न्यायालय ने निर्णय दिया है कि गर्भावस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया, गर्भपात के पश्चात् उपचार और परिवहन सुविधा पीड़िता के लिये नि:शुल्क होनी चाहिये।

गर्भ का चिकित्सकीय समापन कानून

- गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 (Medical Termination of Pregnancy Act, 1971) भारत सरकार का एक अधिनियम है जो कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देता है।
- इस कानून के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति दी गई है–
  - यदि गर्भ की अवधि 12 सप्ताह से अधिक नहीं है तो एक चिकित्सक की सलाह के बाद गर्भपात किया जा सकता है।
  - यदि गर्भ की अवधि 12 सप्ताह से अधिक लेकिन 20 सप्ताह से कम है, तब दो चिकित्सकों की राय के बाद निम्नलिखित आधारों पर गर्भ को समाप्त किया जा सकता है–
    - गर्भवती महिला की जान को खतरा हो या उसके शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य को क्षति पहुँचने की संभावना हो।
    - यदि यह खतरा हो कि होने वाले बच्चे को कोई गंभीर शारीरिक या मानसिक बीमारी होगी।
  - 20 सप्ताह से ज़्यादा के गर्भ को समाप्त करने के लिये न्यायालय की अनुमति लेनी होगी।

गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021

- वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने व्यापक गर्भपात देखभाल प्रदान करने तथा महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिये एम.टी.पी. अधिनियम, 1971 में संशोधन किया।
- यह संशोधन चिकित्सीय, मानवीय एवं सामाजिक आधार पर सुरक्षित और वैध गर्भपात सेवाओं का विस्तार करने के लिये लाया गया है।

संशोधन के प्रावधान

- इस संशोधन के तहत गर्भनिरोधक विधि या उपकरण की विफलता के मामले में विवाहित महिला के 20 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त किया जा सकता है।
- यह विधेयक अविवाहित महिलाओं को भी गर्भनिरोधक विधि

या उपकरण की विफलता के कारण हुई गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है।

- गर्भधारण से 20 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिये एक पंजीकृत चिकित्सक की राय आवश्यक है।
- 20-24 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिये दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय आवश्यक है।
- भ्रूण से संबंधित गंभीर असामान्यता के मामले में 24 सप्ताह के बाद के गर्भ की समाप्ति के लिये राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय आवश्यक है।
- गर्भ को समाप्त करने वाली किसी महिला की पहचान को कानून द्वारा अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट नहीं किया जा सकेगा।

मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान की आवश्यकता

संदर्भ

नवीनतम मानव विकास सूचकांक में भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर है। यह भारत के लिये एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारत के मानव विकास को सुनिश्चित करने के लिये प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुसार, शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
- गौरतलब है कि वर्ष 1990 में थाईलैंड के जोमटियन (Jomtien) में सभी के लिये शिक्षा पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसे जोमटियन सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस वैश्विक घोषणा का अपनाए जाने के बाद से सभी बच्चों को स्कूल लाने के लिये ठोस प्रयास किये गए।

मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिये निपुण भारत पहल

- वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ शिक्षा में प्रवीणता के लिये राष्ट्रीय पहल – निपुण (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy – NIPUN) की शुरुआत की।
- इसका लक्ष्य आधारभूत साक्षरता तथा संख्यात्मक ज्ञान सुनिश्चित करने के लिये सर्वसुलभ वातावरण तैयार करना है, ताकि वर्ष 2026-27 तक कक्षा 3 तक का प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ाई पूरी करने के साथ ही पढ़ने, लिखने तथा अंकों के ज्ञान की आवश्यक निपुणता को प्राप्त कर सके।
- 'निपुण भारत' वर्ष 2020 में जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के क्रियान्वयन के लिये उठाए गए कदमों की शृंखला में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इसे नेशनल मिशन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरैसी के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है।
- इसके क्रियान्वयन के लिये केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत सभी राज्यों व केंद्र-शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय-राज्य-ज़िला-ब्लॉक-स्कूल स्तर पर एक पाँच-स्तरीय क्रियान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा।

मानव विकास में सुधार हेतु किये गए प्रयास

शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट

- शिक्षा पर वैश्विक घोषणा से पूर्व ही वर्ष 1987 में राजस्थान के दूरदराज़ के गाँवों में शिक्षकों की अनुपस्थिति से निपटने के लिये स्कूलों में शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था।
- इस परियोजना की महत्त्वपूर्ण विशेषता स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी थी।
- इसके तहत स्थानीय लोगों को समर्थन और प्रशिक्षण देकर उन्हें शिक्षक बनाने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान

- वर्ष 2001 में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से इस अभियान को शुरू किया गया था।
- इसने स्कूल के बुनियादी ढांचे, शौचालय की उपलब्धता, स्वच्छ जल तक पहुँच और पाठ्यपुस्तक की उपलब्धता में सुधार कर स्कूल की नामांकन भागीदारी को बढ़ाने में सहायता की है।

न्यायिक निर्णय

उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य वाद (1993) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिये शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।

भावी समाधान

- वर्तमान में अच्छे शिक्षकों की भर्ती और शिक्षक विकास संस्थानों की स्थापना की एक व्यवस्थित प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।
- शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिये शिक्षकों और प्रशासकों की भर्ती को प्राथमिकता देना होगा।
- स्कूलों को सीधे वित्त का हस्तांतरण किया जाना चाहिये तथा शिक्षकों के गैर-शिक्षण कार्य कम किये जाने चाहिये। साथ ही, स्कूलों में सुधार हेतु समुदाय और पंचायत की भी जवाबदेही होनी चाहिये।
- वर्तमान में सामुदायिक जुड़ाव और माता-पिता की भागीदारी पर बल देने की आवश्यकता है। इसमें महिला स्वयं सहायता समूह एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हैं।
- शिक्षकों की अक्षमता को दूर करने के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया जाना चाहिये।

❑❑❑

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

आसियान-भारत शिखर सम्मेलन

संदर्भ

हाल ही में, कंबोडिया के नोम पेन्ह में आयोजित 19वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भाग लिया।

शिखर सम्मेलन के प्रमुख बिंदु

आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी

- शिखर सम्मेलन के दौरान आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की गई और रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में 'नेविगेशन एवं ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता' की पुष्टि की गई।
- 'निर्बाध वैध समुद्री वाणिज्य' (Unimpeded Lawful Maritime Commerce) को मान्यता देते हुए विवादों को 'अंतर्राष्ट्रीय कानून के सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों' का पालन करके हल किये जाने पर बल दिया गया।
  - इनमें वर्ष 1982 का समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS), अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (ICAO) एवं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) शामिल हैं।

आतंकवाद एवं अन्य अपराधों से निपटने में सहयोग

- दोनों पक्षों ने आतंकवाद, धन शोधन, साइबर अपराध, ड्रग्स एवं मानव तस्करी और हथियारों की तस्करी के विरुद्ध सहयोग बढ़ाने की घोषणा की।
- दोनों पक्ष समुद्री डकैती विरोधी अभियानों, जहाज़ों के विरुद्ध सशस्त्र डकैती, समुद्री सुरक्षा, खोज एवं बचाव अभियान, मानवीय सहायता और आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं राहत सहित समुद्री सहयोग को तेज़ करने पर भी सहमत हुए।
- इसके अतिरिक्त, 'सैन्य चिकित्सा' (Military Medicine) के क्षेत्र में आपसी सहयोग के उद्देश्य से विचार-विमर्श किया गया।

अंतरिक्ष सहयोग

दोनों पक्ष वियतनाम और इंडोनेशिया में ट्रैकिंग, डाटा रिसेप्शन तथा प्रोसेसिंग स्टेशनों की स्थापना के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।

व्यापार सुविधा

दोनों पक्ष आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (ASEAN-India Trade in Goods Agreement : AITIGA) की समीक्षा में तेज़ी लाने के लिये सहमत हुए हैं, ताकि व्यापार सुविधा प्रदान की जा सके।

कृषि क्षेत्र में सहयोग

दोनों पक्षों ने 'भविष्य के लिये तैयार, लचीली एवं सतत् खाद्य आपूर्ति' सुनिश्चित करने के लिये डिजिटल रूप से समर्थित कृषि क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

वार्ता और समन्वय को मज़बूत करना

'आसियान-केंद्रीयता' (ASEAN-Centrality) को बढ़ावा देने के लिये दोनों पक्षों ने आसियान-भारत शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, भारत के साथ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (PMC+1), आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF), आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ADMM-Plus) तथा विस्तारित आसियान समुद्री मंच (EAMF) सहित आसियान के नेतृत्व वाले तंत्रों के माध्यम से वार्ता और समन्वय को मज़बूती प्रदान करने की पुष्टि की।

अन्य मंचों के लिये सहयोग

संयुक्त वक्तव्य में यह कहा गया है कि आसियान-भारत साझेदारी के माध्यम से हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA), बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल (BIMSTEC) और इंडोनेशिया-मलेशिया-थाईलैंड विकास त्रिभुज (IMT-GT) जैसे संगठनों में सहयोग को बढ़ाया जाएगा।

आसियान
(Association of South East Asian Nations – ASEAN)

- **स्थापना–** वर्ष 1967 आसियान घोषणा-पत्र (बैंकॉक घोषणा)
- **मुख्यालय–** जकार्ता, इंडोनेशिया
- **आसियान दिवस–** 8 अगस्त
- **संस्थापक देश–** इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड
- **सदस्य देश–** इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्याँमार तथा कंबोडिया
- **पर्यवेक्षक देश–** पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते
- **आदर्श वाक्य–** वन विषन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी

रूस-यूक्रेन के बीच भारत की मध्यस्थता

संदर्भ

हाल ही में, भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपनी रूसी यात्रा के दौरान बताया कि भारत वार्ता और कूटनीति (Dialogue and Diplomacy) की वापसी का पुरज़ोर समर्थन करता है तथा शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिये सम्मान एवं संयुक्त राष्ट्र चार्टर (UN Charter) के समर्थन का पक्षधर है।

प्रमुख बिंदु

- इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने कहा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण 'ग्लोबल साउथ' (Global South) अत्यधिक प्रभावित हो रहा है जो भोजन, उर्वरक और ईंधन की कमी का सामना कर रहा है।
  - 'ग्लोबल साउथ' शब्द लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया में विकासशील एवं अल्पविकसित देशों को संदर्भित करता है। इन्हें प्रायः 'तीसरी दुनिया' के देश भी कहा जाता है।
- भारत के अनुसार, यह युद्ध का युग नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की अन्योन्याश्रितता का समय है। विदित है कि वर्तमान संघर्ष अर्थव्यवस्था पर दो वर्ष के कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुए गंभीर तनावों से भी अधिक व्यापक प्रभाव छोड़ रहा है तथा विशेष रूप से ग्लोबल साउथ इस तनाव से अधिक प्रभावित हो रहा है।
- हाल ही में रूसी तेल को रियायती कीमतों पर खरीदने के लिये भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपने नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये ऐसा करना जारी रखेगा।
- विदित है कि भारत-रूस संबंधों के प्रमुख क्षेत्रों में परमाणु, अंतरिक्ष, रक्षा, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अफगानिस्तान मुद्दा, आतंकवाद आदि शामिल हैं।

मध्यस्थ के रूप में भारत की भूमिका

- रूस-यूक्रेन युद्ध की स्थिति में भारत ने स्वयं को एक तटस्थ राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है जो दोनों युद्धरत पक्षों के बीच मध्यस्थता कर सकता है।
- भारतीय प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर कई बार वार्ता की है जो यह स्पष्ट करता है कि भारत दोनों पक्षों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहा है।
- इस संघर्ष की स्थिति में भारत को मध्यस्थ बनने से पूर्व निम्नलिखित पक्षों पर विचार करना होगा–
  - भारत को रूस और यूक्रेन के साथ ही माल्डोवा, फिनलैंड, पोलैंड आदि देशों की आंतरिक गतिशीलता को समझना होगा। यूक्रेन और यूरोपीय भागीदारों के बीच गत्यात्मकता की समझ के साथ ही यह जानना आवश्यक है कि अंततः रूस क्या चाहता है तथा नाटो, यूरोप व अमेरिका के साझा हित क्या हैं।
  - रूस-यूक्रेन युद्ध की स्थिति में भारत का जोर वार्ता के पक्ष पर रहा है। विदित है कि 1950 के दशक की शुरुआत में भारत ने कोरियाई युद्ध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसमें कैदियों के प्रत्यावर्तन की सुविधा के लिये संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। दिसंबर 1952 में चीन और रूस के प्रारंभिक विरोध के बावजूद संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था और भारत के साथ 'तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन समिति' (NNRC) की स्थापना की गई।
  - इस वैश्विक संकट की स्थिति में पश्चिम के कुछ देश भारत को रूस के करीबी के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि भारत की मध्यस्थता के लिये यूक्रेन और रूस दोनों पक्षों की विश्वसनीयता एवं सहमति की आवश्यकता होगी।

आगे की राह

- अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए रूस-चीन के रणनीतिक गठबंधन को भारत के हितों के विपरीत माना जा रहा है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि रूस, भारत को अपनी रक्षा आपूर्ति मज़बूती से जारी रखे तथा चीन के साथ संवेदनशील प्रौद्योगिकियाँ साझा न करे।
- रूस ने आश्वासन दिया है कि वह भारत के साथ साझा की गई सैन्य तकनीकों को किसी अन्य देश को हस्तांतरित नहीं करता है। किंतु, भारत को उन हथियारों और प्रौद्योगिकियों के संबंध में खुफिया-साझाकरण व्यवस्था (Intelligence-Sharing Arrangements) के तहत इसे लगातार सत्यापित करते रहना चाहिये।

जी-20 का बाली शिखर सम्मेलन

संदर्भ

हाल ही में, नुसा दुआ (बाली, इंडोनेशिया) में जी-20 देशों ने 'रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर' (Recover Together, Recover Stronger) थीम के तहत 17वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया।

घोषणा-पत्र के महत्त्वपूर्ण बिंदु

रूसी आक्रामकता की निंदा

- जी-20 देशों ने रूसी आक्रामकता की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए बिना शर्त युद्ध समाप्ति की मांग की है।

- घोषणा में कहा गया है कि युद्ध भारी मानवीय पीड़ा का कारण बन रहा है; वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास को बाधित करने के साथ-साथ आपूर्ति शृंखला को कमज़ोर कर रहा है तथा ऊर्जा और खाद्य असुरक्षा के साथ वित्तीय स्थिरता जोखिमों को बढ़ा रहा है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर फोकस

- जी-20 अर्थव्यवस्थाओं ने स्पिलओवर (Spillover) से बचने के लिये सावधानी से ब्याज दर में वृद्धि पर सहमति व्यक्त की और मुद्रा चलन में 'बढ़ी हुई अस्थिरता' को लेकर चेतावनी दी है।
  - स्पिलओवर प्रभाव से आशय एक राष्ट्र में घटित होने वाली असंबद्ध घटनाओं का दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभाव से है। गौरतलब है कि यदि अमेरिकी ब्याज दर में आक्रामक वृद्धि जारी रहती है तो बड़ी मात्रा में पूंजी के बहिर्वाह की संभावना है।

खाद्य सुरक्षा

- जी-20 देशों ने खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिये समन्वित कार्रवाई करने का वादा किया और काला सागर अनाज पहल (Black Sea Grains Initiative) की सराहना की।
  - यह पहल यूक्रेन से शेष दुनिया के लिये महत्त्वपूर्ण खाद्य और उर्वरक निर्यात को फिर से शुरू करने से संबंधित है।

जलवायु परिवर्तन

- जी-20 नेताओं ने वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की तथा जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते (2015) के तापमान लक्ष्य के प्रति एकजुटता को प्रदर्शित किया।
- शिखर सम्मेलन के दौरान विकसित देशों ने इंडोनेशिया के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिये जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप (JETP) की शुरुआत की है। इसके तहत 3 से 5 वर्ष की अवधि में सार्वजनिक और निजी वित्तपोषण से 20 बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।

डिजिटल परिवर्तन

- सम्मेलन में सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की उपलब्धि में तेज़ी लाने के लिये डिजिटल परिवर्तन (Digital Transformation) विकसित करने पर बल दिया गया।
- जी-20 नेताओं ने विशेष रूप से महिलाओं, बालिकाओं और कमज़ोर लोगों के लिये डिजिटल कौशल तथा डिजिटल साक्षरता को विकसित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित किया।

स्वास्थ्य

- जी-20 समूह स्वस्थ और स्थायी सुधार को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है जो एस.डी.जी. के तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करने और बनाए रखने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- जी-20 समूह ने विश्व बैंक के महामारी कोष की स्थापना का स्वागत किया है। इस कोष का उद्देश्य विशेष रूप से निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया (Prevention, Preparedness and Response : PPR) में निवेश के माध्यम से भविष्य के वैश्विक स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने हेतु क्षमता को मज़बूत करना है।

जी-20 (G 20)

स्थापना	इस समूह की स्थापना वर्ष 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के पश्चात् वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के लिये वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी।
प्रतिनिधित्व	यह विश्व की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी मंच है। यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 80% का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 75% का और विश्व की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।
सदस्य देश	इसमें यूरोपीय संघ तथा 19 देश– अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्राँस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं।
सचिवालय एवं अध्यक्षता	इसका कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। प्रतिवर्ष चक्रीय आधार पर सदस्यों द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अध्यक्ष पद धारण करने वाला देश, पिछले अध्यक्ष और भावी अध्यक्ष के साथ मिलकर 'ट्रोइका' नामक समूह बनाता है जो जी-20 एजेंडे की निरंतरता को सुनिश्चित करता है।
शेरपा	जी-20 प्रक्रिया का नेतृत्व सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है जो नेताओं के व्यक्तिगत दूत होते हैं। शेरपा वर्ष के दौरान वार्ता की देखरेख करते हैं, शिखर सम्मेलन के एजेंडे पर चर्चा करते हैं तथा जी-20 के मूल कार्यों का समन्वय करते हैं।
जी-20 शिखर सम्मेलन	पहला जी-20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन डी.सी. में हुआ था। जबकि, इसके आगामी शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 में भारत, वर्ष 2024 में ब्राज़ील और वर्ष 2025 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किये जाएंगे।

❑❑❑

प्रश्नपत्र-III

आर्थिक घटनाक्रम

विश्व ऊर्जा आउटलुक 2022

संदर्भ

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण (IEA) ने 'विश्व ऊर्जा आउटलुक 2022' रिपोर्ट जारी की।

रूस का प्रभाव

- रूस-यूक्रेन संघर्ष वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों के लिये एक ऐतिहासिक मोड़ है क्योंकि ईंधन के लिये स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण के तीव्र प्रयास किये जा रहे हैं।
- रूस द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कटौती और वहाँ से तेल व कोयले के आयात पर आर्थिक प्रतिबंध से दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है।
  - विदित है कि रूस जीवाश्म ईंधन का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है।
- रिपोर्ट के अनुसार, यूरोप में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति अत्यधिक प्रभावित हुई है। शीतकाल के दौरान उत्तरी गोलार्द्ध में बिजली और ऊष्मा की मांग बढ़ जाती है। अत: यूरोपीय संघ के लिये अगले कुछ वर्ष चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।
  - यूरोप के 40% प्राकृतिक गैस की आपूर्ति रूस द्वारा की जाती रही है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार वाली प्राकृतिक गैस में रूस की हिस्सेदारी वर्ष 2021 में 30% से घटकर वर्ष 2030 में 15% रह सकती है। यदि आई.ई.ए. के सदस्य देश अपनी जलवायु प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं तो रूस का प्राकृतिक गैस व्यापार 10% तक कम हो जाएगा।

नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण की स्थिति

- प्राकृतिक गैस से नवीकरणीय ऊर्जा में संक्रमण के कारण प्राकृतिक गैस की मांग वर्ष 2050 तक वर्तमान की तुलना में 750 बिलियन क्यूबिक मीटर कम होने की उम्मीद है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक प्राकृतिक गैस की मांग में वर्ष 2030 तक 5% की वृद्धि हो सकती है जिसमें वर्ष 2050 तक अधिक परिवर्तन की संभावना नहीं है।
  - गौरतलब है कि दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के विकासशील देश ईंधन संक्रमण के लिये प्राकृतिक गैस को लेकर अब उत्साहित नहीं हैं।
- वर्तमान में वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में तेल की हिस्सेदारी 80% है। यह वर्ष 2030 तक कम होकर 75% और वर्ष 2050 तक लगभग 60% हो सकती है। साथ ही, वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन की मांग में कमी आने की संभावना है।
- वर्तमान नीतियों के अनुसार, दुनिया भर में बिजली उत्पादन लागत में वृद्धि के लिये प्राकृतिक गैस 50% ज़िम्मेदार है और इस दशक के अंत तक इसकी कीमतें उच्च-स्तर पर बनी रह सकती हैं।
  - नवीकरणीय बिजली उत्पादन की मामूली लागत ऊर्जा संक्रमण की क्षमता को प्रदर्शित करती है।

वैश्विक प्रयास

- वैश्विक ऊर्जा संकट के कारण सरकारों द्वारा ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों को झटका लगा है।
- देशों ने एक तरफ अल्पकालिक प्रयासों के रूप में जीवाश्म ईंधन में निवेश और सब्सिडी को बढ़ाने की कोशिश की है।
- दूसरी तरफ, रीपावरईयू (REPowerEU) जैसे कार्यक्रम और संयुक्त राज्य मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम जैसे कानून के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेज़ी लाने का प्रयास किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण (IEA)

- तेल आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 1974 में स्थापित यह अभिकरण एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसका विकास वर्ष 1973-74 के तेल संकट के साथ हुआ।
- यद्यपि ऊर्जा सुरक्षा इस अभिकरण का एक प्रमुख मिशन बना हुआ है, तथापि आई.ई.ए. वर्तमान में वैश्विक ऊर्जा विचार-विमर्श के केंद्र में है।
- आई.ई.ए. के संस्थापक सदस्यों में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और नॉर्वे (एक विशेष समझौते के तहत) शामिल थे।
- वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 31 है। इस समूह में कोरिया गणराज्य वर्ष 2002 में और लिथुआनिया वर्ष 2022 में शामिल हुआ।

भारतीय मुद्रा की संरचना

संदर्भ

वर्तमान में एक राजनीतिक दल द्वारा भारतीय मुद्रा पर देवी-देवताओं की तस्वीरों के प्रयोग की मांग की गई है। इससे पूर्व भी भारतीय मुद्राओं पर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरों के प्रयोग को लेकर मांग उठ चुकी है।

भारतीय मुद्रा की संरचना का निर्धारण

बैंक नोटों और सिक्कों के डिज़ाइन एवं रूप में परिवर्तन भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। उल्लेखनीय है कि नोट के डिज़ाइन में किसी भी बदलाव के लिये आर.बी.आई. के केंद्रीय बोर्ड और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जबकि, सिक्कों के डिज़ाइन में परिवर्तन केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है।

नोटों को जारी करना

- आर.बी.आई. का मुद्रा प्रबंधन विभाग नोटों का डिज़ाइन तैयार करता है जिसे स्वीकृति के लिये आर.बी.आई. के केंद्रीय बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा-22 आर.बी.आई. को भारत में बैंक नोट जारी करने का एकाधिकार प्रदान करती है।
  - हालाँकि, अधिनियम की धारा-25 के अनुसार, बैंक नोटों के डिज़ाइन, रूप और सामग्री से संबंधित आर.बी.आई. के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिशों पर केंद्र सरकार से अंतिम मंज़ूरी प्राप्त करनी होती है।

आर.बी.आई. द्वारा मुद्रा का प्रबंधन

आर.बी.आई. के मुद्रा प्रबंधन विभाग का मुख्य कार्य मुद्रा का प्रबंधन करना है। वर्तमान में इस विभाग के अध्यक्ष आर.बी.आई. के डिप्टी गवर्नर टी. रबी शंकर हैं। इस विभाग के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं–

- बैंक नोटों के डिज़ाइन का निर्धारण करना
- नोटों और सिक्कों की मांग का पूर्वानुमान लगाना
- पूरे देश में नोटों और सिक्कों का सुचारु वितरण सुनिश्चित करना
- प्रचलन से अनुपयुक्त हो चुके नोटों और सिक्कों की पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करना
- बैंक नोटों की सुरक्षा सुनिश्चित करना

- भारत के दो करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस नासिक और देवास में स्थापित हैं। ये प्रिंटिंग प्रेस भारत सरकार के स्वामित्व में हैं। जबकि, दो अन्य प्रिंटिंग प्रेस मैसूरु और सालबोनी में स्थापित हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड (BRBNML) के स्वामित्व में हैं।

सिक्कों की ढलाई

- सिक्का अधिनियम, 2011 केंद्र सरकार को विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों को डिज़ाइन करने और ढालने की शक्ति प्रदान करता है।
- विदित है कि केंद्र सरकार द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सिक्कों के वितरण का कार्य आर.बी.आई. द्वारा किया जाता है।
- वर्तमान में मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में भारत सरकार के स्वामित्व वाली चार टकसालों में सिक्कों की ढलाई की जाती है।

भारत में जारी नोटों के विभिन्न प्रकार

अशोक स्तंभ शृंखला	वर्ष 1949 में जारी	किंग जॉर्ज के चित्र के स्थान पर सारनाथ के अशोक स्तंभ के प्रतीक का अंकन।
महात्मा गांधी शृंखला	वर्ष 1996 में जारी	अशोक स्तंभ के प्रतीक के स्थान पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित।
महात्मा गांधी शृंखला	वर्ष 2005 में जारी	महात्मा गांधी के चित्र के साथ 10, 20, 50, 100, 500 और 1,000 रुपए के मूल्यवर्ग में नोट जारी (500 और 1,000 रुपए के नोटों का प्रचलन 8 नवंबर, 2016 की मध्यरात्रि से समाप्त हो गया)।
महात्मा गांधी (नई) शृंखला	वर्ष 2016 में जारी	नई शृंखला का पहला नोट 2,000 रुपए मूल्यवर्ग का 8 नवंबर, 2016 को मंगलयान की थीम के साथ प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् इस शृंखला में 500, 200, 100, 50, 20 और 10 रुपए के मूल्यवर्ग में नए बैंक नोट प्रस्तुत किये गए।

देवी-देवताओं की छवि वाले सिक्कों का प्रचलन

कुषाणकालीन सिक्के	तीसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान कुषाणों ने सिक्कों पर सबसे पहले देवी लक्ष्मी की छवि का अंकन किया। इन सिक्कों पर धन की ईरानी देवी अर्दोचशो (Ardochsho) का अंकन भी किया गया। इन्होंने अपने सिक्कों पर ओशो (शिव), चंद्र देवता मिरो और बुद्ध को भी चित्रित किया।
तुर्कों द्वारा जारी सिक्के	मोहम्मद गोरी द्वारा 1192 ई. में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के पश्चात् देवी लक्ष्मी के अंकन वाले सिक्के जारी किये गए।

विजयनगर साम्राज्य के सिक्के	विजयनगर के शासकों ने हिंदू देवी-देवताओं के अंकन वाले सिक्के जारी किये। हरिहर द्वितीय (1377-1404) ने ब्रह्मा-सरस्वती, विष्णु-लक्ष्मी और शिव-पार्वती वाले सिक्कों की शुरुआत की।

भारत में कृषि निर्यात की स्थिति

संदर्भ

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत के कृषि निर्यात में 16.5% की वृद्धि हुई है।

प्रतिबंधों के बावजूद निर्यात में वृद्धि

- गेहूँ, चावल और चीनी जैसे उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद इनके निर्यात में प्रभावशाली वृद्धि हुई है।
- केंद्र सरकार ने इस वर्ष मई में गेहूँ के निर्यात पर रोक लगा दी थी। इसके उपरांत, वाणिज्य मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान गेहूँ का निर्यात 45.90 लाख टन (LT) रहा जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 23.76 एल.टी. का लगभग दोगुना है।
- इस वर्ष मई में चीनी निर्यात को 'मुक्त' से 'प्रतिबंधित' सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बावजूद चीनी वर्ष 2021-22 (अक्तूबर से सितंबर) के लिये कुल चीनी निर्यात 100 एल.टी. रहा।
  - अप्रैल-सितंबर 2022 के दौरान मूल्य के संदर्भ में चीनी निर्यात 45.5% बढ़कर 2.65 बिलियन डॉलर हो गया जो वित्त वर्ष 2021-22 में 4.6 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च-स्तर को पार करने की ओर अग्रसर है।
- सितंबर 2022 में टूटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और अन्य सभी अधपके (Non-Parboiled) गैर-बासमती चावल के लदान (Shipment) पर 20% शुल्क लगाया गया था।
  - इसके बावजूद, गैर-बासमती चावल का निर्यात अप्रैल-सितंबर 2021 में 82.26 एल.टी. से बढ़कर अप्रैल-सितंबर 2022 में 89.57 एल.टी. तथा इसी अवधि के दौरान बासमती चावल का निर्यात 19.46 एल.टी. से बढ़कर 21.57 एल.टी. हो गया।

आयात में वृद्धि

- वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का कृषि निर्यात 50.2 बिलियन डॉलर, जबकि आयात 32.4 बिलियन डॉलर था। इस प्रकार, 17.8 बिलियन डॉलर का अधिशेष रहा जो वित्त वर्ष 2013-14 के सर्वकालिक उच्च-स्तर (27.7 बिलियन डॉलर) से काफी कम है।
- चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कुल कृषि अधिशेष में और भी कमी देखी गई है जिसका कारण निर्यात (16.5%) की तुलना में आयात में अधिक वृद्धि दर (27.7%) का होना है। कृषि अधिशेष का देश के भुगतान संतुलन में विशेष महत्त्व है क्योंकि यह सॉफ्टवेयर सेवाओं के अलावा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ भारत तुलनात्मक रूप से लाभ की स्थिति में है।
- वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में, भारत का समग्र वस्तु व्यापार खाते का घाटा अप्रैल-सितंबर 2021 में 76.25 बिलियन डॉलर था जो बढ़कर इस वर्ष अप्रैल-सितंबर में 146.55 बिलियन डॉलर हो गया है। इसी अवधि के दौरान, कृषि व्यापार में अधिशेष 7.86 अरब डॉलर से कम होकर 7.46 अरब डॉलर हो गया है।

व्यापार संरचना में रुझान

तालिका में भारत की शीर्ष कृषि निर्यात वस्तुओं को दर्शाया गया है। इन सभी 15 वस्तुओं में से प्रत्येक का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 1 बिलियन डॉलर से अधिक रहा। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में भी दो फसलों– कपास और मसालों के निर्यात को छोड़कर सभी ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज़ की है।

INDIA'S TOP AGRI-EXPORT ITEMS (IN $ MN)

	2021-22	Apr-Sep 2021	Apr-Sep 2022
Marine products	7772.36	3836.75	4120.08
Non-basmati rice	6133.63	2968.77	3207.29
Basmati rice	3537.49	1659.60	2279.66
Sugar	4602.65	1820.68	2649.00
Spices	3896.03	1992.11	1928.67
Buffalo meat	3303.78	1593.60	1636.54
Raw cotton	2816.24	1137.83	435.87
Wheat	2122.13	630.15	1487.47
Fruits & Vegetables	1692.48	736.71	752.98
Processed F&V	1190.59	583.89	694.63
Castor oil	1175.50	615.62	662.93
Oilseeds	1113.65	453.28	531.02
Other cereals	1087.39	467.42	524.85
Oil meals	1031.94	471.65	556.61
Coffee	1020.74	460.40	610.23
TOTAL*	50240.21	22984.54	26771.64

कपास निर्यात

- अप्रैल-सितंबर 2021 के दौरान कपास निर्यात 1.1 बिलियन डॉलर था जो अप्रैल-सितंबर 2022 में कम होकर 436 मिलियन डॉलर हो गया है तथा आयात लगभग 300 मिलियन डॉलर से बढ़कर 1.1 बिलियन डॉलर हो गया है।
- यह मुख्य रूप से कम घरेलू उत्पादन के कारण हुआ है जिसने मिलों को आयात करने के लिये मजबूर किया।

मसाला निर्यात

- भारत से मसाला निर्यात मुख्य रूप से मिर्च, पुदीना उत्पादों, तेलों, जीरा, हल्दी और अदरक आदि का होता है। दूसरी ओर, काली मिर्च और इलायची जैसे पारंपरिक मसालों में देश निर्यातक के साथ-साथ आयातक भी बन गया है।

- काली मिर्च के निर्यात में भारत, वियतनाम, श्रीलंका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से पीछे है, जबकि इलायची में ग्वाटेमाला के मुकाबले भारत की बाज़ार हिस्सेदारी कम हो गई है।

काजू निर्यात

- एक अन्य पारंपरिक निर्यात उत्पाद काजू के मामले में भी भारत आयातक देश बन गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में, 1.26 बिलियन डॉलर के आयात की तुलना में, देश का काजू निर्यात 453.08 मिलियन डॉलर था।
- चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान काजू का आयात बढ़कर 1.4 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है।

वनस्पति तेल निर्यात

- भारत के कुल कृषि आयात के लगभग 60% में वनस्पति तेलों की हिस्सेदारी है। वित्त वर्ष 2021-22 में इनके आयात का मूल्य 19 बिलियन डॉलर था जिसमें चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 25% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।
- वनस्पति तेल वर्तमान में पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोना और कोयले के बाद देश की पाँचवीं सबसे बड़ी आयात की जाने वाली वस्तु है।

कालानमक चावल

संदर्भ

हाल ही में, कालानमक चावल की प्रजाति में लॉजिंग की समस्या से निपटने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) ने इसकी दो बौनी किस्मों का विकास किया है।

पूसा नरेंद्र कालानमक

- इन किस्मों के नाम 'पूसा नरेंद्र कालानमक 1638' और 'पूसा नरेंद्र कालानमक 1652' रखा गया है। नई किस्म के दाने छोटे हैं।
- इसके लिये चावल की किस्म 'बिंदली म्यूटेंट 68' से बौने जीन का प्रजनन करवाया गया और 'पूसा बासमती 1176' के जीन को पेरेंट के रूप में कालानमक के साथ क्रॉस करने के लिये इस्तेमाल किया गया था।
- नई किस्मों में ब्लाइट टॉलरेंट जीन को भी शामिल किया गया है। ब्लाइट जीवाणु रोग पारंपरिक किस्म के लिये एक प्रमुख समस्या थी।
- नई विकसित किस्मों का परीक्षण अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किया गया था जो इनके नामकरण (नरेंद्र) में भी प्रदर्शित होता है।

कालानमक चावल के बारे में

- कालानमक चावल काली भूसी और तेज़ सुगंध वाली धान की एक पारंपरिक किस्म है।
- यह उत्तर प्रदेश के उत्तर-पूर्वी हिस्से में तराई क्षेत्र के 11 ज़िलों (लगभग एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में) और नेपाल में उगाई जाने वाली चावल की एक प्रमुख किस्म है। इसकी पारंपरिक किस्म में कम उपज का एक प्रमुख कारण 'लॉजिंग' है।

लॉजिंग (Lodging)

लॉजिंग एक ऐसी स्थिति है जिसमें चावल के दाने बनने के क्रम में पौधे का शीर्ष भारी होने के साथ-साथ तना कमज़ोर हो जाता है। इससे पौधे ज़मीन पर गिर जाते हैं।

- नई किस्में अधिक सुगंधित और उत्कृष्ट पोषण गुण से भी युक्त हैं। पारंपरिक कालानमक चावल में 2.5 टन उत्पादन की तुलना में नई किस्म की उत्पादकता बढ़कर 4.5 से 5 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है।
- पारंपरिक कालानमक चावल को भौगोलिक संकेतक (GI Tag) प्राप्त है। इसके जी.आई. आवेदन में उल्लेख है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद श्रावस्ती के लोगों को कालानमक चावल उपहार में दिया था, ताकि वे उसे इसकी सुगंध से याद रखें।

कालानमक चावल से लाभ

- इसमें जस्ते और लोहे की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है जो तत्त्वों की कमी से होने वाले रोगों से बचाती है।
- इसके नियमित सेवन से अल्ज़ाइमर रोग से बचाव होता है तथा इसमें मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्त्व कुपोषण से निपटने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- इसमें मौजूद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं। यह पाचन शक्ति बढ़ाकर पेट संबंधी विकारों को दूर करता है तथा शरीर में कोलेस्ट्रॉल संतुलन बनाए रखता है।
- यह रक्त शर्करा/ग्लूकोज़ स्तर के संतुलन के लिये बहुत फायदेमंद होता है। इसके अतिरिक्त, हृदय और फेफड़ों के साथ ऊतकों को भी स्वस्थ रखता है तथा शरीर से मौजूद टॉक्सिन को बाहर निकालता है।
- इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कम होता है जिससे इसका उपयोग मधुमेह रोगी भी कर सकते हैं।

- ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेटयुक्त खाद्य पदार्थों के लिये रेटिंग का एक तरीका है जो यह बताता है कि प्रत्येक भोजन व्यक्ति के रक्त शर्करा के स्तर को कितना जल्दी प्रभावित करता है।

डिजिटल रुपया पायलट

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 नवंबर, 2022 से केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा-थोक खंड (e₹-W) का प्रायोगिक परिचालन प्रारंभ किया। यह भारत का पहला डिजिटल रुपया (Digital Rupee) पायलट लॉन्च है।

प्रमुख बिंदु

- e₹-W के उपयोग से अंतर-बैंक बाज़ार को और अधिक कुशल बनाने की उम्मीद है। थोक डिजिटल मुद्रा को चुनिंदा वित्तीय संस्थानों तक सीमित पहुँच के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- इस प्रायोगिक परिचालन में भाग लेने के लिये 9 बैंकों की पहचान की गई है।
- इसमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एच.डी.एफ.सी. बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक और एच.एस.बी.सी. शामिल हैं।
- साथ ही, डिजिटल रुपया-खुदरा खंड (e₹-R) का पहला प्रायोगिक परिचालन सीमित उपयोगकर्ता समूहों के लिये चुनिंदा स्थानों पर कुछ ही समय में शुरू करने की योजना है।

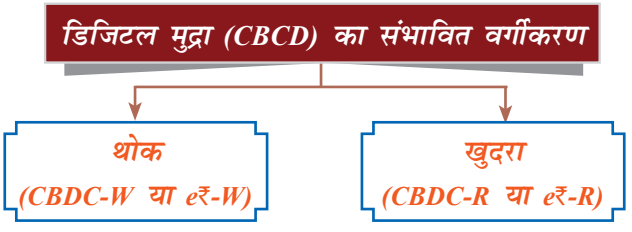

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा

- डिजिटल रुपया एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (Central Bank Digital Currency - CBDC) है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्लॉकचेन एवं अन्य तकनीकों पर आधारित डिजिटल रूप में जारी एक कानूनी निविदा है।
  - सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) या डिजिटल रुपया केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किये गए मुद्रा नोटों का एक डिजिटल रूप है।
- यह कागज़ में जारी एक फिएट मुद्रा (Fiat Currencies) के समान है और किसी भी अन्य फिएट मुद्रा के साथ विनिमय करने योग्य है।
- यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक संप्रभु मुद्रा है जो केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में देयता के रूप में दिखाई देगी। केंद्रीय बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल मुद्रा की घोषणा की थी।
- ध्यातव्य है कि सी.बी.डी.सी. भौतिक नकदी (Physical Cash) से केवल इस रूप में भिन्न है कि यह डिजिटल रूप में मौजूद होगी। इसे एक डिजिटल वॉलेट में रखा जाएगा जिसकी निगरानी आर.बी.आई. करेगा।

सी.बी.डी.सी. का महत्त्व

- इस मुद्रा का स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण इसे जारी करने की लागत वास्तविक नकदी को प्रिंट करने और वितरित करने की लागत से काफी कम होगी।
- भारत डिजिटल भुगतान में अग्रणी है, लेकिन अभी भी कम मूल्यों के लेनदेन के लिये नकद का अधिक उपयोग किया जाता है। इस डिजिटल मुद्रा से भौतिक नकदी के उपयोग को कम किया जा सकता है।
- भौतिक नकदी के विपरीत इस मुद्रा को केंद्रीय बैंक द्वारा आसानी से ट्रैक और नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा, यह मुद्रा वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देगी।

डिजिटल रुपए के लाभ

- विनिमय लागत में कमी
- सरकार के अधिकृत नेटवर्क के तहत होने वाले सभी लेनदेन तक आसान पहुँच संभव
- प्रत्येक अंतर्देशीय एवं अंत:देशीय लेनदेन को प्रासंगिक कानूनों के अधीन करना
- सुरक्षित वित्तीय वातावरण का सृजन
- डिजिटल मुद्रा की भौतिक क्षति संभव नहीं होने से इसका जीवन काल स्थायी
- डिजिटल मुद्रा के गायब होने तथा जाली मुद्रा की संभावना नहीं

❑❑❑

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिज़र्व दिवस

संदर्भ

3 नवंबर, 2022 को पहले अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिज़र्व दिवस का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस दिवस की घोषणा यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित आम सभा के 41वें सत्र में की गई थी।
- इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य आधुनिक जीवन के लिये सतत् विकास के दृष्टिकोण और यूनेस्को के बायोस्फीयर रिज़र्व के विश्व नेटवर्क (World Network of Biosphere Reserves) की अग्रणी एवं अनुकरणीय भूमिका को प्रस्तुत करना है।

क्या है बायोस्फीयर रिज़र्व

- बायोस्फीयर रिज़र्व 'सतत् विकास के प्रेरक स्थान' होते हैं। इनके अंतर्गत स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को शामिल किया जाता है।
- ये स्थल सतत् उपयोग के साथ जैव-विविधता के संरक्षण से संबंधित समाधानों को बढ़ावा देते हैं।
- ये रिज़र्व स्थानीय समुदायों और इच्छुक हितधारकों को शामिल करते हुए तीन मुख्य कार्यों को एकीकृत करते हैं–
  - जैव-विविधता और सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करना
  - सामाजिक-सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ आर्थिक विकास करना
  - अनुसंधान, निगरानी, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से विकास को रेखांकित करना

- इन तीन कार्यों को बायोस्फीयर रिज़र्व के तीन मुख्य क्षेत्रों के माध्यम से संपन्न किया जाता है–

कोर क्षेत्र (Core Areas)

यह बायोस्फीयर रिज़र्व का मुख्य क्षेत्र होता है जो परिदृश्य, पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक भिन्नता के संरक्षण में योगदान देता है।

बफर ज़ोन (Buffer Zones)

- यह जोन कोर क्षेत्र के चारों ओर स्थापित होता है और इसका उपयोग पूर्णतया नियंत्रित व गैर-विध्वंसक गतिविधियों के लिये किया जाता है। ये गतिविधियाँ पारिस्थितिक प्रथाओं के अनुकूल होती हैं।
- ये गतिविधियाँ वैज्ञानिक अनुसंधान, निगरानी, प्रशिक्षण और शिक्षा को प्रोत्साहित करती हैं।

संक्रमण क्षेत्र (Transition Area)

यह रिज़र्व का सबसे बाह्य हिस्सा होता है। यह वह क्षेत्र है जहाँ समुदाय सामाजिक-सांस्कृतिक और पारिस्थितिक रूप से स्थायी आर्थिक एवं मानवीय गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।

मैन एंड बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम

- यह बायोस्फीयर रिज़र्व से संबंधित यूनेस्को का एक अंतर-सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसे वर्ष 1971 में शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य लोगों और उनके वातावरण के मध्य संबंधों को बढ़ाने के लिये एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है।
- यह मानव आजीविका में सुधार लाने और पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिये प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान को जोड़ता है।
- विदित है कि वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत बायोस्फीयर रिज़र्व के विश्व नेटवर्क में 134 देशों के 738 बायोस्फीयर रिज़र्व शामिल हैं जिनमें से 22 ट्रान्सबाउंड्री साइट हैं। इस नेटवर्क में स्पेन के 53 बायोस्फीयर रिज़र्व शामिल हैं जो विश्व में सर्वाधिक है।

दक्षिण एशिया में बायोस्फीयर रिज़र्व

- वर्तमान में एम.ए.बी. कार्यक्रम के तहत दक्षिण एशिया में 30 से अधिक बायोस्फीयर रिज़र्व स्थापित किये जा चुके हैं।
- यूनेस्को द्वारा वर्ष 1977 में स्थापित दक्षिण एशिया का पहला बायोस्फीयर रिज़र्व श्रीलंका का 'हुरुलु' था। यहाँ लगभग 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं।
- इस नेटवर्क में भारत का पहला बायोस्फीयर रिज़र्व वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। यह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल

में विस्तृत 'नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व' है। वर्तमान में भारत में स्थापित 18 बायोस्फीयर रिज़र्व में से 12 को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल किया जा चुका है।

- इस नेटवर्क में श्रीलंका के 4 और मालदीव के 3 रिज़र्व शामिल हैं। जबकि, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में अभी तक कोई अधिसूचित रिज़र्व नहीं है।

विश्व नेटवर्क में भारत के बायोस्फीयर रिज़र्व

बायोस्फीयर रिज़र्व	संबंधित राज्य
नीलगिरि	तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक
मन्नार की खाड़ी	तमिलनाडु
सुंदरबन	पश्चिम बंगाल
नंदा देवी	उत्तराखंड
नोकरेक	मेघालय
पंचमढ़ी	मध्य प्रदेश
सिमलीपाल	ओडिशा
अचनकमार-अमरकंटक	मध्य प्रदेश
ग्रेट निकोबार	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
अगस्त्यमाला	केरल
खंगचेंदज़ोंगा (कंचनजंघा)	सिक्किम
पन्ना	मध्य प्रदेश

ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने खरपतवारनाशी 'ग्लाइफोसेट' के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- ग्लाइफोसेट को मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिये खतरा और मनुष्यों एवं पशुओं के लिये हानिकारक पदार्थ माना है।
- सरकार ने इस खरपतवारनाशी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है। वर्तमान में इसका प्रयोग केवल 'कीट नियंत्रण संचालकों' के माध्यम से किया जा सकेगा।

क्या है ग्लाइफोसेट

- ग्लाइफोसेट व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक खरपतवारनाशी है जो वृद्धि के लिये आवश्यक एंज़ाइम को अवरुद्ध कर खरपतवार को नष्ट करता है।
- इसके प्रमुख घटकों में अमोनियम, पोटेशियम, सोडियम, आइसोप्रोपिलमाइन और ट्राइमेथिलसल्फोनियम या ट्राइमेसियम के लवण शामिल हैं।

खरपतवार

खरपतवार वे अवांछनीय पौधे होते हैं जो पोषक तत्त्वों, पानी और धूप के लिये फसलों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करते हैं। ये मूल रूप से फसलों की कीमत पर उगते हैं, इसलिये किसान इन्हें खरपतवारनाशी का छिड़काव करके नष्ट करते हैं।

ग्लाइफोसेट की विशेषताएँ

- यह एक गैर-चयनात्मक पदार्थ है जो खरपतवारों को नष्ट करने के साथ-साथ फसलों को भी हानि पहुँचाता है।
- यह चाय या रबर के बागानों के लिये उपयोगी है, परंतु जिन खेतों में फसलें और खरपतवार लगभग समान स्तर पर उगते हैं, वहाँ इसका प्रयोग हानिकारक होता है।

भारत में उपयोग

- कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत नौ ग्लाइफोसेट आधारित खरपतवारनाशियों को सूचीबद्ध किया गया है।
- ये भारत में बड़े पैमाने पर चाय या रबर के बागानों और गैर-फसल क्षेत्रों, जैसे– रेलवे ट्रैक या खेल के मैदानों में खरपतवार नियंत्रण के लिये प्रयोग में लाए जाते हैं।
- विदित है कि इनका प्रयोग सामान्य कृषि फसलों में पहले से ही प्रतिबंधित है। किंतु, आनुवंशिक रूप से संवर्द्धित (Genetic Modification) फसलों में इनका प्रयोग किया जाता है।

स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ

- ग्लाइफोसेट से कैंसर, प्रजनन दोष, विकासात्मक विषाक्तता तथा तंत्रिका एवं प्रतिरक्षा विषाक्तता में वृद्धि होने की संभावना होती है।

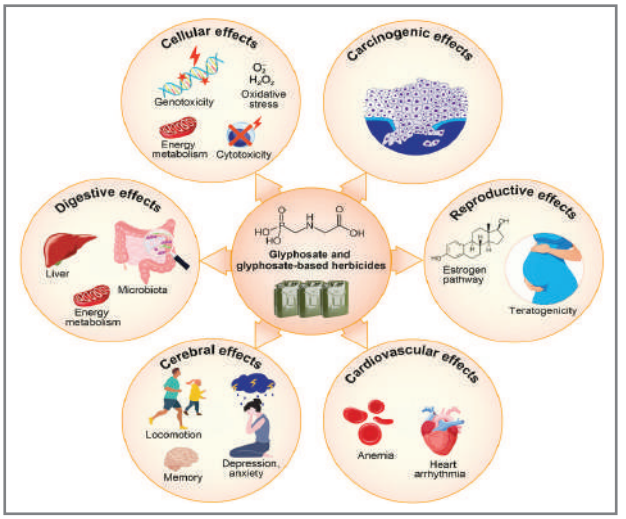

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) ने ग्लाइफोसेट को 'मनुष्यों के लिये कार्सिनोजेनिक' के रूप में वर्गीकृत किया है।
- वहीं दूसरी ओर, अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार, ग्लाइफोसेट का मानव स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है तथा इससे कैंसर होने का भी कोई साक्ष्य नहीं है।
- यूरोपीय रसायन एजेंसी के अनुसार, ग्लाइफोसेट को एक कार्सिनोजेनिक, म्यूटाजेनिक (डी.एन.ए. परिवर्तन का कारण) या रिप्रोटॉक्सिक पदार्थ के रूप में वर्गीकृत करना उचित नहीं है।

ब्लू फ्लैग प्रमाणन

संदर्भ

हाल ही में, केंद्र-शासित प्रदेश लक्षद्वीप में दो समुद्र तटों– मिनिकॉय थुंडी और कदमत को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको-लेबल 'ब्लू फ्लैग' प्रमाणन प्रदान किया गया है।

भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट

- इन दोनों तटों को शामिल करते हुए वर्तमान में भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या 12 हो गई है।
- अक्तूबर 2020 में भारत के आठ समुद्र तटों को पहली बार ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया था। इन समुद्र तटों में शिवराजपुर (गुजरात), घोघला (दीव), कासरकोड (कर्नाटक), पदुबिद्री (कर्नाटक), कप्पड़ (केरल), गोल्डन (ओडिशा), रुशिकोंडा (आंध्र प्रदेश) और राधानगर (अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह) शामिल हैं।
- इसके पश्चात् सितंबर 2021 में दो अन्य समुद्र तटों– ईडन (पुदुचेरी) और कोवलम (तमिलनाडु) को भी ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया।

क्या है ब्लू फ्लैग प्रमाणन

- समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा डेनमार्क स्थित 'फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन' (FEE) द्वारा प्रदान किया जाता है।
- यह एक स्वैच्छिक टैग है जो पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ समुद्र तटों को स्वच्छ सुविधाओं के लिये दिया जाता है।
- यह दर्जा निर्धारित मानकों पर खरा उतरने की स्थिति में प्रदान किया जाता है। इन मानकों के अंतर्गत तटों को पर्यावरण अनुकूल बनाना, प्लास्टिक व कचरा मुक्त करना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुनिश्चित करना शामिल हैं।

ब्लू फ्लैग प्रमाणन की शुरुआत

- इस कार्यक्रम को वर्ष 1985 में फ्राँस में शुरू किया गया जिसे वर्ष 1987 से अन्य यूरोपीय देशों में विस्तारित कर दिया गया था। यूरोप के बाहर के देशों में इस कार्यक्रम को वर्ष 2001 से शुरू किया गया था।
- जापान और दक्षिण कोरिया इस प्रमाणन को प्राप्त करने वाले पहले एशियाई देश हैं।
- एफ.ई.ई. ने अब तक 50 देशों के 5,000 से अधिक समुद्र तटों को यह प्रमाणन प्रदान किया है। सर्वाधिक ब्लू फ्लैग प्रमाणन दर्जा प्राप्त समुद्र तट स्पेन में स्थित हैं। इसके पश्चात् ग्रीस का स्थान है।

पात्रता मानदंड

- एफ.ई.ई. द्वारा समुद्र तटों के लिये 33 मानदंडों की एकशृंखला की पहचान की गई है। इन्हें चार श्रेणियों में बाँटा गया है–
  - जल की गुणवत्ता
  - पर्यावरणीय शिक्षा और सूचना
  - पर्यावरणीय प्रबंधन
  - सुरक्षा और सेवाएँ

ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लाभ

- ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले समुद्र तट वैश्विक मानचित्र पर स्थापित हो जाते हैं। भारत अब विश्व के 50 ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाले देशों में शामिल हो गया है। इस प्रमाणन के द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
- इस प्रमाणन के बाद समुद्र तटों के सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढाँचे के विकास को भी बढ़ावा मिलता है। विदित है कि वर्ष 2020 में तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) नियमों के तहत समुद्र तटों और द्वीपों पर निर्माण एवं अन्य संबंधित गतिविधियों में छूट दी गई थी।

फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन

यह एक गैर-लाभकारी संगठन है जो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से सतत् विकास को बढ़ावा देता है। यह मुख्य रूप से पाँच पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रमों को संचालित करता है– ब्लू फ्लैग, इको-स्कूल, यंग रिपोर्टर फॉर द एनवायरनमेंट, लर्निंग अबाउट फॉरेस्ट और ग्रीन की।

मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट

संदर्भ

विश्व के सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में मैंग्रोव वनों की महत्ता को समझते हुए भारत ने हाल ही में 'मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट' (MAC) में शामिल होने का निर्णय लिया है।

क्या है मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (MAC)

- इसे मिस्र के शर्म अल-शेख में कॉप-27 (COP-27) शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया एवं संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व में लॉन्च किया गया है।
- इसमें भारत के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका शामिल हैं।

उद्देश्य

- एम.ए.सी. वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव वनों के संरक्षण और बहाली को बढ़ाने तथा जलवायु परिवर्तन शमन एवं अनुकूलन के लिये इन पारिस्थितिकी तंत्रों के महत्त्व को रेखांकित करता है।
- यह जलवायु परिवर्तन के लिये प्रकृति आधारित समाधान के रूप में मैंग्रोव की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा।

मैंग्रोव वन

- मैंग्रोव एक झाड़ी या छोटा वृक्ष है जो समुद्र तट के किनारे उगता है और इसकी जड़ें प्रायः पानी के नीचे लवणीय तलछट में होती हैं। ये वन दलदली क्षेत्र में भी पनपते हैं।
- ये वन चरम मौसमी परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं और इन्हें जीवित रहने के लिये निम्न ऑक्सीजन स्तर की आवश्यकता होती है।
- ये सामान्यतया उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में पाए जाते हैं। ये कम तापमान वाले उच्च अक्षांशों में जीवित नहीं रह सकते हैं।
- विदित है कि मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के उद्देश्य से यूनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मैंग्रोव अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।

मैंग्रोव वनों की भूमिका

- मैंग्रोव वन, स्थलीय वनों की तुलना में प्रति हेक्टेयर दस गुना अधिक कार्बन संचय कर सकते हैं। इसके अलावा, ये भूमि आधारित उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में 400% तेज़ी से कार्बन को संगृहीत करने के साथ ही नए कार्बन सिंक बनाने में मदद कर सकते हैं।
- जब मैंग्रोव पौधे मृत हो जाते हैं तब वे संगृहीत कार्बन का मृदा में निपटान कर देते हैं जिसे 'ब्लू कार्बन' कहा जाता है।
- इसके अलावा, मैंग्रोव वन ज्वार और चक्रवात के विरुद्ध प्राकृतिक बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं तथा ये प्रतिवर्ष 65 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति के नुकसान को रोकते हैं।
- विश्व स्तर पर मत्स्य आबादी का 80% स्वस्थ मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर करता है। इस प्रकार, ये समुद्री जैव-विविधता के लिये प्रजनन आधार भी प्रदान करते हैं।

भारत में मैंग्रोव वन

- दक्षिण एशिया के कुल मैंग्रोव क्षेत्र का लगभग आधा भारत में पाया जाता है।
- 'वन स्थिति रिपोर्ट 2021' के अनुसार, देश में कुल मैंग्रोव आच्छादन 4,992 वर्ग किमी. है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है।
- वर्ष 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैंग्रोव आच्छादन में वर्ष 2021 में 17 वर्ग किमी. की वृद्धि दर्ज की गई है।
- सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य पश्चिम बंगाल (42.33%) है। इसके बाद सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र क्रमशः गुजरात (23.54%), अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (12.34%) तथा आंध्र प्रदेश (8.11%) में है। विदित है कि पश्चिम बंगाल का सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है।
- मैंग्रोव आच्छादित अन्य राज्यों में महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और केरल शामिल हैं।

ग्रीनवाशिंग

संदर्भ

हाल ही में, कॉप-27 के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 'ग्रीनवाशिंग' के लिये शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) का आह्वान किया है। गुटेरेस ने निजी निगमों को ग्रीनवाशिंग प्रथाओं से दूर रहने और एक वर्ष के अंतर्गत अपने तरीके सुधारने की चेतावनी दी है।

क्या है ग्रीनवाशिंग

- ग्रीनवाशिंग से तात्पर्य जलवायु कार्रवाई में अनुचित व्यवहार के प्रयोग से है। निजी कंपनियाँ, निगम और कभी-कभी देश भी, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये किये जा रहे कार्यों और इन कार्यों के प्रभावों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।
- इस प्रक्रिया में वे भ्रामक जानकारी प्रदान करते हैं, असत्यापित दावे करते हैं तथा कभी-कभी अपने उत्पादों या प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्ट रूप से झूठ बोलते हैं और गुमराह करते हैं।
- इस प्रकार, ग्रीनवाशिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंपनियाँ या नागरिक प्रशासक पर्यावरण के लिये वास्तव में जितना करते

हैं, वह उससे कहीं अधिक प्रचारित करते हैं। इस प्रक्रिया में किसी उत्पाद या नीति को वास्तविकता से अधिक पर्यावरण के अनुकूल या कम हानिकारक बताया जाना शामिल हो सकता है।

- विदित है कि इस शब्द का प्रयोग पहली बार पर्यावरणविद् जे. वेस्टरवेल्ड द्वारा वर्ष 1986 में किया गया था।

ग्रीनवाशिंग के उदाहरण

- कई कंपनियों, निगमों, शहरों, राज्यों और देशों ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्धता प्रकट की है, परंतु विनियमन के अभाव में इन प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं किया जाता है।
- एक अनुमान के अनुसार, वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 75% के लिये कोयला, तेल और गैस उत्तरदायी हैं जो शुद्ध शून्य उत्सर्जन की लक्ष्य प्राप्ति के प्रयासों से पूरी तरह से असंगत है।
- अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग ने वॉलमार्ट कंपनी पर ग्राहकों को गुमराह करने के लिये 5.5 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया क्योंकि इसने घर के सजावटी सामानों को बाँस से निर्मित बताकर बेचा था, जबकि ये रेयॉन से बने थे।
  - विदित है कि रेयॉन सेल्युलोज से बना एक फाइबर है जिसके निर्माण में सोडियम हाइड्रॉक्साइड जैसे हानिकारक रसायनों का उपयोग होता है जो पर्यावरण के लिये खतरनाक हैं।
- जर्मन कार कंपनी वोक्सवैगन पर ग्रीन डीज़ल वाहनों के उत्सर्जन परीक्षण में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। इसके अलावा, शेल मेक्स और बी.पी. लिमिटेड तथा कोका कोला जैसी कई अन्य बहुराष्ट्रीय निगमों को भी ग्रीनवाशिंग के आरोपों का सामना करना पड़ा है।

कार्बन क्रेडिट पर ग्रीनवाशिंग का प्रभाव

- वर्तमान में अनौपचारिक बाज़ारों में सभी प्रकार की गतिविधियों के लिये कार्बन क्रेडिट उपलब्ध हैं, जैसे- वृक्ष लगाना, एक निश्चित प्रकार की फसल उगाना, कार्यालय भवनों में ऊर्जा कुशल उपकरण स्थापित करना आदि।
  - ये क्रेडिट सामान्यतया अनौपचारिक तृतीय पक्ष की कंपनियों द्वारा प्रमाणित किये जाते हैं और अन्य कंपनियों को बेचे जाते हैं। इन लेनदेनों में ईमानदारी का अभाव पाया जाता है।
- भारत एवं ब्राज़ील जैसे देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल के तहत भारी मात्रा में कार्बन क्रेडिट जमा किया था जिसे वे पेरिस समझौते के तहत स्थापित किये जा रहे नए बाज़ार में स्थानांतरित करना चाहते हैं।
  - किंतु, कई विकसित देशों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इनके अनुसार, ये कार्बन उत्सर्जन में कमी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

कार्बन क्रेडिट

किसी देश या फर्म द्वारा पर्यावरण में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के सापेक्ष दिये जाने वाले क्रेडिट को कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। इसे उन संस्थाओं द्वारा खरीदा जा सकता है जो अपने कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

ग्रीनवाशिंग से निपटने के लिये सुझाव

- वित्तीय संस्थानों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने और कोयला, तेल एवं गैस के रूप में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में निवेश को हतोत्साहित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
- कंपनियों को अपनी संपूर्ण मूल्यशृंखला में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में कार्य करना चाहिये और अपने प्रयासों कोशृंखला के केवल एक स्तर तक सीमित नहीं करना चाहिये।
- कंपनियों को किसी भी प्रकार से जीवाश्म ईंधन के उपयोग में निवेश नहीं करना चाहिये तथा वनों की कटाई और अन्य पर्यावरणीय विनाशकारी गतिविधियों में संलग्न नहीं होना चाहिये।
- सभी राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ताओं को एक 'न्यायसंगत संक्रमण' सुनिश्चित करना चाहिये, ताकि आजीविका प्रभावित न हो।

उपआर्कटिक बोरियल वन पर खतरा

संदर्भ

बोरियल वन पृथ्वी पर अमेज़न वर्षावन के पश्चात् सर्वाधिक प्रमुख वन है जो वर्तमान में दक्षिण अमेरिकी वर्षावन के समान ही जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहे हैं।

क्या है बोरियल वन

- इन वनों का नाम उत्तरी हवा के ग्रीक देवता 'बोरियस' के नाम पर रखा गया है। ये वन विश्व की कुल भूमि के लगभग 10% भाग पर आच्छादित है जो आर्कटिक महासागर के निकट पाए जाते हैं।
- कनाडा, स्कैंडिनेविया, रूस और अलास्का में विस्तृत बोरियल वनों की एक लंबी शृंखला वनाग्नि, पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने एवं निरंतर बढ़ते तापमान के कारण संकट में है।

बोरियल वन का महत्त्व

- यह वन लगभग 1.2 बिलियन हेक्टेयर (लगभग 3 बिलियन एकड़) क्षेत्र में विस्तृत है जो विश्व की कुल वन भूमि का लगभग एक-तिहाई भाग है।

- ये वन कार्बन उत्सर्जन की एक महत्त्वपूर्ण मात्रा को अवशोषित करके ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
- इन वनों का विश्व के उत्तरी महासागरों और समग्र जलवायु पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है।
- ये वन अन्य सभी उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में दोगुना कार्बन ग्रहण करते हैं और ताज़े जल की एक बड़ी मात्रा को शुद्ध करने में भी सहायता करते हैं।

वनाग्नि के प्रति पर्यावरणीय अनुकूलन

- वर्तमान में अलास्का, कनाडा और साइबेरिया के बोरियल वनों में आग की घटनाएँ निरंतर बढ़ रही हैं। हालाँकि, यह दावानल जंगल के अस्तित्व और विकास के लिये भी आवश्यक है।
- इन वनों में लगी आग मृदा में बहुमूल्य पोषक तत्त्व उत्सर्जित करने के अतिरिक्त वृक्षों के आवरण में छिद्र निर्मित करने का कार्य करती है जो वन भूमि तक सूर्य के प्रकाश के लिये मार्ग तैयार करते हैं और परिणामस्वरूप नए वृक्षों का विकास होता है।
- इन वनों में सर्वाधिक प्रचलित आग 'क्राउन फायर' है जो एक वृक्ष के शीर्ष से दूसरे वृक्ष के शीर्ष तक तेज़ी से फैलती है।
  - इस अग्नि की लपटें भूमि की अग्नि की तुलना में अधिक तीव्र होती हैं जिन्हें नियंत्रित करना अधिक कठिन होता है। यह आग ज़हरीला धुआँ और व्यापक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करती है।
- बोरियल वन के पौधे शीत प्रतिरोधी होते हैं और बार-बार लगने वाली आग के लिये भी अनुकूलित हो गए हैं। विदित है कि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले ट्रेम्बलिंग एस्पेन वृक्ष में शीघ्र दहन के साथ ही शीघ्र उत्पत्ति की क्षमता भी विद्यमान है।
- पादपों की कुछ प्रजातियाँ आग पर ही निर्भर होती हैं जिनमें जैक पाइंस या ब्लैक स्प्रूस का नाम प्रमुख है। इन पौधों में सैप-कोटेड कोन होते हैं जो आग की लपटों के फैलने पर बीज को जमा करने के लिये खुलते हैं और इसके द्वारा ही इनका अस्तित्व सुरक्षित होता है।

वनाग्नि के लिये उत्तरदायी कारण

- यद्यपि, विगत कुछ दशकों में एकत्रित आँकड़े दर्शाते हैं कि आग की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता अब असामान्य स्तर पर पहुँच गई है।
- वर्तमान में यह एक घटना से परिवर्तित होकर एक ऋतु के रूप में स्थापित हो चुकी है जो अधिक लंबी और गंभीर है।
- एक अध्ययन के अनुसार, अत्यधिक गर्म पवनें (Extreme Heat Waves) 150 वर्ष पूर्व की तुलना में वर्तमान में पाँच गुना अधिक हैं।
- बोरियल क्षेत्र सहित उत्तरी अक्षांशीय भूमि पर ग्लोबल वार्मिंग का विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में तापमान पृथ्वी के अन्य हिस्सों की तुलना में दो से तीन गुना तेज़ी से बढ़ रहा है।
- इस क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी के कारण ऊर्जा की अधिक मात्रा में खपत होती है जो बदले में अधिक प्राकृतिक परिवर्तनों का कारण बनती है।

आगे की राह

- वैज्ञानिकों के अनुसार, इस क्षेत्र में पर्यावरणीय नुकसान को अभी भी सीमित किया जा सकता है। सावधानीपूर्वक निगरानी, पुनर्वनीकरण, कानूनी सुरक्षा और तकनीकी प्रगति कार्बन सिंक को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।
- ग्रह के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में बोरियल वन की आवश्यक भूमिका को बनाए रखने के लिये इनके संरक्षण का प्रयास वैश्विक स्तर पर होना चाहिये।

सेन्ना स्पेक्टैबिलिस

संदर्भ

नीलगिरि हिल ज़िले में स्थित मुदुमलाई बाघ आरक्षित क्षेत्र (Mudumalai Tiger Reserve : MTR) के बफर ज़ोन में एक आक्रामक विदेशी पादप प्रजाति तेज़ी से फैल रही है। इस प्रजाति का नाम सेन्ना स्पेक्टाबिलिस (Senna spectabilis) है।

सेन्ना स्पेक्टैबिलिस के बारे में

- यह लेग्यूम परिवार (Legume Family) के उप-परिवार कैसलपिनियोइडी (Caesalpinioideae) से संबंधित मूलत: दक्षिण एवं मध्य अमेरिका की पादप प्रजाति है।
  - इस आक्रामक पादप का विस्तार कर्नाटक के बांदीपुर एवं नागरहोल बाघ आरक्षित क्षेत्र, तमिलनाडु के मुदुमलाई बाघ आरक्षित क्षेत्र तथा केरल के वायनाड वन्यजीव अभयारण्य में भी देखा जा सकता है।

- यह पादप वनों के आसपास, सवाना क्षेत्र, नदी तट तथा अपशिष्ट भूमि पर भी पनप सकता है। इसे पॉपकॉर्न ट्री, गोल्डन वंडर ट्री और गोल्डन शावर ट्री भी कहते हैं।

- एलेलोपैथिक (Allelopathic) प्रभाव के कारण यह पादप अन्य पौधों के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। इस जैविक परिघटना में पादप या जीव एक या अधिक प्रकार के जैव रसायन उत्पन्न करता है जो अन्य जीवों के अंकुरण, विकास, अस्तित्व और प्रजनन को प्रभावित करता है।

आक्रामक विदेशी प्रजाति

- किसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिये गैर-स्थानिक प्रजातियों तथा उस पारितंत्र को आर्थिक या पर्यावरणीय क्षति पहुँचाने वाली या मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रजातियों को आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ कहा जाता है।
- आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ, जैव-विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं जिससे प्रतिस्पर्द्धा, शिकार या रोगजनकों के संचरण के माध्यम से देशी प्रजातियों की संख्या में कमी या उनका उन्मूलन हो जाता है।

सेन्ना स्पेक्टैबिलिस का उपयोग

- दक्षिण एवं मध्य अमेरिका में जलावन लकड़ी के रूप में उपयोग।
- दाद और त्वचा रोगों के उपचार में।
- सजावटी पादप प्रजाति के रूप में।
  - इसके पुष्प चमकीले पीले रंग के होते हैं।

समाधान

- **व्यापक रणनीति :** प्रजातियों के विस्तार वाले क्षेत्रों का सीमांकन करके इस प्रजाति को उस क्षेत्र से हटाना।
- **कागज़ निर्माण :** कागज़ बनाने के लिये सेन्ना स्पेक्टैबिलिस की लकड़ी के उपयोग के लिये एक स्पष्ट नीति बनाना।
  - इससे जुटाई गई धनराशि का उपयोग देशज प्रजातियों को वापस लाने तथा पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में किया जाएगा।

क्षेत्र में अन्य आक्रामक प्रजातियाँ

- सेन्ना स्पेक्टैबिलिस वर्तमान में सिगुर पठार में स्थित एम.टी.आर. के कोर और बफर ज़ोन में अत्यधिक आक्रामक हो गई है। यह प्रजाति अनुमानत: बफर ज़ोन के 800-1,200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है।
- एक अन्य प्रमुख खरपतवार लैंटाना कैमरा (Lantana camara) भी टाइगर रिज़र्व के कोर और बफर ज़ोन में जैव-विविधता के लिये खतरा है।
- नीलगिरि के विशाल क्षेत्रों में फैली पाँच प्रमुख आक्रामक खरपतवारों में सेन्ना स्पेक्टैबिलिस और लैंटाना कैमरा भी शामिल हैं।
  - सफेदा (Eucalyptus) और देवदार (Pine) विदेशी प्रजातियाँ होने के बावजूद अन्य विदेशी प्रजातियों के समान तेज़ी से नहीं फैलती हैं तथा उन्हें प्रबंधित करना आसान है।

आक्रामक विदेशी प्रजाति का प्रभाव

- स्थानीय जैव-विविधता पर नकारात्मक प्रभाव

- प्रतिस्पर्द्धा बढ़ने से जैव-विविधता में कमी
- वन्यजीवों के लिये भोजन की सीमित उपलब्धता
- देशी प्रजातियों के लिये खतरा
- पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन
- आर्थिक क्षति
  - विश्व में अमेरिका के बाद भारत को आक्रामक प्रजातियों के कारण सर्वाधिक हानि होती है।

जलवायु क्षति के लिये भुगतान

संदर्भ

हाल ही में, जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान विकसित देशों ने इंडोनेशिया के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिये जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप (JETP) की शुरुआत की है।

जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप

- यह एक महत्त्वाकांक्षी मंच है जिसका उद्देश्य जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर इंडोनेशिया के ऊर्जा संक्रमण को तीव्रता प्रदान करने हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन और तकनीकी सहायता प्रदान करना है।
- इस पार्टनरशिप की शुरुआत जी-20 शिखर सम्मेलन में आयोजित वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिये साझेदारी (PGII) कार्यक्रम के तहत की गई है।
- इसके लिये संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के सह-नेतृत्व में कनाडा, डेनमार्क, यूरोपीय संघ, फ्राँस, जर्मनी, इटली, नॉर्वे एवं यूनाइटेड किंगडम ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

जलवायु क्षति के भुगतान हेतु समझौता

- यह समझौता इंडोनेशिया के जलवायु लक्ष्यों का समर्थन करने तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से धन एकत्रित करने के लिये लागू किया गया है।
- इसके तहत 3 से 5 वर्ष की अवधि में सार्वजनिक और निजी वित्तपोषण से 20 बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
- जे.ई.टी.पी. में सार्वजनिक क्षेत्र से 10 बिलियन डॉलर और शुद्ध शून्य के लिये ग्लासगो वित्तीय गठबंधन (Glasgow Financial Alliance for Net Zero : GFANZ) एवं बैंक ऑफ अमेरिका, एच.एस.बी.सी. आदि बैंकों द्वारा 10 बिलियन डॉलर को जुटाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

इंडोनेशिया के जलवायु लक्ष्य और नीतियाँ

- वर्ष 2030 तक कुल ऊर्जा उत्पादन का कम-से-कम 34% नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से प्राप्त करना।
- वर्ष 2030 तक कुल ऊर्जा क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन के चरम पर पहुँचना।
- वर्ष 2050 तक ऊर्जा क्षेत्र में शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना।

विकसित देशों का उत्तरदायित्व

- वर्तमान में विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के लिये जलवायु वित्तपोषण जैसे विकल्पों पर चर्चा तीव्र हुई है।
- वर्ष 1900 से लेकर वर्तमान तक विकसित देशों ने औद्योगिक विकास से अत्यधिक लाभ को प्राप्त करने के साथ ही हरितगृह गैस (GHG) उत्सर्जन जैसे नकारात्मक परिणामों को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया है।
- हालिया वर्षों में विकासशील देश भी कार्बन उत्सर्जन में योगदान दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन देशों में जलवायु परिवर्तन के लिये औद्योगिक विकास पर अंकुश लगाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। गौरतलब है कि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों ने आर्थिक विकास की शुरुआत अपेक्षाकृत देरी से की है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका और EU-28 वर्ष 1751 से 2017 के मध्य कार्बन डाइ-ऑक्साइड उत्सर्जन के लगभग 47% के लिये उत्तरदायी हैं। विदित है कि EU-28 में यूरोपीय संघ के 27 देश एवं यूनाइटेड किंगडम शामिल है।

उत्सर्जन के परिणाम

- एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 1990 से 2014 के मध्य अमेरिका से हुए उत्सर्जन के कारण दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा दक्षिण व दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1-2% का नुकसान हुआ है। इन क्षेत्रों में तापमान परिवर्तन ने श्रम उत्पादकता और कृषि पैदावार को भी प्रभावित किया है।
- हाल ही में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022 के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पेरिस लक्ष्यों से बहुत पीछे रह गया है और तापमान परिवर्तन को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक नियंत्रित करने का कोई विश्वसनीय मार्ग उपलब्ध नहीं है।
- वर्तमान में जलवायु आपदा से बचने के लिये विश्व को कार्बन उत्सर्जन में 45% की कटौती करना आवश्यक है।

भारत के कार्बन उत्सर्जन की स्थिति

- उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022 में भारत को विश्व के शीर्ष सात उत्सर्जकों में शामिल किया गया है। इनमें भारत के अतिरिक्त चीन, यूरोपीय संघ (27 देश), इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रूस और अमेरिका शामिल हैं।
- भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। वर्ष 2020 में वैश्विक रूप से औसतन प्रति व्यक्ति जी.एच.जी. उत्सर्जन 6.3 टन कार्बन डाइ-ऑक्साइड समतुल्य (tCO_2e) है।

- यह अमेरिका में 14 tCO_2e, रूस में 13 tCO_2e, चीन में 9.7 tCO_2e, ब्राज़ील एवं इंडोनेशिया में 7.5 tCO_2e तथा यूरोपीय संघ में 7.2 tCO_2e है। जबकि, भारत में यह 2.4 tCO_2e दर्ज किया गया है जो वैश्विक औसत से बहुत कम है।
- विदित है कि भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के अतिरिक्त वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता उत्पन्न करने के लिये भी प्रतिबद्धता व्यक्त की है जिससे सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में कमी आएगी और देश के वन आवरण में भी वृद्धि होगी।

कॉप-27 : उपलब्धियाँ एवं भावी संभावनाएँ

संदर्भ

मिस्र के शर्म अल-शेख में 6 से 20 नवंबर के मध्य संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) के कॉप-27 (CoP-27) का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी सफलता विश्व समुदाय द्वारा 'हानि एवं क्षति कोष' (Loss and Damages Fund) की स्थापना के लिये आपसी सहमति व्यक्त करना है।

प्रमुख बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, ताकि विश्व के सभी देश सामूहिक रूप से वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के प्रयासों पर सहमत हो सकें।
- इस सम्मेलन में 197 देशों के प्रतिनिधि पर्यावरणीय क्षरण को कम करने और जलवायु आपदा को रोकने के तरीकों पर चर्चा करने के लिये एकत्रित हुए।
- इसके पक्षकारों की पहली बैठक (कॉप-1) वर्ष 1995 में जर्मनी के बर्लिन में, जबकि कॉप-26 की बैठक विगत वर्ष ग्लासगो (ग्रेट ब्रिटेन) में आयोजित की गई। वर्ष 2023 में कॉप-28 का आयोजन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा।

कॉप-27 के लक्ष्य और विज़न

शमन (Mitigation)

- शमन का उद्देश्य वैश्विक तापमान को कम-से-कम 2°C की सीमा से नीचे रखना है। जबकि, वर्ष 1990 और 2020 के बीच वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 14 गीगाटन कार्बन डाइ-ऑक्साइड समतुल्य ($GtCO_2e$) की वृद्धि हुई है।
- अगर कार्बन उत्सर्जन की दर को नियंत्रित नहीं किया गया तो वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान में 2.7°C की वृद्धि हो जाएगी जो पेरिस समझौते के लक्ष्य से बहुत दूर है।

अनुकूलन (Adaptation)

- जर्मनवॉच द्वारा प्रकाशित वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार, मोज़ांबिक, दक्षिण सूडान और भारत वर्ष 2019 में चरम मौसम की घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित देश थे। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने इस वर्ष के पहले नौ महीनों में 88% दिनों में चरम मौसम की घटनाओं का सामना किया है।
  - हालाँकि, ये देश कार्बन उत्सर्जन में बहुत कम भागीदार हैं। एक अनुमान के अनुसार, मोज़ांबिक वैश्विक उत्सर्जन में केवल 0.06% का योगदान देता है।
- वर्ष 2001 में विकासशील देशों में ठोस अनुकूलन परियोजनाओं और कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिये अनुकूलन कोष की स्थापना की गई। ये देश जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। इस कोष में कॉप-26 के दौरान 350 मिलियन डॉलर से अधिक के योगदान का वचन दिया गया था। कॉप-27 में इन प्रयासों को समर्थन प्रदान करने के लिये वैश्विक देशों पर ज़ोर दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

वित्त (Finance)

- वर्ष 2009 में कॉप-15 शिखर सम्मेलन में विकसित राष्ट्रों ने सामूहिक रूप से वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष 100 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता प्रकट की थी, ताकि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन करने में सहायता मिल सके। इसे पेरिस में कॉप-21 के दौरान वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया था।
- किंतु, अब तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। वर्ष 2018 में विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिये 78 अरब डॉलर की धनराशि जुटाई। वर्ष 2019 में यह धनराशि 80 बिलियन डॉलर थी।

सहयोग (Collaboration)

- विदित है कि वर्ष 2021 में गैर-ओ.ई.सी.डी. (Non-OCED) देशों की कोयले की खपत में 6.3% की वृद्धि हुई। भारत में भी कोयले की खपत में वृद्धि देखी गई है जो वर्तमान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है।
- वर्ष 2070 तक भारत द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution : NDC) के तहत वर्ष 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने और सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये विश्व स्तर पर सरकारों, नागरिक समाजों और निजी क्षेत्रों को साथ में मिलकर कार्य करना होगा।

कॉप-27 की उपलब्धियाँ

हानि और क्षति कोष

- कॉप-27 में जलवायु से जुड़ी आपदाओं से होने वाली क्षति के

लिये सर्वाधिक सुभेद्य देशों (Vulnerable Countries) को वित्त पोषण प्रदान करने हेतु 'हानि और क्षति' कोष स्थापित करने पर सहमति प्रकट की गई है।

- चरम मौसम के कारण नुकसान उठाने वाले देशों के भौतिक एवं सामाजिक बुनियादी ढाँचे को बचाने तथा पुनर्निर्माण के लिये इस कोष से आवश्यक धन आवंटित किया जाएगा।
- इस वित्तीय सुविधा के वित्तपोषण स्रोत एवं मापदंड तथा इसकी संचालन प्रक्रियाओं का निर्धारण एक संक्रमणकालीन समिति (Transitional Committee) द्वारा किया जाएगा जो अगले वर्ष कॉप-28 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

1.5°C लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयास

- वर्ष 2015 के पेरिस में आयोजित कॉप-21 समझौते में दो तापमान लक्ष्य निर्धारित किये गए थे– तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2°C से नीचे रखना तथा तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने के लिये विशेष प्रयास करना।
- जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को देखते हुए विगत वर्ष ग्लासगो में आयोजित कॉप-26 में वैश्विक स्तर पर तापमान वृद्धि को 1.5°C तक बनाए रखने के लिये सहमति प्रकट की गई।

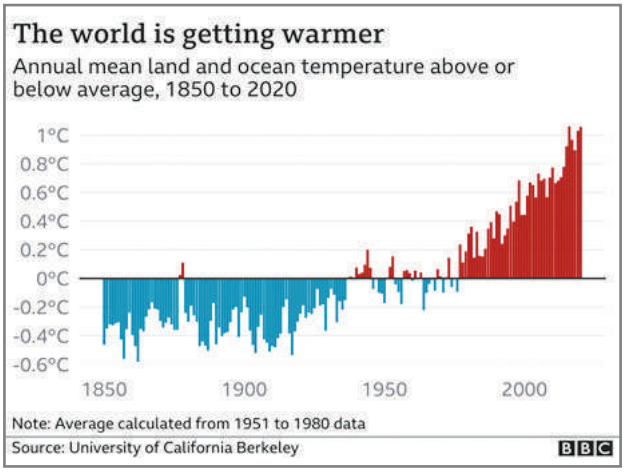

- कॉप-27 के दौरान प्रस्तुत कार्यान्वयन योजना में तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने की अपनी अधिक स्पष्ट प्रतिबद्धता को प्रस्तुत किया गया है। यह स्वीकार किया गया है कि इस तरह के लक्ष्य के लिये वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता में निरंतर कमी की आवश्यकता होगी। हालाँकि, कार्यान्वयन योजना यह नहीं बताती है कि इस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाना है।
- इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये भारत ने कॉप-27 में सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता का विचार प्रस्तुत किया। हालाँकि, इसे स्वीकार नहीं किया गया।

कॉप-27 के कुछ अन्य प्रमुख परिणाम

- कॉप-27 में विकासशील देशों में जलवायु प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिये एक नए पंचवर्षीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
- वर्ष 2030 तक शमन महत्त्वाकांक्षा एवं कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शमन कार्य योजना (Mitigation Work Programme) शुरू की गई। देशों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे वर्ष 2023 के अंत तक अपनी राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं में वर्ष 2030 के लक्ष्यों पर पुनः विचार करें और उन्हें मज़बूत करें। साथ ही, कोयला आधारित ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से कम करने (Phase Down) और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त करने (Phase Out) के प्रयासों में तेज़ी लाएँ।
- कॉप-27 में प्रतिनिधियों ने पहले वैश्विक स्टॉकटेक की दूसरी तकनीकी वार्ता का आयोजन किया। अगले वर्ष कॉप-28 में स्टॉकटेक के समापन से पूर्व वर्ष 2023 में 'जलवायु महत्त्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन' (Climate Ambition Summit) का भी आयोजन किया जाएगा।
  - विदित है कि वैश्विक स्टॉकटेक, पेरिस समझौते के उद्देश्य और इसके दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में दुनिया की सामूहिक प्रगति का आकलन करने की एक प्रक्रिया है।

सम्मेलन में की गई घोषणाएँ

- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली :** संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अगले पाँच वर्षों के भीतर विश्व की प्रत्येक आबादी को प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली द्वारा सुरक्षित किये जाने के उद्देश्य से 3.1 अरब डॉलर की योजना की घोषणा की है।
- **जलवायु जोखिमों के विरुद्ध ग्लोबल शील्ड :** जी-7 और वी-20 (Vulnerable Twenty) ने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 'जलवायु जोखिमों के विरुद्ध ग्लोबल शील्ड' (Global Shield Against Climate Risks) को लॉन्च किया है।
  - इस पहल का उद्देश्य सुभेद्य देशों में रहने वाले लोगों के लिये जलवायु संबंधी आपदा जोखिमों के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा में सुधार करना है।

वी-20 (V-20)

यह वल्नरेबल-20 का संक्षिप्त रूप है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये जलवायु सुभेद्य एवं कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं की एक समर्पित सहयोग पहल है। यह समूह वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये संवाद और कार्रवाई पर बल देता है। इसकी स्थापना वर्ष 2015 में पेरू की राजधानी लीमा में की गई थी। कॉप-27 के कारण यह समूह चर्चा में हैं।

- **फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप :** वर्ष 2030 तक वन हानि एवं भूमि क्षरण रोकथाम के लिये सरकारों, व्यवसायों और सामुदायिक नेताओं की कार्रवाई को एकजुट करने के उद्देश्य से फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया।
- **मैंग्रोव एलायन्स फॉर क्लाइमेट :** वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव वनों के संरक्षण और बहाली को बढ़ाने तथा जलवायु परिवर्तन शमन एवं अनुकूलन के लिये इन पारिस्थितिकी तंत्रों के महत्त्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से मैंग्रोव एलायन्स फॉर क्लाइमेट को लॉन्च किया गया।
- **अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन :** सूखे की स्थिति से बेहतर तरीके से निपटने में सदस्य देशों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन (International Drought Resilience Alliance) की शुरुआत की गई है।
- **बुनियादी ढाँचा लचीलापन त्वरक कोष :** आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) ने आपदा-लचीला बुनियादी ढाँचा प्रणाली के वित्तीयन के लिये 50 मिलियन डॉलर (लगभग 400 करोड़ रुपए) के बुनियादी ढाँचा लचीलापन त्वरक कोष (Infrastructure Resilience Accelerator Fund) की घोषणा की है।
- **मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम :** मीथेन उत्सर्जन का पता लगाने और उससे निपटने के लिये 'मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम' (MARS) को लॉन्च किया गया।

भावी संभावनाएँ

सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना

- इस वर्ष कॉप-27 में भारत के नेतृत्व में कुछ देशों ने सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने (फेज आउट) की प्रतिबद्धता को शामिल करने का आह्वान किया। किंतु, इस प्रस्ताव पर वैश्विक स्तर पर आम सहमति नहीं बन सकी।
- विदित है कि पिछले वर्ष ग्लासगो में कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने (फेज डाउन) की प्रतिबद्धता पर सहमति बनी थी।

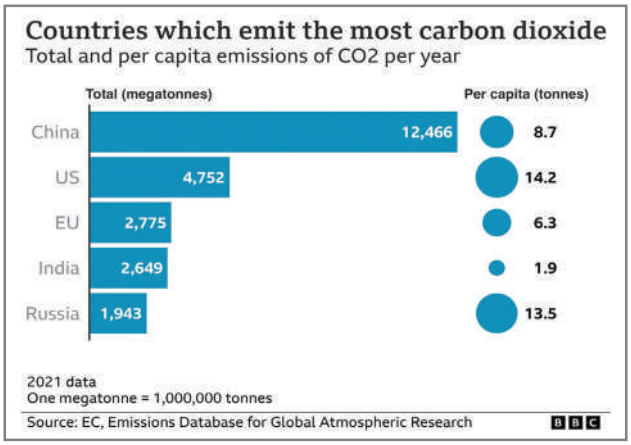

जलवायु वित्त

- जलवायु वित्त लंबे समय से जलवायु वार्ताओं में एक प्रमुख मुद्दा रहा है। वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष 100 बिलियन डॉलर प्रदान करने की विकसित देशों की प्रतिबद्धता को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है।
- कॉप-27 में विकासशील देशों की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2024 में 'जलवायु वित्त पर नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य' (New Collective Quantified Goal On Climate Finance) स्थापित करने पर विचार-विमर्श किया गया।
- गौरतलब है कि वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा में लगभग 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है, ताकि वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुँचा जा सके। इसके अलावा, निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था (Low-Carbon Economy) में वैश्विक परिवर्तन के लिये प्रतिवर्ष कम-से-कम 4 से 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है।

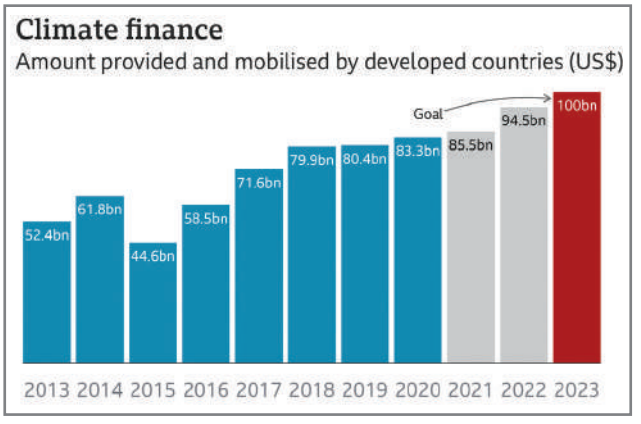

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC)

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसका उद्देश्य पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवजनित हस्तक्षेप को रोकना है।
- यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, 1992 (जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है) के दौरान अस्तित्व में आया। इसका सचिवालय जर्मनी के बॉन में स्थित है।
- इसके 198 पक्षकार देश हैं जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में प्रगति का आकलन करने के लिये पक्षकारों के सम्मेलन (Conference of the Parties : COP) में वार्षिक रूप से मिलते हैं। वर्ष 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल एवं वर्ष 2015 का पेरिस समझौता इसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत आते हैं।

दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति

संदर्भ

हाल ही में, भारत ने मिस्र के शर्म अल-शेख में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) के कॉप-27 में 'दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति' (Long Term Low Emission Development Strategy : LT-LEDS) की घोषणा की है।

पृष्ठभूमि

- इस रणनीति को वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के अनुच्छेद 4 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अनुच्छेद 4 के अनुसार, सभी देशों को दीर्घावधि में ग्रीनहाउस गैस (GHG) के निम्न उत्सर्जन पर आधारित विकास रणनीतियों को तैयार करने के लिये कहा गया था।
- भारत ने एल.टी.-एल.ई.डी.एस. को साझा लेकिन विभेदीकृत उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं (Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities : CBDR-RC) तथा जलवायु न्याय व सतत् जीवन शैली के अनुरूप तैयार किया है। विदित है कि पेरिस समझौते के अनुच्छेद 2 में विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप सी.बी.डी.आर.-आर.सी. का उल्लेख किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि भारत उन 60 देशों में शामिल हो चुका है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र को कार्बन तटस्थता संबंधी रणनीति दस्तावेज़ प्रस्तुत कर दिया है, जबकि पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या 190 से अधिक है।

उद्देश्य

- यह रणनीति पर्यावरण की रक्षा करते हुए भारत के तीव्र विकास और आर्थिक परिवर्तन के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी।
- एल.टी.-एल.ई.डी.एस. को पर्यावरण के लिये जीवन शैली-लाइफ (LiFE) दृष्टिकोण से भी जोड़ा गया है जो संसाधनों के अनुचित एवं विनाशकारी उपभोग के स्थान पर सचेत और सोच-विचारकर किये जाने वाले उपभोग को जीवन शैली में अपनाने का आह्वान करता है।
- यह रणनीति भारत को वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

रणनीति का आधार

- भारत ने ग्लोबल वार्मिंग में बहुत कम योगदान दिया है और कुल वैश्विक आबादी का 17% हिस्सा होने के बावजूद संचयी वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में इसका ऐतिहासिक योगदान बहुत कम है।
- विकास के लिये भारत की ऊर्जा आवश्यकताएँ महत्त्वपूर्ण हैं।
- भारत विकास हेतु निम्न कार्बन रणनीतियों को आगे बढ़ाने के लिये प्रतिबद्ध है।
- भारत को जलवायु सहनशील होने की आवश्यकता है।

रणनीति के प्रमुख बिंदु

- ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग पर ज़ोर दिया जाएगा। जीवाश्म ईंधन से अन्य स्रोतों में बदलाव न्यायसंगत, सरल, स्थायी और सर्व-समावेशी तरीके से किया जाएगा।
  - देश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन के तेज़ी से विस्तार, इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण क्षमता में वृद्धि और वर्ष 2032 तक परमाणु क्षमता में तीन गुना वृद्धि का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।
- पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन और हरित हाइड्रोजन ईंधन के बढ़ते उपयोग से परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की संभावना है।
  - भारत वर्ष 2025 तक इथेनॉल सम्मिश्रण के 20% स्तर को प्राप्त करने के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अधिकतम करने की महत्त्वाकांक्षा रखता है।
- स्मार्ट सिटी पहल; ऊर्जा व संसाधन दक्षता में वृद्धि तथा मुख्यधारा के अनुकूलन के लिये शहरों की एकीकृत योजना; प्रभावी ग्रीन बिल्डिंग कोड और अभिनव ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन में तेज़ी से विकास के द्वारा सतत् एवं जलवायु सहनशील शहरी विकास को सुनिश्चित किया जाएगा।
- भारत के औद्योगिक क्षेत्र में निम्न कार्बन उत्सर्जन वाले स्रोतों को अपनाने का प्रभाव ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा पहुँच और रोज़गार पर नहीं पड़ना चाहिये।
  - प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (Perform, Achieve and Trade : PAT) योजना, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, सभी प्रासंगिक प्रक्रियाओं और गतिविधियों में विद्युतीकरण के उच्च-स्तर, चक्रीय अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिये पुनर्चक्रण आदि के माध्यम से ऊर्जा दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- भारत ने उच्च आर्थिक विकास के साथ-साथ विगत तीन दशकों में वन और वृक्षों के आवरण को तेज़ी से बढ़ाया है। वर्ष 2016 में देश का वन और वृक्षों का आवरण कार्बन डाइ-ऑक्साइड उत्सर्जन का 15% अवशोषित करने वाला एक शुद्ध सिंक (Net Sink) है।
  - भारत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution : NDC) के तहत वर्ष 2030 तक वन और वृक्षों के आवरण में 2.5 से 3 बिलियन टन

अतिरिक्त कार्बन पृथक्करण (Carbon Sequestration) की प्रतिबद्धता को प्राप्त करने के लिये प्रयासरत है।

- देश के निम्न कार्बन उत्सर्जन को अपनाने के लिये नई प्रौद्योगिकियों एवं नई अवसंरचनाओं पर ध्यान दिया जाएगा। इस संबंध में विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त का प्रावधान महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

हानि और क्षति कोष समझौता

संदर्भ

हाल ही में, मिस्र के शर्म अल-शेख में आयोजित कॉप-27 के दौरान ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित निर्धन देशों की मदद के लिये एक हानि और क्षति कोष (Loss and Damage Fund) स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1991 में पहली बार निम्न तटीय और छोटे द्वीपीय देशों के एक समूह 'एलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स' (AOSIS) द्वारा विकसित देशों से हानि और क्षति कोष की स्थापना के लिये आह्वान किया गया।
- वर्ष 2013 में कॉप-19 के दौरान हानि और क्षति के लिये वारसॉ अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की स्थापना करने पर सहमति प्रकट की गई। यह जलवायु आपदाओं से पीड़ित विकासशील देशों को मुआवज़ा देने के लिये पहली औपचारिक स्वीकृति थी।
- वर्ष 2021 में ग्लासगो में आयोजित कॉप-26 के दौरान हानि और क्षति के लिये धन की व्यवस्था पर विचार करने हेतु 3-वर्षीय टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी।

हानि और क्षति कोष

- कॉप-27 में जलवायु से जुड़ी आपदाओं से होने वाली हानि के लिये सर्वाधिक सुभेद्य देशों (Vulnerable Countries) को वित्त पोषण प्रदान करने हेतु हानि और क्षति कोष स्थापित करने पर सहमति प्रकट की गई है।
- चरम मौसम से तबाह हुए देशों के भौतिक एवं सामाजिक बुनियादी ढाँचे को बचाने और पुनर्निर्माण के लिये इस कोष से आवश्यक धन का आवंटन किया जाएगा।

कोष का वित्तीयन

- यह कोष प्रारंभ में विकसित देशों और अन्य निजी व सार्वजनिक स्रोतों, यथा– अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों आदि से अंशदान आकर्षित करेगा।
- इस वित्तीय सुविधा के वित्तपोषण स्रोत एवं पैमाने तथा इसकी संचालन प्रक्रियाओं का निर्धारण एक संक्रमणकालीन समिति (Transitional Committee) द्वारा किया जाएगा जो अगले वर्ष कॉप-28 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी।
- इस समिति में 23 सदस्य होंगे जिनमें 10 सदस्य विकसित देशों से और 13 सदस्य विकासशील देशों से होंगे।

क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वाले देश

- इस कोष से उन विकासशील देशों को सहायता प्रदान की जाएगी जो विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं।
- इसके तहत जलवायु आपदाओं से गंभीर रूप से प्रभावित मध्यम आय वाले देशों को भी सहायता प्रदान की जाएगी।

आवश्यकता

- जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक योगदान देने वाले औद्योगिक एवं विकसित देशों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे निर्धन देशों को जलवायु आपदाओं से लड़ने में सहायता प्रदान करें। विदित है कि हालिया दशकों में सीमित संसाधनों वाले निर्धन देश जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चरम मौसमी घटनाओं एवं आपदाओं, जैसे– बाढ़, हीट वेव और तूफानों से सर्वाधिक प्रभावित हो रहे हैं।
- अधिकांश निर्धन देशों का तर्क है कि उनकी भूमि समुद्रों से घिरी है और जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अत: उनके अधिकारों की रक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मज़बूत किया जाना चाहिये तथा इस तरह के कोष की स्थापना उनके तर्कों को बल दे सकती है।

चुनौती

- विकसित राष्ट्रों द्वारा लंबे समय तक ऐसे कोष के विरोध का एक मुख्य कारण उनकी 'दीर्घकालिक देयता' संबंधी चुनौती थी। इस कोष से जुड़े प्रस्ताव के पारित होने के बावजूद, यह चिंता अभी भी अस्पष्ट है कि कोष की भाषा 'दायित्व' का उल्लेख नहीं करती, बल्कि यह योगदान स्वैच्छिक है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2009 में विकसित देशों ने विकासशील देशों को हरित ऊर्जा प्रणालियों में संक्रमण और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिये प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर देने पर सहमति व्यक्त की थी। हालाँकि, इस पहल को आज तक कभी भी पूरी तरह से वित्तपोषित नहीं किया गया है।

निकोबार परियोजना को मंज़ूरी

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर लगभग 72,000 करोड़ रुपए की महत्त्वाकांक्षी विकास परियोजना को पर्यावरणीय मंज़ूरी प्रदान कर दी है।

निकोबार परियोजना

- इस परियोजना के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल (ICTT), ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिजली संयंत्र और ग्रीनफील्ड टाउनशिप का निर्माण कार्य शामिल है।
- इस परियोजना को अगले 30 वर्षों में 3 चरणों में अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO) द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।
- विकास गतिविधियों को चालू वित्त वर्ष में शुरू किये जाने का प्रस्ताव है, जबकि बंदरगाह का निर्माण कार्य वर्ष 2027-28 तक चालू होने की उम्मीद है।
- इस परियोजना के लिये ग्रेट निकोबार द्वीप में 130.75 वर्ग किमी. क्षेत्र के वन डायवर्जन को सैद्धांतिक मंज़ूरी प्रदान की गई है। यह क्षेत्र ग्रेट निकोबार द्वीप के घने वनों का लगभग 15% है।

परियोजना का महत्त्व

आर्थिक महत्त्व

- ग्रेट निकोबार, दक्षिण-पश्चिम में कोलंबो से और दक्षिण-पूर्व में पोर्ट क्लैंग (मलेशिया) एवं सिंगापुर से समान दूरी पर अवस्थित है।
- साथ ही, यह पूर्व-पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कॉरिडोर के भी निकट स्थित है जहाँ से होकर दुनिया के शिपिंग व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुज़रता है। प्रस्तावित आई.सी.टी.टी. संभावित रूप से इस मार्ग पर यात्रा करने वाले मालवाहक जहाज़ों के लिये एक केंद्र बन सकता है।
- इस परियोजना से ग्रेट निकोबार द्वीप पर 1 लाख से अधिक नए प्रत्यक्ष रोज़गार और लगभग 1.5 लाख अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होने की संभावना है।
- इस परियोजना में पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सड़कें, सार्वजनिक परिवहन, जल आपूर्ति एवं अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएँ और कई होटलों की योजना भी बनाई गई है।

रणनीतिक महत्त्व

- हिंद महासागरीय क्षेत्र के बढ़ते रणनीतिक महत्त्व और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना की आवश्यकता को बार-बार रेखांकित किया गया है।
- बंगाल की खाड़ी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व ने हाल के वर्षों में इस परियोजना की अनिवार्यता को और बढ़ाया है।
- परियोजना के तहत निर्मित बंदरगाह को भारतीय नौसेना द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जबकि हवाई अड्डे का प्रयोग सैन्य एवं नागरिक दोनों उद्देश्यों से होगा।

चिंताएँ

- इस परियोजना के तहत बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये द्वीप पर लगभग 8 से 9 लाख वृक्षों की कटाई की जाएगी जो पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील क्षेत्र के लिये प्रमुख चिंता का विषय है।
- वृक्ष आवरण के नष्ट होने से न केवल द्वीप पर वनस्पतियों एवं दुर्लभ स्थानिक जीवों पर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि इससे समुद्र में अपवाह और गाद के जमाव में भी वृद्धि होगी जिससे क्षेत्र में प्रवाल भित्तियाँ भी प्रभावित होंगी।
- इस विकास परियोजना के क्रियान्वयन से द्वीप पर मैंग्रोव वनों के नुकसान की संभावना है।
- परियोजना के विकास के दौरान होने वाली गतिविधियों से स्थानीय शोम्पेन और निकोबारी जनजाति भी प्रभावित होगी।

ग्रेट निकोबार द्वीप : संबंधित तथ्य

- यह अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह का सबसे दक्षिणी भाग है जिसका क्षेत्रफल 910 वर्ग किमी. है।
- इस द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो इंडोनेशियाई द्वीपसमूह के सबसे उत्तरी द्वीप से 150 किमी. से भी कम दूरी पर है।
- इस द्वीप पर पृथ्वी के सर्वाधिक संरक्षित उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार है जहाँ वनस्पतियों की लगभग 650 और जीवों की 330 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- इस द्वीप की स्थानिक प्रजातियों में निकोबार श्रू, निकोबार लॉन्ग-टेल्ड मकाक, द ग्रेट निकोबार क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, निकोबार पैराडाइज फ्लाईकैचर, लेदरबैक समुद्री कछुआ, निकोबार मेगापोड आदि शामिल हैं।
- यहाँ एक बायोस्फीयर रिज़र्व और दो राष्ट्रीय उद्यान– कैम्पबेल बे और गैलाथिया स्थित हैं। साथ ही, इस द्वीप पर दो मंगोलॉयड जनजातियाँ– शोम्पेन और निकोबारी पाई जाती हैं।
- इस द्वीप में स्थित माउंट थुलियर पर्वतश्रृंखला समुद्र तल से लगभग 650 मीटर ऊपर है।
- विदित है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह बंगाल की खाड़ी में लगभग 836 द्वीपों का एक समूह है जिसके दो समूह 150 किमी. चौड़े दस डिग्री चैनल द्वारा अलग किये गए हैं। चैनल के उत्तर में अंडमान द्वीप और दक्षिण में निकोबार द्वीपसमूह स्थित हैं।

❑❑❑

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

डिजिटल बाज़ार अधिनियम

संदर्भ

1 नवंबर, 2022 से यूरोपीय संघ में डिजिटल बाज़ार अधिनियम (DMA) लागू हुआ। यह अधिनियम लागू होने की तिथि से 6 माह बाद 2 मई, 2023 से प्रभावी होगा।

पृष्ठभूमि

- यूरोपीय आयोग ने सर्वप्रथम इस विधेयक को दिसंबर 2020 में प्रस्तावित किया था। इसमें तकनीकी कंपनियों द्वारा अनुचित प्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया गया है जो ऑनलाइन क्षेत्र में 'गेटकीपर्स' के रूप में कार्य करती हैं।
- इसे नए और वैकल्पिक प्लेटफॉर्मों के विकास में बाधक बड़ी तकनीकी कंपनियों के वर्चस्व का सामना करने के लिये अधिनियमित किया गया है।
- यह अधिनियम किसी भी 'मुख्य प्लेटफॉर्म सेवाओं' में अधिक प्रभुत्व वाली कंपनियों को 'गेटकीपर' के रूप में नामित करता है।
- इन सेवाओं में ऐप स्टोर, ऑनलाइन सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग सेवाएँ, निश्चित मैसेजिंग सेवाएँ, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म सेवाएँ, वर्चुअल असिस्टेंट, वेब ब्राउज़र, क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और विज्ञापन सेवाएँ शामिल हैं।

गेटकीपर मानी जाने वाली बड़ी तकनीकी कंपनियों के मानदंड

- एक 'मुख्य प्लेटफॉर्म सेवा' के प्रबंधन के अलावा कंपनी ने यूरोपीय संघ में विगत तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में कम-से-कम €7.5 बिलियन का वार्षिक कारोबार किया हो या विगत वित्तीय वर्ष में औसत बाज़ार पूंजीकरण कम-से-कम €75 बिलियन का रहा हो।
- परिचालन मानदंड के लिये विगत वित्तीय वर्ष में यूरोपीय संघ में कम-से-कम 45 मिलियन मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता और 10,000 से अधिक वार्षिक सक्रिय व्यावसायिक उपयोगकर्ता होना आवश्यक है।

डिजिटल सेवा अधिनियम

- 'डिजिटल सेवा अधिनियम' (DSA) के अंतर्गत वृहद् इंटरनेट कंपनियाँ गलत सूचना तथा अवैध और हानिकारक सामग्री के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये बाध्य हैं।
- यूरोपीय आयोग द्वारा दिसंबर 2020 में प्रस्तावित डिजिटल सेवा अधिनियम एकल बाज़ार में मध्यस्थों के दायित्वों और जवाबदेही पर सामान्य नियमों का एक समूह है।
- यह अधिनियम ई.यू. के सभी उपयोगकर्ताओं के लिये उच्च सुरक्षा सुनिश्चित करता है, चाहे उनका मूल देश कोई भी हो।
- यह डिजिटल बाज़ार अधिनियम के संयोजन के साथ कार्य करेगा। इस अधिनियम में शामिल प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं–
  - अवैध सामग्री को हटाना
  - देखभाल के कर्तव्य का आरोपण
  - जोखिम मूल्यांकन
  - शोधकर्ताओं की सार्वजनिक डाटा तक पहुँच
  - 'डार्क पैटर्न' या 'भ्रामक इंटरफेस' पर प्रतिबंध
  - नाबालिगों के लिये सुरक्षा तंत्र
  - संकट तंत्र संबंधी प्रावधान

विशेषताएँ

- डिजिटल बाज़ार अधिनियम में मात्रात्मक सीमाओं और दंड के प्रावधान शामिल हैं, ताकि ऐसे प्लेटफार्म्स की जाँच की जा सके जो इस क्षेत्र में अपने प्रभुत्व के आधार पर निजी नियम निर्माताओं के रूप में कार्य करते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं।
- इसका उद्देश्य छोटे और उभरते हितधारकों के लिये बाज़ार में एकसमान प्रतिस्पर्द्धा की संभावनाओं को उपलब्ध कराना है। इससे नवाचार की अधिक संभावनाएँ उत्पन्न होने की उम्मीद है।
- यह अधिक विकल्पों के साथ कम कीमत वाली सेवाओं तक उपभोक्ताओं की पहुँच सुनिश्चित करता है।
- इसके अलावा, नए नवाचारों और अधिक हितधारकों के उभरने से भी इस क्षेत्र में अधिक रोज़गार सृजित होने की संभावना है।

दंडात्मक प्रावधान

गैर-अनुपालन की स्थिति में

- यूरोपीय आयोग द्वारा कंपनी के वैश्विक परिचालन से अर्जित वार्षिक राजस्व के 10% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार-बार उल्लंघन के मामले में इसे 20% तक किया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, उल्लंघन की दशा में कंपनी के दैनिक वैश्विक कारोबार के 5% तक का आवधिक (समय-समय पर) दंड भुगतान भी आरोपित किया जा सकता है।

अन्य प्रावधान

- योजनाबद्ध उल्लंघन या कोई अन्य विकल्प अथवा समान रूप से प्रभावी उपाय उपलब्ध न होने वाली स्थितियों में यूरोपीय आयोग अतिरिक्त उपायों का प्रयोग कर सकता है।
- इनमें कंपनी के किसी व्यवसाय या उसके एक आवश्यक हिस्से, जैसे– महत्त्वपूर्ण इकाई, संपत्ति, बौद्धिक संपदा अधिकार या ब्रांड को बेचने के लिये बाध्य किया जा सकता है। साथ ही, कंपनी को इसी क्षेत्र में अन्य कंपनियों का अधिग्रहण करने से रोका जा सकता है।

कार्यान्वयन

- डी.एम.ए. यह सुनिश्चित करेगा कि 'गेटकीपर' अपने प्लेटफॉर्म पर समान सेवाओं और उत्पादों के लिये तीसरे पक्ष द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और उत्पादों का विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे।
- इसके अतिरिक्त, यह समान सेवाओं की पेशकश करने वाले प्लेटफॉर्म्स के साथ अंत:संचालनीयता सुनिश्चित करेगा।
- इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 'गेटकीपर्स' को व्यवसायों को उस डाटा तक पहुँचने की अनुमति देनी होगी जो व्यावसायिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करने पर उत्पन्न हुआ था।
  - उदाहरण के लिये, यदि कोई कंपनी सर्च इंजन और ऑनलाइन बाज़ार दोनों का संचालन करती है तो वह अपने कुछ उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिये उपयोगकर्ता की ऑनलाइन सर्च डाटा का लाभ उठा सकती है।
- उपयोगकर्ता डाटा की अनुपलब्धता में खुदरा विक्रेता इस संबंध में योजना आदि के निर्माण में अधिक सक्षम नहीं होगा।
- अन्य महत्त्वपूर्ण परिवर्तन, जिन्हें 'गेटकीपर्स' द्वारा लागू किया जाना है, वे इस प्रकार हैं–
  - अंतिम उपयोगकर्ता को प्री-इंस्टॉल ऐप सहित मुख्य प्लेटफॉर्म सेवाओं को आसानी से अनसब्सक्राइब करने में सक्षम करना।
  - ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से रोकना।
  - व्यवसायों को वैकल्पिक इन-ऐप भुगतान प्रणालियों का उपयोग करने की अनुमति देने के साथ-साथ अंतिम उपयोगकर्ताओं को वैकल्पिक ऐप स्टोर डाउनलोड करने की अनुमति देना।

अंतर-संचालनीयता

- मैसेजिंग सेवाओं के संबंध में प्लेटफॉर्म्स के बीच अंतर-संचालनीयता विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण कारक होगी।
  - उदाहरण के लिये, व्हाट्सएप उपयोगकर्ता एक प्रतिस्पर्द्धी मैसेजिंग ऐप से संदेश (मीडिया अटैचमेंट सहित) को स्वतंत्र रूप से भेजने और प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
- अधिनियम प्रभावी होने पर 'गेटकीपर्स' को दो अलग-अलग उपयोगकर्ताओं के बीच टेक्स्ट संदेशों के लिये अंतर-संचालनीयता सुनिश्चित करनी होगी। इसके प्रवर्तन के दो वर्ष बाद सामूहिक टेक्स्ट मैसेजिंग जैसी अधिक जटिल अंतर-संचालनीयता को स्थापित करना होगा, जबकि उपयोगकर्ताओं के बीच ऑडियो या वीडियो कॉल के लिये यह सीमा चार वर्ष है।

आलोचना

- कुछ आलोचकों का मानना है कि इससे स्टार्टअप जीवन चक्र और नवाचार में बाधा आएगी, विशेषकर यदि उन्हें अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मक सफलता के लिये आवश्यक जानकारी एवं विशेषज्ञता साझा करने के लिये कहा जाए।
  - डाटा को संयोजित और क्रॉस-उपयोग करने में असमर्थ कंपनियाँ लक्षित विज्ञापन में सक्षम नहीं होंगी।
- मैसेजिंग में अंतर-संचालनीयता से मैसेजिंग ऐप्स के एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। एन्क्रिप्शन निजता के साथ-साथ मानवाधिकारों की रक्षा के लिये आवश्यक है।
- साथ ही, उपयोगकर्ता डाटा को साझा करना आदर्श स्थिति होगी क्योंकि वह कंपनी की प्रतिस्पर्द्धी सफलता के लिये आवश्यक तत्त्व है।

वैश्विक टी.बी. रिपोर्ट 2022

संदर्भ

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वैश्विक टी.बी. रिपोर्ट 2022 जारी की है। यह रिपोर्ट संपूर्ण विश्व में टी.बी. के निदान, उपचार और बीमारी की स्थिति पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बारे में बताती है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- वर्ष 2021 में लगभग 10.6 मिलियन लोग टी.बी. से बीमार हुए। यह वर्ष 2020 की तुलना में 4.5% वृद्धि को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021 में इस रोग से मरने वाले लोगों की संख्या 1.6 मिलियन रही।
- वर्ष 2021 में रिफैम्पिसिन प्रतिरोधी टी.बी. (RR-TB) के 4,50,000 नए मामलों के साथ ही वर्ष 2020 और 2021 के बीच दवा प्रतिरोधी टी.बी. (DR-TB) में 3% की वृद्धि दर्ज की गई।

भारत की स्थिति

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने इस रोग के निदान एवं उपचार के संदर्भ में विश्व के अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।
- वर्ष 2021 में भारत में टी.बी. के मामले प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 210 हैं जो वर्ष 2015 में प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 256 थे। इस प्रकार, टी.बी. के मामलों में लगभग 18% की गिरावट आई है जो वैश्विक औसत से 7% अंक बेहतर है। गौरतलब है कि टी.बी. की वैश्विक स्थिति में 11% की गिरावट दर्ज की गई है।
- देश में राष्ट्रीय टी.बी. उन्मूलन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2021 में 21.4 लाख से अधिक टी.बी. मामलों को दर्ज किया गया जो वर्ष 2020 की तुलना में 18% अधिक हैं।
- विदित है कि वैश्विक स्तर पर टी.बी. मामलों की संख्या के आधार पर भारत को 36वें स्थान (सबसे अधिक मामले वाले देश को प्रथम स्थान पर) रखा गया है।

क्या है टी.बी.

यह रोग फेफड़ों से संबंधित होता है। इस रोग का मुख्य कारण 'माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस' नामक जीवाणु (बैक्टीरिया) है। समय से उपचार न किये जाने के कारण यह जीवाणु शरीर के अन्य अंगों, जैसे– गुर्दा, मस्तिष्क इत्यादि को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसे क्षय रोग तथा यक्ष्मा रोग भी कहते हैं।

टी.बी. के कारण और लक्षण

- टी.बी. एक संक्रामक रोग है जो सामान्यत: किसी टी.बी. रोगी के संपर्क में आने, साथ खाना खाने, छीकने, खाँसने इत्यादि से फैलता है।

विश्व टी.बी. दिवस

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 24 मार्च को विश्व टी.बी. दिवस के रूप में घोषित किया है।
- इसका मुख्य उद्देश्य टी.बी. के संबंध में सामाजिक जागरूकता को बढ़ाना तथा इसकी समाप्ति के लिये सभी संभावित उपायों को अपनाना है।
- वर्ष 2022 के लिये इसकी थीम 'इन्वेस्ट टू एंड टी.बी., सेव लाइव्स' (Invest to End T.B., Save Lives) है।

- तीन हफ्ते से अधिक खाँसी, भूख न लगना, थकान, कमज़ोरी, दर्द, बुखार इत्यादि इसके संभावित लक्षण हो सकते हैं।
- भारत में इसके उपचार के लिये निश्चित समयावधि छह माह है। इसके लिये भिन्न-भिन्न एंटीबायोटिक्स/एंटीबैक्टीरियल दवाओं का प्रयोग किया जाता है।

बी.सी.जी. (BCG) वैक्सीन

- टी.बी. के लिये बी.सी.जी. वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। इसे दो फ्राँसीसी वैज्ञानिकों– अल्बर्ट कैलमेट और केमिली गुएरिन ने विकसित किया था।
- यह टीका वर्ष 1962 में भारत में राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम का एक हिस्सा बन गया।
- प्राय: विषुवत रेखा से दूरी बढ़ने के साथ-साथ बी.सी.जी. वैक्सीन की प्रभावकारिता भी बढ़ती जाती है।
- यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क में यह अधिक प्रभावी है तथा विषुवत रेखा व उसके आसपास स्थित देशों– भारत, केन्या एवं मलावी में इसकी प्रभावकारिता बहुत कम या नगण्य है।

टी.बी. उन्मूलन के लिये सरकार के प्रयास

- टी.बी. रोगियों को किसी व्यक्ति, प्रतिनिधि या संस्थानों द्वारा गोद लेने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है।
  - इस अभियान के तहत टी.बी. के मरीज़ों की देखभाल के लिये आगे आने वाले लोगों और संस्थाओं को 'नि-क्षय मित्र' कहा जाता है।
  - नि-क्षय मित्र पहल का उद्देश्य अतिरिक्त निदान, पोषण और व्यावसायिक सहायता सुनिश्चित करना है।
  - इसके लिये नि-क्षय 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया गया जो टी.बी. रोगियों को सामुदायिक सहायता के लिये एक मंच प्रदान करता है।
- वर्ष 2018 से लागू निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत सभी टी.बी. रोगियों को उनके इलाज की अवधि के दौरान पोषण संबंधी सहायता के लिये 500 रुपए प्रतिमाह प्रदान किया जा रहा है।
- वर्ष 2019 से 'टी.बी. हारेगा, देश जीतेगा' अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- विदित है कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में टी.बी. उन्मूलन के लक्ष्य को संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों से पाँच वर्ष पूर्व वर्ष 2025 तक प्राप्त करना है।

ब्लू थेरेपी से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार

संदर्भ

हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, प्रत्येक सप्ताह प्रकृति में लगभग दो घंटे बिताना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिये बेहद लाभकारी हो सकता है। इसे ब्लू थेरेपी नाम दिया गया है।

ब्लू थेरेपी के शारीरिक लाभ

- चिकित्सा विज्ञान में नीला रंग शांत और सुखदायक का प्रतीक होता है। यही कारण है कि प्रकृति में विद्यमान नीला रंग स्वास्थ्य लाभ में सहायक होता है।
- सूक्ष्म शैवाल की उपस्थिति के कारण समुद्री वायु प्रायः शुद्ध होती है। साथ ही, बहते जल की आवाज़, अर्थात् प्राकृतिक ध्वनि तनाव को कम करती है।
- इसके अलावा, शहरी परिवेश में घूमने या आराम करने के विपरीत तालाब के किनारे चलने से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मनोदशा में भी सुधार होता है।

ब्लू थेरेपी तक पहुँच

- ब्लू हेल्थ प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे शोधकर्ताओं के अनुसार, जो लोग किसी प्रमुख जल निकाय (1 किमी. के भीतर) के पास रहते हैं, प्रायः उनका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है।
- न्यू साइंटिस्ट प्रकाशन के अनुसार, वनों और पार्कों जैसे हरे-भरे स्थानों की तुलना में जल निकायों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

आगे की राह

- वर्तमान में इन क्षेत्रों में अधिक संपन्न लोगों का निवास है। विशेषज्ञ वंचित समुदायों को उच्च गुणवत्ता वाले नीले स्थानों तक पहुँच प्रदान करके स्वास्थ्य और पर्यावरणीय असमानताओं को कम करना चाहते हैं।
- वहीं दूसरी तरफ, जिस व्यक्ति के पास समुद्र के किनारे जाने का समय या साधन नहीं होता है, यह यदि समुद्री पर्यावरण से संबंधित फिल्म या वृत्तचित्र देखता है तो इससे भी एक तरह का प्लेसीबो प्रभाव उत्पन्न हो सकता है।

आर्टेमिस मिशन

संदर्भ

हाल ही में, नासा ने अपने नए चंद्र मिशन 'आर्टेमिस-1' को तीन टेस्ट डमी (अंतरिक्ष यात्रियों की नकल) के साथ लॉन्च किया। यह भविष्य में मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

प्रमुख बिंदु

- आर्टेमिस-1 मिशन एक मानवरहित अंतरिक्ष मिशन है जो नासा के गहन अंतरिक्ष अन्वेषण (Deep Space Exploration) प्रणालियों में से पहला मिशन है।
- इस मिशन का उद्देश्य भविष्य के मानवयुक्त मिशनों से पूर्व सभी परीक्षणों की सफलता सुनिश्चित करना है।
- इसमें भेजे गए तीन डमी यात्रियों को ऐसी सामग्रियों से बनाया गया है जो मानव हड्डियों, त्वचा और कोमल ऊतकों की नकल करती हैं। ये मानव शरीर पर गहरे अंतरिक्ष वातावरण के विभिन्न प्रभावों, जैसे- कंपन, त्वरण और ब्रह्मांडीय विकिरण आदि को रिकॉर्ड करने के लिए कई सेंसर से लैस हैं।

- यह मिशन 50 वर्ष पूर्व (वर्ष 1969 और 1972 के मध्य) अमेरिका के अपोलो कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात् पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भेजने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट एवं ओरियन कैप्सूल

- यह मिशन स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) रॉकेट से लॉन्च किया गया है। एस.एल.एस. को दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट माना जाता है।
- एस.एल.एस. रॉकेट को पृथ्वी की निम्न कक्षा (Low Earth Orbit) से परे अंतरिक्ष मिशन के लिये डिज़ाइन किया गया है तथा यह चालक दल या कार्गो को चंद्रमा और उससे आगे तक ले जा सकता है। इसका निर्माण बोइंग कंपनी द्वारा किया गया है।
- इस रॉकेट के शीर्ष पर ओरियन कैप्सूल है जो 25 दिनों तक चंद्रमा की कक्षा में रहने के पश्चात् 11 दिसंबर को प्रशांत महासागर में उतरेगा। इस कैप्सूल का निर्माण लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया है।

क्या है आर्टेमिस मिशन

- आर्टेमिस (Acceleration, Reconnection, Turbulence and Electrodynamics of Moon's Interaction with the Sun : ARTEMIS) मिशन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने के लिये शुरू किया गया दूसरा मिशन है। ध्यातव्य है कि वर्ष 1969 में नासा का 'अपोलो

मिशन' (Apollo 11) चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम मानव मिशन था।

- आर्टेमिस मिशन को नासा का चंद्रमा पर वापसी कार्यक्रम (Back-to-moon program) भी कहा जा रहा है। इस 'चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम' का नामकरण नासा ने यूनानी देवता अपोलो की जुड़वाँ बहन और चंद्रमा की देवी 'आर्टेमिस' के नाम पर किया है।
- इस कार्यक्रम का पहला मिशन आर्टेमिस-1 है। यह एक मानवरहित परीक्षण है। इसके सफल होने पर आर्टेमिस-2 मिशन लॉन्च किया जाएगा। यह अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा तक ले जाकर पुनः वापस लौट आएगा; यह भी एक परीक्षण चरण ही है। अंततः आर्टेमिस-3 द्वारा मानव को चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा।
- इस मिशन में नासा के साथ-साथ अन्य देशों- कनाडा, यूरोप और जापान की अंतरिक्ष एजेंसियाँ भी शामिल हैं।

मिशन का उद्देश्य

- इस कार्यक्रम के माध्यम से नासा का लक्ष्य वर्ष 2025 तक मानव को चंद्रमा की सतह पर भेजना है तथा यह चंद्रमा पर पहली महिला एवं पहले अश्वेत व्यक्ति को उतारने के लिये भी प्रतिबद्ध है।
- इस मिशन का लक्ष्य वैज्ञानिक खोज और आर्थिक लाभों में योगदान देना तथा नई पीढ़ी के खोजकर्ताओं को प्रेरित करना है।
- इस मिशन के मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य हैं- दीर्घकालीन अंतरिक्ष अन्वेषणों के लिये चंद्रमा पर जल तथा अन्य आवश्यक संसाधनों का पता लगाना, किसी अन्य खगोलीय पिंड पर रहना और मिशन का संचालन सीखना, मंगल मिशन जैसे लंबी अंतरिक्ष यात्रा वाले अभियानों पर जाने के लिये तकनीक की जाँच करना इत्यादि।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी

संदर्भ

हाल ही में, भारत को 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी' (Global Partnership on Artificial Intelligence : GPAI) की अध्यक्षता प्रदान की गई है।

प्रमुख बिंदु

- नवंबर 2022 में जी.पी.ए.आई. की बैठक का आयोजन टोक्यो (जापान) में किया गया जहाँ भारत को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है।
- वर्ष 2022-23 की संचालन समिति में पाँच सीटें जापान, फ्राँस, भारत, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रदान की गई हैं।

क्या है जी.पी.ए.आई.

- यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ज़िम्मेदार और मानव केंद्रित विकास तथा सकारात्मक उपयोग में सहायता करने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है।
- जी.पी.ए.आई. को जून 2020 में 15 सदस्यों के साथ शुरू किया गया था जिसके संस्थापक सदस्य देशों में भारत सहित अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, इटली, जापान, मेक्सिको, न्यूज़ीलैंड, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर शामिल हैं। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 25 हो गई है।

जी.पी.ए.आई. के उद्देश्य

- इस अंतर्राष्ट्रीय और बहु-हितधारक पहल का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा मानवाधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में उपयोग का कुशल मार्गदर्शन करना है।
- प्रतिभागी देशों के विविधतापूर्ण अनुभवों का उपयोग करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की बेहतर समझ विकसित करने का यह अपनी तरह का पहला प्रयास भी है।
- इस पहल के द्वारा अनुसंधानों एवं गतिविधियों की सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े सिद्धांतों (Theory) और व्यवहार (Practical) के बीच के अंतर को समाप्त किया जा रहा है।
- इस पहल ने अनेक उद्योगों, नागरिक समाज, सरकारों और शिक्षाविदों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को बढ़ावा देने के लिये एक मंच प्रदान किया है।

भारत के लिये महत्त्व

- जी.पी.ए.आई. के माध्यम से भारत समावेशी विकास के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग से जुड़े अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक विकास में सक्रिय साझीदारी निभा रहा है।
- ध्यातव्य है कि भारत ने विगत वर्षों में अपनी विभिन्न नवोन्मेषी पहलों के माध्यम से देश के कुशल समावेशन और सशक्तीकरण को बढ़ाने के साथ-साथ शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, ई-कॉमर्स, वित्त एवं दूरसंचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने के अनेक प्रयास किये हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता से वर्ष 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 450-500 बिलियन डॉलर जोड़े जाने की संभावना है जो देश के 5 ट्रिलियन डॉलर जी.डी.पी. लक्ष्य का 10% है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारत के प्रौद्योगिकी पारितंत्र के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है और वर्ष 2025 तक 1 ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकोनॉमी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये एक अहम कारक है।

क्या है कृत्रिम बुद्धिमत्ता

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर के मनुष्यों की तरह व्यवहार से संबंधित है। यह मशीनों की सोचने, समझने, सीखने, समस्या हल करने और निर्णय लेने जैसे रचनात्मक कार्यों को करने की क्षमता को बताती है। इसके जनक जॉन मैकार्थी माने जाते हैं।
- यद्यपि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कई लोग निजता के अधिकार के लिये जोखिम तथा प्रौद्योगिकीय बेरोज़गारी के जनक के रूप में देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे जुड़े आँकड़ों के माध्यम से कोई भी किसी की गतिविधियों, अतीत की बातों या किसी अन्य प्रकार की जानकारी को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है।

धारा सरसों संकर-11

संदर्भ

हाल ही में, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (Genetic Engineering Appraisal Committee : GEAC) ने धारा सरसों संकर-11 (DMH-11) के पर्यावरणीय प्रदर्शन को मंजूरी दी है। इसके तहत जी.ई.ए.सी. ने इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (ICAR) की देखरेख में खेतों में उगाने की अनुमति दी है।

डी.एम.एच.-11 (Dhara Mustard Hybrid-11)

- डी.एम.एच.-11 का विकास दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया है। यह सरसों का एक आनुवंशिक अभियांत्रिक संस्करण (Genetically-Engineered Variant) है।
- यह दो किस्मों- वरुण और अर्ली हीरा-2 के मध्य संकरण का परिणाम है। यह संकरण दो मृदा जीवाणुओं-बार्नसे (barnase) और बारस्टार (barstar) के जीन के माध्यम से किया गया है।
- डी.एम.एच.-11 में 11 पीढ़ियों की संख्या को संदर्भित करता है जिसके बाद वांछनीय लक्षण प्रकट होते हैं।
- विदित है कि सरसों एक स्व-परागण वाला पौधा होता है जिसमें पौध-प्रजनकों के लिये सरसों की विभिन्न किस्मों में क्रॉस कराना और वांछनीय लक्षणों को प्रेरित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

विशेषताएँ

- आई.सी.ए.आर. द्वारा किये गए परीक्षणों के अनुसार, डी.एम.एच.-11 अपने मूल 'वरूण' की तुलना में 28% अधिक उपज देने वाली और क्षेत्रीय या स्थानीय किस्मों की तुलना में 37% बेहतर किस्म है।
- डी.एम.एच.-11 में शाकनाशी प्रतिरोध (Herbicide Resistance) के लिये एक ग्लूफोसिनेट-अमोनियम नामक जीन है जो इसे शाकनाशी सहिष्णु (Herbicide Tolerance) बनाता है।

संकर किस्म की आवश्यकता

- वर्तमान में भारत अपनी घरेलू खाद्य तेल आवश्यकता का लगभग 55-60% आयात करता है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत ने लगभग 13.3 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया। इस आयात को कम करने के लिये सरसों के बेहतर हाइब्रिड प्रजाति के उत्पादन की आवश्यकता है।
- वर्तमान में भारत में सरसों की उत्पादकता लगभग 1-1.3 टन/हेक्टेयर है जो दो दशकों से अधिक समय से स्थिर है। विदित है कि रबी के मौसम में मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में 6-7 मिलियन हेक्टेयर में सरसों की खेती की जाती है।

विवाद के कारण

- ट्रान्सजेनिक सरसों के लिये विदेशी जीनों का उपयोग किया गया है।
- जी.एम. सरसों के पौधे मधुमक्खियों को इनमें परागण करने से रोक सकते हैं जिससे पर्यावरणीय क्षरण को बढ़ावा मिल सकता है।
- विश्व स्तर पर शाकनाशी सहिष्णुता आधारित फसलों के हानिकारक परिणाम सामने आए हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देशों में जी.एम. फसलों के कारण कृषि भूमि के बड़े क्षेत्रों में शाकनाशी प्रतिरोधी खरपतवारों का प्रसार हुआ है जो सामान्य फसल के लिये आपदा का कारण बन सकता है।

पूर्व में प्रदत्त मंजूरी

- डी.एम.एच.-1 को वर्ष 2005-06 में उत्तर-पश्चिम भारत में वाणिज्यिक कृषि के लिये मंजूरी दी गई थी, लेकिन यह तकनीक लगातार हाइब्रिड सरसों का उत्पादन करने के लिये पर्याप्त नहीं थी।
- वर्ष 2017 में जी.ई.ए.सी. ने जी.एम. सरसों के पर्यावरणीय प्रदर्शन को मंजूरी दी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दर्ज होने के बाद इसके आगे की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई थी।

वर्ष 2009 में पहली ट्रान्सजेनिक खाद्य फसल बीटी बैंगन को जी.ई.ए.सी. ने मंजूरी दी थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने अधिक परीक्षणों की आवश्यकता पर बल देते हुए इस पर रोक लगा दी थी। वर्तमान में भारत में उगाई जाने वाली एकमात्र ट्रान्सजेनिक फसल बीटीकॉटन है।

❐❐❐

आपदा और आपदा प्रबंधन

मोरबी त्रासदी

संदर्भ

हाल ही में, गुजरात के मोरबी में मच्छु नदी पर बने सस्पेंशन ब्रिज (Suspension Bridge) के टूटने से 140 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई।

प्रमुख बिंदु

- मच्छु नदी पर बना यह पुल एक पैदल यात्री पुल था जिसका उद्घाटन वर्ष 1879 में मोरबी के ठाकुर साहिब सर वाघजी रावजी के शासनकाल में किया गया था।
- 'झुल्टो पुल' के नाम से चर्चित यह पुल 233 मीटर लंबा तथा 1.25 मीटर चौड़ा था जो दरबारगढ़ पैलेस और लखधीरजी इंजीनियरिंग कॉलेज को जोड़ता था।
- इस पुल को दो वर्ष पूर्व नवीनीकरण के लिये बंद कर दिया गया था जिसे कथित तौर पर बिना सुरक्षा ऑडिट के 26 अक्तूबर को जनता के लिये फिर से खोला गया था।

सामूहिक समारोहों का प्रबंधन

- भारत निकट भविष्य में दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने की राह पर है और प्रत्येक सामूहिक समारोह (Mass Gathering) राज्य और ज़िला प्रशासन के लिये एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। धार्मिक त्योहारों और छुट्टियों के दौरान आयोजन भारी भीड़ को आकर्षित करते हैं जहाँ सुरक्षा प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) सामूहिक समारोहों को 'एक निश्चित अवधि के लिये एक विशिष्ट उद्देश्य से एक विशिष्ट स्थान पर निर्दिष्ट संख्या से अधिक भीड़' के रूप में परिभाषित करता है।
- सामूहिक समारोहों का प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के अंतर्गत किया जाना चाहिये।

सेंदाई फ्रेमवर्क

- जापान में अपनाए गए सेंदाई फ्रेमवर्क (2015-30) में कहा गया है कि आपदा जोखिम को कम करने में राज्य की प्राथमिक भूमिका होती है, लेकिन इस ज़िम्मेदारी को स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों के साथ साझा किया जाना चाहिये।
- फ्रेमवर्क का उद्देश्य आपदा जोखिम से होने वाले जीवन, आजीविका, स्वास्थ्य, व्यवसायों, समुदायों और देशों की आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संपत्तियों के नुकसान में पर्याप्त कमी लाना है।
- मोरबी हादसा यह दर्शाता है कि इस दृष्टिकोण को अभी तक आत्मसात नहीं किया गया है और प्रशासनिक ढाँचा अपनी ज़िम्मेदारी को समझने में विफल रहा है।

सुरक्षा पैमाने

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में शोधकर्ताओं द्वारा जोखिम में कमी के लिये एक सांकेतिक पैमाने की रूपरेखा तैयार की गई जिसके अनुसार एक आयोजन के निर्णय के साथ बुनियादी तैयारी को शुरू किया जाना चाहिये। इसके बाद प्रारंभिक चरणों के एक क्रम– घटना अनुमोदन, जोखिम मूल्यांकन, एकीकृत योजना और जोखिम में कटौती का पालन किया जाना चाहिये।
- इस दृष्टिकोण के प्रमुख तत्त्वों में स्थल और समारोह की प्रकृति, अपेक्षित भीड़ का आकार, स्थल का दौरा, सुरक्षा समीक्षा, पूर्व आपदाओं का विश्लेषण, भीड़ का घनत्व, चिकित्सा प्रबंधन, आपातकालीन सेवाएँ आदि शामिल हैं।
- अन्य सहायक उपायों में ऑडियो उद्घोषणा प्रणालियाँ, वास्तविक समय निगरानी, सुरक्षा उपाय, अवरोधक और निकासी योजनाएँ शामिल हैं।
- ध्यातव्य है कि जोखिम कम करने की इस रूपरेखा को लागू करके मोरबी पुल पर महत्त्वपूर्ण खामियों को रोका जा सकता था।

मच्छु नदी

- मच्छु एक छोटी नदी है जो मडला पहाड़ियों से निकलती है आर कच्छ के रण में लगभग 130 किमी. बहती है। इसकी सहायक नदियों में बेती, बेनिया, जंबुरी, असोई, महा, मछोरी आदि शामिल हैं।
- गौरतलब है कि वर्ष 1979 में भी नदी पर बाँध की विफलता से एक बड़ी आपदा आई थी जिससे मोरबी शहर जलमग्न हो गया था और बड़ी संख्या में लोग (अनुमानित संख्या 25,000) मारे गए थे।

अन्य उपाय

- पुलिस अधिकारियों द्वारा भीड़ प्रबंधन के लिये आवश्यक तैयारी की जानी चाहिये। साथ ही, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सुरक्षा आवश्यकताओं– प्रकाश व्यवस्था, भीड़ की संख्या को विनियमित करना और पर्याप्त आपातकालीन सेवाएँ उपलब्ध करवाना आदि के पालन को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- पिछली विनाशकारी घटनाओं जैसे– वर्ष 2009 में थेक्कडी पर्यटक नौका विहार दुर्घटना, जनवरी 2022 में माता वैष्णो देवी मंदिर (कटरा) में भगदड़ आदि से सीख लेते हुए भीड़ प्रबंधन पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
- जनता को यह महसूस कराने के लिये कि सार्वजनिक स्थान वास्तव में सुरक्षित हैं, प्रशासन को मज़बूत प्रतिबद्धता और एक संस्थागत ढाँचे के प्रदर्शन की आवश्यकता है।

मोरबी ज़िले के बारे में

- यह ज़िला उत्तर में कच्छ, पूर्व में सुरेंद्रनगर, दक्षिण में राजकोट और पश्चिम में जामनगर से घिरा हुआ है।
- यह ज़िला अपने सिरेमिक उद्योग के लिये प्रसिद्ध है जहाँ भारत के सिरेमिक का लगभग 70% उत्पादित किया जाता है।
- यहाँ निर्मित सिरेमिक टाइलें मध्य पूर्व, पूर्वी एशिया और अफ्रीका के देशों को निर्यात की जाती हैं।

❐❐❐

प्रश्नपत्र-IV

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि

राजनीति में नैतिकता

संदर्भ

- राजनीति में नैतिकता का तात्पर्य नेताओं और राजनीतिक दलों की गतिविधियों, निर्णयों एवं कार्रवाइयों का नैतिक मूल्यों और आदर्शों से निर्देशित होना है। आदर्शवादी नैतिक विचारकों का मानना है कि नैतिकताविहीन राजनीति संभव नहीं है।
- किंतु, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य स्वार्थवाद, द्वेष एवं हिंसा जैसे अवांछित एवं अनैतिक तत्त्वों से घिरा हुआ है। आज की राजनीति पद और सत्ता के लिये नैतिक मूल्यों को दरकिनार करने में कोई संकोच नहीं करती है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो विगत कई महीनों से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध, राजनीति में नैतिकता के निम्न-स्तर का ज्वलंत उदाहरण है। वहीं, भारत में राजनेताओं और राजनीतिक दलों के बीच बढ़ते संघर्ष, असहयोग एवं असहिष्णुता राजनीति में नैतिकता के पतन को ही उजागर करते हैं।
- इस परिप्रेक्ष्य में, राजनीति और नैतिकता के बीच संबंधों तथा राजनीति में नैतिकता के महत्त्व पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। राजनीति में नैतिकता के विषय में विद्वान एकमत नहीं हैं। कुछ विद्वान यह तर्क देते हैं कि बेहतर शासन के लिये राजनेताओं को सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर टिके रहना चाहिये। वहीं, कुछ यह भी मानते हैं कि राजनीति में नैतिकता के लिये कोई स्थान नहीं है।

राजनीति में नैतिकता संभव नहीं है

- अक्सर यह कहा जाता है कि राजनीति और नैतिकता कभी एक-साथ नहीं आ सकती हैं। राजनीतिक यथार्थवादी चिंतक राजनीति में नैतिक सिद्धांतों को अस्वीकार करते हैं। वे राजनीति को सत्ता की प्राप्ति के एकमात्र उद्देश्य के रूप में देखते हैं।
- इस संदर्भ में, मैकियावेली का मानना है कि राजनीति में नैतिकता के लिये कोई स्थान नहीं है। नागरिकों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नैतिक सिद्धांतों का पालन करने के लिये राजनेताओं को बाध्य नहीं किया जाना चाहिये।
- इतिहास को देखें तो पाते हैं कि राजनेताओं को अक्सर अपने राष्ट्र के हितों को आगे बढ़ाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनैतिक निर्णय लेने पड़ते हैं। इसी प्रकार, एक राज्य के भीतर भी विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता तक पहुँचने के लिये अनैतिक क्रियाकलापों में शामिल होने से नहीं हिचकते हैं।
- यथार्थवादियों के लिये राजनीति का आशय सत्ता की एक सक्रिय खोज है। राजनेता, राजनीतिक दल एवं राज्य अपने हितों की सुरक्षा करने और उसे अधिकतम करने के लिये विवश हैं। ऐसे में, वे कुछ अमूर्त नैतिक सिद्धांतों से बँधे नहीं रह सकते हैं।

नैतिकता के बिना राजनीति विनाशकारी है

- नैतिक विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान परिदृश्य में राजनीति, जनता के लिये कुछ अच्छा करने की तुलना में अनावश्यक प्रतिस्पर्द्धा पर अधिक केंद्रित है। यही कारण है कि आज आदर्शवाद और रचनात्मक आलोचना के लिये स्थान अत्यंत सीमित हो गया है।
- विधायिकाओं में होने वाली हिंसक एवं विध्वंसक गतिविधियाँ, चुनावों के दौरान हिंसा, वीभत्स घटनाओं का राजनीतिकरण, जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त, राजनीतिक दलों और राजनेताओं का एक-दूसरे पर देशद्रोही होने का आरोप तथा एक-दूसरे के लिये असंसदीय, अनैतिक व अमर्यादित भाषा का प्रयोग आदि राजनीति में नैतिकता के पतन का ही परिणाम हैं।
- राजनीति में नैतिकता के क्षय का एक विनाशक रूप राजनीतिक दलों और राजनेताओं द्वारा पद व सत्ता प्राप्ति के लिये समाज में सांप्रदायिकता एवं ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना है। देश-विदेश में घटित होने वाली किसी घटना को सांप्रदायिक नज़रिये से देखा जाता है। चुनावों के समय सांप्रदायिकता का प्रसार और ध्रुवीकरण का उपयोग आम होता जा रहा है।
- राजनीति में नैतिकता के महत्त्व के विषय में महात्मा गांधी ने कहा है कि सिद्धांत और नैतिकता विहीन राजनीति निंदनीय, विनाशकारी एवं त्याज्य है। ऐसी राजनीति जन कल्याण का साधन न होकर स्वयं में साध्य बन जाती है।

नैतिकता, राजनीति का अभिन्न अंग है

- महात्मा गांधी ने राजनीति और नैतिकता के बीच सेतु बनाने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि राजनीतिक नैतिकता का अर्थ दयालु होना और दूसरों की भावनाओं को समझना है। वे कहते हैं कि राजनीति का अंतिम लक्ष्य लोगों की सेवा करना है। राजनीति स्वयं में कोई लक्ष्य नहीं है। नैतिकता के बिना राजनीति नहीं की जा सकती है।

- इसी प्रकार, ग्रीक दार्शनिक अरस्तू का भी मानना है कि नैतिकता और राजनीति का गहरा संबंध है। जिस प्रकार नैतिकता व्यक्ति की अच्छाई की जाँच करती है, उसी प्रकार राजनीति राज्य की अच्छाई की जाँच करती है।
- गांधी के 'सर्वोदय' और उपयोगितावादियों के 'अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख' की दृष्टि से भी राजनीति की प्रकृति नैतिक होनी चाहिये।
- इन विचारों के अनुरूप ही संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और जर्मनी जैसे अनेक देशों में राजनेताओं के लिये आचार संहिताएँ उपलब्ध हैं। भारत में भी राज्य सभा और लोक सभा के सदस्यों के लिये आचार संहिता मौजूद है।

आगे की राह

- नैतिकता के समर्थकों का मानना है कि आधुनिक लोकतंत्र में शासन के लिये नैतिक ढाँचे पर किसी भी चर्चा की शुरुआत राजनीति में नैतिक मूल्यों के विषय से ही होनी चाहिये। राजनेता और राजनीति से जुड़े लोग राज्य के विधायी एवं कार्यकारी अभिकरणों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में, समग्र शुभ की प्राप्ति के लिये राजनीति को नैतिकता से निर्देशित होना ही चाहिये।
- चूँकि, राजनेता भी जनता के सेवक होते हैं, इसलिये उनके समस्त कार्य और गतिविधियाँ जनता की भलाई के लिये होने चाहिये। उन्हें किसी समुदाय के प्रति असंवेदनशील एवं असहिष्णु नहीं होना चाहिये। राजनेताओं का दृष्टिकोण समावेशी होना चाहिये।
- राजनेताओं को सदैव यह ध्यान रखना चाहिये कि राजनीति में निर्धारित एवं स्थापित मानक कई पहलुओं पर लोगों के व्यवहार को गहराई से प्रभावित करते हैं। सेलिब्रिटी व्यक्तित्व होने के कारण लोग नेताओं का अनुकरण करते हैं।
- राजनीति में प्रचलित 'वे' और 'हम' की अवधारणा की बजाय केवल 'हम' के दृष्टिकोण को अपनाना होगा। भारत जैसे विभिन्न समुदायों, जातियों, नस्लों, धर्मों और भाषाओं के धागों से बुने देश के समग्र उत्थान के लिये राजनीति का नैतिक होना नितांत आवश्यक है।

मुस्कान : सकारात्मक मानसिकता

संदर्भ

- अवसरों और संसाधनों की सीमितता तथा बढ़ते स्वार्थवाद के इस दौर में क्रोध, हिंसा, अशांति, निराशा एवं घृणा जैसी दुष्प्रवृत्तियाँ लोगों के जीवन में घर करती जा रही हैं।
- ऐसे में, लोगों के चेहरे की मुस्कान उन्हें जीवन की दुष्प्रवृत्तियों तथा कठिनाइयों से प्रसन्नतापूर्वक निपटने और एक खुशहाल वातावरण का निर्माण करने में मदद कर सकती है।
- हम अपने दैनिक जीवन में लोगों को एक-दूसरे से वार्तालाप करते समय मुस्कराने के संदर्भ में बात करते हुए अक्सर सुनते हैं। किंतु, बिरले ही लोग हैं जो चेहरे की मुस्कान की गंभीरता और इसके महत्त्व को गहराई से समझते हैं।
- इसकी गंभीरता और व्यक्ति के जीवन में इसकी उपयोगिता के संदर्भ में लियोनार्डो दा विंची ने कहा है- "मैं उनसे प्यार करता हूँ जो मुसीबत में भी मुस्करा सकते हैं।"

मुस्कान क्या है

- मुस्कान, एक व्यक्ति की किसी विषय के प्रति उसकी सकारात्मक अभिवृत्ति की उसके चेहरे के माध्यम से अभिव्यक्ति है। इस प्रकार, यह व्यक्ति की सकारात्मक मानसिकता को इंगित करती है।
- मानवतावादियों का मानना है कि मुस्कान एक ऐसी कुंजी है जो प्रत्येक के दिल के ताले में फिट हो जाती है। इसे एक व्यक्ति के अन्यों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों का आधार कहा जा सकता है।
- मुस्कान वह तत्त्व है जो मनुष्य के चेहरे को सुंदर बनाता है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की सुंदरता उसकी मुस्कान में निहित है।
- मुस्कान, जीवंतता का प्रतीक है, अर्थात् यह जीवित को मृतकों से भिन्न बनाती है।

मुस्कान महत्त्वपूर्ण क्यों है

- मुस्कान के संदर्भ में कहा जाता है कि हम जो भी धारण करते हैं उनमें मुस्कान से अधिक महत्त्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। दलाई लामा कहते हैं कि आपकी एक छोटी-सी मुस्कान आपको दूसरों के प्रति दयालु बनने की दिशा में आगे बढ़ाती है। इस प्रकार, मुस्कान मानवता का पोषक है।
- मुस्कान व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता का संचार करती है। यह उसे आशावादी बनाती है। यह व्यक्ति को विषम परिस्थितियों का सामना करने और उनसे निपटने के लिये तैयार करती है। यह स्वयं के साथ-साथ अन्य लोगों के जीवन को खुशहाल बना सकती है। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि आपकी मुस्कान लोगों का जीवन बदल सकती है।
- इसके महत्त्व के संदर्भ में कहा गया है कि यदि आप अपनी मुस्कान का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप उस व्यक्ति की

तरह हैं जिसके लॉकर में असीमित धन मौजूद है, किंतु उस लॉकर की कुंजी उसके पास नहीं है।

- समाज में शांति, सहयोग, प्रेम आदि को बढ़ावा देने में यह हमारी मदद कर सकती है। इस संदर्भ में, नेल्सन मंडेला ने कहा है- "मुस्कराना कभी न भूलें।"

सिविल सेवकों के लिये उपयोगिता

- व्यक्ति की मुस्कान उसे एक सकारात्मक एवं आकर्षक चेहरा प्रदान करती है जिससे अन्य लोग उसके आसपास सहज महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंतर्वैयक्तिक संबंध मज़बूत होते हैं और मुस्कान उसकी फेस वैल्यू को बढ़ा देती है। ऐसे में, यह एक बेहतर कार्य-संस्कृति का निर्माण करने तथा नागरिकों के साथ वार्तालाप करने में सिविल सेवक के लिये उपयोगी हो सकती है।
- प्राय: ऐसा देखा जाता है कि क्रोध करने से समस्याएँ और जटिल हो जाती हैं। सिविल सेवक के दैनिक क्रियाकलापों में अनेक ऐसे क्षण आते हैं जब उसमें क्रोध का संचार हो सकता है। ऐसी स्थिति में, उसके चेहरे की मुस्कान उसे क्रोध और इसके दुष्परिणामों से बचा सकती है। यहाँ, चार्ली चैपलिन का एक कथन महत्त्वपूर्ण है। वे कहते हैं- "मेरे जीवन में अनेक समस्याएँ हैं, लेकिन मेरे होंठ उन्हें नहीं जानते, बल्कि वे हमेशा मुस्कराते हैं।"

मुस्कान कैसे लाएँ

- जब व्यक्ति विषम परिस्थितियों का सामना करता है तो मुस्कराना उसके लिये सहज नहीं होता है। किंतु, जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि दुख, दर्द और कठिनाइयाँ हमारे जीवन का एक हिस्सा हैं तो हम मुस्कराकर उनका सामना कर सकते हैं।
- महात्मा बुद्ध कहते हैं कि संसार में सब कुछ क्षणिक है; यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। उनका मानना है कि जितना यथार्थ यह है कि व्यक्ति का जीवन दुखों से भरा है, उतना ही यथार्थ यह भी है कि उन दुखों का नाश किया जा सकता है। इस विचार को स्वीकार करने से व्यक्ति में आशावाद का संचार होता है। इससे वह जीवन में मुस्कराते हुए आगे बढ़ता है।
- व्यक्ति को चाहिये कि वह विषम परिस्थितियों को अपनी ताकत और क्षमता का परीक्षण करने के एक अवसर के रूप में देखे। यदि वह ऐसा करता है तो क्रोध और निराशा का शिकार होने की बजाय वह उनका हल ढूँढ़ने के लिये प्रसन्नतापूर्वक नए-नए रास्तों की तलाश करता है।

केस स्टडी

केस स्टडी-1

पवन पिछले दस वर्षों से राज्य सरकार में अधिकारी के पद पर कार्यरत है। नियमित स्थानांतरण के अंतर्गत उसे दूसरे विभाग में तैनात किया गया। उसने अन्य पाँच साथियों के साथ एक नए कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। कार्यालय का प्रमुख एक वरिष्ठ अधिकारी था जो अपने कार्यालय की कार्यप्रणाली में निपुण था। सामान्य पूछताछ के दौरान पवन को पता चला कि वरिष्ठ अधिकारी का खुद का पारिवारिक जीवन अशांत होने के साथ-साथ वह कठोर और असंवेदनशील छवि वाला है। शुरू में लगा कि सब ठीक चल रहा है। हालाँकि, कुछ समय बाद ही पवन ने महसूस किया कि उसका वरिष्ठ अधिकारी आमतौर पर उसको अपमानित करता था और कभी-कभी अविवेकी व्यवहार करता था। बैठकों में पवन जो भी सुझाव देता था उन्हें सिरे से खारिज कर दिया जाता था और दूसरों की उपस्थिति में वरिष्ठ अधिकारी नाराज़गी व्यक्त करता था। यह वरिष्ठ अधिकारी के कामकाज की शैली का तरीका बन गया जिसमें उसको गलत ढंग से दिखाया जाता, उसकी कमज़ोरियों को उजागर किया जाता और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था। यह स्पष्ट हो गया कि यद्यपि ये काम से संबंधित कोई गंभीर समस्या/कमियाँ नहीं थीं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी हमेशा किसी-न-किसी बहाने से उसे डाँटता और उस पर चिल्लाता। पवन के लगातार उत्पीड़न और सार्वजनिक आलोचना के परिणामस्वरूप उसके आत्मविश्वास, आत्मसम्मान एवं समभाव को नुकसान पहुँचा। पवन ने महसूस किया कि वरिष्ठ अधिकारी के साथ उसके संबंध और अधिक विषाक्त होते जा रहे हैं तथा वह निरंतर तनावग्रस्त, चिंतित एवं दबाव महसूस करने लगा है। उसका मन नकारात्मकता से भरा हुआ था तथा उसे मानसिक यातना, पीड़ा और व्यथा को झेलना पड़ रहा था। आखिरकार, इसने उसके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। घर पर भी वह अब उल्लसित, प्रसन्न और संतुष्ट नहीं रहता था, बल्कि बिना किसी कारण के वह अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपना आपा खो देता था। पारिवारिक वातावरण अब सुखद और अनुकूल नहीं रह गया था। उसकी पत्नी, जो हमेशा उसका साथ देती थी, वह भी नकारात्मकता और शत्रुतापूर्ण व्यवहार का शिकार हो गई। कार्यालय में उसके अपमान एवं उत्पीड़न के कारण उसके जीवन से आराम और खुशी लगभग गायब हो गई। इस प्रकार इसने उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाया।

(a) इस स्थिति से निपटने के लिये पवन के पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं?

(b) कार्यालय और घर में शांति, प्रशांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण लाने के लिये पवन को क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिये?

(c) एक बाहरी व्यक्ति के रूप में वरिष्ठ अधिकारी तथा अधीनस्थ दोनों के लिये इस स्थिति से उबरने और कार्यनिष्पादन, मानसिक व भावात्मक स्वास्थ्य में सुधार के लिये आपके क्या सुझाव हैं?

(d) उपर्युक्त परिदृश्य में, आप सरकारी कार्यालयों में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिये किस प्रकार के प्रशिक्षण का सुझाव देंगे?

(UPSC 2021)

मॉडल उत्तर

(a) इस स्थिति से निपटने के लिये पवन के पास निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं–

1. वह अपने वरिष्ठ अधिकारी के व्यवहार को नज़रअंदाज़ करते हुए कार्य कर सकता है। चूँकि, पवन को इसी अधिकारी के तहत कार्य करना है और अपने सभी कार्यों के विषय में सूचित करना है, इसलिये एक कार्यालय में रहते हुए वह बहुत अधिक सफल नहीं रहेगा।
2. वह एक लंबी छुट्टी पर जा सकता है और अपने शरीर व मस्तिष्क को काम के दबाव से मुक्त कर सकता है। किंतु, उसे वापस आकर इसी अधिकारी के तहत ही कार्य करना पड़ेगा और वह वापस यथास्थिति में आ जाएगा।
3. वह किसी अन्य कार्यालय या विभाग में स्थानांतरण के लिये आवेदन कर सकता है।
4. वह तनाव से मुक्त होने और अपनी घरेलू शांति के लिये त्यागपत्र दे सकता है। किंतु, इस विकल्प के चयन से उसके जीवन में रोज़गार संकट उत्पन्न हो जाएगा। अत: यह विकल्प उपयुक्त नहीं है।
5. वह इस समस्या और अधिकारी के व्यवहार के लिये मुख्य कारण जानकर उसके समाधान का प्रयास कर सकता है। यदि वह इस कार्य में सफल हो जाता है तो अवश्य ही वह किसी अन्य परिवर्तन के बिना अपने कार्यों को संपन्न कर सकता है।

(b) कार्यालय और घर में शांति, प्रशांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण लाने के लिये पवन को निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाना चाहिये-

- कार्यालय शांति के लिये दृष्टिकोण–

1. आत्मनिरीक्षण
   - पवन को कार्यालय शांति के लिये आत्मनिरीक्षण पर बल देना चाहिये जिसके तहत उसे समझना चाहिये कि उसके कौन-से कार्य वरिष्ठ अधिकारी को परेशान कर रहे हैं।
   - इसके अतिरिक्त, उसे वरिष्ठ अधिकारी का उसके और उसके सहकर्मियों के प्रति व्यवहार का भी संज्ञान लेना चाहिये।
2. वरिष्ठ अधिकारी के साथ बातचीत
   - उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी को उसके व्यवहार के प्रति अपनी चिंताओं से अवगत कराना चाहिये।
   - पवन को अपने अधिकारी से उसके व्यवहार के लिये उत्तरदायी कारणों को जानना चाहिये।
3. शिकायत
   - उपरोक्त दोनों विकल्पों की विफलता के पश्चात् पवन को वरिष्ठतम अधिकारियों से अधिकारी के व्यवहार की लिखित शिकायत करनी चाहिये।

- घर की शांति के लिये–

1. चर्चा
   - पवन को अपने कार्यालय की स्थिति तथा वरिष्ठ अधिकारी के व्यवहार के बारे में अपनी पत्नी से चर्चा करनी चाहिये; उसकी पत्नी उसे अवश्य ही समझेगी तथा वह उसका समर्थन करते हुए उसे सुझाव दे सकती है।
2. व्यवहार विभाजन
   - पवन को परिस्थितियों को समझते हुए अपने व्यक्तित्व में विपरीत परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने का गुण विकसित करना चाहिये और अपने पेशेवर एवं निजी जीवन को अलग-अलग रखना चाहिये।

(c) एक बाहरी व्यक्ति के रूप में वरिष्ठ अधिकारी तथा अधीनस्थ दोनों के लिये इस स्थिति से उबरने और कार्यनिष्पादन, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार के लिये सुझाव निम्नलिखित हैं–

- वरिष्ठ अधिकारी के लिये सुझाव–

1. उसे अपने कनिष्ठ अधिकारियों का सम्मान करना चाहिये और उनके आत्मसम्मान को हानि नहीं पहुँचानी चाहिये।
2. उसे अपने व्यक्तित्व में अधिकारिक मूल्यों को विकसित करना चाहिये और कार्यालय में एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभानी चाहिये।
3. उसे रचनात्मक आलोचना का प्रयोग करना चाहिये, अन्य अधिकारियों को छोटा नहीं समझना चाहिये।
4. निजी एवं अन्य कारणों से किसी अधिकारी का बेवजह अपमान नहीं करना चाहिये।

- अधीनस्थ अधिकारी के लिये सुझाव–
  1. उसे समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना चाहिये।
  2. उसे स्वाभिमान या आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिये।
  3. अपनी कमियों के प्रति सुधारात्मक व्यवहार को अपनाना चाहिये।
  4. अपने व्यक्तित्व में सुधार के लिये वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्य करना चाहिये।

(d) उपर्युक्त परिदृश्य में सरकारी कार्यालय में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिये निम्नलिखित प्रकार के प्रशिक्षण का सुझाव दिया जा सकता है–

1. प्रशिक्षण में अधिकारियों को उनके व्यवहार के कारण सहकर्मियों पर पड़ने वाले प्रभावों से अवगत कराना चाहिये।
2. अधिकारियों को नेतृत्वकर्ता की भूमिका का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।
3. उन्हें दूसरों की समस्याओं और बाधाओं को समझने योग्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।
4. टीम भावना का निर्माण और सामूहिक कार्यवाहियों के प्रोत्साहन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।
5. प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों के दृष्टिकोण में सकारात्मकता बढ़ाना, समग्रता को बढ़ावा देना और कार्य-संस्कृति को प्रदर्शन के अनुकूल बनाया जाना चाहिये।

केस स्टडी–2

वर्तमान में देश के विभिन्न क्षेत्रों के सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू के मरीज़ों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश में डेंगू से होने वाली मौतों की संख्या भी नहीं रुक रही है जिस कारण अव्यवस्था फैलती जा रही है। प्रशासन द्वारा डेंगू की रोकथाम और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये विगत दिनों विभिन्न प्रयास किये गए थे, परंतु उनका कोई लाभ नहीं हो रहा है।

राजीव एक ज़िले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी है। राजीव के ज़िले में भी डेंगू के मरीज़ों और इससे मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राजीव पर डेंगू की समस्या का समाधान करने और इसके मामलों को रोकने का निरंतर दबाव बनाया जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री राजीव से प्रत्यक्ष रूप से इस मामले के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं और डेंगू के बढ़ते मामलों को पाँच दिन में नियंत्रित करने का आदेश देते हैं तथा इस कार्य के लिये वे उसे पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी देते हैं।

डेंगू की समस्या से संबंधित सभी पक्षों की जाँच करने के दौरान राजीव को पता लगता है कि यह बीमारी निरंतर लोगों की जान ले रही है। वह पाता है कि प्रशासन की ओर से इस समस्या के समाधान के लिये दवा सहित अन्य सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं, परंतु आपूर्ति शृंखला में शामिल कुछ कर्मियों द्वारा दवाओं की कालाबाज़ारी के कारण दवाएँ ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक नहीं पहुँच रही हैं। उसे सूचना मिलती है कि इस गतिविधि में उसके कार्यालय के कुछ कर्मी भी शामिल हैं। इसका पता लगने पर वे राजीव को इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिये धन की पेशकश करते हैं। राज्य के निजी अस्पताल केवल अमीर व्यक्तियों को ही अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और उनसे बड़ी मात्रा में धन वसूल रहे हैं तथा सरकारी अस्पताल जगह होने के बावजूद मरीज़ों को दाखिल नहीं कर रहे हैं।

जाँच के दौरान राजीव को सूचना प्राप्त होती है कि उसकी 6 वर्ष की बेटी भी डेंगू की चपेट में आ गई है और वह बहुत अधिक बीमार है। उसके पास राजीव की माँ और पत्नी के अतिरिक्त कोई अन्य पारिवारिक व्यक्ति उपलब्ध नहीं है।

(a) उपर्युक्त परिस्थिति में राजीव कौन-सी नैतिक दुविधाओं का सामना कर रहा है?

(b) उपर्युक्त परिस्थितियों में डेंगू की समस्या का समाधान करने के लिये कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

(c) आपके अनुसार कौन-सा विकल्प सर्वोपयुक्त है और क्यों?

❑❑❑

महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार

योजना

तटीय सुरक्षा के बहुमुखी आयाम

संदर्भ

- विशाल महासागर 363 मिलियन वर्ग किमी. में फैले हुए हैं और पृथ्वी की सतह के लगभग 72% भाग के बराबर है। 600 मिलियन से अधिक लोग जो दुनिया की आबादी का लगभग 10% हिस्सा हैं और समुद्र तल से 10 मीटर ऊपर वाले तटीय क्षेत्रों में रहते हैं। भारत के चार में से तीन मेट्रो शहर समुद्र तट पर स्थित हैं। भारत की लगभग 14.2% आबादी तटीय ज़िलों में रहती है। भारत का व्यापार परिमाण में लगभग 95% और मूल्य के हिसाब से लगभग 68% इस क्षेत्र के माध्यम से किया जाता है जिसके चलते हाल के वर्षों में बंदरगाह आधारित विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।
- भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिये अपतटीय विकास क्षेत्र महत्त्वपूर्ण है भारत के मुख्य भू-भाग और द्वीप क्षेत्रों के साथ 7,516 किमी. की तटरेखा है जो भूमि सीमाओं का एक-तिहाई है। यह विश्व व्यापार की समुद्री अर्थव्यवस्थाओं में एक अहम स्थान रखता है। भारत के तट क्षेत्र में नौ तटीय राज्य, चार केंद्र शासित प्रदेश और 1,295 द्वीप हैं। इसके तटीय क्षेत्र में 12 प्रमुख बंदरगाहों और 239 से अधिक गैर-प्रमुख बंदरगाहों के अलावा प्रमुख वाणिज्यिक शहर तथा रक्षा, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम के अहम प्रतिष्ठान और निजी उपक्रम स्थित हैं जो तट क्षेत्र की संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं।

तटीय सुरक्षा नीति की आवश्यकता

- उत्तरदायित्व क्षेत्र (AOR) की विशालता और उसमें निहित चुनौतियों का आकलन करने के लिये हिंद महासागर के जल क्षेत्र वाले राष्ट्र के तौर पर भारत को एक निरोधात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। भारत को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौपरिवहन मार्गों, विद्वेषपूर्ण पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अपराधों और भारतीय अंतरीप में मछली पकड़ने की सघन गतिविधियों के कारण विशिष्ट समुद्री चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- नीली अर्थव्यवस्था, बंदरगाह आधारित विकास योजनाओं, तटीय नौवहन में वृद्धि, क्रूज पर्यटन तथा सागरमाला परियोजना को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ समुद्री यातायात में और वृद्धि होने की आशा है। ये भारतीय तट के समीप समुद्री घटनाओं एवं चुनौतियों के बढ़ते आसार में तब्दील हो सकते हैं।

भारत की प्रमुख तटीय सुरक्षा एजेंसियाँ

- महासागर प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है और समुद्री वातावरण व्यापक गतिविधियों का क्षेत्र है, इसलिये कई एजेंसियाँ समुद्री प्रशासन में हितधारक हैं जिनमें भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना, तटीय सुरक्षा पुलिस, सीमा शुल्क विभाग, मत्स्य पालन, बंदरगाह प्राधिकरण, खुफिया एजेंसियाँ तथा अन्य केंद्रीय व राज्य विभाग शामिल हैं।
- बहु-एजेंसी व्यवस्था के माध्यम से सीमित संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा गहन निगरानी के लिये एक स्तरीय तंत्र की व्यवस्था गठित की गई जिसमें भारतीय तटरक्षक बल को क्षेत्रीय जल में तटीय सुरक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- तटीय सुरक्षा में शामिल सभी हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय के लिये सभी हितधारकों के परामर्श से भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा के लिये मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) को प्रख्यापित किया गया था। तात्कालिक खतरे से निपटने और अधिक बड़े खतरे के अंदेशों के प्रति जवाबी कार्यवाही को कारगर बनाने के लिये तटीय सुरक्षा अभ्यास 'सागर कवच' प्रत्येक तटीय राज्य के लिये वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है।
  - उथले पानी की निगरानी के लिये द्वीप क्षेत्रों सहित तटीय राज्यों में गश्ती नौकाओं के साथ 200 से अधिक तटीय पुलिस स्टेशन स्थापित किये गए हैं।
- तट से 25 नॉटिकल मील (NM) तक समुद्र की ओर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिये तटीय निगरानी नेटवर्क (CSN) स्थापित करके निगरानी पद्धति के साथ प्रौद्योगिकी का एकीकरण हासिल किया गया है। इसके तहत 46 रिमोट रडार स्टेशन स्थापित किये गए हैं और 38 रडार स्टेशन तथा 4 मोबाइल निगरानी प्रणाली त्रुटिहीन निगरानी प्रदान करने के लिये स्थापित किये जा रहे हैं।
- भारतीय तटरक्षक एवं तटीय पुलिस द्वारा सभी तटीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में संयुक्त तटीय गश्त (JCP) स्थापित किया गया है। भारतीय तटरक्षक पोतों और विमानों द्वारा नियमित उड़ानों के दौरान 1,382 द्वीपों की निगरानी की जाती है।

- समुद्र से खतरों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NSA) के तहत समुद्री तथा तटीय सुरक्षा के सुदृढीकरण पर गठित राष्ट्रीय समिति (NCSMCS) एवं बहु-एजेंसी समुद्री सुरक्षा समूह (MAMSG) द्वारा तटीय सुरक्षा ढाँचे की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपायों के कार्यान्वयन की शीर्ष स्तर पर निगरानी व समीक्षा की जाती है।
- यद्यपि, अनेक उपायों को लागू किया गया है और व्यवस्थित तंत्र स्थापित किया गया है, फिर भी अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। समुद्र तट के लिये खतरा समुद्र तट की बजाय कहीं अधिक समुद्र के गहरे जल क्षेत्र में उत्पन्न होता है। इसलिये, समुद्र तट की लंबाई के बजाय विस्तार क्षेत्र के संदर्भ में समुद्र का परिमाण निर्धारित किया जाना चाहिये।
- भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) का 2.01 मिलियन वर्ग किमी. क्षेत्र जो भारत के लगभग 61% भू-भाग के बराबर है, को पोतों, विमानों और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपायों द्वारा निगरानी से सतत् रूप से सुरक्षित रखा जाना है।
- तटीय सुरक्षा के लिये चुनौतियों के रूप में महत्त्वपूर्ण मुद्दे एवं साथ ही, देश के छोटे पोतों से लेकर ईंधन ढोने वाले विशाल पोतों की सुरक्षा मुख्य रूप से समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) की कानूनी व्यवस्था में अंतर्निहित है। इसलिये, विभिन्न अन्य लागू राष्ट्रीय अधिनियमों व नियमों के तहत उनको अपनाया जाता है।
- एन.सी.एस.एम.सी.एस. (NCSMCS) के जरिये कैबिनेट सचिव की निगरानी में सीमा प्रबंधन प्रभाग के माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निरीक्षित यह व्यवस्था सभी कार्यों का समयबद्ध कार्यान्वयन और कई हितधारकों के बीच उच्च स्तर का समन्वय सुनिश्चित करने के लिये एक इष्टतम नज़रिया प्रदान करता है।

निष्कर्ष

वर्तमान तटीय सुरक्षा व्यवस्था ने तालमेल और समन्वय का सफलतापूर्वक निर्माण किया है जो वर्तमान सुरक्षा वातावरण में अति आवश्यक है और इसे जारी रखा जाना चाहिये। एक पंक्ति में कहा जाए तो तटीय सुरक्षा तट के समीपवर्ती क्षेत्र में 'कानून और व्यवस्था' का रखरखाव है तथा समुद्र में उचित अनुशासन बनाए रखने के लिये महासागर प्रशासन का एक उपवर्ग है। भारतीय तटरक्षक विगत वर्षों में एक सशक्त बल के रूप में उभरा है और इसने 'समुद्र के प्रहरी' की उपाधि अर्जित की है। यह बल समुद्री कानून प्रवर्तन, महासागर शांति व्यवस्था, तस्करी विरोधी कार्यवाही, समुद्री खोज और बचाव तथा कई अन्य मानवीय कार्यों में संलग्न है जिसके कारण इसे सही मायने में 'उद्धारक' की संज्ञा दी जानी चाहिये। पिछले चार दशकों में यह हमारे राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा के लिये विविध और समवर्ती कार्यों को संपन्न करने के साथ बहुमुखी मिशन वाले एक अजेय बल के रूप में विकसित हुआ है।

समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण

संदर्भ

समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक प्रकोप बन गया है। समुद्री कचरे की नियमित और मानकीकृत ढंग से निगरानी की ज़रूरत है। इससे समुद्री कचरा प्रदूषण में दीर्घकालिक परिवर्तनों को समझा जा सकेगा। साथ ही, समुद्री कचरे से निपटने की रणनीतियों के सफलतापूर्वक विकास और क्रियान्वयन में भी सहायता मिलेगी।

ज़मीनी स्रोत

विश्व भर में सागर तट से 50 किमी. दूरी तक रहने वाली आबादी से वर्ष 2010 में समुद्र में पहुँचने वाले प्लास्टिक कचरे के परिमाण के बारे में एक अनुमान लगाया है। यह अनुमान कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के समुद्र में प्रवेश करने वाले एक निर्धारित प्रतिशत पर आधारित है। यह निर्धारित प्रतिशत निम्न स्तर के लिये 15 और उच्च स्तर के लिये 40 है।

समुद्री स्रोत

मत्स्य आखेट उद्योग, वाणिज्यिक एवं पर्यटन जहाज़रानी तथा अपतटीय प्लेटफॉर्मों, जैसे समुद्री स्रोतों से भी प्लास्टिक कचरा समुद्र में पहुँचता है। जहाज़ों से प्रदूषण की रोकथाम के लिये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 'इंटरनेशनल कंवेंशन फॉर द प्रीवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स' (मारपोल) ने जलयानों से समुद्र में कचरा डाले जाने पर वर्ष 1988 से प्रतिबंध लगा दिया है।

भारत में समुद्री प्लास्टिक सर्वेक्षण

- तटीय सागर निगरानी एवं अनुमान प्रणाली– 'कोस्टल ओशन मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्शन सिस्टम' (कोमैप्स) कार्यक्रम के अनुसार, अंडमान में ग्रेट निकोबार द्वीप के समुद्र तट पर समुद्री कचरे का ढेर देखा गया।
- एक अनुमान के अनुसार, कुल ठोस कचरे का 8% हिस्सा प्लास्टिक कचरा होता है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न करने वाले तीन शहर; दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद हैं।
- भारत में प्लास्टिक कचरे में पिछले पाँच वर्षों में 39.7% की दर से वृद्धि हुई है। पाँच वर्ष पहले सालाना प्लास्टिक कचरा उत्पादन 57 लाख टन था। लेकिन, अब यह बढ़कर 94.6 लाख टन हो गया है।
- भारत में सिर्फ 15% प्लास्टिक कचरे की रीसाइकिलिंग हो पाती है। शेष प्लास्टिक कचरा भराव क्षेत्रों और भस्मकारकों में पहुँचाए जाने के अलावा, समुद्रों और नदियों में डाल दिया जाता है। अकेले भारत से छह लाख टन प्लास्टिक कचरा नदियों और अन्य जल प्रवाहों के जरिये समुद्र में पहुँचता है।

- गंगा नदी बेसिन में चार देश शामिल हैं। इस नदी के माध्यम से हर साल लगभग 1.05 लाख टन प्लास्टिक कचरा बंगाल की खाड़ी में पहुँच जाता है।

तमिलनाडु तट

- तमिलनाडु का समुद्र तट काफी लंबा है। यह राज्य प्लास्टिक कचरा पैदा करने में देश में दूसरे स्थान पर है। तमिलनाडु सरकार ने पतले प्लास्टिक (40 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले पॉलीमर) के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया है। इस तरह के कानूनों के बावजूद चेन्नई, राज्य में प्लास्टिक कचरा उत्पादन का एक बड़ा स्रोत है। प्लास्टिक को समुद्र में पहुँचाने में सबसे ज़्यादा योगदान शहर के बीच से बहने वाली अडयार और कूम नदियों का है।
- इन अनुमानों की लगभग पाँच साल पहले एकत्र आँकड़ों के साथ तुलना से अकेले चेन्नई से समुद्र में पहुँचने वाले प्लास्टिक में 71.67% की वृद्धि का पता चलता है। इस चौंकाने वाली वृद्धि की वजह मास्क, कोविड-19 बचाव किट और पैकेजिंग सामग्री, जैसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग हो सकता है।
- होम डिलीवरी के लिये पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री प्लास्टिक कचरे का एक प्रमुख स्रोत है। तमिलनाडु की मत्स्य आखेट नौकाओं को पारंपरिक और मशीनीकृत की दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। मछली मारने के उपकरणों में विभिन्न प्रकार के जाल तथा बंसी और कांटा शामिल हैं।

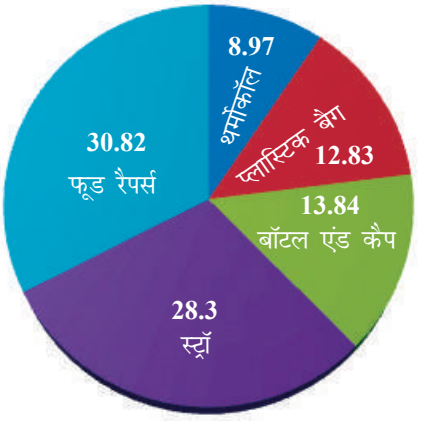

जैव-विविधता : मन्नार की खाड़ी जैवमंडल

- मन्नार की खाड़ी एक महत्त्वपूर्ण जैव-विविधता हॉटस्पॉट है। यह अनेक समुद्री पारिस्थितिकियों के लिये मददगार होने के अलावा अपने मत्स्य संसाधनों की बदौलत तमिलनाडु को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। तमिलनाडु में स्थित मन्नार की खाड़ी रामेश्वरम से कन्याकुमारी तक फैली है।
- अपने हर्स्ट-ग्रैबेन ढाँचे, मानसून की प्रचुरता, दो जल प्रवाहों, नूतन तलछट और नदी तटों की वजह से मन्नार की खाड़ी जैवमंडल समुद्र के जीव समूहों तथा स्थिर समुद्री पारिस्थितिकी के लिये आदर्श है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के लिये जिम्मेदार मानव जनित प्रभाव, मछली मारने के परित्यक्त, खोए और फेंक दिये गए उपकरण– ए.एल.डी.एफ.जी. (ALDFG), अशोधित सीवेज तथा घरेलू और औद्योगिक स्रोतों से निकलने वाला ठोस कचरा दुनिया भर में जैव-विविधता के विनाश के प्रमुख कारण हैं।

मछली पकड़ने के परित्यक्त, खोए और फेंक दिये गए उपकरण (ALDFG)

- मछली मारने के परित्यक्त, खोए और फेंक दिये गए उपकरण विश्व भर में गंभीर समस्या हैं। उनके बारे में आँकड़ों का घोर अभाव है। ज़्यादातर यह कचरा जहाज़रानी दुर्घटनाओं, मत्स्य आखेट के दौरान हादसों और खराब मौसम की वजह से उत्पन्न होता है।
- ये उपकरण जल्दी विनष्ट नहीं होते हैं और इनकी वजह से लंबे समय तक कई प्रजातियों के विभिन्न जीवों की मौतें होती रहती हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार, समुद्र में कुल प्लास्टिक कचरे में लगभग 20% हिस्सा एल.डी.एफ.जी. का है।

सूक्ष्म प्लास्टिक

- प्लास्टिक को कच्चे तेल जैसे अनवीकरणीय स्रोतों से बनाया जाता है। पॉलीमरों के मज़बूत सहसंयोजक बंधों से जुड़े होने के कारण ये बहुत मुश्किल से विघटित होते हैं। सूक्ष्म प्लास्टिक का व्यास लगभग पाँच मिलीमीटर होता है। ये मानव जनित स्रोतों से पर्यावरण में पहुँचते हैं।
- एक अन्य बड़ी समस्या यह है कि सूक्ष्म प्लास्टिक अन्य विषकारकों के साथ आबंधन का उच्च रुझान प्रदर्शित करते हैं। लिहाज़ा, सूक्ष्म प्लास्टिक उन जीवों के लिये अधिक खतरनाक हो जाते हैं जो उन्हें निगल लेते हैं। समुद्र में प्लास्टिक कचरे का लगभग 94% भाग सूक्ष्म प्लास्टिक में विघटित हो जाता है।
- सूक्ष्म प्लास्टिक छोटे होते हैं और हमें उनके विघटित होने की रफ्तार की जानकारी भी नहीं है। इसलिये, समुद्र में पहुँचने वाले सूक्ष्म प्लास्टिक के परिमाण का पता लगाना चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन चेन्नई में अडयार नदी के तलछट में प्रति किलो 184 सूक्ष्म प्लास्टिक पाया गया है। इतने बड़े पैमाने पर सूक्ष्म प्लास्टिक कणों के बहाव से प्राकृतिक पारिस्थितिकी को नुकसान पहुँचने के अलावा मानव जीवन भी प्रभावित होता है।
- राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR) ने एक समुद्री प्लास्टिक सर्वेक्षण कार्यक्रम चलाया है। इसके अंतर्गत, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के तटीय स्थलों एवं खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय जहाज़रानी मार्गों के नजदीक सूक्ष्म प्लास्टिक का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन के सभी नमूनों में समुद्र में 100 मीटर अंदर वॉटर कॉलम में हर मौसम में सूक्ष्म प्लास्टिक पाया गया। बंगाल की खाड़ी में मानसून से पहले और अरब सागर में इसके बाद अन्य अनुप्रस्थों की तुलना में ज़्यादा सूक्ष्म प्लास्टिक पाए गए।

- प्लास्टिक की एक प्रमुख किस्म पॉलीएथिलिन टेरेफ्थेलेट (PET) कपड़ों में पाई जाती है। इन कपड़ों को धोते समय इनसे सूक्ष्म प्लास्टिक निकलते हैं। जैव अवक्रमण के जरिये सूक्ष्म प्लास्टिक को खत्म करने के अलावा इसके जमाव को रोका जा सकता है। इस प्रक्रिया में पी.ई.टी. जैसे पॉलीमर को एंज़ाइम के जरिये मूल मोनोमर स्वरूप में तोड़ दिया जाता है। यह प्रक्रिया भविष्य में पी.ई.टी. जैसे कठोर प्लास्टिक के प्रबंधन और रीसाइकिलिंग में मददगार साबित हो सकती है।

स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर

भारत की आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर 75 समुद्र तटों की सफाई का अभियान चलाया गया। देश में 75 दिनों तक चले इस अभियान के तहत 7,500 किमी. लंबे समुद्र तट की सफाई की गई। इस अभियान का उद्देश्य समुद्र तट से 1,500 टन कचरा हटाना था। इससे समुद्री जीवों और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को बहुत राहत मिलेगी।

उपसंहार

- कई उद्योग प्लास्टिक की प्रकृति और उत्पादन की सहूलियत के कारण विभिन्न उत्पादों में इसका उपयोग करते हैं। इससे उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ने के साथ ही प्लास्टिक की मांग लगातार बनी रहती है। वित्त वर्ष 2018 के पूर्वार्द्ध में प्लास्टिक के निर्यात में 2017 की तुलना में 9.5% की वृद्धि दर्ज की गई। स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप प्लास्टिक का निर्यात अगले पाँच वर्षों में दोगुना हो जाने की संभावना है। इसके साथ ही सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि समूचे विश्व में प्लास्टिक कचरे में इजाफा हो रहा है।
- भारत की अनूठी जैव-विविधता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाए जाने चाहिये। इस जैव-विविधता पर लाखों भारतीयों की आजीविका निर्भर करती है। प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग और प्रवाह को देखते हुए इससे होने वाला प्रदूषण चिंता का विषय है। भारत में प्लास्टिक के इस्तेमाल के अध्ययन और निगरानी तथा इसमें कमी लाने के लिये पर्याप्त प्रयास नहीं किये गए हैं। सूक्ष्म प्लास्टिक, प्लास्टिक के दुष्प्रभावों में वृद्धि करता है। विविध पारिस्थितिकियों का फलना-फूलना भारत के लिये आवश्यक है, लिहाज़ा, यह ज़रूरी है कि हम प्लास्टिक का उपयोग घटाने के उपाय खोजें।

नीली अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- पृथ्वी ग्रह के एक-तिहाई भाग में स्थल है और दो-तिहाई भाग में जल है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सदा से ही प्रकृति का दोहन करता आ रहा है जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर भी ज़बरदस्त दबाव बढ़ रहा है। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का सबसे बड़ा स्रोत महासागर ही हैं। आने-जाने या परिवहन के माध्यम के तौर पर महासागरों का इस्तेमाल किया जाता है, फिर चाहे वह यात्रा के लिये हो अथवा माल लाने ले जाने के लिये। वर्तमान में विश्व का करीब 80% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है।
- विश्व के महासागर खंडों में से हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह 7 करोड़ वर्ग किमी. से भी अधिक क्षेत्र में फैला है और इसमें विभिन्न देशों के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) तथा खुले गहरे जलक्षेत्र शामिल हैं। हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र में आर्थिक और टिकाऊ विकास के मुद्दे बहुत चुनौतीपूर्ण हैं क्योंकि इन तटवर्ती क्षेत्रों के देश मुख्य रूप से विकासशील देश ही हैं।
- हिंद महासागर के संसाधनों पर प्रदूषण, जीवों के सुरक्षित रहने लायक न बचने और ज़रूरत से ज़्यादा दोहन के कारण ज़बरदस्त दबाव पड़ रहा है। आने वाले दशकों में इस क्षेत्र की आबादी में अत्यधिक वृद्धि की संभावना को देखते हुए यहाँ समुद्री संसाधनों पर आधारित नीली अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा की स्थिति बेहद खराब हो जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है।

समुद्री व्यापार प्रबंधन और सागर आधारित अर्थव्यवस्था

- हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी भौगोलिक और भू-सामरिक स्थिति तथा हिंद महासागर पर अपनी विशेष निर्भरता के कारण भारत सागर आधारित नीली अर्थव्यवस्था के बारे में सरकारों के बीच होने वाली सर्वोच्च स्तर की वार्ता में प्रमुख भागीदार की भूमिका निभाता है जिसमें हिंद महासागर पर विशेष ध्यान केंद्रित रहता है। सरकार ने 'इस क्षेत्र के सभी लोगों और देशों की सुरक्षा तथा उत्थान (सागर पहल)' का लक्ष्य रखकर यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था।
- भारत संपूर्ण समुद्री व्यापार प्रबंधन पर ध्यान दे रहा है जिसमें समुद्री संसाधनों पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं के लिये पूर्ण आश्वासन और स्थानीय विकास लक्ष्य (SDG) प्राप्त करने के लिये महासागर के संसाधनों का टिकाऊ प्रबंधन व उपयोग शामिल है। हिंद महासागर में समुद्री संसाधनों के प्रबंधन के मौजूदा प्रारूप में इस क्षेत्र का स्थायी विकास सुनिश्चित करने के लिये नीली अर्थव्यवस्था के विकास की चुनौतियों से निपटने की व्यवस्था है।

नीली अर्थव्यवस्था की अवधारणा

- नीली अर्थव्यवस्था में महासागर, उससे जुड़ी नदियाँ, जलाशयों और तटवर्ती क्षेत्रों में संसाधनों तथा परिसंपत्तियों के इस प्रकार विकास करने से संबंधित व्यापक आर्थिक गतिविधियाँ शामिल हैं कि समानता, समग्रता, नवाचार और आधुनिक प्रौद्योगिकी की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके।

- 'महासागर अर्थव्यवस्था' से थोड़ी भिन्न नीली अर्थव्यवस्था ज़्यादा नई और समसामयिक परिभाषा है। नीली अर्थव्यवस्था को स्थायी विकास लक्ष्यों का अभिन्न अंग माना जाता है।

नीली अर्थव्यवस्था पर ज़ोर देने का कारण

- हिंद महासागर तटीय देशों के संघ आई.ओ.आर.ए. (IORA) के अनुसार, नीली अर्थव्यवस्था से खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन के झटकों को सहने की क्षमता बढ़ाने, व्यापार व निवेश में वृद्धि, समुद्री व्यापार की दृष्टि से कनेक्टिविटी का विस्तार करने, विविधीकरण के विस्तार में रोज़गार के अवसर जुटाने तथा सामाजिक-आर्थिक प्रगति में अहम योगदान मिलेगा।
- व्यापार एवं कारोबार की दृष्टि से नीली अर्थव्यवस्था के लिये भारत व अन्य संबद्ध देशों, विशेषकर हिंद महासागर के देशों के बीच व्यापार संबंध विकसित करने के लिये नवाचार तथा गतिशील व्यापार व्यवस्था की आवश्यकता होगी। भारत की जनसंख्या वर्ष 2050 तक 1 अरब 70 करोड़ हो जाने का अनुमान है। नीली अर्थव्यवस्था ऐसे में खाद्य सुरक्षा और लाखों बेरोज़गारों को रोज़गार मुहैया करने में काफी सहायक होगी।

नीली अर्थव्यवस्था पर एक दृष्टि

- भारत की नीली अर्थव्यवस्था वस्तुत: राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का ही अंग है जिसमें देश के समुद्री व्यापार क्षेत्र और तटवर्ती किनारे वाले अधिकार क्षेत्र के समग्र आर्थिक संसाधन तथा मानवनिर्मित बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था शामिल है। भारत की नीली अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद में 4% के करीब योगदान है और आशा है कि व्यवस्था तंत्र में सुधार के बाद इसमें और वृद्धि होगी।
- महासागर के संसाधन समुद्री व्यापार के आर्थिक विकास की भौतिक बुनियादी सुविधाएँ, समुद्री व्यापार से जुड़े साधन-सुविधाएँ और तटीय प्रबंधन सेवाएँ आर्थिक प्रगति व स्थिरता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की समग्र योजना का ही हिस्सा हैं। मछली पालन और खनिज भारत की नीली अर्थव्यवस्था के दो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंग हैं।
- हिंद महासागर में पोलीमैटेलिक नॉड्यूल और सल्फाइड खनिजों के विशाल भंडार मौजूद हैं। पोलीमैटेलिक नॉड्यूल गोल्फ या टेनिस गेंद के आकार के नॉड्यूल होते हैं जिनमें निकेल, कोबाल्ट, आयरन (लौह) और मैगनीज आदि खनिज होते हैं।
- भारत मछली उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के नौ राज्य तटीय क्षेत्र से लगे हैं और यहाँ 200 बंदरगाह हैं। जहाज़ निर्माण और जहाज़रानी भी भारत की नीली अर्थव्यवस्था के अहम पहलू हैं। देश में तेल और गैस की अधिकांश आपूर्ति महासागर क्षेत्र से होती है, इसीलिये यह क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास की दृष्टि से बहुत अहम है।
- हिंद महासागर की नीली अर्थव्यवस्था वैश्विक आर्थिक कॉरिडोर (गलियारे) का रूप ले चुकी है। 6 करोड़ 85 लाख वर्ग किमी. में फैला यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जलक्षेत्र है और इसमें तेल तथा खनिज संसाधनों के विशाल भंडार हैं।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के अहम कूटनीतिक हित जुड़े हैं और यू.एन.सी.एल.ओ.एस. के अंतर्गत, इस क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के हिसाब से भी भारत बंधा हुआ है जिनमें खोज व बचाव, समुद्र तल में खुदाई तथा समुद्री लुटेरों को रोकने के दायित्व शामिल हैं।

नीली क्रांति : मछली पालन का समेकित विकास एवं प्रबंधन

पाँच वर्ष के लिये 3,000 करोड़ रुपए (38 करोड़ 43 लाख अमेरिकी डॉलर) के बजट प्रावधान से 2015-16 में केंद्र समर्थित योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, उनके संगठनों और निजी क्षेत्र को मछली पालन की बुनियादी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था के लिये रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना है। मई 2020 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की जिसका उद्देश्य देश के मछली पालन क्षेत्र के विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना था।

समुद्री सुरक्षा

- जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय अवक्रमण, संसाधनों और विस्तारित समुद्री लेन तथा विकसित होते अंतर्राष्ट्रीय महासागर प्रशासन तंत्र को ध्यान में रखते हुए समुद्री सुरक्षा बहुत महत्त्वपूर्ण है। नीली अर्थव्यवस्था के विकास के लिये स्थायी विकास लक्ष्यों को पूरा करने की देशों की प्रतिबद्धता को देखते हुए महासागरों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। सामरिक, पर्यावरण संबंधी और महासागर इकोसिस्टम (व्यवस्था) की चुनौतियाँ भारत और समूचे विश्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से हैं।
- समुद्री सुरक्षा अब केवल सेना और परंपरागत खतरों से बचाव तक सीमित न रहकर गैर-परंपरागत सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने से जुड़ गई है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और चीन सर्वाधिक सक्रिय देश हैं। चीन, दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर सीमा पर पहले ही खनिजों के खनन में संलग्न है। इसलिये, इस क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलने की आशंका को देखते हुए खनिजों के खनन के प्रति अनिश्चितता बनी हुई है।
- अनियंत्रित और गैरकानूनी ढंग से मछलियाँ पकड़ने की समस्या भी महासागरीय पारितंत्र के लिये बड़ा खतरा बनी हुई है और इसकी रोकथाम के लिये कड़े उपाय लागू करने की समुचित व्यवस्था की आवश्यकता है।

भारतीय तटरक्षक (ICB) : समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के रखवाले

- प्रदूषण की बढ़ती घटनाएँ रोकने, चोरी छिपे मछली पकड़ने की अनधिकृत गतिविधियों की रोकथाम करने और एस.ए.आर. (SAR) में भारतीय तटरक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है तथा गैर-परंपरागत सुरक्षा उपलब्ध कराने में इसका योगदान बहुत महत्त्वपूर्ण है।
- भारत अब नीली अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये पूरी तरह तैयार है और ऐसे में भारतीय तटरक्षक की भूमिका और महत्त्वपूर्ण हो गई है। इस बल को सौंपे गए दायित्व सरकार के नीली अर्थव्यवस्था के विज़न के अनुरूप हैं। भारतीय तटरक्षक हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री कानून लागू करने के लिये तैनात बड़ी एजेंसियों में से है।
- भारत मछली पालन, जहाज़रानी, बंदरगाह, समुद्री प्रभार तंत्र (लॉजिस्टिक), समुद्र तटीय पर्यटन और अवकाश स्थल, खनिजों के परंपरागत खनन और उत्पादन तथा समुद्र में निर्माण गतिविधियों पर विशेष ध्यान देता है।
- भारत भौगोलिक दृष्टि से दो तंग स्थलों– हॉर्मुज़ जलसंधि और मलक्का जलसंधि के बीच स्थित है जिसका सामरिक दृष्टि से बहुत महत्त्व है क्योंकि अधिकांश समुद्री जहाज़ व्यापार के लिये इनसे होकर ही हिंद महासागर में जाते हैं। यहाँ अपार जलराशि है जिसके नीचे विशाल मात्रा में संसाधन हैं और बड़ी संख्या में यातायात चलता रहता है। औद्योगिक तथा ऊर्जा उत्पादन के लिये खतरनाक और हानिकारक पदार्थों का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। इस परिधि क्षेत्र के अनेक देशों में राजनीतिक समस्याएँ चल रही हैं जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा में अनिश्चितता बनी रहती है। हिंद महासागर क्षेत्र में संसाधनों के दोहन के भविष्य को देखते हुए साफ है कि भारतीय तटरक्षक की भूमिका और ज़्यादा महत्त्वपूर्ण हो जाएगी।
- भारतीय तटरक्षक देश की सबसे प्रमुख समुद्री सुरक्षा एजेंसी है और समुद्र ने तटरक्षक की कई पीढ़ियों को, जिनमें पुरुष और महिला दोनों ही शामिल हैं, कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा की सीख दी है। भारतीय तटरक्षक तेल का रिसाव होने की स्थिति में, समुद्र के भीतर संकट में घिरे नाविकों को मदद पहुँचाने और सुरक्षा प्रदान करने, जहाज़ों को मौसम खराब होने की चेतावनी देने, वैज्ञानिक परीक्षणों के दौरान मदद करने तथा रक्षा संसाधनों को मज़बूत बनाने में मदद देने आदि में अपनी अहम भूमिकाएँ निभाते हैं।

निष्कर्ष

नीली अर्थव्यवस्था के स्थायी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में समुद्री परिवहन और सूचना प्रणालियों में आई क्रांति, बंदरगाहों और जहाज़रानी के विकास, खनिजों की खोज और उनका खनन, समुद्री पर्यावरण के लिये बढ़ते खतरों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी नई-नई चुनौतियों से देश के भविष्य का मार्ग तय होगा। भारतीय तटरक्षक नए संसाधनों तथा बढ़ी हुई क्षमता के सहारे अपना दायित्व निभाने को तत्पर हैं।

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण स्वास्थ्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी

संदर्भ

ग्रामीण भारत को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने और शहरी व ग्रामीण आबादी के बीच के अंतराल को कम करने के महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ देश में व्यापक रूप से स्वास्थ्य समाधान आधारित डिजिटल प्रौद्योगिकी का क्रमबद्ध विकास और भरपूर उपयोग किया जा रहा है। दूरस्थ स्वास्थ्य सुविधा और टेलीमेडिसिन से शहरी एवं ग्रामीण भारत के बीच का स्वास्थ्य अंतराल कम हो रहा है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ते कदम

- देश की स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत, स्वास्थ्य सुविधा प्रणाली में समग्रता के साथ न केवल 'स्वास्थ्य' पर, बल्कि 'आरोग्य' पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन लाभार्थी एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदाता के बीच आसान संपर्क उपलब्ध करा रहा हैं। देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान डिजिटल स्वास्थ्य समाधान के रूप में प्रयुक्त कोविन प्लेटफॉर्म के लिये भारत की प्रशंसा पूरी दुनिया में हुई।
- टेलीमेडिसिन प्रौद्योगिकी भारत में भविष्य की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का मुख्य स्तंभ बनने जा रही है। टेलीमेडिसिन के उपयोग का लाभ उठाना शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बीच की खाई को पाटने के लिये एक आवश्यक कदम है। हाल ही में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में टेली-डिजिटल स्वास्थ्य देखरेख प्रायोगिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
- केंद्र सरकार के 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग' के स्वायत्त निकाय, प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद् निकाय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), मद्रास के सहयोग से एक प्रायोगिक टेली-निदान (पायलट टेली-डायग्नोस्टिक्स) परियोजना तैयार की है। यह भारतीय जनसंख्या के लिये इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (EHR) भी तैयार करेगा।
- टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए स्वास्थ्य सेवाएँ देने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नाम से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत वर्ष 2020 में की गई है जिसमें लोगों के स्वास्थ्य संबंधी सभी रिकॉर्ड दर्ज होंगे।

- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवा सभी के लिये विशेष रूप से ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में रहने वाले गरीबों के लिये सुलभ और सस्ती हो। इस तरह विकसित होने वाले डिजिटल इकोसिस्टम की मदद से आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएँ आसानी से मिल सकेंगी।
- मेडिकल रिकॉर्ड रखने की ज़िम्मेदारी व्यक्तिगत मानी जाती है, लेकिन अब डिजिटल तकनीक की मदद से लोगों की बीमारियों का ऑनलाइन डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को एक 'डिजिटल कार्ड' में समाहित किया जा सके जो एक क्रांतिकारी कदम है।
- उल्लेखनीय है कि डिजिटल हेल्थ कार्ड जैसी योजना का प्रारूप प्रधानमंत्री जन आरोग्य (आयुष्मान भारत) योजना से निकला है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से जुड़े यूनिक हेल्थ कार्ड में सभी सूचनाएँ दर्ज होंगी और चिकित्सक किसी मरीज़ की पहचान संख्या से उसके रोग और इलाज से जुड़ी पिछली जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे।
- इस मिशन में देश के प्रत्येक डॉक्टर को डिजिटल डॉक्टर के रूप में एक विशेष पहचान पत्र भी दिया जाएगा जो उनकी मौजूदा पंजीकरण संख्या से अलग होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रमुख टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी क्रांति का एक बड़ा अध्याय लिख रही है। यह एक मरीज़ से डॉक्टर तक की टेलीमेडिसिन सेवा है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की अपने गाँव में मोबाइल ऐप के माध्यम से डॉक्टर तक पहुँच हो जाती है।
- ई-संजीवनी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र के तहत एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक टेलीमेडिसिन सेवा, ग्रामीण क्षेत्रों और अलग-थलग पड़े समुदायों में सामान्य एवं विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिये आरंभ की गई है।
- अंतर्विषयक साइबर भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems : NM-ICPS) के अंतर्गत, देश भर में स्थित 25 नवाचार केंद्रों में ग्रामीण भारत को केंद्रित करते हुए स्वास्थ्य संबंधी समाधान और तकनीक विकसित की जा रही है। इस मिशन के अंतर्गत, भारतीय विज्ञान संस्थान-बेंगलुरु एवं रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी पार्क, बेंगलुरु द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित 'एक्स-रे सेतु' नामक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है।
- 'एक्स-रे सेतु' नामक यह मेडिकल तकनीक त्वरित और उपयोग में आसान है जो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये बहुत उपयोगी है। यह मोबाइल द्वारा भेजी गई कम-रिजॉल्यूशन एक्स-रे छवियों की भी व्याख्या आसानी से कर सकता है।
- एंबीटैग अपनी तरह का पहला इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण है जो टीकों के परिवहन के दौरान आसपास के उस परिवेश के तापमान की निगरानी करता है जिसमें कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन के परिवहन, रक्त के नमूने, भोजन और डेयरी उत्पाद, माँस उत्पाद और पशु वीर्य शामिल हैं।

निष्कर्ष

- भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का उपयोग बढ़ता जा रहा है जिससे डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएँ सुदूर क्षेत्रों तक पहुँच रही हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के डिजिटलीकरण की अत्यधिक संभावनाएँ हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार से देश में ग्रामीण-शहरी विभाजन को बेहतर तरीके से समाप्त किया जा सकता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमता), इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियाँ अधिक समग्र डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को सुगम बनाने के लिये अतिरिक्त अवसर प्रदान कर रही हैं। इस प्रकार, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक ग्रामीण भारत की पहुँच बढ़ रही हैं जिससे भविष्य में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार आएगा और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च भी कम होगा।

अक्षय ऊर्जा से आजीविका के बढ़ते अवसर

संदर्भ

- भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। देश में वर्ष 2020-21 में लगभग 57.8% ग्रामीण परिवारों का मुख्य पेशा कृषि है। कृषि अर्थशास्त्री और नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद के अनुसार, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को बनाए रखना; जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं शमन तथा पानी, ऊर्जा एवं भूमि जैसे महत्त्वपूर्ण संसाधनों का सतत् उपयोग तीन सबसे प्रमुख चुनौतियाँ हैं जो 21वीं सदी में कृषि को प्रभावित कर रही हैं।
- ग्रामीण परिवारों के कृषि से दूर हटने के प्राथमिक कारणों में उनकी घटती आय एक प्रमुख मुद्दा है। बेमौसम बारिश, सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक चुनौतियों से कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में गिरावट आती है। ऐसे में आवश्यकता है कि ग्रामीण इलाकों में आजीविका के नए अवसरों को सृजित करने पर ध्यान दिया जाए।

डी.आर.ई. प्रौद्योगिकी के लिये अवसर

- ग्रामीण क्षेत्रों में मशीनीकरण के माध्यम से आजीविका से जुड़ी गतिविधियों में विविधता लाई जा सकती है। इसके लिये विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा (DRI) आधारित नवाचारों/प्रौद्योगिकियों का उपयोग एक बड़ा बदलाव ला सकता है।
- वर्तमान में डी.आर.ई. प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल बहुत सीमित है। इसका प्रमुख कारण उपयोगकर्ताओं, सरकारों, वित्तपोषक संस्थानों और अन्य हितधारकों के बीच इन प्रौद्योगिकियों के बारे

में जागरूकता की कमी है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ऐसी डी.आर.ई. प्रौद्योगिकियों की उपयोगिता को स्वीकार किया है। मंत्रालय ने इन्हें बढ़ावा देने के लिये फरवरी 2022 में एक पॉलिसी फ्रेमवर्क भी जारी किया है।

- डी.आर.ई. पर आधारित आजीविका के उपकरणों को बढ़ावा देने के लिये सी.ई.ई.डब्ल्यू. और विल्ग्रो पिछले ढाई साल से पॉवरिंग लाइवलीहुड कार्यक्रम चला रहे हैं जिसके अंतर्गत उन्होंने उपभोक्ताओं के आजीविका और जीवन पर आए प्रभावों को दर्ज किया है।

स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ

- भारत में डीज़ल का सबसे अधिक इस्तेमाल परिवहन के बाद कृषि में होता है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवॉयरनमेंट एंड वॉटर (CEEW) के एक आकलन के अनुसार, देश में 90 लाख से ज़्यादा छोटे सोलर पंप लगाने की संभावना है जिनका सीधा लाभ सीमांत किसानों को प्राप्त होगा जो देश के कुल किसानों में 68 फीसदी हैं। सिंचाई के लिये सोलर पंप को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना ने सहायता की है।
- ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा उद्योगों की संस्था 'गोगला' की रिपोर्ट के अनुसार, ऑफ-ग्रिड सोलर रेफ्रिजरेशन के लिये कुल 34 हज़ार करोड़ रुपए का बाज़ार उपलब्ध है। इनमें माइक्रो-एंटरप्राइज, डेयरी, वैक्सीन स्टोरेज, घरेलू और कृषि भंडार, जैसे पाँच क्षेत्रों का बाज़ार शामिल है। सुदूर इलाकों में रहने वाले समुदायों के लिये सोलर रेफ्रिजरेटर बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। सोलर रेफ्रिजेरेटर की तरह सोलर ड्रायर तकनीक भी कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखने में सहायक है।

अन्य डी.आर.ई. प्रौद्योगिकियाँ

- विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा, मुख्यतया सौर ऊर्जा से चलने वाली कताई, रीलिंग और बुनाई मशीन भी ग्रामीण आजीविका के अवसरों को बढ़ा सकती है। डी.आर.ई. मशीनों के इन्हीं लाभों को स्वीकार करते हुए, वस्त्र मंत्रालय ने जाँघ पर रगड़कर रेशम के धागे बनाने (रीलिंग) की प्रथा रोकने के लिये महिला सिल्क रीलर्स को बुनियादी रीलिंग मशीनें उपलब्ध कराई थी। बुनियाद रीलिंग मशीनों को पॉवरिंग लाइवलीहुड समर्थित उद्यम 'रेशम सूत्र' तैयार करता है।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में डी.आर.ई. प्रौद्योगिकियों के उपयोग से प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने, कृषि उपज की बर्बादी घटाने, कृषि के अलावा अन्य रोज़गार सृजित करने, किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात बढ़ाने में मदद मिल सकती है। भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PM-KSY) के माध्यम से यहीं लक्ष्य पाना चाहती है।

डी.आर.ई. आजीविका के साधनों को बढ़ावा देने हेतु सुझाव

- **बाज़ार को बढ़ाने के लिये एक समर्पित प्रयास की ज़रूरत:** नए डी.आर.ई. आधारित आजीविका उपकरणों को बढ़ावा देने हेतु उपयोगकर्ताओं, कर्ज़ देने वाली संस्थाओं, सरकारों और अन्य संबंधित हितधारकों के बीच जागरूकता की कमी एक प्रमुख बाधा है। इस समस्या को दूर करने के लिये ज़रूरी है कि इस क्षेत्र से जुड़ी सभी संस्थाएँ आपस में मिलकर कार्य करें। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित डी.आर.ई. पॉलिसी फ्रेमवर्क जैसे समर्पित प्रयास, इस क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों को इसमें मौजूद क्षमता के बारे में बता सकते हैं। विभिन्न विभागों के बीच स्वच्छ तकनीक और आजीविका कार्यक्रमों को जोड़ने वाला कदम राज्य और स्थानीय सरकारों को इस दिशा में प्रयास करने के लिये प्रेरित करेगा।
- **उद्यमों में निवेश प्राप्त करने के लिये नए दृष्टिकोण की ज़रूरत :** निवेश और कर्ज़ देने वाली संस्थाएँ, उन कंपनियों या उत्पादों में ज़्यादा जोखिम देखती हैं जिनकी नई प्रौद्योगिकियों और व्यावसायिक मॉडलों की जानकारियाँ सीमित हैं। इसके लिये ज़रूरी है कि डी.आर.ई. कंपनियाँ अपनी गतिविधियाँ बढ़ाएँ। लेकिन, इसमें पूंजी की ज़रूरत पड़ती है जो एक बड़ी चुनौती है। इस संदर्भ में भारत सरकार ने वर्ष 2018 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत 'क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेटर सेंटर' (CEIIC) बनाया था जो एक स्वागत योग्य कदम है।
- **उद्यमों को बाज़ार तक पहुँचने की रणनीतियाँ बनाने में सहायता :** डी.आर.ई. प्रौद्योगिकियों का निर्माण करने वाले उद्यमों को उपभोक्ताओं के लिये प्रौद्योगिकी की आर्थिक उत्पादकता, बाज़ार में संभावनाएँ और एक व्यावहारिक कारोबार बनाने के लिये बाज़ार तक पहुँचने की रणनीति को समझना ज़रूरी है। इसके लिये उद्यमों के बीच ज्ञान और अनुभवों के संगठित आदान-प्रदान की भी ज़रूरत है। अनुसंधान आधारित ज्ञान का एक व्यवस्थित संकलन बनाने की दिशा में, भारत ने एक वैश्विक साझेदारी 'मिशन इनोवेशन' की सदस्यता को चुना है।

कृषि क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

संदर्भ

भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ-साथ 6 लाख से अधिक गाँवों का देश है। आज़ादी के बाद कृषि क्षेत्र में, भारत ने एक लंबा एवं संघर्ष भरा सफर तय किया है। लगातार पड़ रहे सूखे एवं भुखमरी की स्थिति ने आज़ाद भारत के समक्ष खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा कर दिया था।

हरित क्रांति

- डॉ. एन. ई. बोरलॉग एवं डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन ने गेहूँ की अर्द्ध-बौनी प्रजातियों का विकास किया जिसने देश में हरित क्रांति को जन्म दिया जिससे हमारे देश का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1970 के दशक तक बढ़कर 15 करोड़ टन हो गया। वर्ष 1967-68 और वर्ष 2003-04 के मध्य गेहूँ के उत्पादन में तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि अनाजों के उत्पादन में कुल वृद्धि केवल दो गुना थी।
- हरित क्रांति के कारण ही भारतीय कृषि अधिक उपज देने वाले बीज की किस्मों, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग जैसे आधुनिक तरीकों एवं प्रौद्योगिकियों को अपनाकर एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई थी। अब केंद्रीय पूल में पर्याप्त भंडार होने के साथ ही भारत खाद्यान्न में भी आत्मनिर्भर हो गया, यहाँ तक कि भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी आ गया।
- तत्पश्चात, देश के कृषि वैज्ञानिकों के शोध ने भारत को न केवल खाद्यान्न में वरन दुग्ध उत्पादन में भी विश्व के शीर्ष देशों में शामिल कर दिया और आज भारत फल एवं सब्ज़ियों, दूध, मसाले और जूट में वैश्विक स्तर सबसे बड़ा उत्पादक है।
- भारत जैसे विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन और बुनियादी ढाँचे की कमियों के कारण आज कृषि आधुनिक और गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। इस संदर्भ में कृषि में आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का समावेश अनिवार्य है।

कृषि में सूचना-संचार तकनीकियों के सफल उदाहरण

सूचना-संचार तकनीकियाँ	विशेषता
ग्राम ज्ञान केंद्र (VKC)	एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSRF) द्वारा वर्ष 1998 में शुरू किया गया यह भारत का सबसे पहला प्रोजेक्ट था जिसमें सूचना एवं संचार तकनीकियों (ICTs) का कृषि विकास हेतु उपयोग हुआ।
ई-चौपाल	इसे आई.टी.सी. द्वारा जून 2000 में शुरू किया गया। ये किसानों द्वारा प्रबंधित ग्रामीण इंटरनेट कियोस्क, किसानों को मौसम और बाज़ार की कीमतों पर अपनी स्थानीय भाषा में तैयार जानकारी पहुँचाते हैं।
किसान कॉल सेंटर (KCC)	किसान कॉल सेंटर वर्ष 2004 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों के प्रश्नों के उत्तर उनकी मूल भाषा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किये गए थे।
इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार	बाज़ार में खरीदार या व्यापारी की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बिना ही ए.पी.एम.सी. मंडियों में कृषि विपणन की सुविधा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2016 को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार का गठन किया गया।
कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NEGPA)	कृषि में राष्ट्रीय ई-गवनेंस योजना (एन.ई.जी.पी.ए.) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2010-11 में 7 पायलट राज्यों में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कृषि तक समय पर पहुँच के लिये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से भारत में तेज़ी से विकास हासिल करना है।

खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन हेतु कृषि प्रौद्योगिकियाँ

- 1.3 बिलियन से अधिक आबादी वाले भारत में पिछले दो दशकों में कृषि क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि हुई है। भारत ने वर्ष 2015 तक भूख को आधा करने का संकल्प लिया था, जैसा कि मिलेनियम विकास लक्ष्य 1 में कहा गया था, लेकिन उपलब्ध आँकड़ों से पता चलता है कि यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है।
- हमारे देश में एक तरफ पोषण सुरक्षा पर स्थिति इतनी गंभीर है, तो दूसरी तरफ, यह अनुमान लगाया जाता है कि कुल अनाज का 30% तथा फल एवं सब्ज़ियों के उत्पादन का लगभग 30-40% हिस्सा उचित प्रबंधन तकनीकों से अभाव के कारण बर्बाद हो जाता है। प्रत्येक देश एक अथवा अन्य स्वरूप में कुपोषण को महसूस करता है। यह सभी भौगोलिक भागों, आयु वर्गों तथा गरीब-अमीर सभी जनों को प्रभावित करता है।
- कुपोषण का मुकाबला करने के लिये विभिन्न रणनीतियाँ इस प्रकार है–
  - **खाद्य प्रबलीकरण (फॉर्टिफिकेशन) :** यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ खाद्य पदार्थ भौतिक समामेलन के माध्यम से विशिष्ट पोषक तत्त्वों से भरपूर होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ओयाडीन युक्त नमक है जहाँ नमक के साथ-साथ आयोडीन की वांछित मात्रा ग्रहण की जाती है।
  - **चिकित्सा अनुपूरक :** यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ विशेष पोषक तत्त्वों को गोली अथवा कैप्सूल के रूप में लोगों को सीधे ही दिया जाता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण विटामिन-ए की गोलियाँ हैं।
  - **आहारीय विविधीकरण :** यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ परिवार में खपत किये जा रहे खाद्य की किस्म में बदलाव किया जाता है। संसाधनहीन लोगों के बीच अनाज आधारित आहार खाद्य का मुख्य स्रोत है।

- **जैव प्रबलीकरण :** यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ फसल के खाने योग्य भाग में पोषक तत्त्वों की मात्रा को प्रजनन अथवा पराजीनी तकनीकों जैसे आनुवंशिक तरीकों से बढ़ाया जाता है। जीनपूल में लक्षित जीनों के प्राकृतिक परिवर्तन को प्रजनन तकनीक के माध्यम से एक श्रेष्ठ आनुवंशिक पृष्ठभूमि में शामिल किया जा सकता है।

- खाद्य और पोषण सुरक्षा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का मुख्य उद्देश्य है। परिषद् के संस्थान खाद्यान्न और अन्य संबंधित वस्तुओं के उच्च उत्पादन को प्राप्त करने के लिये नई किस्मों और प्रौद्योगिकियों हेतु शोध कर उच्च गुणवत्ता वाली फसलों की विभिन्न प्रजातियों को उत्पादित कर रहे हैं।
- वर्ष 2021 के दौरान 35 उन्नत किस्मों को विशेष लक्षणों के साथ विकसित किया गया है जिसमें जलवायु समुत्थानशीलता और उच्च पोषक तत्त्व शामिल हैं। इनमें चना की सूखा सहिष्णु किस्म, मुरझाने और बाँझपन एवं रोगाणु से होने वाली बीमारी (मोजेक) प्रतिरोधी अरहर, सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म, चावल की रोग प्रतिरोधी किस्में और गेहूँ की जैविक मज़बूत किस्में, बाजरा, मक्का और चना, कूटू, विंग बीन और फैबा बीन शामिल हैं।
- 'समृद्ध राष्ट्र के लिये उचित पोषण' के दृष्टिकोण पर काम करते हुए, चार फसलों की 11 बायोफोर्टिफाइड किस्में विकसित की गई हैं जिनमें प्रोटीन, आयरन और जिंक से भरपूर गेहूँ की छह किस्में शामिल हैं, लौह और जस्ता से भरपूर बाजरा की दो किस्में, प्रो-विटामिन ए, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन से समृद्ध मक्का की दो किस्में और उच्च प्रोटीन मात्रा के साथ चना, किनोवा, बकव्हीट, विंगडबीन और फैबा बीन की एक-एक किस्म भी विकसित की गई है।
- कुछ फसलों में पोषण विरोधी कारक मानव और पशु स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिये सरसों में कैनोला गुणवत्ता वाली किस्में, जैसे पूसा डबल ज़ीरो मस्टर्ड 33 और पहला कैनोला गुणवत्ता संकर RCH-1 का विकास किया गया है।

कृषि में उपयोग हो रहे मुख्य मोबाइल ऐप

मोबाइल ऐप	विशेषता
किसान सुविधा	यह प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके किसानों की मदद करने के लिये विकसित एक सर्वव्यापी मोबाइल ऐप है।
पूसा कृषि	इस मोबाइल ऐप को किसानों के खेतों तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों द्वारा विकसित तकनीकों को ले जाने के लिये लॉन्च किया गया है।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड मोबाइल ऐप	यह एप्लिकेशन किसानों द्वारा दिये गए मृदा सेंपल की जाँच रिपोर्ट किसानों तक आसान तरीके से पहुँचाता है।
भुवन ओलावृष्टि ऐप	इस मोबाइल ऐप द्वारा ओलावृष्टि के कारण फार्म को हुई हानि का डेटा तस्वीरों और भौगोलिक स्थान के साथ दर्ज होता है जिससे ओलावृष्टि से नुकसान का आकलन कर किसान को बीमा देने की प्रक्रिया आसान हो जाती है।
ई-नाम (e-NAM) मोबाइल ऐप	इसका उद्देश्य व्यापारियों/मंडियों द्वारा फसल मूल्य किसानों और अन्य हितधारकों को उनके स्मार्ट फोन पर सही समय पर उपलब्ध कराना है।
एग्री-मार्केट मोबाइल ऐप	इस ऐप का इस्तेमाल किसान अपने मोबाइल डिवाइस के 50 किमी. के भीतर फसलों का बाज़ार मूल्य जानने के लिये कर सकता है।
राइस एक्सपर्ट	यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्- राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक द्वारा वर्ष 2017 में विकसित ऐप है। इस ऐप के माध्यम से फसल में विभिन्न पारिस्थितिकी के लिये चावल की किस्में, पोषक तत्त्व, खरपतवार नियंत्रण, रोग संबंधी समस्याएँ व निवारण, फसल प्रबंधन आदि की जानकारी दी गई है।
कवकनाशी कैलकुलेटर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्-राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली ने 12 प्रमुख फसलों अर्थात् चावल, कपास, गोभी, फूलगोभी, बैंगन, अरहर, मूँगफली, टमाटर, सोयाबीन, चना, मिर्च, भिंडी के लिये वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर कीटनाशक और फफूंदनाशक ऐप विकसित किये हैं।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का कृषि में समावेश

- सूचना एवं संचार तकनीकियाँ (ICT) बढ़ी हुई खाद्य उत्पादन की मांग को पूरा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इनके उपयोग से किसान नवीनतम अप-टू-डेट कृषि आधारित सूचना एवं जानकारी प्राप्त कर बेहतर सुविचारित निर्णय ले रहे हैं।
- गत 20 वर्षों में सूचना एवं संचार तकनीकियों से कृषि सहित प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति आई है। स्मार्ट कृषि हेतु आज ऐसे मोबाइल एप्लिकेशन उपलब्ध हैं जो नवीनतम कृषि जानकारी जैसे कीटों और बीमारियों की पहचान, मौसम के बारे में रीयल टाइम डाटा, तूफानों के बारे में पूर्व चेतावनी, स्थानीय बाज़ार सर्वोत्तम मूल्य, बीज, उर्वरक आदि की जानकारी किसानों को उनके द्वार तक देते हैं।

- इसके अतिरिक्त, विभिन्न सरकारी संस्थाओं व निजी कंपनियों द्वारा भी कई ऐप विकसित किये गए हैं जो स्मार्ट कृषि तकनीकों का उपयोग कर सही समय पर सटीक जानकारी किसानों तक पहुँचाते हैं, जैसे– शोलापुर अनार, पशु पोषण, कृषि वीडियो एडवाइज ऐप इत्यादि।

निकट भविष्य में स्मार्ट कृषि हेतु प्रौद्योगिकियाँ

- विकसित देशों ने आधुनिक खेती को लाभकारी एवं टिकाऊ बनाने हेतु डिजिटल आधारित स्मार्ट कृषि पर ज़ोर दिया है जो कि भारत के लिये भी सुनहरा अवसर है।
- **स्मार्ट फार्मिंग :** एक कृषि प्रबंधन अवधारणा है जो कृषि उद्योग को उन्नत तकनीक का लाभ उठाने के लिये बुनियादी ढाँचा प्रदान करने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत, बड़े डेटा क्लाउड और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी आधुनिक तकनीकों का कृषि उत्पाद के ट्रैकिंग, निगरानी, स्वचालन और संचालन का विश्लेषण करने हेतु उपयोग किया जाता है।
- स्मार्ट कृषि में मुख्यत: निम्नलिखित तकनीकों का अलग-अलग प्रकार से उपयोग शामिल है–
  - **सेंसर :** पानी, प्रकाश आर्द्रता, तापमान प्रबंधन तथा मृदा स्कैनिंग के लिये विभिन्न प्रकार के सेंसर का उपयोग किया जाता है।
  - दूरसंचार प्रौद्योगिकियाँ, जैसे उन्नत नेटवर्किंग और जी.पी.एस.
  - इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आधारित समाधान, रोबोटिक्स और स्वचालन को सक्षम करने के लिये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
  - कीट, रोग एवं मौसम आधारित भविष्य अनुमान हेतु डाटा विश्लेषण उपकरण
  - फसल की पैदावार, मृदा मानचित्रण, जलवायु परिवर्तन, उर्वरक अनुप्रयोगों, मौसम डाटा, मशीनरी और पशु स्वास्थ्य से संबंधित महत्त्वपूर्ण आँकड़ों का डाटा संग्रह
  - दूरस्थ निगरानी एवं लगातार डाटा एकत्र करने हेतु उपग्रह और ड्रोन आधारित आई.टी. सिस्टम।

भारत में स्मार्ट कृषि हेतु कार्यरत कुछ महत्त्वपूर्ण एग्री-स्टार्टअप

स्मार्ट कृषि हेतु ऐग्री-स्टार्टअप	विशेषता
सेटश्योर (SatSure)	वर्ष 2016 की शुरुआत में स्थापित यह कंपनी सेटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग, बिग डेटा क्षमताओं और आई.टी. को कृषि में ला रही है। कृषि क्षेत्र में फसलों और फसल तनाव की आपूर्ति के आँकड़ों की जानकारी देने के लिये मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म बनाया गया है।
फसल (fasal)	यह स्टार्टअप फार्म से अधिक से अधिक डेटा एकत्र करता है, ए.आई.-आधारित माइक्रो क्लाइमेट फोरकास्टिंग एल्गोरिथम वास्तविक इन-फील्ड जानकारी को शामिल करता है और इसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मौसम पूर्वानुमानों से जोड़ता है।
ए.आई. बोनो (Albono)	यह स्टार्टअप आपूर्ति और मांग के वास्तविक समय के सिंक्रनाइज़ेशन द्वारा समर्थित सटीक कृषि प्रौद्योगिकियाँ प्रदान करता है।
क्रॉपइन (Cropin)	बेंगलुरु स्थित क्रॉपइन कृषि प्रबंधन, निगरानी और विश्लेषण समाधान प्रदान करता है। वर्तमान में यह 50 लाख किसानों को कृषि प्रबंधन और फसल चक्र निगरानी की सुविधा दे रहा है।
इंटेलो लैब्स (Intello Labs)	बेंगलुरु स्थित इस स्टार्टअप ने कंप्यूटर विज़न आधारित समाधान विकसित किये हैं जो फसल के चलचित्रों से महत्त्वपूर्ण डेटा लेकर फसल निरीक्षण और कृषि उत्पाद ग्रेडिंग करते हैं।

परिशुद्ध कृषि (प्रीसिजन फार्मिंग)

- प्रीसिजन फार्मिंग के अंतर्गत फसल एवं मृदा में 'सही-इनपुट' 'सही-समय' में, 'सही मात्रा' में, 'सही जगह' पर और 'सही-तरीके' से दिया जाता है। इसके लिये मौसम, मिट्टी की नमी, तापमान, उर्वरक दर, पानी का बहाव, कृषि रसायनों की आवाजाही, बारिश की सटीक जानकारी, भौगोलिक सूचना प्रणाली और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसी सूचनाएँ स्मार्ट कृषि तकनीकों से जुटाई जाती हैं।
- स्मार्ट कृषि आधारित ड्रिप सिंचाई प्रणाली की ऑन-फार्म दक्षता, पारंपरिक सिंचाई विधियों की तुलना में 90% से अधिक होने का अनुमान है। देश में कुल सिंचित क्षेत्र 68,649 हज़ार हेक्टेयर है। सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि 12,908.44 हज़ार हेक्टेयर है। देश में कुल सिंचित भूमि में से केवल 19% ही सूक्ष्म सिंचाई के अधीन है। भारत को न केवल सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करनी होगी बल्कि इज़रायल के समान स्मार्ट सिंचाई तकनीकों पर भी ज़ोर देना होगा।

स्वचालित (ऑटोमेटेड) कृषि

- स्वचालित (ऑटोमेटेड) कृषि से तात्पर्य सेंसर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण उपकरण एवं आई. टी. सिस्टम आधारित स्मार्ट कृषि से हैं।
- वर्तमान में 70 इज़रायली कंपनियाँ फसलों और मिट्टी की अवश्यकताओं का विश्लेषण, निगरानी और स्वचालित करने के लिये उपकरण बनाती हैं, जिससे संसाधनों की न्यूनतम बर्बादी, अधिकतम दक्षता और उपज सुनिश्चित होती है।

- 'परिशुद्धता कृषि नेटवर्क कार्यक्रम' कृषि को लाभप्रद उद्यम बनाने हेतु सुरक्षित पर्यावरण और गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिये सटीक एजी-टेक विकसित करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
- स्मार्ट कृषि के कार्यान्वयन हेतु पूसा संस्थान में नानाजी देशमुख फेनोमिक्स सेंटर की स्थापना की गई है जिसमें संसाधन कुशल, जलवायु स्मार्ट और उच्च उपज वाली खेती के विकास के लिये उच्च प्रवाह क्षमता सेंसर आधारित संयंत्र की व्यवस्था की गई है।

उर्वरक दक्षता से कृषि उत्पादकता में वृद्धि

संदर्भ

किसानों की आजीविका का मुख्य स्रोत फसल एवं कृषि आधारित छोटे व्यवसाय होते हैं। परंपरागत और नकदी उपज की लागत में सबसे बड़ा हिस्सा उर्वरक का होता है। इंडियन जर्नल ऑफ फर्टिलाइजर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक कृषि खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 40% हिस्सेदारी रासायनिक उर्वरक की है। उर्वरक प्रत्यक्ष रूप से फसल उत्पादकता को प्रभावित करते हैं।

उर्वरक दक्षता को बढ़ाना

- उर्वरकों का उपयोग और उत्पादन कई कारकों पर निर्भर करता है। एक शोध में पाया गया कि वर्ष 2007-11 के दौरान देश के पश्चिमी क्षेत्र में 31,116.73 किलो टन उर्वरक की खपत हुई। धान और गेहूँ के उत्पादन में उर्वरक की खपत क्रमशः 37% और 24% है।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 17 सतत् विकास लक्ष्यों में से गरीबी उन्मूलन, भुखमरी की समाप्ति, ज़िम्मेदार खपत एवं उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, भूमि की उर्वरता का संबंध प्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक से हैं।
- रासायनिक उर्वरकों की दक्षता और विकल्प बढ़ाकर कृषि व्यवस्था को न केवल मज़बूती दी जा सकती है बल्कि हमारी थाली तक पहुँचने वाला भोजन भी सेहतमंद बनाया जा सकता है। हालाँकि इसके असंतुलित उपयोग के हानिकारक पारिस्थितिकी परिणाम भी सामने हैं यानी उर्वरक दक्षता और उसे पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिये तकनीक और नवाचार को अपनाना होगा।

जलवायु अनुकूल उर्वरक

- संश्लेषण प्रक्रिया (सिंथिसिस प्रोसेस) के आधार पर उर्वरक दो प्रकार के होते हैं; सिथेंटिक अथवा कृत्रिम या अकार्बनिक उर्वरक और जैविक या ऑर्गेनिक उर्वरक। अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत देश में उर्वरकों के उत्पादन, बिक्री और वितरण को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाता है।
- रासायनिक उर्वरकों में तीन तरह के मुख्य पोषक तत्त्वों का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन (एन), फॉस्फेट (पी), और पोटाश (के)। इनमें यूरिया की कीमत सरकार द्वारा नियंत्रित है, जबकि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों को संयुक्त संसदीय समिति के सुझाव पर वर्ष 1992 में नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था।
- एन.पी.के. उर्वरकों के प्रयोग का अनुशंसित अनुपात 4:2:1 है, लेकिन भारत में यह अनुपात 8:3:1 हो गया है। यूरिया का सबसे अधिक उपयोग करने वाले राज्यों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। हरित क्रांति के दौर से शुरू हुई रासायनिक खादों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है।
- रासायनिक उर्वरकों की लागत अधिक होने की सबसे बड़ी वजह उनके उत्पादन में खर्च होने वाली ऊर्जा है। उर्वरक उद्योग कुल वैश्विक ऊर्जा का 1.2% खपत करता है। इसी तरह रासायनिक उर्वरकों को लागत सक्षम बनाने के लिये नैनो तकनीक के जरिये इनके आकार व दक्षता को बढ़ाना होगा।

जैविक खाद से खेतों की समृद्धि

- देश में गोबर खाद और कंपोस्ट खाद का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। जैविक खाद मिट्टी को समृद्ध करने के साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की उपलब्धता भी बढ़ाती हैं। जैविक खाद में ह्यूमिक अवयव होने से मिट्टी में फॉस्फोरस की उपस्थिति संतुलित बनी रहती है। वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद के लिये कार्बनिक अवशेषों को एक लंबे ढेर में रखकर केंचुए (आइसीनिया फीटीडा) छोड़ दिये जाते हैं। जिसके पश्चात् करीब 45 दिन में वर्मी कंपोस्ट उर्वरक बन कर तैयार हो जाता है।
- कृषि को समावेशी बनाने के साथ तैयार फसलों को रसायन मुक्त करने में जैविक उर्वरक सहायक हैं। बायो एक्टीवेटर, राइज़ोबियम कल्चर, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्पाइरिलिम पी.एस.बी., एज़ोला वैसीकुलर माइकोराइज़ा और ब्लू ग्रीन एल्गी को जैविक उर्वरक के रूप में उपयोग में लाया जाता है।

नीम लेपित यूरिया से कम होगी नाइट्रोजन क्षति

- नीम लेपित यूरिया रासायनिक उर्वरकों को समावेशी बनाने के प्रयासों का एक बेहतरीन उदाहरण है। नाइट्रोजन स्रोत के रूप में नीम लेपित यूरिया के प्रयोग से चावल व गेहूँ के फसलों की पैदावार अधिक हुई है। इस उर्वरक के उपयोग से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का प्रभाव बढ़ा है।
- पिछले कुछ वर्षों में तीन प्रमुख पोषक तत्त्वों– नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश में से नाइट्रोजन पर अधिक निर्भरता का बढ़ना चिंता का विषय बना हुआ है।
- नाइट्रोजन फसल पोषक तत्त्व के रूप में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के साथ सरलता से परिवर्तित हो जाता है। नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन विशेषकर सिंचाई में अधिक गतिशील होने के कारण आसानी से मृदा में अवशोषित हो जाता है। यही कारण है कि सामान्य यूरिया के मुकाबले नीम लेपित यूरिया की खपत कम होती है।

नैनो तकनीक से उर्वरक क्षेत्र में क्रांति

- कृषि और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र में जिस तरह रासायनिक प्रदूषण बढ़ रहा है उसे देखते हुए नैनो तकनीक पर आधारित नैनो फर्टिलाइजर पर ज़ोर दिया जा रहा है। नैनो तकनीक पर

आधारित उर्वरक पायस (एमल्सन) रूप में पौधों में प्रवेश करते हैं। इससे पोषक उपयोग दक्षता (NUE) बढ़ जाती है।

- नैनो उर्वरक पौधों को संपूर्ण पोषक तत्त्व मुहैया कराते हैं। नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर' कलोल (गुजरात) के सहयोग से सहकारी समिति इफको द्वारा नैनो यूरिया (तरल), नैनो जिंक, नैनो कॉपर प्रस्तुत किया गया है। शोध में पाया गया कि नैनो यूरिया, नैनो जिंक और नैनो कॉपर जिन फसलों में इस्तेमाल हुआ, उनकी पोषकता अन्य रासायनिक उर्वरकों के मुकाबले काफी अधिक थी।
- नैनो यूरिया का जब फसल की पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है तो यह आसानी से रंध्रों (स्टोमेटा) और अन्य छिद्रों के माध्यम से पौधे में प्रवेश कर जाता है। यह सीधे पौधों की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होता है। फ्लोएम के माध्यम से यह पादप कोशिका के विभिन्न भागों में आवश्यकतानुसार वितरित होता है।

स्वच्छ ऊर्जा तकनीक से उर्वरक उत्पादन

- भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तेल उर्वरक खपत वाला देश है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की पंजाब के नांगल, पानीपत एवं बठिंडा में ईंधन तेल पर आधारित सभी संयंत्रों को प्राकृतिक गैस में रूपांतरित कर दिया गया है। इस पहल के साथ कंपनी का शत-प्रतिशत यूरिया उत्पादन अब फीड-स्टॉक के रूप में गैस पर आधारित है।
- भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति के तहत कुछ ठोस कदम उठाए हैं। अब ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने वाली इकाइयाँ कच्चे माल के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग कर सकती हैं, ये कंपनियाँ सौर या पवन ऊर्जा के संयंत्र भी लगा सकती हैं।
- यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट जैसे नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन में अमोनिया एक महत्त्वपूर्ण अवयव होता है। हरित अमोनिया उत्पादन में इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को वायु द्वारा पृथक कर लिया जाता है। इसके बाद क्लीन एनर्जी को फीड-स्टॉक ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर हैबर विधि संपन्न की जाती है। इस विधि में अमोनिया का उत्पादन करने के लिये उच्च ताप एवं दाब पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की एक साथ क्रिया कराई जाती है।
- उर्वरक क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिये हरित अमोनिया का उपयोग बढ़ाना होगा। इससे खाद्य शृंखला को डीकार्बोनाइज करने और समावेशी जहाज़रानी ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलर एनर्जी और पवन टरबाइन हरित अमोनिया के उत्पादन में उपयोगी स्वच्छ ऊर्जा के प्रमुख संसाधन हैं।

उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता

- देश उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में तेज़ी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। नए और नवप्रवर्तनशील रासायनिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिये उर्वरक विभाग इनके प्रमाणीकरण को प्रोत्साहित कर रहा है। इसके तहत कंट्रोल्ड रिलीज़ यूरिया, नाइट्रोजन घोल एवं अनहाइड्स अमोनिया, अमोनियम पॉली-फॉस्फेट घोल, जल में घुलनशील एवं द्रव उर्वरक तथा नैनो उर्वरक विकसित किये जा रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त, गैर-रासायनिक उर्वरक/वैकल्पिक/कंपोस्ट/जैविक खाद जैसे जैव उर्वरक, कंपोस्ट, बायोगैस घोल इत्यादि के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन उर्वरकों में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को उल्लेखनीय रूप से कम करने की क्षमता है।

निष्कर्ष

विश्व आज खाद्य और पर्यावरणीय संकट की जिन चुनौतियों से घिरा है, उसके समाधान के लिये भारत ने विश्व को 'पंचामृत' मंत्र दिया है। यह मंत्र सिर्फ मानवीय जीवन की बेहतरी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की गुणवत्ता का आधार है। इसके तहत भारत उत्पादन एवं उपभोग की सभी प्रक्रियाओं को समावेशी बनाने की राह पर अग्रसर है। उर्वरक उत्पादन एवं वितरण को हम जितना पर्यावरण अनुकूल बना सकेंगे, मनुष्य समेत पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही ऊर्जावान नज़र आएगा।

डाउन टू अर्थ

अयस्क क्षेत्र को आधुनिकता की आवश्यकता

संदर्भ

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार भारत के इस्पात उत्पादन को तीन गुना बढ़ाकर भी वर्ष 2030 तक कार्बन डाइ-ऑक्साइड के उत्सर्जन में भारी कमी लाना संभव है, लेकिन इसके लिये योजना, तकनीक और वित्त की आवश्यकता होगी।

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में, विश्व चरम मौसमी गतिविधियों का सामना कर रहा है। साथ ही, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित होने वाली 27वीं बैठक (कॉप-27) का आयोजन किया गया। इससे त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत होती है।
- हालाँकि, यह भी स्पष्ट है की यह कार्रवाई उस स्तर या उस गति से नहीं हो रही है जिसकी आवश्यकता है।

इस्पात उत्पादन में भारत की स्थिति

- भारत जैसे देशों को अभी अधिक विकसित होने की आवश्यकता है और वह भी ऐसे समय में जब तापमान में वैश्विक वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिये पूरे विश्व में कार्बन बजट घट रहा है।
- ऐसे में भारत की वृद्धि निम्न कार्बन उत्सर्जन करने वाली होनी चाहिये। हालिया प्रकाशित एक रिपोर्ट 'डीकार्बनाइजिंग इंडिया: आयरन एंड स्टील सेक्टर' के अनुसार ऐसा करना संभव है।

कार्बन उत्सर्जन में लौह एवं इस्पात क्षेत्र की भूमिका

- वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में लौह व इस्पात सेक्टर की व्यापक भूमिका है। कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लौह व इस्पात क्षेत्र की भागीदारी 7% है।
- वर्ष 2016 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में इस क्षेत्र का लगभग 5% योगदान है।

लौह अयस्क उत्पादन में भारत की स्थिति

- वैश्विक लौह एवं इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, लेकिन विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले देश चीन की तुलना में भारत में बहुत कम उत्पादन होता है।
- विदित है कि विश्व में चीन सबसे ज़्यादा लौह एवं इस्पात का उत्पादन करता है, जो भारत से 10 गुना अधिक है।
- वर्ष 2019 में, चीन ने 10,500 लाख टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया था, जबकि भारत का उत्पादन महज 1,000 लाख टन था।

भारत में लौह अयस्क की खपत

- भारत में बुनियादी ढाँचे के लिये अधिक मात्रा में इस्पात की आवश्यकता है, इसलिये भारत को इस्पात का उत्पादन बढ़ाने पर बल देना होगा।
- भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत भी कम है। आधिकारिक अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत की उत्पादन क्षमता 3,000 लाख टन हो जाएगी और उत्पादन 2,550 लाख टन हो जाएगा, तब भी भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत 160 किग्रा. ही रहेगी। जबकि, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत 229 किग्रा. है।

लौह अयस्क उद्योग से उत्सर्जन

- इस उद्योग में फर्नेस (भट्ठी) को जलाने के लिये कोयला, गैस या स्वच्छ बिजली जैसे ईंधन की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप उत्सर्जन होता है।
- लेकिन, अन्य उद्योगों की तुलना में इस उद्योग में एक महत्त्वपूर्ण अंतर यह है कि औद्योगिक इकाई से कितनी मात्रा में कार्बन डाइ-ऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, यह उत्पादन की प्रक्रिया द्वारा निर्धारित होता है।

लौह उत्पादन की विभिन्न प्रणाली

ब्लास्ट फर्नेस पद्धति

- जब लोहे का उत्पादन ब्लास्ट फर्नेस से और फिर अयस्क का उत्पादन सामान्य ऑक्सीजन फर्नेस के माध्यम से होता है, तब अयस्क को धातु में बदलने के लिये कार्बन डाइ-ऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले कोयले की आवश्यकता होती है।
- इसी कारण से इस क्षेत्र को डीकार्बनाइज़ करना कठिन हो जाता है, लेकिन भारत में कुल लोहे एवं अयस्क का आधा हिस्सा इसी पद्धति से तैयार किया जाता है।

डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन पद्धति

- लौह उत्पादन की अन्य प्रणाली डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन या स्पंज आयरन है। इसमें लौह अयस्क को तरल में नहीं बदला जाता, बल्कि कोयला या गैस जैसे न्यूनकारक का उपयोग कर लौह का निष्कर्षण किया जाता है और इसके बाद इलेक्ट्रिक आर्क या इंडक्शन फर्नेस के माध्यम से अयस्क का उत्पादन किया जाता है।
- इस प्रक्रिया से डीकार्बनाइज़ेशन सरल है क्योंकि इसमें कोयले की जगह प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जा सकता है।
- साथ ही, इस प्रक्रिया में लौह अयस्क का स्थान स्क्रैप अयस्क ले सकता है। जबकि, ब्लास्ट फर्नेस प्रक्रिया में अयस्क का अधिकतम 30% तक ही उपयोग किया जा सकता है।

सुधार की आवश्यकता

उत्सर्जन में कमी पर बल

- उत्सर्जन लक्ष्य को एक टन लौह व अयस्क के उत्पादन पर 2.2 टन कार्बन डाइ-ऑक्साइड के उत्सर्जन को घटाकर 1.5 टन से नीचे लाना होगा, जो वैश्विक स्तर पर एक बेहतर लक्ष्य है।
- तीन स्थापित कंपनियाँ– टाटा स्टील, सेल (SAIL) और जिंदल इस्पात वर्क्स की एकमुश्त उत्पादन भागीदारी वर्ष 2020-2021 में देश में हुए कुल उत्पादन में 45% रही, जबकि कार्बन डाइ-ऑक्साइड उत्सर्जन में 41-51% की भागीदारी रही है।

स्वच्छ ईंधन के उपयोग पर बल

- सरकार को एक पैकेज डील पर काम करना चाहिये जिसमें गैस जैसे स्वच्छ ईंधन शामिल हों।
- कच्चे माल के रूप में स्क्रैप अयस्क के अधिकाधिक उपयोग को बढ़ावा देकर पुन:चक्रित अयस्क के व्यवसाय में सुधार किया जाना चाहिये।
- ब्लास्ट फर्नेस पद्धति में कोयले की खपत घटाने और उत्पादन में पुन:चक्रित अयस्क का उपयोग 30% तक बढ़ाने के लिये प्राकृतिक गैस या हाइड्रोजन के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।

कार्बन सिंक पर बल

इस उद्योग को कार्बन को सिंक करने एवं इसके उपयोग की प्रक्रिया को लागू करना होगा।

अंतर्राष्ट्रीय वित्त की आवश्यकता

उत्सर्जन में कमी लाने के लिये तकनीकी हस्तक्षेप के लिये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन की आवश्यकता होगी, जिसके माध्यम से वर्ष 2030 के लिये निर्धारित कार्बन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

निष्कर्ष

लौह एवं अयस्क जैसे क्षेत्र में भी कार्बन डाइ-ऑक्साइड का उत्सर्जन कम करना संभव है। ऐसे में भारत जैसे देश बड़े स्तर पर उत्सर्जन में कमी लाकर भी विकसित हो सकते हैं। हालाँकि, प्रश्न यह है कि क्या विकसित देश जलवायु न्याय की अनिवार्यता समझते हुए तथा भविष्य की क्षमता व प्रतिस्पर्द्धा को देखते हुए इस उद्योग में आवश्यक तकनीकी बदलाव के लिये फंड देंगे। कॉप-27 में इस पर बहस हुई है।

मानव दूध बैंक की आवश्यकता का परीक्षण

संदर्भ

मानव दूध बैंक उन शिशुओं के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, जिन्हें शिशु काल की अवधि में स्तनपान नहीं मिल पाता है। भारत में अब भी ऐसे केंद्रों का बड़े पैमाने पर शुरू होना बाकी है।

मानव दूध

- दान किया गया मानव दूध, शिशु की माँ के दूध के बाद सबसे बेहतर आहार है। इससे शिशु को ज़रूरी पोषण तत्त्वों के साथ शुरुआती अवस्था में प्रतिरोधक क्षमता को मज़बूती मिलती है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार माँ का दूध शिशुओं के लिये आदर्श भोजन है। इसमें उनके शुरुआती दिनों के लिये आवश्यक पोषक तत्त्व एवं एंटीबॉडी होते हैं।
- डब्ल्यू.एच.ओ. अनुशंसा करता है कि शिशुओं को पहले छह महीनों के लिये विशेष रूप से स्तनपान कराया जाए। यदि माँ का दूध उपलब्ध नहीं है, तो दान किया गया दूध सबसे अच्छा विकल्प है।

ब्राज़ील : केस अध्ययन

- मानव दूध बैंकों के सफल नेटवर्क के लिये ब्राज़ील एक प्रमुख उदाहरण है। वहाँ ऐसी पहली सुविधा वर्ष 1943 में स्थापित की गई थी।
- वर्तमान में इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा मानव दूध बैंक नेटवर्क है। लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन देशों के आर्थिक आयोग के अनुसार, वर्ष 2015 तक इस क्षेत्र के 301 मानव दूध बैंकों में से अकेले ब्राज़ील में 218 ऐसे बैंक हैं।

मानव दूध की आवश्यकता

- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में एक वर्ष में पैदा हुए 2.7 करोड़ बच्चों में से 75 लाख का जन्म के समय कम वजन होता है और 35 लाख बच्चे समय से पहले जन्म लेते हैं। बाल रोग विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे परिदृश्य में भारत में ऐसे मज़बूत नेटवर्क की सख्त आवश्यकता है।
- मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2017 तक 'नवजात गहन चिकित्सा यूनिट' (Neonatal Intensive Care Unit : NICU) या नीकू वार्ड में लगभग 30-50% शिशुओं तथा विशेष नवजात देखभाल यूनिट में 10-15% शिशुओं को दान में मिलने वाले मानव दूध की आवश्यकता होती है।
- समय से पहले जन्मे बच्चे को प्रतिदिन 30 मिली. दूध की आवश्यकता होती है, जबकि एक स्वस्थ बच्चे को 150 मिली. तक दूध की आवश्यकता हो सकती है।

भारत में मानव दूध बैंक की स्थिति

- वर्ष 2017 में, मंत्रालय ने देश में स्तनपान प्रबंधन केंद्रों की स्थापना के लिये दिशानिर्देश जारी किये और ज़िला एवं उप-ज़िला स्तर पर स्थित स्वास्थ्य केंद्रों में मानव दूध बैंक स्थापित करना अनिवार्य कर दिया।
- 'ब्रेस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया' (BPNI) संगठनों तथा व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, जो स्तनपान को बढ़ावा देता है।
- बी.पी.एन.आई. के अनुसार मानव दूध बैंकों के विकास एवं पैमाने के संदर्भ में भारत जो कर रहा है वह ब्राज़ील की सफलता के आसपास भी नहीं है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2017 में दूध बैंकों की संख्या 80 तक पहुँच गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को अपना पहला मानव दूध बैंक लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2017 में मिला।
- वर्तमान में मुंबई, बेंगलुरु एवं चेन्नई में पाँच से छह, दिल्ली में दो से पाँच और कोलकाता में एक या दो मानव दूध बैंक हैं।
- ऐसी पहली सुविधा वर्ष 1989 में मुंबई के सायन अस्पताल में स्थापित की गई थी, तब से आज तक की यह वृद्धि काफी धीमी रही है।

शोषण के जोखिम

- आपूर्ति से संबंधित मुद्दों के अलावा विनियमित दूध बैंक प्रणाली की कमी से महिलाओं के शोषण का जोखिम उभर सकता है।
- वर्ष 2020 के एक अध्ययन के अनुसार, भारत और कुछ अन्य देशों में लाभ कमाने वाला मानव दूध बाज़ार बढ़ रहा है।

- नीयोलैक्टा कंपनी का उदाहरण
  - केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण स्तन दूध के व्यवसायिक उपयोग की अनुमति नहीं देते। फिर भी, बेंगलुरु स्थित नीयोलैक्टा लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड कथित तौर पर 4,500 रुपए में 300 मिली. फ्रोजन ब्रेस्ट मिल्क की बिक्री करती है।
  - यह स्वयं को मानव दूध प्रसंस्करण सुविधा वाली भारत एवं एशिया की पहली कंपनी होने का दावा करती है।
  - रिव्यू ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में प्रकाशित एक अध्ययन में दावा किया गया है कि नियोलैक्टा कम-से-कम चार राज्यों के गाँवों की महिलाओं से दूध प्राप्त करती है।

अशिक्षा एवं जागरूकता में कमी

- रिपोर्ट के अनुसार ये महिलाएँ काफी हद तक अशिक्षित हैं और उन्हें समझाना मुश्किल है। इससे इन महिलाओं को वित्तीय सहायता या भोजन प्राप्त हो जाता है।
- विदित है कि मानव दूध के ऐसे व्यवसायीकरण से महिलाओं व लड़कियों के शोषण तथा तस्करी को बढ़ावा मिल सकता है।

धरोहर को चरती घास

संदर्भ

उत्तराखंड के फूलों की घाटी में पाए जाने वाला प्रत्येक फूल विशिष्ट है। यहाँ पाए जाने वाले अधिकांश फूलों का आयुर्वेद एवं चिकित्सा पद्धति में विशेष महत्त्व है।

भौगोलिक अवस्थिति

- चमोली ज़िले में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित यह घाटी समुद्र तल से करीब 12,500 फीट की ऊँचाई पर है और लगभग 88 वर्ग किमी. में फैली है।
- ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रेंक स्मिथ की किताब वैली ऑफ फ्लावर्स के बाद इसी नाम से यह घाटी लोकप्रिय हो गई। हालाँकि, स्थानीय लोग इसे भ्यूंडार घाटी कहते हैं।
- वर्ष 1982 में, इस घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्ज़ा मिला और वर्ष 2005 में, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।

समृद्ध जैव-विविधता

- फूलों की घाटी में पेड़-पौधों की लगभग 520 प्रजातियाँ हैं। इनमें भी सर्वाधिक 498 प्रजातियाँ फूलों की हैं।
- इस घाटी में मिलने वाले 112 फूलों के पौधे औषधीय गुणों वाले हैं। फूलों के अतिरिक्त यहां एशियाई काला भालू, हिमालयन थार, हिरण, हिम तेंदुआ जैसी विलुप्तप्राय जानवरों की प्रजातियाँ भी मिलती हैं।

कुछ प्रमुख प्रजातियाँ

साइनैंथस लोबाटस

- यह फ्रूल हिमालय में 3,300 से 4,500 मीटर की ऊँचाई पर पाया जाता है। फूलों की घाटी इसके लिये अनुकूल पर्यावरण उपलब्ध कराती है।
- इस फ्रूल का सामान्य नाम 'ट्रेलिंग बेलफ्लावर' है। इसकी जड़ों का रस पेट के अल्सर की बीमारी में उपयोग किया जाता है।

औषधीय इनूरी

- घाटी में मिलने वाला 'इनूरी' (विस्टोरता वैक्सीनीफोलिया) एक औषधीय पौधा है जिसकी पत्तियाँ साग के रूप में और जड़ें तपेदिक के उपचार में प्रयुक्त होती हैं।
- जुलाई से सितंबर के मध्य इसमें खूबसूरत गुलाबी रंग के फ्रूल आते हैं। इसे रोज़ कारपेट नॉटवीड के नाम से भी जाना जाता है।

मोरिना लॉन्गिफोरिया

- हिमालय में पाई जाने वाली फ्रूल की इस प्रजाति का तिब्बती चिकित्सा में व्यापक इस्तेमाल होता है। पेट के विकारों, जैसे- अपच, उल्टी, घबराहट में इसका उपयोग किया जाता है।
- भारत में इसका अर्क धूपबत्ती बनाने के लिये किया जाता है

बदलता परिदृश्य

- स्थानीय निवासियों के अनुसार वर्तमान में फ्रूलों की घाटी काफी बदलावों से गुजर रही है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने के बाद प्रशासन ने घाटी में मवेशियों एवं भेड़-बकरियाँ चराने पर रोक लगा दी।
- इसके बाद घाटी में घास की आक्रामक प्रजाति पॉलिगोनम पॉलिस्टीच्यूम अब बड़े हिस्से में फैल चुकी है।
- स्थानीय निवासियों के अनुसार, पूर्व में इस क्षेत्र को पशु चारागाह के रूप में उपयोग करते समय पशुओं के खुरों से निराई-गुड़ाई का काम हो जाता था और गोबर से वहां उगने वाले फ्रूलों तथा जड़ी-बूटियों को खाद मिल जाता था। इससे जुलाई-अगस्त में अच्छे फ्रूल खिलते थे।
- लेकिन, चराई पर रोक लगने से स्थितियाँ बदल गईं। साथ ही, मौसमी बदलावों ने भी घाटी को प्रभावित किया।

आपदाओं के चिह्न

बाढ़ आपदा

- जलवायु परिवर्तन के चलते न सिर्फ बर्फबारी में कमी आई है बल्कि बादल फटना, अचानक बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएँ काफी बढ़ गई हैं।

- वर्ष 2013 में, पुष्पावती नदी में आई बाढ़ ने घाटी को काफी नुकसान पहुँचाया है। तेज़ पानी से घाटी का संपर्क मार्ग बह गया और यहां पहुँचना अधिक दुर्गम हो गया।
- अब पर्यटकों को घाटी में प्रवेश के लिये 4 किमी. की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। इसके अलावा घाटी में ट्री लाइन भी लगातार बढ़ रही है।

आक्रामक घास का प्रकोप

- वर्तमान में, घाटी के लिये घास की एक आक्रामक प्रजाति पॉलिगोनम पॉलिस्टीच्यूम सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरी है।
- इस घास को हिमालयन नॉटवीड, अमोला, नटग्रास एवं सरन जैसे नामों से भी जाना जाता है। यह मूलरूप से एशिया के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है।
- तेज़ी से फैलने वाली यह घास अपने आसपास किसी अन्य वनस्पति को नहीं पनपने देती।
- सफेद फूलों वाली यह घास यदि इसी तीव्रता से फैलती रही तो इस खूबसूरत घाटी की विविधता खतरे में पड़ सकती है।

उन्मूलन से पूर्व बढ़ती गरीबी

संदर्भ

सतत् विकास लक्ष्य-1 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक विश्वभर से गरीबी का उन्मूलन करना है किंतु विश्व, इससे आठ वर्ष पूर्व गरीबी के विरुद्ध छेड़े गए युद्ध में हताशा भरी स्थिति में पहुँच गया है। साथ ही, यह भी निश्चित नहीं है कि कब तक विश्व की कुल आबादी के मुकाबले चरम गरीबी में रह रहे लोगों की संख्या को तीन प्रतिशत की निर्धारित सीमा तक नियंत्रित किया जा सकेगा।

विश्व बैंक की रिपोर्ट

- विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट 'पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 : करेक्टिंग कोर्सेस' के अनुसार मौजूदा परिस्थितियों में सबसे गरीब व विकासशील देशों के उप-सहारा अफ्रीका तथा ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी का उन्मूलन लगभग असंभव है।
- इस रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी तथा रूस-यूक्रेन युद्ध का वैश्विक गरीबी पर प्रभावों का विस्तार से आकलन किया गया है।
- महामारी से पूर्व पाँच वर्षों तक गरीबी उन्मूलन की दर लगातार घट रही थी। महामारी से जहाँ अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी, वहीं युद्ध ने ऊर्जा व खाद्य की कीमतों में वृद्धि करके हालात अधिक खराब कर दिये। इससे गरीब अधिक गरीब हो गए। उम्मीद की जा रही थी कि महामारी के बाद इसमें सुधार होगा, किंतु यूक्रेन-रूस युद्ध ने इसको अधिक समस्याग्रस्त कर दिया।

कीमतों के कारण गरीबी में वृद्धि

- खाद्य एवं ऊर्जा के मूल्य में उछाल के साथ चरम मौसम की घटनाओं ने कृषि को तथा अन्य आपदाओं ने संपत्ति एवं आय को बुरी तरह प्रभावित किया। इन तमाम घटनाक्रमों ने हालात में सुधार को केवल असंभव ही नहीं बनाया है, बल्कि लोगों को लंबे समय के लिये गरीबी के दलदल में धकेल दिया है।
- नतीजतन, दूसरे विश्वयुद्ध के बाद गरीबी के विरुद्ध छिड़ी जंग को सबसे बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2030 तक चरम गरीबी खत्म करने का लक्ष्य पथ से भटक गया है।
- महामारी ने वर्ष 2020 में 7 करोड़ अतिरिक्त लोगों को गरीबी में धकेल दिया है। इसके चलते करीब 71.9 करोड़ लोग अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। ये लोग 2.15 डॉलर प्रतिदिन पर गुजर बसर कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, गरीबी की दर वर्ष 2019 की 8.4% से बढ़कर वर्तमान में 9.3% हो गई है।
- युद्ध के चलते वर्ष 2022 के अंत तक 68.5 करोड़ लोग चरम गरीबी के स्तर पर पहुँच जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार, विश्व की 7% आबादी वर्ष 2030 तक चरम गरीबी की स्थिति से जूझ रही होगी। यह सतत विकास लक्ष्य-1 में निर्धारित 3% की दर के मुकाबले दोगुना से भी अधिक है।

असमानता में वृद्धि

- महामारी के कारण असमानता की खाई और भी चौड़ी हो गई है। यह विगत कई दशकों के चलन के विपरीत है। विकासशील व गरीब देशों ने गरीबों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि की है तथा इन देशों में गरीबी का स्तर अधिक बदतर हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, सबसे गरीब लोगों की आय में 4% औसत की अपेक्षा 40% का नुकसान हुआ है। इसी तरह अमीरों की आय के वितरण में 20% की हानि की अपेक्षा गरीबों को दोगुना नुकसान हुआ है।
- बैंक ने अपने अनुमान में इस स्थिति को चिंताजनक बताया है। बैंक के अनुसार, नीति निर्माताओं को अब कठिन पर्यावरणीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। चरम गरीबी उप-सहारा अफ्रीका, संघर्षरत क्षेत्रों एवं ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित है, जहाँ से इसे समाप्त करना बेहद कठिन है।
- उप-सहारा अफ्रीका में गरीबी की दर 35% है जो विश्व में सर्वाधिक है। यहाँ विश्व की 60% चरम गरीब आबादी निवास करती है। सतत विकास लक्ष्य-1 को वर्ष 2030 तक पूरा करने के लिये अगले आठ वर्षों में यहाँ के प्रत्येक देश की विकास दर 9% होनी चाहिये। मौजूदा स्थितियों में यह असंभव प्रतीत होता है, मुख्य रूप से यह देखते हुए कि महामारी से पूर्व यहाँ की विकास दर 2% से भी कम थी।

लंपी चर्म रोग

संदर्भ

भारत के कई राज्य मवेशियों में लंपी चर्म रोग के संक्रमण का सामना कर रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर ज़िले में स्थित मलकीसर गाँव मवेशियों में फैले लंपी चर्म रोग का केंद्र बन गया है।

लंपी चर्म रोग के बारे में

- लंपी चर्म रोग एक वायरल संक्रमण है जो मवेशियों को प्रभावित करता है। अभी इस रोग का कोई उपचार संभव नहीं है। सही समय से लक्षण दिखने पर इसका प्रबंधन करके इस रोग से छुटकारा दिलाया जा सकता है।
- लंपी चर्म रोग का वायरस 'पॉक्स वायरस' है, जो शीप पॉक्स व गॉट पोक्स वायरस की प्रजाति से संबंधित है। यह वायरस मच्छर, मक्खी एवं टिक जैसे कीटाणु के माध्यम से तथा लार, गंदे भोजन एवं जल के माध्यम से फैलता है।
- इस रोग में मवेशियों के पूरे शरीर पर दो से पाँच सेमी. आकार की गाठें उभर आती हैं। ये गाँठें बड़े और गहरे घाव में बदल जाती हैं। यह तेज़ी से फैलता है तथा वायरस रुग्णता का भी कारण बनता है।

रोग का प्रसार

- भारत में लंपी रोग का पहला मामला वर्ष 2019 में ओड़िशा में सामने आया था तथा मात्र 16 माह में यह 15 राज्यों में फैल गया। लंपी रोग की अप्रैल माह में शुरू हुई लहर अत्यंत घातक है, इसमें मृत्यु दर भी रुग्णता दर के बराबर है।
- केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार इस रोग से 23 सितंबर तक देश के 16 राज्यों के 251 ज़िलों में कुल एक लाख मवेशियों की मृत्यु हो चुकी है और 20 लाख मवेशी संक्रमित हुए हैं।
- इस वर्ष लंपी रोग से हुई मृत्यु का आँकड़ा विगत वर्ष मवेशियों में फैली तीन बीमारियों से हुई मृत्यु से 20 गुना अधिक है। विगत वर्ष मुँहपका-खुरपका रोग से 4,881, गलाघोटू से 98 और एंथ्रेक्स से 84 मवेशियों की मृत्यु हुई थी।
- इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR), दिल्ली के अनुसार पूर्व में केवल रिंडरपेस्ट पशु महामारी ने इस प्रकार से प्रभावित किया था, जिसका वैश्विक रूप से वर्ष 2011 में उन्मूलन कर दिया गया था।

रोकथाम के लिये वैक्सीन

- यद्यपि, अभी तक इस रोग का कोई उपचार नहीं है, किंतु राज्य सरकारें इसे नियंत्रित करने के लिये गॉट पॉक्स वैक्सीन का उपयोग कर रही हैं। इस वर्ष अगस्त में आई.सी.ए.आर. ने एक स्वदेशी वैक्सीन की घोषणा की, जिसके प्रयोग की अनुमति प्राप्त हो गई है, किंतु अभी इसका उत्पादन शुरू नहीं हो सका है। दूसरी तरफ, वायरस के स्वरूप में बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं।
- आई.सी.ए.आर. हिसार के अनुसार 'पॉक्स वायरस का जीनोम बहुत विशाल है। कोविड–19 के लिये उत्तरदायी सार्स-सीओवी–2 (SARS-COV-2) वायरस में 30,000 न्यूक्लियोटाइड (डी. एन.ए. के बिल्डिंग ब्लॉक्स) हैं, जबकि पॉक्स वायरस में 1,51,000 न्यूक्लियोटाइड हैं। जेनेटिक म्यूटेशन के दौरान प्रत्येक स्ट्रेन एक-दूसरे से अलग होता है, किंतु सीरोलॉजिकली वे एक-दूसरे को क्रॉसचेक करते रहते हैं।

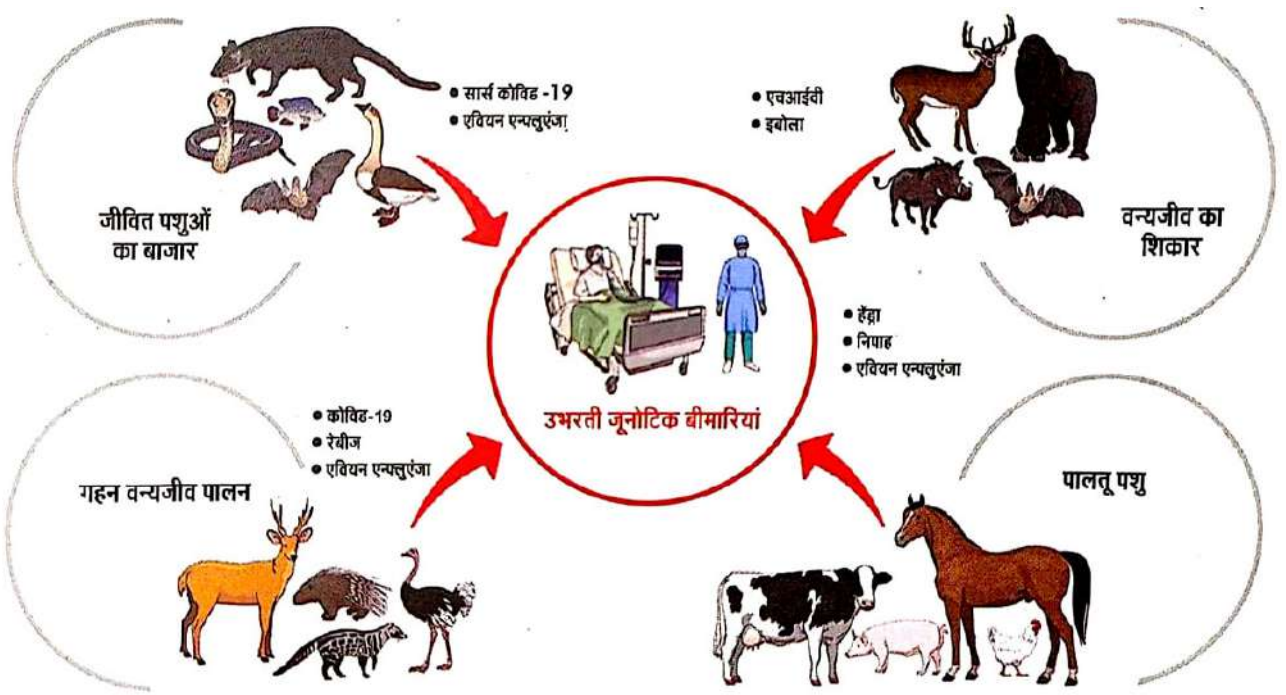

नुकसानदेह अंतर्संबंध

- कुछ स्ट्रेन कठोर रूप से रोगजनक, कुछ हल्के लक्षण वाले और कुछ घातक रोगजनक हो सकते हैं। आई.सी.ए.आर. समय के साथ जीनोम में हो रहे आनुवंशिक बदलावों की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिये वर्ष 2019, 2021 व 2022 के वायरल स्ट्रेन का अनुक्रमण कर रहा है। किंतु, उच्च रोगजनक के लिये ज़िम्मेदार स्ट्रेन का पता लगा पाना कठिन है।

पशु आबादी एवं संक्रमण

- पशुधन की आबादी के मामले में राजस्थान दूसरे और मवेशियों के मामले में छठें स्थान पर है। 23 सितंबर तक भारत में लंपी रोग से कुल 97,435 मवेशियों की मृत्यु हुई, जिनमें से 64,311 मवेशी राजस्थान से थे। लंपी से संक्रमित कुल 20 लाख पशुओं में से 14 लाख राजस्थान से थे, जबकि 1.7 लाख पंजाब और 1.6 लाख गुजरात से थे।
- लंपी रोग के प्रसार को रोकने के लिये संक्रमित पशुओं को क्वारंटीन रखना चाहिये। किंतु, पर्याप्त स्थान की कमी के चलते संक्रमित एवं स्वस्थ मवेशियों को अलग-अलग नहीं रखा जा सका है। राजस्थान के ज़्यादातर किसानों की अर्थव्यवस्था पशुधन पर निर्भर करती है। लंपी से मवेशियों की मृत्यु से इन परिवारों को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हुआ है।
- संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, यह रोग अधिक मात्रा में दुग्ध उत्पादन करने वाली गायों को जल्दी प्रभावित करता है। इस रोग से उभर चुके मवेशियों में दुग्ध उत्पादन की मात्रा भी कम हो जाती है।
- इससे ग्रसित मवेशियों के शरीर पर घाव के निशान रह जाते हैं जिसके कारण इन्हें चमड़े के लिये बेचे जाने पर सही कीमत नहीं मिल पाती है।

दोहरा खतरा

- लंपी ने भारत को ऐसे समय में प्रभावित किया, जब अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) मवेशियों को चपेट में ले रहा था। ए.एस.एफ. बहुत तेज़ी से फैलने वाला वायरल संक्रमण है, जो घरेलू व जंगली सूअर को निशाना बनाता है। इस बीमारी की मृत्यु दर 100% है।
- ए.एस.एफ. सॉफ्ट टिक के माध्यम से फैलता है। सबसे पहले यह रोग वर्ष 1921 में केन्या में हुआ था जिसके बाद यह यूरोप, रूस, चीन व म्यांमार में फैल गया। भारत में इससे जुड़ा पहला मामला वर्ष 2020 में सामने आया।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरिनरी एपिडेमिलॉजी इन्फॉर्मेटिक्स (NIVEDI) ने पशुधन में होने वाले 13 प्राथमिक रोगों की पहचान की है, किंतु लंपी और ए.एस.एफ. अभी इस सूची में शामिल नहीं हैं। सूची में शामिल ये 13 रोग तेज़ी से फैलते हैं तथा इनकी मृत्यु दर अधिक है। भारत के लिये ये रोग स्थानिक बन चुके हैं।

बीमारियों में वृद्धि का अनुमान

- एन.आई.वी.ई.डी.आई. के अनुमानों के अनुसार पशुधन में होने वाली कम-से-कम छह बीमारियों में वर्ष 2027 तक वृद्धि होगी, जिनमें से चार रोग परजीवी से फैलते हैं।
- ये छह रोग हैं–
  - **छेरा रोग :** परजीवी संक्रमण जिसे सामान्य लिवर फ्लक भी कहा जाता है, इससे पित्त वाहिका और पित्ताशय में सूजन आ जाती है।
  - **थेलेरिओसिस :** टिक-जनित परजीवी संक्रमण जिसमें तीव्र ज्वर के साथ लसीका ग्रंथि बड़ी हो जाती है।
  - **ट्राइपेनोसोमिआसिस :** एक परजीवी संक्रमण है जिससे एनीमिया तथा लसीका ग्रंथि बड़ी हो जाती है।
  - **बेबेसियोसिस :** टिक जनित परजीवी बीमारी जिससे लाल रक्त कोशिकाओं में जानलेवा संक्रमण होता है।
  - **एंटरोटोक्सेमिया या ओवरइटिंग बीमारी :** बैक्टीरिया जनित बीमारी जिसका संक्रमण डायरिया, बेहोशी या अचानक मृत्यु का कारण बनता है।
  - **पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (PPR):** एक वायरल बीमारी जिससे बकरियों व भेड़ों में बुखार, निमोनिया तथा कभी-कभी मृत्यु भी हो जाती है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार

- पशुधन में घरेलू नस्ल के पशु, जैसे– गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, मुर्गी, सूअर एवं याक शामिल हैं। वर्ष 2019 की, पशुधन जनगणना के अनुसार भारत में कुल 5,367.6 लाख पशुधन है। विश्व में सर्वाधिक गाय 3,030 लाख भारत में हैं।
- अल्प वर्षा या शुष्क क्षेत्रों में मवेशी संबल का कार्य करते हैं, क्योंकि कृषि की अपेक्षा मवेशी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को अपनाने में अधिक लचीले होते हैं। छोटे व सीमांत किसान जिनके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है, मध्यम व बड़े किसानों की अपेक्षा पशुपालन को अधिक अपनाते हैं।
- सीमांत किसान भी पशुपालन से होने वाली आय पर अधिक निर्भर हैं। एन.एस.ओ. (NSO) सर्वेक्षण के अनुसार किसान परिवार समूह के लिये पशुपालन आय का स्थायी स्रोत है और उनकी मासिक आय का 15% भाग पशुपालन से आता है। 0.01 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों की मासिक आमदनी में पशुपालन की भागीदारी फसल उत्पादन के मुकाबले अधिक है।

रोग की गतिशीलता

असंगठित व अवैध व्यापार

- हाल के वर्षों में, विज्ञानियों ने बीमारी की गतिशीलता में तेज़ बदलाव देखे हैं जिसमें नए व पुराने रोगजनकों का उभरना और पूर्व में इनसे अछूते रहे क्षेत्रों में फैलना जारी है।

- केन्या के नैरोबी स्थित इंटरनेशनल लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार अलग-अलग देशों में पशु रोगों के उभार की वजहों में एक वजह उन देशों के साथ असंगठित व अवैध व्यापार है, जहाँ पहले से ही ये बीमारियाँ फैली हुई हैं।
- वर्ष 2013 में, सूअरों में होने वाला पॉरसिन रिप्रोडक्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नामक वायरल रोग चीन व म्यांमार से पूर्वोत्तर भारत में आया। हालाँकि, इस रोग पर नियंत्रण कर लिया गया था। लेकिन, शीघ्र ही ए.एस.एफ. भी इसी तरह आ गया।
- ऊँटों में होने वाली जानलेवा बीमारी मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम पाकिस्तान पहुँच चुकी है और यह भारत में भी प्रवेश कर सकती है क्योंकि पाकिस्तान की सीमा से लगे राजस्थान तथा गुजरात राज्यों में ऊँटों की आबादी अधिक है।

जलवायु परिवर्तन की भूमिका

- इसके अलावा बारिश की प्रवृत्ति में बदलाव, बाढ़ व सूखा की बारंबारता तथा वैश्विक तापन में तीव्र हीटवेव संक्रामक रोगों के संक्रमण को प्रभावित करते हैं। रोगों की गतिशीलता में जलवायु परिवर्तन की बड़ी भूमिका है तथा अन्य कारणों में पशु उत्पाद का व्यापार, मानव आबादी में वृद्धि और पशुधन में तीव्रता शामिल हैं।
- जलवायु परिवर्तन दो प्रकार से पशुधन में रोगों को प्रभावित करता है। पहला हीट स्ट्रेस है जो सीधे प्रभावित करता है, जबकि दूसरा प्रकार अप्रत्यक्ष चरम मौसमी गतिविधियाँ एवं उसका प्रभाव हैं, जिनका असर बीमारियाँ फैलाने वाले रोगजनक व वेक्टर पर पड़ता है।
- सभी पशुओं में थर्मल कंफर्ट जोन होता है जो उनके लिये फायदेमंद होते हैं। जब वायुमंडलीय तापमान अधिकतम स्तर पर पहुँचता है, तो पशुधन में हीट स्ट्रेस, चयापचय में असंतुलन और रोग प्रतिरोध में गिरावट आती है, जिसके परिणामस्वरूप रोग व मृत्यु की प्रवृत्ति बढ़ जाती है।
- हीट स्ट्रेस के दीर्घकालिक प्रभाव से मुर्गियों व बछड़ों में खराब रोग प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया दिखती है, वैक्सीन के असर को नुकसान पहुँचता है और बैक्टीरिया से बचाव में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले न्यूट्रिफिल्स की कार्यक्रम प्रणाली को क्षति पहुँचती है।
- अध्ययनों से पता चलता है कि गर्मियों में स्तन में सूजन के मामले बढ़ जाते हैं और इसका संबंध हीट स्ट्रेस से है। वर्षा व आर्द्रता में वृद्धि के साथ कुछ वर्षों से हीट स्ट्रेस निश्चित तौर पर बढ़ रहा है। एक गाय का सामान्य तापमान 102.5 डिग्री फारेनहाइट होता है। लेकिन, ऐसे समय में उनका तापमान 107 डिग्री और 109 डिग्री फारेनहाइट देखा गया है, ऐसी स्थिति में थर्मामीटर तापमान दिखाना बंद कर देता है।

वेक्टर कारक

- जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभाव स्पष्ट तौर पर परिलक्षित नहीं होते हैं, लेकिन पशुधन में रोगों के संक्रमण पर इनका भारी असर पड़ता है। मसलन पशुपालक चारागाह वाले क्षेत्रों में लगातार सूखे के चलते पशुओं को चराने के लिये लंबी दूरी तय करते हैं, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के मवेशियों में नई बीमारी के फैलने का खतरा रहता है।
- तापमान में वृद्धि, तीव्र वर्षण, बाढ़ और आर्द्रता भी रोगजनक या वेक्टर की चयापचय प्रक्रिया, प्रजनन दर में वृद्धि का कारण बनते हैं जिससे बीमारियों का जोखिम बढ़ता है।
- अफ्रीकी देशों में सामान्य से अधिक वर्षण के बाद रिफ्ट वैली फीवर का विस्फोट देखा गया। यह एक मच्छर जनित रोग है, जिससे भेड़, बकरियाँ, गाय, भैंस व ऊँट में गर्भपात एवं नवजात की मृत्यु बढ़ जाती है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण पूर्वी अफ्रीका, सोमालिया, इथोपिया व केन्या में औसत बारिश के बढ़ने तथा दक्षिणी अफ्रीका में घटने की संभावना से रिफ्ट वैली फीवर के संक्रमण का भौगोलिक दायरा बढ़ सकता है। पशुओं में होने वाले 65 रोगों में से 58 रोग जलवायु को लेकर संवेदनशील हैं।
- भारत में लंपी रोग के ताजा कहर में वायरस में म्यूटेशन के अलावा गर्म व आर्द्र मौसम की भी भूमिका हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, इस वर्ष जुलाई में राजस्थान में 270 मिमी. बारिश दर्ज़ की गई, जो विगत सात दशकों में जुलाई माह में सबसे अधिक है। विदित है कि भारत में आवारा मवेशियों की आबादी लगभग 50 लाख है और इनमें से 48% आबादी सिर्फ राजस्थान व उत्तर प्रदेश में है।

बदलते पशुजन्य रोग

- पशुधन में रोगों का गहरा प्रभाव न केवल पशुओं की सेहत और वैश्विक स्तर पर खाद्य आपूर्ति व अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, बल्कि इसका असर मानव स्वास्थ्य पर भी दिखाई देता है। आबादी बढ़ने के चलते कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने से कृषि का विस्तार हो रहा है। इसके चलते प्राकृतिक इकोसिस्टम फार्म व खेतों में तब्दील हो रहा है, जिससे लोगों का अधिक समय मवेशियों व वन्यजीवों के साथ बीतता है।
- अंदरूनी क्षेत्रों में सूअरों व मुर्गियों के कृत्रिम ठिकाने मानव, पशुधन तथा वन्यजीवों के लिये वायरस का घर बन रहे हैं। कोविड-19 से ठीक पहले जारी यू.एन. की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि विगत 170 वर्षों में 9 महामारियाँ पशुधन से मनुष्य में प्रसारित हुई हैं इनमें से छह वर्ष 1990 के बाद फैलीं हैं। हाल के दशकों में, जूनोटिक बीमारियों के बार-बार विस्फोट की स्पष्ट वजह कृषि का विस्तार है।

- विकासशील देशों में मानव व पशुधन घनत्व में अधिकांश वृद्धि होने की उम्मीद है, जहाँ रोग निगरानी, कीट नियंत्रण, स्वच्छता, चिकित्सा व पशु चिकित्सा देखभाल सीमित हैं। इसका सबसे ज़्यादा हानि गरीब किसानों को हो रही है।

भारत पर खतरा

- आई.एल.आर.आई. (ILRI) के अनुसार, भारत उन चार देशों में शामिल है, जो व्यापक रोग एवं मृत्यु के साथ सबसे अधिक पशुजन्य बीमारी से पीड़ित हैं। अन्य तीन देश इथियोपिया, नाइज़ीरिया और तंज़ानिया हैं। एन.आई.वी.ई.डी.आई. द्वारा सूची में शामिल 13 पशुधन रोगों में से चार पशुजन्य हैं।
- ये रोग हैं–
  - **एंथ्रेक्स :** अत्यधिक संक्रामक जीवाणु रोग है जो किसी व्यक्ति की त्वचा, फेफड़े या आँत को प्रभावित कर सकता है। यह संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने, दूषित माँस के सेवन या दूषित वातावरण में साँस लेने के माध्यम से फैलता है।
  - **बेबियोसिस :** यह जानलेवा परजीवी रोग है जो मनुष्यों में टिक के काटने, रक्त आधान या संक्रमित मां से उसके बच्चे तक फैल सकता है।
  - **फैसियोलॉसिस :** यह परजीवी कृमि संक्रमण है जो दूषित जलकुंभी या अन्य जलीय पौधों को खाने से होता है।
  - **ट्रिपैनसोमोसिस या स्लीपिंग सिकनेस :** यह परजीवी रोग है जिसमें बुखार, थकान, सुस्ती व लिम्फोनोड्स में सूजन आ जाती है। यह टिक-टिक मक्खियों से फैलता है।
- इस प्रकार के अन्य जूनोटिक या तो स्थानिक हैं या पुनः उभर रहे हैं। ऐसा ही एक रोग बफेलोपॉक्स है। इस बीमारी ने वर्ष 2018 में महाराष्ट्र के धुले ज़िले में 28 दुग्ध किसानों को संक्रमित किया।

निगरानी की आवश्यकता

- पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने वर्ष 2020 में पशुधन रोग कार्यक्रम तैयार करने के लिये राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य ज़ूनोटिक रोगों से जुड़ी गतिविधियों तथा इसे नियंत्रित करने के बारे में सूचनाएँ साझा करने के लिये वन्यजीव व मानव रोग को एकीकृत करना है।
- इसके अंतर्गत आधार कार्ड के समान देश के सभी 50 करोड़ प्रमुख पशुधन को एक यूनिक 12-अंकीय पहचान (ID) नंबर के साथ टैग करने का लक्ष्य रखा गया। अब तक 24.5 करोड़ मवेशियों को उनके विवरण, जैसे- उम्र, नस्ल, दूध उत्पादन, टीकाकरण एवं कृत्रिम गर्भाधान की तारीखें तथा बछड़े की डिलीवरी के साथ टैग कर पूरी जानकारियाँ एक केंद्रीय डाटाबेस में दर्ज़ की गई है। यह आई.डी. टीकाकरण सहित सभी राज्य व राष्ट्रीय कार्यक्रमों की नींव के रूप में कार्य करेगी।
- पशुधन रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर-1962 से जुड़ी मॉडलिंग व निगरानी मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से की जाएगी। भारत में पहले से ही पशुधन रोगों के लिये मोबाइल डिस्पेंसरी मौजूद हैं। इन्हें मज़बूत तथा पंचायतों के प्रति जवाबदेह बनाया जाना चाहिये। सैंपल संग्रह व जागरुकता के लिये वैज्ञानिकों को महीने में एक-दो बार गाँवों का दौरा करना चाहिये। साथ ही, पोलियो उन्मूलन के तर्ज़ पर टीकाकरण किया जाना चाहिये।
- सभी वेटनरी अस्पतालों में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा न होने के कारण वैक्सीन अप्रभावी हो जाती हैं। इस असमानता को समाप्त करने की आवश्यकता है। इसके अलावा क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र के अभाव के चलते पशु रोग चिकित्सकों को भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ेज पर निर्भर रहना पड़ता है, जो टेस्ट रिपोर्ट देने में 10-15 दिन का समय लगाता है।

इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा, 2018-19

संदर्भ

हाल ही में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (National Health Account : NHA), 2018-19 जारी किया गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान

- एन.एच.ए. अनुमान रिपोर्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (National Health Systems Resource Centre : NHSRC) द्वारा तैयार की जाती है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में एन.एच.एस.आर.सी. को राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय के रूप में नामित किया गया था।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा विकसित स्वास्थ्य लेखा प्रणाली, 2011 के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानक के आधार पर एन.एच.ए. अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- यह एन.एच.एस.आर.सी. द्वारा तैयार की गई लगातार छठी एन.एच.ए. अनुमान रिपोर्ट है।

रिपोर्ट का महत्त्व

- एन.एच.ए. अनुमान सरकार, निजी क्षेत्र, व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्वास्थ्य पर भारत के कुल व्यय और इन निधियों के प्रवाह पर महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
- यह स्वास्थ्य देखभाल व्यय के स्रोतों, व्यय के प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा प्रदानकर्ता तथा स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित डाटा प्रदान करता है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ

- नवीनतम अनुमानों के अनुसार, निजी और सार्वजनिक स्वामित्व वाले अस्पताल देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।
- निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कुल स्वास्थ्य व्यय के लगभग 33% के लिये और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कुल स्वास्थ्य व्यय के लगभग 25% हिस्से के लिये उत्तरदायी हैं।
- नवीनतम अनुमान के अनुसार, देश का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का वर्ष 2014-15 में 1.13% से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 1.28% हो गया है।

KEY NUMBERS IN REPORT

Indicator	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
Total health expenditure as percentage of GDP	3.2	3.3	3.8	3.8	3.9
Government health expenditure as percentage of GDP	1.28	1.35	1.20	1.18	1.13
Out of pocket expenditure as %age of total expenditure	48.2	48.8	58.7	60.6	62.6
Government health expenditure as %age of total expenditure	40.6	48.8	32.4	30.6	29
Social security expenditure (govt insurance schemes like PM-JAY, RSBY, state scheme) as %age of total spend	9.6	9	7.3	6.3	5.7
Private health insurance expenditure as %age of total spend	6.6	5.8	4.7	4.2	3.7
Current health expenditure as percentage of total expenditure*	90.6	88.5	92.8	93.7	93.4

*A lower percentage indicates more spending on infrastructure, equipment etc that will last for years (National Health Accounts Estimates 2018-19)

- इसके अतिरिक्त, विगत 15 वर्षों में स्वास्थ्य पर कुल व्यय में सरकार की हिस्सेदारी लगभग दो गुना बढ़कर 40.6% हो गई है।
- नवीनतम अनुमान भी मरीज़ों द्वारा किये जाने वाले व्यय में भारी गिरावट प्रदर्शित करते हैं।

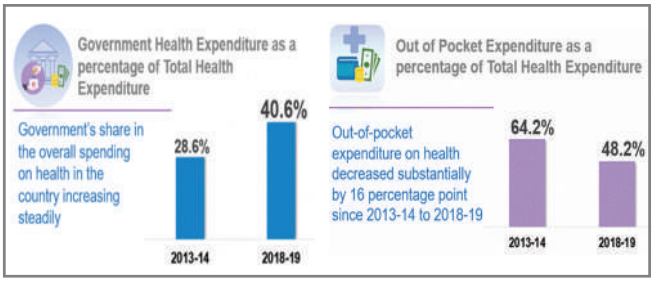

- वर्ष 2018-19 में लोगों की जेब से स्वास्थ्य देखभाल का व्यय कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग 48.2% था जो वर्ष 2014-15 में दर्ज 62.6% से काफी कम है।
- अस्पताल में भर्ती रोगियों से संबंधित उपचारात्मक देखभाल का कुल व्यय स्वास्थ्य देखभाल व्यय का लगभग 33% हिस्सा है।
- इसके अतिरिक्त, दवा एवं उपकरण और बाह्य रोगी उपचारात्मक देखभाल कुल स्वास्थ्य देखभाल व्यय का लगभग 20% है।

चुनौतियाँ

स्वास्थ्य व्यय में कमी

- यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि हाल के वर्षों में बहुत अधिक महत्त्व प्राप्त कर चुका निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय का प्रतिशत कुल स्वास्थ्य व्यय का 10% से भी कम है।
- विगत 15 वर्षों में कुल स्वास्थ्य व्यय लगभग 25% कम हो गया है अर्थात् वर्ष 2004-05 और वर्ष 2018-19 के मध्य कुल स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 4.2% से घटकर 3.2% रह गया।
- यह वैश्विक रुझानों के विपरीत है जहाँ वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में स्वास्थ्य देखभाल व्यय का हिस्सा विगत 20 वर्षों में लगभग दो गुना बढ़ गया है।
- स्वास्थ्य पर कुल प्रति व्यक्ति व्यय का रुझान भी चिंताजनक है क्योंकि मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति कुल स्वास्थ्य व्यय विगत 15 वर्षों में लगभग चार गुना बढ़ गया है।

आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय में वृद्धि

- अन्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों की तुलना में भारत का आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय अभी भी अधिक है।
- वर्ष 2018-19 के लिये भारत में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय 2.87 लाख करोड़ दर्ज किया गया था जो सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1.52% के बराबर था।

मांग में कमी

पॉकेट व्यय में भारी कमी विकसित देशों के समान सार्वजनिक व्यय या बीमा कवरेज में किसी भी वृद्धि के कारण नहीं, बल्कि यह इसलिये है क्योंकि कम लोग देखभाल की मांग कर रहे हैं जो प्रणाली में मौजूदा संकट को दर्शाता है।

राज्यवार असमानता

वर्ष 2018-19 के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों ने स्वास्थ्य देखभाल व्यय के मामले में राज्यों के मध्य मौजूद बड़े पैमाने पर असमानताओं को प्रदर्शित किया है–

कुल स्वास्थ्य व्यय

प्रमुख राज्यों में कुल स्वास्थ्य देखभाल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1.6% के निचले स्तर से 4.9% के उच्च-स्तर तक भिन्न है।

प्रति व्यक्ति कुल स्वास्थ्य व्यय

- प्रति व्यक्ति कुल स्वास्थ्य व्यय में असमानता बहुत व्यापक है।
- दक्षिणी राज्यों ने इस पहलू में उत्तरी राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया।
- उदाहरण के लिये केरल में प्रति व्यक्ति कुल स्वास्थ्य देखभाल व्यय 9,871 की तुलना में बिहार में 1,517 देखा गया।
- स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय बिहार और उत्तर प्रदेश (1,000 से कम) जैसे राज्यों की तुलना में तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल और हिमाचल प्रदेश (2,000 से 4,000 के मध्य) में अधिक देखा गया।

आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय

- कुल स्वास्थ्य व्यय में पॉकेट व्यय का प्रतिशत भी राज्यों में विषम था।
- असम, उत्तराखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों में यह 33% था। इसकी तुलना में पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसका हिस्सा लगभग 66% है।

आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय

- स्वास्थ्य बीमा होने के बाद भी किसी बीमारी के इलाज में जिन लागतों का भुगतान स्वयं करना पड़ता हैं, उसे 'आउट-ऑफ-पॉकेट' व्यय (जेब पर पड़ने वाला खर्च) कहा जाता है, अर्थात् ऐसी दवाएँ और सेवाएँ जो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर नहीं होती हैं। इस प्रकार, आउट-ऑफ-पॉकेट भुगतान किसी रोगी द्वारा सीधे वहन किया जाने वाला व्यय होता है।
- भारत में उच्च स्वास्थ्य बीमा कवरेज के साथ-साथ वित्तीय सुरक्षा भी आवश्यक है। उदाहरणस्वरूप, आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा लगभग 70% होने के बावजूद देश के कुल 'आउट-ऑफ-पॉकेट' व्यय में इसका हिस्सा काफी अधिक है, जबकि हिमाचल प्रदेश का सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा में योगदान काफी कम होने के बावजूद 'आउट-ऑफ-पॉकेट' व्यय में इसका योगदान काफी कम है।

निष्कर्ष

- वर्ष 2018-19 के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता अनुमान संकेत देते हैं कि मामूली सुधार जैसे कि सरकारी व्यय के हिस्से में वृद्धि और आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय के हिस्से में कमी के बावजूद भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र अभी भी वैश्विक मानक लक्ष्य हासिल करने में पिछड़ रहा है।
- स्वास्थ्य सेवा और पॉकेट व्यय में भारी अंतर-राज्यीय असमानताओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
- संचारी रोगों के प्रसार के साथ-साथ गैर-संचारी रोगों के बोझ में वृद्धि हेतु मुद्दों के समाधान के लिये अभिनव कार्यक्रमों के निर्माण की आवश्यकता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिये नियामक व्यवस्था को मज़बूत किया जाना चाहिये कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाता स्थापित नियमों और विनियमों का पालन करते हैं और सस्ती कीमतों पर महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करते हैं।

कृषि पर केंद्रित राष्ट्रीय जल नीति की आवश्यकता

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2019 में जल शक्ति मंत्रालय ने मिहिर शाह के नेतृत्व में मौजूदा राष्ट्रीय जल नीति (NWP) को संशोधित करने के लिये एक समिति का गठन किया।
- राष्ट्रीय जल नीति को अंतिम बार वर्ष 2012 में संशोधित किया गया था। विदित है कि पहली राष्ट्रीय जल नीति वर्ष 1987 में अपनाई गई थी। तब से इसे वर्ष 2002 और वर्ष 2012 में दो बार संशोधित किया गया है।
- विदित है कि भारत के लगभग 90% जल का उपयोग कृषि के लिये किया जाता है।

नीतिगत सुझाव

जल को प्राथमिकता

- राष्ट्रीय जल नीति, 2012 पीने व घरेलू ज़रूरतों, सिंचाई व 'न्यूनतम पारिस्थितिक आवश्यकताओं' के लिये समान व 'उच्च प्राथमिकता' के आधार पर जल को प्राथमिकता देती है।
- इसके विपरीत संशोधित नीति को सिंचाई के स्थान पर पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकताओं के लिये जल को प्राथमिकता देनी चाहिये।

जल की कम खपत वाली फसलों को बढ़ावा देना

- जल की अधिक खपत वाली तीन फसलें– चावल, गेहूँ और गन्ना हैं जो लगभग 80% सिंचित जल की खपत करती हैं।
- इन फसलों के तहत क्षेत्र में कमी के साथ-साथ बाजरा, दलहन और तिलहन जैसी फसलों के लिये फसल विविधीकरण की तत्काल आवश्यकता है।
- जल की कम खपत वाली फसलों के लिये सहायक नीतिगत उपायों, जैसे– न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), सार्वजनिक वितरण

प्रणाली (PDS), आँगनवाड़ी-एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन में इन फसलों की आपूर्ति की आवश्यकता होगी।

जल उपयोग दक्षता सुनिश्चित करना

- सूक्ष्म सिंचाई के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिये।
- सिंचाई के लिये सब्सिडी/नि:शुल्क बिजली धीरे-धीरे, लेकिन निश्चित रूप से कम होनी चाहिये।

वाटरशेड, स्प्रिंगशेड और जलग्रहण क्षेत्र का विकास

विकेंद्रीकृत वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

भू-जल की कीमत तय करने की आवश्यकता

- भू-जल मूल्य निर्धारण का अभाव कई क्षेत्रों में अंधाधुंध निष्कर्षण और भू-जल संसाधनों की कमी के कारणों में से एक है।
- सिंचाई के तहत क्षेत्र आधारित भू-जल मूल्य निर्धारण की एक प्रणाली शुरू की जानी चाहिये।

सौर ऊर्जा का प्रचार-प्रसार

- सरकार बड़े पैमाने पर सोलर पंप को बढ़ावा दे रही है। हालाँकि, इससे जुड़ी कई चिंताएँ भी हैं।
- परती और बंजर भूमि पर भी सौर पैनलों की स्थापना गाँव के सामान्य क्षेत्र को कम करती है जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन और गाँव की आजीविका को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- सौर पंपों को बड़े पैमाने पर अपनाने से भू-जल स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है जिससे संकटग्रस्त भू-जल संसाधन समाप्त हो सकते हैं।

स्थानीय स्तर पर 'जल प्रबंधन' दृष्टिकोण अपनाना

- स्थानीय समुदायों को जल संरक्षण में शामिल करने की आवश्यकता है, इसलिये जल संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- इस तरह का दृष्टिकोण समुदायों को संवेदनशील बनाने, स्थानीय 'जल प्रबंधकों' (जल सेवकों) के एक कैडर का निर्माण करने, समुदाय-परिभाषित पहुँच और नियमों का उपयोग करने तथा इन्हें लागू करने वाले प्रतिनिधि व प्रभावी शासन तंत्र स्थापित करने की दिशा में काम करेगा।

जल प्रबंधन प्रदर्शन का आकलन

- ज़िला और ब्लॉक स्तरों तक नीति आयोग द्वारा विकसित समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI) जैसे जल प्रबंधन प्रदर्शन के आवधिक मूल्यांकन के लिये एक प्रणाली की आवश्यकता है।
- यह स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा और जल प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा दे सकता है।

निष्कर्ष

संशोधित राष्ट्रीय जल नीति को एक पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित दृष्टिकोण और वाटरशेड के जलवायु प्रूफिंग की दिशा में कार्य करते हुए जलवायु-लचीली कृषि एवं नीतियों की ओर बढ़ना चाहिये जो वर्षा-सिंचित फसलों के उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करती हैं। इसके साथ ही सतही और भू-जल संसाधनों के सतत, कुशल एवं न्यायसंगत प्रबंधन की भी आवश्यकता है।

कृषि संघवाद

संदर्भ

तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही वर्तमान में संविधान की भावना के अनुसार कृषि क्षेत्र में संघ और राज्यों की भूमिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2021 में तीन कृषि कानूनों की शुरुआत और उनकी वापसी ने कई चिंताओं को उत्पन्न किया जिनमें शामिल हैं–
  - केंद्र सरकार द्वारा चर्चा और परामर्श का अभाव।
  - किसानों को अपनी उपज बेचने और अपनी ज़मीन पट्टे पर देने के लिये अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता।
  - किसानों के लिये हानिकारक कृषि के निगमीकरण के संबंध में चिंता।
  - बाज़ारोन्मुखी सुधारों की आवश्यकता।
- संविधान के तहत कृषि राज्य का विषय होने के बावजूद राज्यों की भूमिका और ज़िम्मेदारी को स्वीकार किये बिना केंद्र सरकार के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना इन चर्चाओं की सामान्य विशेषताओं में से एक था।
- केंद्र से किसानों और राज्यों को सब्सिडी एवं हस्तांतरण सामान्यत: तीन केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित हैं–
  - **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय :** यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) को लागू करता है।
  - **उर्वरक विभाग (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय)**
  - **खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग** (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) : यह विकेंद्रीकृत खरीद योजना में शामिल है।

कृषि क्षेत्र को केंद्र सरकार का समर्थन

केंद्र सरकार की भूमिका

भोजन और खाद्यान्न की निरंतर कमी, वर्ष 1960 के दशक के मध्य में कृषि सूखा, विदेशी मुद्रा संकट और भारत के लिये अन्य भू-राजनीतिक निहितार्थ जैसी स्थितियों के कारण केंद्र सरकार ने भारतीय कृषि को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है।

हरित क्रांति पर बल

- संघ की विस्तारित भूमिका में हरित क्रांति प्रौद्योगिकियों को अपनाने, अनुसंधान और विकास सेवाओं के माध्यम से प्रसार, नई बीज किस्मों एवं उर्वरकों जैसे आदानों का अधिक उपयोग तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की खरीद जैसे उपाय शामिल थे।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के लागू होने के बाद इसकी आवश्यकता भी बढ़ गई।
- कृषि/किसान क्षेत्र के लिये केंद्र सरकार की बजटीय सहायता पाँच प्रमुख माध्यम से है–
  - **आउटपुट सब्सिडी :** न्यूनतम कीमत और खरीद की गारंटी।
  - **स्टॉक सब्सिडी :** बफर आवश्यकताओं के रूप में स्टॉक, विशेष रूप से गेहूँ और चावल को ले जाना।
  - **राजकोषीय सब्सिडी :** कृषि उत्पादन पर लगाए गए राज्यों के करों और शुल्कों के लिये भुगतान करना।
  - **उर्वरक सब्सिडी :** यूरिया, डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और म्यूरेट ऑफ पोटाश (MoP) जैसे उर्वरकों के उपयोग के लिये सब्सिडी प्रदान करना।
  - **प्रत्यक्ष आय लाभ :** पी.एम.-किसान योजना के तहत कृषि परिवारों को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण प्रदान करना।

सब्सिडी और नकद हस्तांतरण में असमानताएँ

- वित्त वर्ष 2019-20 में सभी सब्सिडी और हस्तांतरण लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए था।
  - इसमें से उर्वरक सब्सिडी (लगभग 75,000 करोड़ रुपए) तथा पी.एम.-किसान (60,000 करोड़ रुपए) का सर्वाधिक योगदान था।
  - लगभग 13,000 करोड़ रुपए राजकोषीय सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार के खजाने में स्थानांतरित किये गए।
- केंद्र सरकार की सब्सिडी और हस्तांतरण से प्रति कृषि परिवार को 18,000 से 20,000 रुपए प्रतिवर्ष का लाभ प्राप्त होता है।
- हालाँकि, छोटे और बड़े किसानों के मध्य बहुत बड़ी असमानता विद्यमान है। बड़े किसान अधिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं जिससे उन्हें अधिक उर्वरक सब्सिडी प्राप्त होती है।
- इसके अलावा, बड़े किसानों द्वारा सरकार को अधिक बिक्री के कारण वे अधिक लाभ भी प्राप्त करते हैं।

राज्यवार असमानता

- केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी एवं हस्तांतरण का सबसे बड़ा लाभार्थी उत्तर प्रदेश है जिसके बाद पंजाब, मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का स्थान हैं।
- उत्तर प्रदेश उर्वरकों, विशेष रूप से यूरिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और पी.एम.-किसान के तहत सबसे बड़ा हस्तांतरण प्राप्त करता है। जबकि, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों द्वारा पी.एम.-किसान योजना को लागू ही नहीं किया गया है।
- इन विशाल क्षेत्रीय असमानताओं के कारण ही कृषि कानूनों के खिलाफ सबसे मुखर किसानों का विरोध गरीब किसानों या भारत के पूर्वी हिस्सों के किसानों के मध्य न होकर देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से के अमीर किसानों के मध्य देखा गया।

सिफारिशें

- राज्यों को कृषि के प्रति अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व भी होना चाहिये–
  - वे खरीद, कम भुगतान, फसल बीमा या इसके किसी भी संयोजन का कार्य कर सकते हैं, लेकिन यह राज्य सरकार का दायित्व होना चाहिये और केंद्र सरकार को राज्य सरकार की पहल को वित्त नहीं देना चाहिये। यह राज्य सरकारों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
- राज्यों को अपनी कृषि नीतियों के माध्यम से अन्य राज्यों पर बाह्य प्रभाव नहीं डालना चाहिये, जैसे–
  - अनियंत्रित बिजली और पानी की सब्सिडी जैसी राज्य सरकार की कई नीतियाँ ऊर्जा एवं पानी के अत्यधिक उपयोग को प्रोत्साहित करती हैं जो पड़ोसी राज्यों में जल संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करती हैं।
  - संघ के पास ऐसी नीतियों को सीमित करने की शक्ति होनी चाहिये जिनका अन्य राज्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **केंद्र सरकार का दायित्व**
  - केंद्र सरकार को उन नीतियों से बचना चाहिये जो किसानों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं।
  - इन नीतियों का दीर्घकालिक उद्देश्य कृषि और उत्पादन विकल्पों को विकृत किये बिना बेहतर पोषण के लिये केंद्र सरकार की भूमिका को सीमित करना होना चाहिये।
- **अनुकूल नीति एवं विकसित तंत्र**
  - केंद्र सरकार की नीतियों में अनुसंधान और विकास, बीमा एवं जोखिम लेने का समर्थन करने जैसे व्यापक-आधार वाला राष्ट्रीय सार्वजनिक लक्ष्य प्रदान करना शामिल होना चाहिये।

- साथ ही, केंद्र सरकार के पास देश भर में किसानों को प्रभावित करने वाले प्रतिकूल कारकों का जवाब देने के लिये विकसित तंत्र होना चाहिये।

- संविधान के सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए केंद्र और राज्यों को भारत के 'एक बाज़ार' को कमज़ोर करने वाले कदम नहीं उठाने चाहिये।
- न तो संघ और न ही राज्यों को ऐसे प्रतिबंध लगाने चाहिये जो देश के भीतर कृषि वस्तुओं के मुक्त प्रवाह को बाधित करते हों।

घटता विदेशी मुद्रा भंडार

संदर्भ

देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2021 के लगभग 642 बिलियन डॉलर से गिरकर सितंबर 2022 के मध्य तक लगभग 546 बिलियन डॉलर हो गया है। विदित है कि नौ महीनों में भारत के भंडार में लगभग 98 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है और वर्तमान में मुद्रा भंडार लगभग दो वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है।

विदेशी मुद्रा भंडार

- विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति है। इसमें विदेशी मुद्राएँ, बॉण्ड, ट्रेज़री बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल हो सकती हैं।
- विदेशी मुद्रा भंडार में रखी गई ये संपत्तियाँ नकद, विदेशी विपणन योग्य प्रतिभूतियों, मौद्रिक स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार (SDR) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) आरक्षित रूपों में हो सकती हैं।
- अधिकांश भंडार अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड (GBP), यूरो (EUR), चीनी युआन (CNY) और जापानी येन (JPY) जैसी सबसे अधिक कारोबार वाली एवं व्यापक रूप से स्वीकृत मुद्राओं के रूप में स्थापित किये जाते हैं।

महत्त्व

- विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग देनदारियों का समर्थन करने और मौद्रिक नीति को प्रभावित करने के लिये किया जाता है।
- विदेशी मुद्रा भंडार रखने का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करना और विनिमय दर जोखिमों से बचाव करना है।
- वे देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित होते हैं और आर्थिक झटके से निपटने के लिये इनका उपयोग किया जाता है।
- वे बाज़ार में विश्वास उत्पन्न करने के साथ ही विदेशी मुद्रा बाज़ारों में हस्तक्षेप करने की क्षमता का निर्माण करते हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के प्रमुख कारण

डॉलर का बहिर्वाह

विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का मुख्य कारण विगत 12 महीनों में डॉलर के प्रवाह में प्रवृत्तियों के उत्क्रमण और डॉलर के बहिर्वाह में वृद्धि है।

रुपए के मूल्य में गिरावट (मूल्यह्रास)

- रुपए के मूल्य (मूल्यह्रास) में गिरावट भी विदेशी मुद्रा भंडार में कमी का एक प्रमुख कारण है।
- बाह्य खातों में बढ़ते असंतुलन और डॉलर की मज़बूती के कारण रुपए के मूल्य में तेज़ी से गिरावट आ रही है।
- इसके लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कुछ हस्तक्षेप किया और रुपए की विनिमय दर की अस्थिरता को कम करने तथा अत्यधिक गिरावट को रोकने के लिये डॉलर की बिक्री की जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई।

चिंताएँ

विदेशी मुद्रा भंडार में तेज़ी से कमी

- आर.बी.आई. के हस्तक्षेप के बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार में तेज़ी से कमी चिंता का प्रमुख कारण रही है।
- विदेशी मुद्रा भंडार के आयात कवर में तीव्र कमी भी चिंता का विषय रही है क्योंकि यह बाह्य क्षेत्र में सुभेद्यता में वृद्धि करती है।
  - विदेशी मुद्रा भंडार का आयात कवर लगभग 17.4 महीने (मार्च 2021) से घटकर 13.1 महीने (दिसंबर 2021) हो गया था।

घाटे में वृद्धि

- बढ़ते चालू खाते और व्यापार घाटे तथा विदेशी मुद्रा भंडार में कमी से भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा।
- वित्त वर्ष 2022-23 के अप्रैल और अगस्त के मध्य व्यापार घाटा दोगुने से अधिक बढ़कर 125 अरब डॉलर तक पहुँच गया है।

निर्यात में कमी

देश का निर्यात भी 20 महीनों में पहली बार अगस्त में 1.15% घटकर 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

सरकारी प्रयास

- सरकार ने डॉलर के प्रवाह में सुधार और बहिर्वाह को कम करने के लिये कई प्रयास किये हैं।
- विदेशी निवेशकों को अल्पकालिक कॉर्पोरेट ऋण खरीदने और अधिक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति है।

- सरकार ने अनिवासी भारतीयों के लिये बैंक जमा दरों और कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिये बाह्य वाणिज्यिक उधारी की वार्षिक सीमा में भी वृद्धि की है।
- साथ ही, सरकार ने रुपए में विदेशी व्यापार के निपटान की अनुमति देने का फैसला किया है जिससे डॉलर की मांग को कम करने में मदद मिलेगी।

आगे की राह

- व्यापार घाटे और चालू खाता घाटे को कम करने पर ध्यान दिया जाना चाहिये और पूंजी खाते से उत्पन्न अधिशेष को सुधारने की दिशा में काम करना चाहिये।
- हाल के महीनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह में वृद्धि एक सकारात्मक संकेत है और इस प्रवृत्ति का समर्थन करने के लिये प्रयास किये जाने चाहिये।
- रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई थीं, आने वाले महीनों में इसमें गिरावट की संभावना है जिससे विदेशी मुद्रा भंडार के आयात कवर पर तनाव कम होगा।

निष्कर्ष

रुपए के महत्त्वपूर्ण मूल्यह्रास और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी ने बढ़ती मुद्रास्फीति, पूंजी का पलायन और बढ़ते आयात बिल के साथ अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। यह नीति निर्माताओं को इन मुद्दों को हल करने के लिये आर.बी.आई. के साथ मिलकर काम करने के लिये बाध्य करता है जो भारत के आर्थिक हितों को प्रभावित कर रहे हैं।

राष्ट्रीय युवा नीति 2021 मसौदा : प्रवासी शहरी युवा

पृष्ठभूमि

भारत में दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी निवास करती है। वर्ष 2019 में लगभग 360 मिलियन युवा हैं और वर्ष 2030 तक देश जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में रहेगा। हालाँकि, यदि युवा विकास की उपेक्षा की जाती है तो इस जनसांख्यिकीय लाभांश के जनसांख्यिकीय आपदा में बदलने का खतरा बना रहता है।

प्रवासी शहरी युवाओं के समक्ष चुनौतियाँ

अकुशल श्रमिक

- निम्न शिक्षा स्तर और सीमित कौशल के कारण वे ज़्यादातर अनौपचारिक क्षेत्रों में श्रमिक या आकस्मिक श्रमिकों के रूप में काम करते हैं।
- वे अधिकांशत: छोटे पैमाने के उद्योगों, निर्माण, ईंट भट्ठों, कूड़ा बीनने, कपड़ा निर्माण, स्वच्छता और घरेलू कार्य, छोटे स्वरोज़गार गतिविधियों आदि में बिखरे हुए हैं। इसलिये, वे सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित रोज़गार अभाव जैसे मुद्दों से ग्रस्त रहते हैं।

शोषण एवं वंचना

- इनके द्वारा किया जाने वाला कार्य प्राय: अनिश्चित और कम भुगतान वाला होता है। साथ ही, कार्यस्थल पर इनके शोषण की संभावना अधिक होती है।
- सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों से होने के कारण ये शिक्षित शहरी युवाओं की तुलना में अधिक वंचना का सामना करते हैं।

रोज़गार असुरक्षा

- यह वर्ग आर्थिक झटकों के लिये अत्यधिक संवेदनशील है और कोविड-19 महामारी के दौरान इनकी वित्तीय भेद्यता को देखा गया।
- तेज़ी से बदलते तकनीकी वातावरण में उनके प्रतिस्थापन की संभावना सबसे अधिक है, इसलिये उन्हें अत्यधिक रोज़गार असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।

सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच न होना

- प्रवासी शहरी युवा अधिवास और अन्य प्रमाणों की कमी के कारण कल्याणकारी नीतियों, सामाजिक सुरक्षा कवरेज तथा सार्वजनिक सेवाओं से वंचित रहते हैं।
- शहरी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान के बावजूद उन्हें विकास नीति में शामिल नहीं किया जाता है।

राष्ट्रीय युवा नीति मसौदा, 2021

एक अलग श्रेणी के रूप में पहचान

- वर्ष 2014 की राष्ट्रीय युवा नीति केवल प्रवासी युवाओं के लिये एक सामान्य संदर्भ का उपयोग करती थी, लेकिन यह उनके समावेशन के लिये विशिष्ट उपायों को लागू करने में विफल रही।
- इसके विपरीत, नई मसौदा नीति, 2021 शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में लगे युवाओं से संबंधित चुनौतियों पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए एक अलग श्रेणी के रूप में इनकी पहचान करती है।

सामाजिक सुरक्षा पर बल

- यह राष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुसार, उनकी सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत करने के लिये एक सहायता प्रणाली सुनिश्चित करते हुए इस वर्ग के समग्र विकास की परिकल्पना करती है।
- इस मसौदे में गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को शोषण से संरक्षण के लिये सुरक्षा जाल उपलब्ध कराने की कल्पना की गई है।

मसौदे से संबंधित चिंताएँ

- नए मसौदे में शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत युवा महिला श्रमिकों को शामिल नहीं किया गया है।
- जबकि, शहरी महिला श्रमिक गंभीर लिंग आधारित चुनौतियों, सामाजिक-सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों और सामान्य तथा विशेष रूप से कार्यस्थल परिवेश में भेदभाव का सामना करती हैं।
- उन्हें अवैतनिक कार्य, सुरक्षा, गोपनीयता, स्वच्छता, हिंसा, यौन शोषण, दुर्व्यवहार और तस्करी जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है।

सुझाव

रोज़गारपरक शिक्षा पर बल

- युवा आबादी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल के महत्त्व को देखते हुए प्रवासी शहरी युवा आबादी को इसे प्रदान करने के लिये सभी प्रयास किये जाने चाहिये।
- ऐसी स्थिति में आजीवन सीखने और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित एक विशेष वैकल्पिक शिक्षा मॉडल उपयोगी हो सकता है।

समान पहुँच

इस कमज़ोर वर्ग के लिये भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों और विभिन्न श्रम कानूनों के तहत परिकल्पित अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों के साथ-साथ स्वास्थ्य, सुरक्षा और उपयुक्त कामकाजी परिस्थितियों को सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है।

लैंगिक समानता पर बल

- प्रवासियों की लिंग-विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करना महत्त्वपूर्ण है।
- प्रवासी महिला मज़दूरों को प्रवासी पुरुषों से एक अलग श्रेणी के रूप में चिह्नित करने की आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अवसरों की उपलब्धता

- ग्रामीण-से-शहरी प्रवासन को कम करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित उपाय किये जाने की आवश्यकता है।
- अच्छी सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त आर्थिक अवसर बड़े पैमाने पर ग्रामीण-से-शहरी प्रवास को कम करने में मदद कर सकते हैं।

शपथ ग्रहण का उपयोग और दुरुपयोग

संदर्भ

वर्तमान में शासन स्तर की गुणवत्ता से संबंधित विषय चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। ऐसे में संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों द्वारा ली जाने वाली शपथ के उपयोग एवं दुरुपयोग पर विचार किया जाना आवश्यक है।

भारत में पद की शपथ

- कार्यालय की शपथ एक आश्वासन की शपथ है जो एक व्यक्ति किसी कार्यालय के कर्तव्यों को संभालने से पूर्व घोषित करता है।
- सभी सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित प्रपत्र में भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेना अनिवार्य है। साथ ही, सरकारी सेवा में आने वाले सभी नए लोगों को भी शपथ लेनी होती है।
- शपथ/प्रतिज्ञान अंग्रेज़ी या हिंदी या किसी भी आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा में लिया जा सकता है जिससे सरकारी कर्मचारी परिचित है।
- संविधान की तीसरी अनुसूची में कार्यालयों के लिये शपथ या प्रतिज्ञान के रूप शामिल हैं–
  - केंद्रीय मंत्री
  - लोक सभा चुनाव के उम्मीदवार
  - संसद सदस्य (सांसद)
  - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
  - नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
  - राज्य मंत्री
  - राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार
  - राज्य विधानमंडल के सदस्य
  - उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

शपथ ग्रहण का महत्त्व

- शपथ ग्रहण भारत जैसे उदार लोकतंत्रों की संवैधानिक मशीनरी का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
- शपथ लेने के लिये शपथग्रहणकर्ता को सच्ची निष्ठा और सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने वाले मानदंडों तथा स्थापित सिद्धांतों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।
- शपथ लेना उस व्यक्ति में मानक प्रतिबद्धताओं को मज़बूत करने का कार्य करता है जिसकी राजनीतिक चेतना अस्थिर स्वभावों के साथ संघर्ष करती है।
- शपथ लेना और शपथ का पालन करना समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- शपथ लेना, नैतिक और सदाचार अवरोधों को स्थापित करने के लिये भी महत्त्वपूर्ण है जो व्यक्तियों को अनैतिक आचरण करने से रोककर उनकी राजनीतिक प्रभावकारिता में वृद्धि करते हैं।
- कार्यालय की शपथ व्यक्तियों को उनके कार्यों के प्रति जवाबदेह बनाती है।

- शपथ लेने का गुण यह सुनिश्चित करने में भी मदद करता है कि लोग दलगत राजनीति या व्यक्तिगत विचारधारा से ऊपर उठकर संविधान में निहित मूल्यों का पालन करें।

राजनीतिक नेताओं के मध्य शपथ का घटता महत्त्व

- विशेषज्ञों की राय है कि नैतिक आड़ के रूप में शपथ लेने से यह प्रतीत होता है कि जनता ने निर्वाचित प्रतिनिधियों पर से अपनी पकड़ खो दी है।
- हाल के दिनों में राजनीतिक अवसरवादिता के उद्देश्य से शपथ के उल्लंघन के विभिन्न उदाहरण देखे जा सकते हैं।
- देश में राजनीतिक दलों के बीच दल-बदल के बढ़ते मामलों को शपथ के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है।

प्रभाव

- निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संवैधानिक शपथ के उल्लंघन का जन आकांक्षाओं और लोकतांत्रिक विमर्श पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
- संवैधानिक शपथ के सिद्धांतों के उल्लंघन का परिणाम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के कार्यालय में निहित आश्वासन और विश्वास को भी कम करेगा।
- शपथ लेना एक गुण है जिसके लिये कोई सहायक कारण नहीं होना चाहिये क्योंकि एक साधन के रूप में कारणों का उपयोग शपथ की प्रभावकारिता को कम कर देता है।

निष्कर्ष

शपथ ग्रहण एक राजनीतिक उपकरण की बजाय एक शुद्ध और सरल नैतिक उपकरण है जो यह सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक नेता और अन्य सार्वजनिक अधिकारी संविधान में निहित नियामक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। शपथ के मूल्य में किसी भी प्रकार की गिरावट से जनता की नज़रों में व्यक्ति/उल्लंघनकर्ता के मूल्य में कमी आएगी।

श्रीलंका-चीन संबंध

संदर्भ

श्रीलंका विगत कई माह से आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। इन सबके बीच श्रीलंका की अवस्थिति उसकी विदेश नीति के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई देशों ने श्रीलंका में अपनी रुचि दिखाई है।

श्रीलंकाई विदेश नीति के लिये महत्त्वपूर्ण कारक

- अपने लाभों को अधिकतम करने के लिये श्रीलंका की विदेश नीति के विकल्प को कई कारकों के लिये जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसे–
  - हिंद महासागर में इसकी भू-स्थैतिक स्थिति।
  - बुनियादी ढाँचे के विकास की श्रीलंका की आकांक्षा।
  - भारत से निकटता।
  - चीन द्वारा विकास सहायता।
- चीन इस द्वीपीय राष्ट्र के साथ जुड़ना चाहता है ताकि वह इस क्षेत्र में अपने वाणिज्यिक और सुरक्षा हितों की रक्षा तथा विस्तार कर सके।

श्रीलंका-चीन संबंध

ऐतिहासिक संबंध

- यद्यपि, श्रीलंका और चीन की कोई सीमा साझा नहीं होती है, लेकिन उनके संबंध को प्राचीन ग्रंथों और पुस्तकों, जैसे– हान राजवंश और प्राचीन रोमन इतिहास की किताबों द्वारा हज़ारों वर्ष पुराना बताया जाता है।
- ऐतिहासिक समय में चीन और श्रीलंका के बीच संपर्क इससे भी स्पष्ट होता है–
  - चीनी भिक्षु फाह्यान का यात्रा वृत्तांत।
  - चीनी समुद्री यात्रियों की यात्रा से संबंधित शिलालेख (गाले त्रिभाषी शिलालेख के रूप में संदर्भित)।

आधुनिक संबंधों की स्थापना

- वर्ष 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद श्रीलंका ने वर्ष 1950 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी।
- वर्ष 1957 में श्रीलंका और चीन ने अपने पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किये।
- इसके अलावा, संचार की प्रमुख समुद्री लाइनों (SLOC) में इसकी भू-रणनीतिक स्थिति के कारण श्रीलंका में चीन की दिलचस्पी बढ़ी है।
- चीन और श्रीलंका के मध्य वर्ष 1963 के समुद्री समझौते ने दोनों देशों के वाणिज्यिक जहाज़ों के लिये सबसे पसंदीदा राष्ट्र व्यवहार की सुविधा प्रदान की जो दोनों देशों के बीच यात्री एवं कार्गो सेवाओं में लगे हुए थे।

श्रीलंका के बुनियादी ढाँचे का वित्तपोषण

- श्रीलंका अपनी विकासात्मक और ढाँचागत आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) पर अत्यधिक निर्भर है।
- इसी प्रकार, समुद्री रेशम मार्ग पहल (MSRI) श्रीलंका के लिये हिंद महासागर में व्यापारिक बंदरगाहों के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है। श्रीलंका ने औपचारिक रूप से वर्ष 2015 में बी.आर.आई. (BRI) को स्वीकार कर लिया था।

चीन की नीति

- चीन के पास दक्षिण एशिया के लिये विशिष्ट नीति का अभाव है, इसके स्थान पर वह 'पड़ोस कूटनीति' के दृष्टिकोण का पालन करता है।
- कई चीनी विद्वानों का मानना है कि पश्चिमी दुनिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और सुदूर पूर्व के बीच महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर श्रीलंका की रणनीतिक स्थिति इसे हिंद महासागर क्षेत्र में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण देश बनाती है।

आर्थिक संबंध

- दोनों देशों के मध्य तेज़ी से व्यापारिक संबंध विकसित हो रहे हैं। भले ही दोनों के मध्य कोई मुक्त व्यापार समझौता (FTA) नहीं है, लेकिन श्रीलंका के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में चीनी आयात का अनुपात वर्ष 2005 में 2.6% से बढ़कर वर्ष 2019 में 4.8% हो गया है।
- श्रीलंका में चीन का प्रत्यक्ष निवेश वर्ष 2005 में लगभग 16.4 मिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2015 में 338 मिलियन डॉलर हो गया है।
- श्रीलंका में चीनी बुनियादी ढाँचा निवेश का कुल मूल्य वर्ष 2006 और वर्ष 2019 के मध्य लगभग 12.1 बिलियन डॉलर है।

आलोचना

- विभिन्न विशेषज्ञों का विचार है कि श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट के लिये चीन की ऋण जाल कूटनीति को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- हालाँकि, श्रीलंका और चीन दोनों देशों के कई विशेषज्ञों द्वारा इस विचार का विरोध इस आधार पर किया जाता है कि–
  - चीन से श्रीलंका का बाह्य ऋण जापान, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से कम है।
  - श्रीलंका के आंतरिक संरचनात्मक असंतुलन, जैसे- राजकोषीय व्यय और ऋण प्रबंधन विदेशी मुद्रा संकट के लिये प्रमुख रूप से ज़िम्मेदार हैं।

श्रीलंका के लिये उपलब्ध रणनीतिक विकल्प

प्रारंभ में श्रीलंका के लिये रणनीतिक विकल्प

- राष्ट्रमंडल का एक स्वतंत्र सदस्य बनने और ब्रिटेन के साथ रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर करने का श्रीलंका का निर्णय मुख्य रूप से भारत द्वारा विलय किये जाने के डर और दक्षिण एशिया क्षेत्र में एक प्रमुख देश बनने की भारत की महत्त्वाकांक्षा से प्रेरित था।
- श्रीलंका के अधिकांश विद्वानों का मानना है कि श्रीलंका के लिये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा उसके आकार, बड़ी आबादी, भौगोलिक निकटता और तकनीकी और सैन्य क्षमताओं के कारण भारत है।

स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका के लिये रणनीतिक विकल्पों का सुझाव

- एक ऐसी विदेश नीति तैयार करना जो किसी विशेष देश का पक्ष नहीं लेगी और या तो अलगाववादी या सभी देशों के साथ समान स्तर पर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करेगी।
- एक मज़बूत संभावित विरोधी के रूप में भारत के साथ संबंधों को सरेखित करने की कोशिश करना।

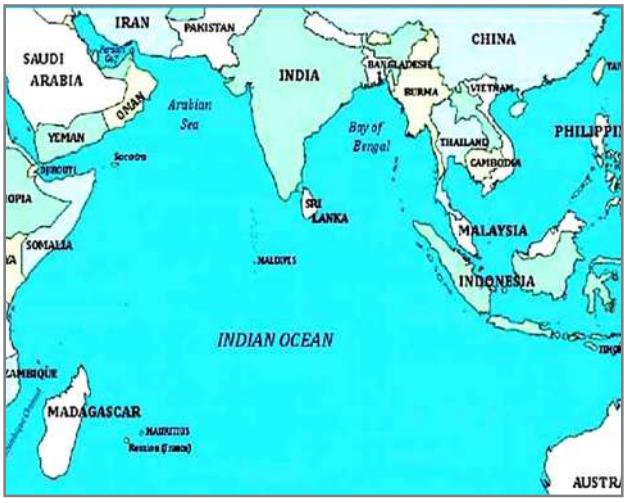

- एक ऐसी विदेश नीति को लागू करना जो भारत और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के मध्य प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करे।
- एक मज़बूत और स्थापित शक्ति के साथ संबंध स्थापित करने से भारत से निकटता के बावजूद श्रीलंका की अनिश्चितता कम हो सकती है।
- पहले दो विकल्पों को श्रीलंका द्वारा प्रारंभिक चरण में लागू किया गया था, लेकिन बदलते क्षेत्रीय परिवेश, विकास की ज़रूरतों और श्रीलंका को व्यापारिक मानचित्र पर लाने की महत्त्वाकांक्षा ने देश को उपलब्ध अंतिम दो विकल्पों को अपनाने के लिये मज़बूर किया।
- हालाँकि, यह भी आगाह किया गया था कि भारत की सुरक्षा और शक्ति को चुनौती देने वाली किसी भी रणनीति को अपनाना श्रीलंका के लिये संभावित आपदा हो सकती है।

भारत का दृष्टिकोण

भारत द्वारा बुनियादी ढाँचे के विकास पर बल

- भारत इस क्षेत्र में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने के लिये टर्मिनलों और बंदरगाह के विकास के माध्यम से श्रीलंका के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।

- भारत इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और श्रीलंका की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है। श्रीलंका में भारत-जापान आपसी सहयोग से अपनी परियोजनाओं का विकास कर रहे हैं।
- भारत सेवा क्षेत्र में व्यापार करने के लिये दोनों देशों के मध्य मुक्त व्यापार समझौते का विस्तार करने के लिये आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (ETCA) पर भी बल दे रहा है।

भारत की दुविधा

- दक्षिण भारत में चुनावी संतुलन और श्रीलंका में चीन की बढ़ती चुनौती ने भारत को दुविधा में डाल दिया है।
- भारतीय समुदाय का मानना है कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने के लिये एक वाणिज्यिक, समुद्री, ऊर्जा और ज्ञान केंद्र बनने की श्रीलंका की महत्त्वाकांक्षा उसे चीन की ओर धकेल रही है जो भारतीय हितों के विपरीत है।

चीन का दृष्टिकोण

श्रीलंका की महत्त्वाकांक्षा

- चीन और श्रीलंका ने वर्ष 2014 में 'डीपनिंग स्ट्रैटेजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप' पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका की कार्य योजना समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- श्रीलंका, कोलंबो और हंबनटोटा जैसे क्षेत्र को आर्थिक विस्तार में सहायक क्षेत्र के रूप में उपयोग करना चाहता है।
- कोलंबो का उपयोग एक राजनीतिक, वाणिज्यिक, पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में किया जाएगा, जबकि हंबनटोटा विमानन, बंदरगाह रसद, अंतर्राष्ट्रीय नौवहन और उद्योग का केंद्र होगा।

हिंद महासागर तक सुलभ पहुँच

- हिंद महासागर में परिवहन केंद्र तक चीन की पहुँच अफ्रीका और यूरोप के साथ आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग विकसित करना सुनिश्चित करेगी।
- यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि चीन का 60% से अधिक तेल आयात पश्चिम एशिया और अफ्रीका से होता है जो हिंद महासागर को चीन की ऊर्जा सुरक्षा के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण बनाता है।

भारत को संतुलित करना

- चीन, भारत को दक्षिण एशियाई क्षेत्र में एक प्रमुख हितधारक के रूप में देखता है और इस प्रकार वह भारत को संतुलित करने के लिये श्रीलंका तथा इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ हर अवसर का लाभ उठाना चाहता है।
- इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत द्वारा हिंद-प्रशांत नीति पर ज़ोर देने से भी चीन आशंकित है।

आगे की राह

- कई चीनी विशेषज्ञ श्रीलंका में 'चीन-भारत प्लस' दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं क्योंकि श्रीलंका और भारत दोनों ही दक्षिण एशिया क्षेत्र में चीन के महत्त्वपूर्ण सहयोगी हैं।
- भारत के साथ एक रणनीतिक सहकारी साझेदारी बनाने से इस क्षेत्र में शांति और समृद्धि आएगी जिसकी विशेषता मित्रता और पारस्परिक सहायता है।
- भारत, चीन और श्रीलंका आपस में मिलकर त्रिपक्षीय सहयोग तंत्र का निर्माण कर सकते हैं।
- भारत को अपने सकारात्मक उद्देश्यों के संबंध में देश के नेताओं और नागरिकों को सहमत करने के लिये श्रीलंका के साथ एक रणनीतिक गठबंधन भी बनाना चाहिये।

निष्कर्ष

- चीन और श्रीलंका के मध्य निरंतर बढ़ती रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के हितों को लाभ पहुँचाती है।
- श्रीलंका में निरंतर विकास दर के लिये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और वित्तीय सहायता महत्त्वपूर्ण हैं। हालाँकि, श्रीलंकाई विशेषज्ञों के अनुसार चीन, भारत के लिये आदर्श प्रतिकार नहीं हो सकता है।

जाँच एजेंसियाँ और उनकी अतिसक्रियता

संदर्भ

वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate : ED) और केंद्रीय जाँच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation : CBI) जैसी केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ अतिसक्रियता के कारण चर्चा में हैं।

केंद्रीय जाँच एजेंसियों का महत्त्व

- केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ संविधान और देश के विभिन्न कानूनों की नैतिकता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- ये एजेंसियाँ गहन जाँच करने और विभिन्न अपराधों के सफल अभियोजन में मदद करती हैं।
- साथ ही, ये सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से लड़ने और आर्थिक व हिंसक अपराधों की रोकथाम में भी मदद करती हैं।
  - ये एजेंसियाँ देश के शासन को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में मदद करती हैं।
  - ये जाँच एजेंसियाँ राजनेताओं या अन्य लोगों को, जो समाज या सत्ता में उच्च स्थिति पर हैं, उनसे संबंधित भ्रष्टाचार को उजागर करती हैं।

- ये शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी मदद करती हैं।
- इसके अतिरिक्त, ये पुलिस बलों और राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों को भी नेतृत्व प्रदान करती हैं।

केंद्रीय जाँच एजेंसियों की आलोचना

सरकार द्वारा दुरुपयोग

- इन एजेंसियों की प्राय: 'सरकार के हाथों की कठपुतली' के रूप में आलोचना की जाती है।
- सरकार में सत्तारूढ़ दलों ने विपक्ष को कमज़ोर करने के लिये प्राय: अपने नियंत्रण में काम करने वाली इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया है जिससे चुनाव में संभावित चुनौती समाप्त हो गई है।

प्रवर्तन निदेशालय

- प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है जो धन शोधन एवं विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के अपराधों की जाँच करता है।
- वर्ष 1956 में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (फेरा) के तहत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिये आर्थिक मामलों के विभाग के तहत एक 'प्रवर्तन इकाई' स्थापित की गई थी।
- वर्ष 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर 'प्रवर्तन निदेशालय' कर दिया गया और वर्ष 1960 में ई.डी. का प्रशासनिक नियंत्रण राजस्व विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया।
- निदेशालय के वैधानिक कार्यों में निम्नलिखित अधिनियमों को लागू करना शामिल है–
  - धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA)
  - विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA)
  - भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA)

- इनका उपयोग सरकार द्वारा ब्लैकमेल और डराने-धमकाने के साधन के रूप में किया जाता है।

लोकतांत्रिक अधिकारों एवं विश्वसनीयता का मुद्दा

- लोकतांत्रिक विरोध की आवाज़ों को शांत करने के राजनीतिक उद्देश्य के लिये इन एजेंसियों का अत्यधिक उपयोग लोकतंत्र के सिद्धांतों पर गंभीर प्रभाव डालता है।
- राजनीतिक लाभ के लिये इन एजेंसियों के माध्यम से की गई दुर्भावनापूर्ण पूछताछ एवं गिरफ्तारियों ने जनता के विश्वास और इन संगठनों की विश्वसनीयता को कम कर दिया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने भी अतीत में संघीय एजेंसी की जाँच में सरकार के हस्तक्षेप के कारण सी.बी.आई. को 'पिंजरे में बंद तोता' और 'उसके मालिक की आवाज़' के रूप में वर्णित किया है।

केंद्रीय जाँच ब्यूरो

- केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) भारत में प्रमुख जाँच पुलिस एजेंसी है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1941 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में की गई थी, जिसे घरेलू सुरक्षा सौंपी गई थी।
- इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से जाँच करने की शक्ति प्राप्त है।
- विदित है कि सी.बी.आई. की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
- सी.बी.आई. कार्मिक, पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के तत्त्वावधान में कार्य करती है।
- सी.बी.आई. भारत में इंटरपोल के लिये एक नोडल पुलिस एजेंसी है।

सिफारिशें

- सत्ता में बैठे लोगों का ध्यान अनियमितताओं का मुकाबला करके बुनियादी स्वास्थ्य, शैक्षिक और आर्थिक परिणामों में सुधार के लिये ई.डी. एवं सी.बी.आई. जैसी जाँच एजेंसियों को मज़बूत करने पर होना चाहिये।
- सरकार को इन एजेंसियों में ऐसे सुधार लाने चाहिये जो आधुनिक समय की आवश्यकताओं के अनुरूप हों।
- सरकार को आम जनता के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिये इन एजेंसियों का उपयोग करके इन संगठनों की विश्वसनीयता और वैधता को बहाल करने के प्रयास करने चाहिये।
- इन महत्त्वपूर्ण एजेंसियों को संवैधानिक या वैधानिक दर्जा प्रदान करने से स्वायत्तता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

❑❑❑

निबंध खंड

निबंध

जब कूटनीति खत्म हो जाती है तो युद्ध शुरू हो जाता है

महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के मध्य लड़ा गया था, उसमें पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई थी। वस्तुत: संसार के इस भीषण संग्राम के प्रारंभ होने के पीछे कौरवों की अधर्म की नीति, अर्थात् पांडवों को हस्तिनापुर राज्य में हिस्सा न देना प्रमुख कारण था। पांडवों ने इस महासंग्राम को टालने का भरसक प्रयास किया जिसमें अंतिम प्रयास श्रीकृष्ण को शांतिदूत के रूप में कौरवों के सभागार में भेजना था। वहाँ श्रीकृष्ण ने अपनी कूटनीति द्वारा पांडवों को सिर्फ पाँच गाँव देने का प्रस्ताव कौरवों के समक्ष रखा जिसको दुर्योधन ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वो पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देगा। इसके बाद का परिणाम तो सभी जानते ही हैं– महाभारत के संग्राम का प्रारंभ जो कौरवों के विनाश के साथ समाप्त हुआ।

कहने का तात्पर्य है कि जब दो व्यक्तियों, दो राज्यों तथा दो राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक संबंध या राजनयिक वार्ताओं का स्थान स्वहित और स्वार्थ ले लेते हैं तो वहीं से संघर्ष की शुरुआत हो जाती है जो किसी भी राज्य या राष्ट्र के लिये हितकारी नहीं होता है।

सामान्यत: कूटनीति (डिप्लोमेसी) शब्द का प्रयोग विचारकों द्वारा अनेक अर्थों में किया जाता है; कभी विदेश नीति के रूप में तो कभी संधि वार्ता के रूप में। पश्चिमी विचारक आर्गेन्सकी के अनुसार, कूटनीति दो या दो से अधिक राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के मध्य होने वाली संधि वार्ता को इंगित करती है। वहीं, के.एम. पनिक्कर के शब्दों में– "अंतराष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति अपने हितों को दूसरे देशों से अग्रिम रखने की कला है।" इन दो परिभाषाओं को समझने का प्रयास करें तो एक बात साफ हो जाती है कि कूटनीति का प्रमुख उद्देश्य संधि वार्ताओं के माध्यम से समझौते करना है और समझौते वहीं किये जाते हैं जहाँ दो पक्षों के मध्य असहमति होती है। जब असहमति का कूटनीतिक वार्ताओं के माध्यम से सुलझना असंभव-सा प्रतीत होने लगता है, अर्थात् कूटनीति से सुलह की संभावना जब बिलकुल शून्य हो जाती है तब युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है।

मसलन, प्राचीन समय से ही देखने का प्रयास करें तो पाएंगे कि राजवंशों और राज्यों में कूटनीति की लंबी परंपरा रही है जिसका सही संचालन मौर्य साम्राज्य के कालखंड में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने कूटनीतिक सलाहकार कौटिल्य के माध्यम से अखंड भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। 'अर्थशास्त्र' जिसकी रचना का श्रेय कौटिल्य को जाता है, प्राचीन समय की कूटनीति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ है जिसमें विदेश नीति के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है और बताया गया है कि राजा किस प्रकार प्रतिस्पर्द्धी राज्यों से अपने संबंध बनाए एवं अपने शत्रुओं को पराजित करे।

चूँकि, विदेश नीति का निर्माण ही राज्य-राष्ट्र का भविष्य निर्धारित करता है, इसलिये कूटनीतिक संबंधों की रूपरेखा संघर्ष को टालने की होनी चाहिये। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिल्ली सल्तनत के शासन के दौरान इल्तुतमिश द्वारा ईरान के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबर्नी को शरण न देकर दिल्ली को चंगेज खान के आक्रमण से बचा लेना था क्योंकि उस समय दिल्ली किसी भी बाहरी आक्रमण का सामना करने की स्थिति में नहीं थी। साथ ही, कूटनीति के संबंध में दूसरा पक्ष यह है कि राज्य या राष्ट्र का अन्य समकक्षों से अधिक शक्तिशाली होना भी कूटनीतिक संबंधों को अति उत्साही बना देता है, अर्थात् दबाव और संप्रभुता पर प्रहार ही आपको युद्ध की ओर मोड़ देता है। जिसके नमूने के रूप में विश्वयुद्ध के शुरू होने में इटली, जर्मनी व जापान द्वारा पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करने को प्रमुख कारण माना जाता है।

यद्यपि, इतिहास के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि कभी-कभी राज्य की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक आवश्यकताएँ, प्राकृतिक स्रोत, प्रतिरक्षा की आवश्यकताएँ एवं संधियाँ भी आपके कूटनीतिक संबंधों को निर्धारित करते हैं। इनके माध्यम से आप शत्रु पक्ष को शक्तिहीन और मित्र राज्य को और अधिक प्रगाढ़ मित्र बनाने का प्रयास करते हैं जो आगे चलकर कहीं-न-कहीं विरोध का सूत्रपात कर देते हैं तथा जिसकी चरम अवस्था भारत-पाकिस्तान, भारत-चीन व रूस-चीन के कूटनीतिक संबंधों के विफल होने के कारण युद्ध की स्थिति में देखने को मिलती है। वर्तमान समय में इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस-यूक्रेन युद्ध के रूप में दिखाई देता है जहाँ एक ओर यूक्रेन, नाटो की सदस्यता लेने के संदर्भ में अपने कदम बढ़ा रहा था तो वहीं दूसरी ओर रूस

ने यूक्रेन के इस कदम को अपने सामरिक हितों के लिये खतरा बताते हुए कूटनीतिक संधि वार्ता की उपेक्षा करते हुए यूक्रेन पर हमला बोल दिया जो आज तक जारी है तथा जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव कहीं-न-कहीं वैश्विक स्तर पर दिखाई दे रहा है, फिर चाहे वो आर्थिक मंदी के रूप में हो, हथियारों की वजह से पर्यावरण प्रदूषण के रूप में हो या आम जनमानस के पलायन से उत्पन्न शरणार्थियों की समस्या के रूप में हो।

आज भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समस्त विश्व दो गुटों में बँट गया हो, जैसा द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के रूप में विश्व पटल पर उभरकर सामने आया था। अगर तार्किक दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे तो पाएंगे कि विश्व के सामने फिर वही परिस्थिति सिर उठाए खड़ी है।

किंतु, ऐसा भी नहीं है कि कूटनीति का समाप्त होना युद्ध के प्रारंभ होने की नियति बन जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब एक कूटनीति की विफलता युद्ध को निमंत्रण देती है तो वहीं दूसरा कूटनीतिक विचार उसी युद्ध के निमंत्रण को सिरे से ख़ारिज कर देता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण गुटनिरपेक्षता रूपी विचार (1961) है जिसका प्रादुर्भाव द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद शीतयुद्ध के दौरान गुटीय राजनीति से विश्व को बचाने के लिये भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो का संयुक्त प्रयास था। इस विचार ने कहीं-न-कहीं समस्त विश्व को तृतीय विश्वयुद्ध की ओर उन्मुख होने से रोक दिया। तार्किक चिंतन यह कहता है कि गुटनिरपेक्षता भी एक प्रकार का कूटनीतिक प्रयास था। संभवत: आज भी वही प्रयास भारतीय विदेश नीति के द्वारा रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान किया जा रहा है। भारतीय नेतृत्व ने खुले तौर पर किसी भी गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया है और साथ में नसीहत देते हुए यह भी बता दिया है कि युद्ध के द्वारा किसी भी मसले को नहीं सुलझाया जा सकता। बहुआयामी रूप में देखा जाए तो भारत ने एक बार फिर से कुशल कूटनीतिक परिपक्वता का परिचय देते हुए इस युद्ध का विस्तार रोकने का सफल प्रयास किया है।

एक अन्य उदाहरण से सफल कूटनीति को समझने का प्रयास करें तो क्वाड (2017) के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। नवंबर 2017 में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने इस प्रस्ताव को आकार दिया। वस्तुत: क्वाड का उद्देश्य सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी के बीच प्रमुख समुद्री मार्गों को किसी भी प्रभाव से मुक्त रखने हेतु एक नई रणनीति विकसित करना था। किंतु, यदि समग्र चिंतन करने का प्रयास करें तो पाएंगे कि इस संगठन का प्रमुख लक्ष्य बिना युद्ध किये हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को सीमित करना और उसकी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। मसलन, टोक्यो बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य की कुछ पंक्तियों से क्वाड की कूटनीति के मर्म को शायद अच्छे तरीके से समझा जा सकता है– "हमारा आपसी विश्वास, दृढ़ संकल्प लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। 'क्वाड' के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक मुक्त, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है जो हम सभी का साझा उद्देश्य है।"

वर्ष 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित हुए लेख में स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने कहा था कि वर्ष 1885 में रिटायर्ड अंग्रेज़ अफसर ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कॉन्ग्रेस की स्थापना 'सेफ्टी वॉल्व थ्योरी' के तहत की गई थी। इसके अनुसार, कॉन्ग्रेस की स्थापना भारत में बढ़ रहे राजनीतिक असंतोष को संतुलित करने के लिये की गई थी। इस प्रकार लाला लाजपत राय के अनुसार, ए.ओ. ह्यूम ने अपनी कुशल कूटनीति से कुछ वर्षों के लिये ही सही, लेकिन भारतीय जनमानस में उत्पन्न हो रही विद्रोह की ज्वाला से कहीं-न-कहीं ब्रिटिश सरकार को आवरण प्रदान कर दिया। हालाँकि, आगे चलकर कॉन्ग्रेस ने ही भारत की स्वतंत्रता में अतुलनीय योगदान दिया तथा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के पश्चात् भी भारत की विकास यात्रा में सारथी का कार्य किया और वैश्विक स्तर पर एक सबल एवं सक्षम प्रतिनिधित्व की झलक दिखाई।

इतिहास साक्षी है कि युद्धों से न तो किसी समुदाय का और न ही किसी राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। युद्धों का इतिहास वैदिक काल से आज तक जारी है, लेकिन सिर्फ कूटनीति का विफल होना युद्ध का आरंभ माना जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब समस्त सृष्टि का विनाश होना निश्चित हो जाएगा। यदि युद्ध एकमात्र विकल्प होता तो अशोक धम्म का अनुसरण नहीं करता, मुगल सम्राट अकबर सुलहकुल की नीति का अनुसरण नहीं करता और न ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का लक्ष्य प्रासंगिक दिखाई देता। कुल मिलाकर, प्रत्येक समुदाय, समाज और राज्य को राजनयिक विफलता को संघर्ष का श्रीगणेश नहीं मानना चाहिये, अपितु नवीन कूटनीतिक विचार का सृजन करने का प्रयास करना चाहिये, अन्यथा युद्ध का आरंभ समस्त मानव जाति के लिये भारी भूल साबित होगी।

निबंध उद्धरण

श्रम से संबंधित उद्धरण

- जो श्रमिक परिश्रमपूर्वक अपना काम करता है, उसे कभी निराशा नहीं होती क्योंकि सभी चीज़ें परिश्रम और श्रम से ही प्राप्त होती हैं। *–मिनांडर*
- जीनियस महान काम शुरू करते हैं। मेहनतकश उसे समाप्त करते हैं। *–जोसेफ जौबर्ट*
- मानवता को ऊपर उठाने वाले सभी श्रम में गरिमा विद्यमान है। *–मार्टिन लूथर किंग जूनियर*
- महान श्रम के बिना कोई मानव कृति नहीं सृजित की गई है। *–आंद्रे गाइड*
- शारीरिक श्रम न सिर्फ मानसिक गतिविधि की संभावना को बाहर करता है, बल्कि इसे सुधारता है और उत्तेजित करता है। *–लियो टॉल्स्टॉय*
- श्रम दिवस किसी भी संप्रदाय, जाति या राष्ट्र के लिये किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत को समर्पित नहीं है। *–सैमुअल गोम्पर*
- जबकि हम स्वतंत्रता के लिये लड़ रहे हैं, हमें अन्य बातों के साथ देखना चाहिये कि श्रमिक मुक्त हैं। *–वुडरो विल्सन*
- तपे भूमि अंबर जले, नहीं दूर तक छाँव।
  श्रमिक ढो रहा बोझ को, फिर भी नंगे पाँव। *–अज्ञात*
- कब कहता मज़दूर है, रोकर अपनी पीर।
  खुश रहता हर हाल में, समझ इसे तकदीर। *–अज्ञात*
- नहीं हथौड़े दीखते, हुई दराँती दूर।
  घुट-घुटकर अब मर रहे, कृषक और मज़दूर। *–अज्ञात*
- श्रम से दूर दरिद्रता, पुण्य कर्म से पाप।
  इच्छाओं के दमन से, दूर सभी संताप। *–अज्ञात*
- श्रम से शरीर व मस्तिष्क के उन समस्त मानवीय प्रयासों का बोध होता है जो पारिश्रमिक पाने की आशा से किये जाएँ। *–थॉमस*
- श्रम मस्तिष्क अथवा शरीर का वह प्रयास है जो उस कार्य से होने वाले प्रत्यक्ष सुख के अतिरिक्त पूर्णतः या अंशतः किसी लाभ के लिये किये जाएँ। *–जेवन्स*

बेरोज़गारी से संबंधित उद्धरण

- बेरोज़गारी एक सिर दर्द या उच्च तापमान की तरह है जो अप्रिय और बोझिल है लेकिन अपने आप में इसके कारण का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। *–विलियम हेनरी बेवरिज*
- बहुत अधिक उपयोगी चीज़ों के उत्पादन से बहुत अधिक अनुपयोगी लोग प्रकट होते हैं। *–कार्ल मार्क्स*
- सामाजिक दुर्दशा के सभी पहलुओं में से बेरोज़गारी के समान हृदय विदारक कुछ भी नहीं है। *–जेन एडम्स*
- बेरोज़गारी सामान्य पूंजीवादी व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। *–माइकल कालेकी*
- तुम मेरा जीवन ले लेते हो, जब तुम मेरे रहने के साधन लेते हो। *–विलियम शेक्सपियर*
- जब बेरोज़गारी कम होती है तो श्रम शक्ति को तेज़ी से बढ़ाना कठिन हो जाता है क्योंकि बहुत-से लोगों को पहले ही रोज़गार मिल चुका होता है। *–रेमंड स्फीयर*
- अर्थशास्त्र की कोई भी प्रणाली दिवालिया है यदि वह बेरोज़गारी में मूल्य या गुण देखती है। *–जिमी कार्टर*
- हमें अपने रोज़गार प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विशेष रूप से हमारी बेरोज़गारी प्रणाली में सुधार करने और इसे एक पुनर्रोज़गार प्रणाली में बदलने की आवश्यकता है। *–बिल क्लिंटन*
- गहन धूप हो या बरसात, मैं करता हूँ एक ही बात
  हे ईश्वर! कहीं से कर दो, एक अदद नौकरी की बरसात *–अज्ञात*
- एक बेरोज़गार क्या करे? क्या नौकरी खोजने का रोज़गार करे? *–अज्ञात*
- लाभ में गिरावट के बिना श्रम के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हो सकती। *–डेविड रिकार्डो*
- जो अपने हाथों से काम करता है वह मज़दूर है, जो अपने हाथों और मस्तिष्क से काम करता है वह कारीगर है, जो अपने हाथों, अपने मस्तिष्क और अपने दिल से काम करता है वह एक कलाकार है। *–असीसी के संत फ्राँसिस*
- हमारा श्रम हमें तीन बड़ी बुराइयों से बचाता है- थकावट, दुर्गुण और अभाव। *–वोल्टेयर*
- अपनी पसंद का काम चुनें, और आपको अपने जीवन में एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा। *–कन्फ्यूशियस*
- श्रम वह सीढ़ी है जिसके माध्यम से मानवीय गरिमा और रचनात्मक उत्कृष्टता व्यक्त की जाती है। *–अज्ञात*
- कार्य व्यक्तित्व का विस्तार है, यह एक उपलब्धि है। यह एक तरीका है जिससे एक व्यक्ति खुद को परिभाषित करता है, अपने मूल्य और अपनी मानवता को मापता है। *–अज्ञात*

❑❑❑

क्विक रिवीज़न

महत्त्वपूर्ण तथ्य : एक नज़र में

- केंद्र सरकार ने 22वें विधि आयोग का गठन किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ऋतुराज अवस्थी को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- पश्चिमी घाट में मधुमक्खी की एक नई स्थानिक प्रजाति 'एपिस करिंजोडियन' की खोज की गई है। इसका सामान्य नाम 'इंडियन ब्लैक हनीबी' है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को भारत द्वारा जी-20 अध्यक्षता के लिये लोगो (Logo), थीम एवं वेबसाइट का अनावरण किया। विदित है कि 1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक एक वर्ष के लिये भारत जी-20 समूह की अध्यक्षता करेगा।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण (IEA) ने 'विश्व ऊर्जा आउटलुक 2022' रिपोर्ट जारी की।
- मध्य प्रदेश सरकार ने 'लाडली लक्ष्मी योजना 2.0' का शुभारंभ किया। इसमें बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिये 25 हज़ार रुपए की प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों में दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, राज्य में 'लाडली लक्ष्मी पथ' और 'लाडली लक्ष्मी वाटिका' का भी उद्घाटन किया गया।
- 1 नवंबर, 2022 से यूरोपीय संघ में डिजिटल बाज़ार अधिनियम (DMA) लागू हुआ। यह अधिनियम लागू होने की तिथि से 6 माह बाद 2 मई, 2023 से प्रभावी होगा।
- मोहाली स्थित नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (INST) के शोधकर्ताओं ने हाल ही में 'लाइकोपीन' का पता लगाने के लिये एक नैनो-बायोसेंसर विकसित किया है।
- नेचर जर्नल के अध्ययन के अनुसार, स्कॉटलैंड के मध्य जुरासिक काल के एक प्रारंभिक सरीसृप के लगभग पूर्ण कंकाल की खोज की गई है।
- मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम हरियाणा सरकार एवं अशोक विश्वविद्यालय के बीच राज्य में शासन में सुधार लाने और इसे ज़मीनी स्तर पर अधिक प्रभावकारी बनाने के लिये एक रणनीतिक सहयोग है।
- गृह मंत्रालय ने देश की 576 भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण (MTSI) का कार्य पूरा किया।
- भारतीय सेना ने 'मेक प्रोजेक्ट्स' के तहत जारी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिये पाँच मेक-II परियोजनाओं के 'परियोजना स्वीकृति आदेश' (PSOs) को मंज़ूरी प्रदान की।
- अखिल भारतीय (Pan-India) तटीय रक्षा अभ्यास 'सी विजिल-22' (SEA VIGIL-22) के तीसरे संस्करण का आयोजन 15-16 नवंबर को किया गया।
- 16 नवंबर से वाराणसी में एक माह तक चलने वाले 'काशी तमिल संगमम्' की शुरुआत हुई।
- हैदराबाद स्थित भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान (IIRR) ने अपेक्षाकृत 30% कम फॉस्फोरस उर्वरक की आवश्यकता वाली उन्नत सांबा मंसूरी की एक संशोधित किस्म 'डीआरआर धान 60' विकसित की है।
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार, 15 नवंबर को वैश्विक आबादी 8 अरब के आँकड़े तक पहुँच गई।
- गूगल एक ऐसा मॉडल विकसित कर रहा है जो दुनिया की 1,000 सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का समर्थन कर सकता है।
- भारत सरकार ने पनामा में आयोजित साइट्स (CITES) पक्षकारों के 19वें सम्मेलन के दौरान बतागुर कचुगा (Batagur Kachuga) प्रजाति के कछुए के विलुप्त होने का खतरा व्यक्त किया है।

- हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने दलाई लामा (14वें) को पहले 'गांधी मंडेला पुरस्कार 2019' से सम्मानित किया।
- 24 नवंबर को अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। वे अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे जिन्हें सन् 1671 के सराईघाट के युद्ध में मुगल सेनाओं के विरुद्ध नेतृत्व क्षमता के लिये जाना जाता है। उन्हें 'पूर्वोत्तर का शिवाजी' भी कहा जाता है।
- केंद्र ने उत्तर प्रदेश के दुधवा-पीलीभीत में 'तराई हाथी रिज़र्व' (Terai Elephant Reserve : TER) की स्थापना को मंज़ूरी दी। यह भारत का 33वाँ हाथी रिज़र्व होगा।
- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) ने कालानमक चावल की दो बौनी किस्मों का विकास किया है। इनका नाम 'पूसा नरेंद्र कालानमक 1638' और 'पूसा नरेंद्र कालानमक 1652' रखा गया है।
- 1 नवंबर, 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सातवें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 1 से 5 नवंबर तक किया गया।
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सभी करदाताओं के लिये एकल आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म का प्रस्ताव किया है। वर्तमान में आई.टी.आर. फॉर्म सात प्रकार के होते हैं।
- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने ग्लाइफोसेट (Glyphosate) नामक खरपतवारनाशी के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है।
- गंगा उत्सव-नदी महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया गया। इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के तहत किया गया।
- मेघालय में तीन-दिवसीय राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया। इस उत्सव के दौरान जल क्रीड़ा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- रूस ने काला सागर अनाज पहल (Black Sea Grain Initiative) में पुनः शामिल होने की घोषणा की है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच काला सागर के माध्यम से खाद्य तथा उर्वरक निर्यात को फिर से शुरू करने के उद्देश्य से जुलाई 2022 में इस्तांबुल में संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, यूक्रेन एवं रूस के मध्य इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
- गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायु सेना के लिये परिवहन विमान निर्माण परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना के तहत स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस और भारत की टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) द्वारा सी-295 विमानों का निर्माण किया जाएगा।
- चार भारतीय संस्थानों के सहयोग से निर्मित कॉर्डी गोल्ड नैनोपार्टिकल्स (Cor-AuNPs) ने जर्मनी से अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त किया है। कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस (Cordyceps Militaris) और स्वर्ण लवण (Gold Salts) के संश्लेषण से प्राप्त ये नैनोकण मानव शरीर में तीव्र एवं सटीक दवा वितरण को सुनिश्चित कर सकते हैं।
- नुसा दुआ (बाली, इंडोनेशिया) में जी-20 देशों ने 'रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर' थीम के तहत 17वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इसके आगामी शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 में भारत में, वर्ष 2024 में ब्राज़ील में और वर्ष 2025 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किये जाएंगे।
- जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान विकसित देशों ने इंडोनेशिया के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिये जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप (JETP) की शुरुआत की है। इसके लिये संयुक्त राज्य अमेरिका व जापान के सह-नेतृत्व में कनाडा, डेनमार्क, यूरोपीय संघ, फ्राँस, जर्मनी, इटली, नॉर्वे तथा यूनाइटेड किंगडम ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
- केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर लगभग 72,000 करोड़ रुपए की महत्त्वाकांक्षी विकास परियोजना को पर्यावरणीय मंज़ूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना को अगले 30 वर्षों में 3 चरणों में अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।
- मिस्र के शर्म अल-शेख में 6 से 20 नवंबर के मध्य संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) के कॉप-27 (CoP-27) का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी सफलता विश्व समुदाय द्वारा 'हानि एवं क्षति कोष' (Loss and Damages Fund) की स्थापना के लिये आपसी सहमति व्यक्त किया जाना है।
- भारत ने मिस्र में आयोजित कॉप-27 में 'दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति' (Long Term Low Emission Development Strategy : LT-LEDS) की घोषणा की है।

- कॉप-27 (CoP-27) शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया एवं संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व में 'मैंग्रोव एलायन्स फॉर क्लाइमेट' (MAC) को लॉन्च किया गया है। इसमें भारत भी शामिल हो गया है।
- आपदा-रोधी अवसंरचना के लिये गठबंधन (CDRI) ने आपदा-लचीला बुनियादी ढाँचा प्रणाली के वित्तीयन हेतु 50 मिलियन डॉलर (लगभग 400 करोड़ रुपए) के बुनियादी ढाँचा लचीलापन त्वरक कोष (Infrastructure Resilience Accelerator Fund : IRAF) की घोषणा की है।
- कॉप-27 के दौरान स्पेन एवं सेनेगल ने अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन (International Drought Resilience Alliance : IDRA) की शुरुआत की है।
- भारत ने मिस्र के शर्म अल-शेख में मध्य-पूर्व हरित पहल के दूसरे शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसकी मेज़बानी सऊदी अरब और मिस्र ने संयुक्त रूप से की है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के तहत हरियाणा के फरीदाबाद में जीवन विज्ञान डाटा-भारतीय जैविक डाटा केंद्र (IBDC) के लिये भारत के पहले राष्ट्रीय भंडार कोष (Repository) का शुभारंभ किया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट की कामेंग जल-विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित की।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में 'नादप्रभु केंपेगौड़ा' की 108 फीट ऊँची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को 'स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी' नाम दिया गया है।
- नो मनी फॉर टेरर (NMFT) के तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।
- उत्तर कोरिया ने 'ह्वासोंग-17' (Hwasong-17) नामक अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) का परीक्षण किया।
- नासा ने अपन नए चंद्र मिशन 'आर्टेमिस-1' को तीन टेस्ट डमी (अंतरिक्ष यात्रियों की नकल) के साथ लॉन्च किया है।
- पासी समुदाय की स्वतंत्रता सेनानी 'ऊदा देवी' की शहादत की याद में लखनऊ के सिकंदर बाग सहित राज्य के विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को आठवें स्थान पर रखा गया है। इस सूचकांक में चौथे स्थान पर डेनमार्क है, जबकि इस सूचकांक में प्रथम तीन स्थानों को रिक्त रखा गया है।
- भारत में सैटेलाइट टी.वी. चैनलों को 'राष्ट्रीय महत्त्व एवं सामाजिक प्रासंगिकता' के विषयों पर प्रतिदिन कम-से-कम 30 मिनट की सामग्री प्रसारित करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उलिहातू गाँव (खूंटी ज़िला, झारखंड) का दौरा किया।
- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया के नोम पेन्ह में 17वें 'पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन' में भाग लिया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कंबोडिया के सियाम रीप में ता प्रोह्म मंदिर (Ta Prohm Temple) में 'हॉल ऑफ डांसर्स' का उद्घाटन भी किया।
- भोपाल रेलवे स्टेशन को 4-स्टार 'ईट राइट स्टेशन' प्रमाणन से सम्मानित किया गया।
- वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत तमिलनाडु के आरक्षित वनों के एक क्षेत्र को कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। इस वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार कृष्णागिरि तथा धर्मपुरी ज़िलों के 686 वर्ग किमी. क्षेत्र में है जो वर्तमान में कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य का भाग है।
- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने खरपतवारनाशी 'ग्लाइफोसेट' के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। ग्लाइफोसेट व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला खरपतवारनाशी है जो वृद्धि के लिये आवश्यक एंज़ाइम को अवरुद्ध कर खरपतवार को नष्ट करता है।
- केंद्र-शासित प्रदेश लक्षद्वीप में दो समुद्र तटों– मिनिकॉय थुंडी और कदमत्त को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको-लेबल 'ब्लू फ्लैग' प्रमाणन प्रदान किया गया है। इन तटों के शामिल होने के साथ ही वर्तमान में भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या 12 हो गई है।
- वर्ष 2022 के शुरुआती नौ महीनों के दौरान चीन से भारत के आयात में 31% की वृद्धि दर्ज की गई जिससे द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है और व्यापार घाटा रिकॉर्ड उच्च-स्तर पर पहुँच गया है।
- भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अनुबंधित महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के लिये वेतन इक्विटी नीति (Pay Equity Policy) लागू करने की घोषणा की है। विदित है कि महिला और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों के लिये समान वेतन व्यवस्था का प्रावधान करने वाला पहला देश न्यूज़ीलैंड है।

- 3 नवंबर, 2022 को पहले अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिज़र्व दिवस का आयोजन किया गया।
- भारत, मोज़ांबिक तथा तंज़ानिया के मध्य त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का पहला संस्करण तंज़ानिया के 'दार एस सलाम' में आयोजित किया गया।
- भारतीय वायु सेना (IAF) और फ्राँसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल (FASF) के मध्य जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर गरुड़ टप्स नामक द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया गया।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022 को जारी किया है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वैश्विक टी.बी. रिपोर्ट 2022 जारी की है। यह रिपोर्ट संपूर्ण विश्व में टी.बी. के निदान, उपचार और बीमारी की स्थिति पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बारे में बताती है।
- भारत एवं सिंगापुर के मध्य विशाखापत्तनम में द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास 'सिम्बेक्स' (SIMBEX) का आयोजन किया गया। यह इस अभ्यास का 29वाँ संस्करण है।
- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization : FAO) द्वारा खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट, 2022 जारी की गई।
- गुजरात के मोरबी में मच्छु नदी पर बने सस्पेंशन ब्रिज के टूटने से 140 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई।
- शोधकर्ताओं ने कुड्डालोर ज़िले में वेल्लर नदी के मुहाने के पास परंगीपेट्टई के मैंग्रोव में एस्टुरीन केकड़े की एक नई प्रजाति की खोज की है। शिक्षा एवं अनुसंधान में अन्नामलाई विश्वविद्यालय की 100 वर्षों की सेवा के सम्मान में इस प्रजाति का नाम स्यूडोहेलिस अन्नामलाई रखा गया है।
- जापान द्वारा बहुपक्षीय मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका की नौसेनाओं ने प्रतिभाग किया।
- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान ने हिमालयी राज्यों में बाढ़, चट्टानों, भूस्खलन, ग्लेशियर झील के फटने व हिमस्खलन के विरुद्ध एक पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिये क्षेत्र अध्ययन शुरू किया है।
- कॉप-27 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र ने संयुक्त रूप से विश्व का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र स्थापित करने पर सहमति जताई है।
- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् ने अब्दुल कादिर (पाकिस्तान), शिवनरेन चंद्रपॉल (वेस्टइंडीज) और शार्लोट एडवर्ड्स (इंग्लैंड) को हाल ऑफ फेम में शमिल किया है।
- भारत तथा आसियान साझेदारी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2022 को आसियान-भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है।
- सरकार ने आधार नियमों में संशोधन किया है जिसके अनुसार सहायक दस्तावेज़ों को 10 वर्षों में कम-से-कम एक बार अद्यतन करने की आवश्यकता होगी।
- सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता इंडियन बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत सेवाओं के लिये 'प्रोजेक्ट वेव' के तहत नई डिजिटल सेवाएँ शुरू की हैं जो भारत में बीमा समावेशन को बढ़ाएंगी।
- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL), गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (GeM) की स्थापना के बाद से इसके माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए के खरीद मूल्य (Procurement Value) को पार करने वाला पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गया है।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये मणिपुर की 'खांगखुई मांगसोर' गुफा से चमगादड़ों की एक कॉलोनी को हटाया गया। ध्यातव्य है कि यह एक प्राकृतिक चूना पत्थर की गुफा है जो कि पाषाणयुगीन जीवों का आवास था।
- राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्तूबर) पर आयकर विभाग ने 'हरित आयकर' पहल का शुभारंभ किया है जिसके तहत आयकर विभाग के भवनों व अन्य सार्वजनिक स्थानों के आसपास पेड़ लगाकर हरित आवरण बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
- लाइका नामक कुतिया की अंतरिक्ष यात्रा के 65 वर्ष पूरे हो गए जिसे 3 नवंबर, 1957 को सोवियत संघ के 'स्पुतनिक-2' मिशन के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस उड़ान का उद्देश्य मनुष्यों के लिये अंतरिक्ष यात्रा की सुरक्षा का परीक्षण करना था।
- बायजू (BYJU'S) कंपनी ने फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को अपनी सामाजिक प्रभाव शाखा 'एजुकेशन फॉर ऑल' (EFA) का पहला वैश्विक ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है।

- मिज़ोरम के आइज़ोल ज़िले का ऐबॉक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (SPMRM) के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बन गया है।
- 15वाँ अर्बन मोबिलिटी इंडिया (UMI) सम्मेलन एवं एक्सपो 2022 का आयोजन केरल के कोच्चि में किया गया।
- मत्स्यपालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिये राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) को 'इंडिया एग्रीबिज़नेस पुरस्कार-2022' प्रदान किया गया।
- वालोंग की लड़ाई (1962 में चीनी आक्रमण) की हीरक जयंती के रूप में अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य जनता को भारतीय सेना से परिचित कराना तथा अपनेपन एवं एकजुटता की भावना को प्रोत्साहित करना था।
- भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिये एकल खिड़की सुविधा 'वीरांगना सेवा केंद्र' (VSK) का शुभारंभ किया है जो आवेदक को ट्रैकिंग, निगरानी एवं नियमित फीडबैक के साथ शिकायतों को दर्ज करने की सुविधा प्रदान करते हैं।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति पिछले 18 महीनों में पहली बार 10% से नीचे आई जो इस वर्ष अक्तूबर में 8.39% हो गई।
- भारत ने 'मॉस्को प्रारूप' की चौथी बैठक में भाग लिया जो कि अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिये राष्ट्रीय सुलह प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। मॉस्को प्रारूप को रूस, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईरान और भारत के विशेष प्रतिनिधियों के बीच परामर्श के लिये वर्ष 2017 में पेश किया गया था।
- सिलचर में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (RRIUM) के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया गया जो कि आयुष चिकित्सा प्रणालियों में से एक परंपरागत यूनानी चिकित्सा से संबंधित पूर्वोत्तर में स्थापित पहला केंद्र है।
- नेटवर्क रेडीनेस सूचकांक-2022 में भारत को 61वाँ स्थान प्राप्त हुआ। यह सूचकांक वाशिंगटन डी.सी. स्थित पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है जो एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी, गैर-पक्षपाती अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थान है।
- मेरकॉम रिसर्च इंडिया के अनुसार, जुलाई-सितंबर 2022 में भारत में रूफटॉप सौर क्षमता स्थापना 29% गिरकर 320 मेगावाट हो गई। इस दौरान 46% औद्योगिक क्षेत्र में, 32% आवासीय क्षेत्र में और 21% वाणिज्यिक क्षेत्र में रूफटॉप सौर क्षमता स्थापित की गई।
- रूस के स्वामित्व वाले परमाणु ऊर्जा निगम 'रोसाटॉम' ने कुडनकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिये आधुनिक उन्नत प्रौद्योगिकी ईंधन (ATF) विकल्प की पेशकश की है जिसका ईंधन चक्र 24 महीने का है।
- भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता, भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष, पद्म श्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित डॉ. दीपा मलिक को नि-क्षय मित्र और क्षयरोग (टी.बी.) मुक्त भारत अभियान का राष्ट्रीय दूत बनाया गया।
- भारत-मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'हरिमऊ शक्ति-2022' का आयोजन मलेशिया के क्लांग में किया जा रहा है। यह एक वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है जिसे वर्ष 2012 से आयोजित किया जा रहा है।
- केरल की प्रस्तावित सिल्वरलाइन रेल गलियारा परियोजना (529.45 किमी.) दक्षिण में तिरुवनंतपुरम को उत्तर में कासरगोड से जोड़ेगी।
- राजस्थान के राजसमंद स्थित नाथद्वारा में भगवान शिव की सबसे ऊँची (369 फीट) प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा को 'विश्वास स्वरूपम' (Statue of Belief) के नाम से जाना जाता है।
- चुनाव आयोग ने 'चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा एवं क्षमता' विषय पर नई दिल्ली में 31 अक्तूबर से शुरू होने वाले दो-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की।
- गोवा समुद्री संगोष्ठी का चौथा संस्करण गोवा में नौसेना युद्ध कॉलेज द्वारा 31 अक्तूबर से 1 नवंबर, 2022 तक आयोजित किया गया। इस वर्ष इसका विषय 'हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ : सामान्य समुद्री प्राथमिकताओं को सहयोगात्मक शमन ढाँचे में परिवर्तित करना' है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई.टी. मंत्रालय ने महाराष्ट्र में पुणे के पास रंजनगाँव चरण III में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC) की स्थापना को मंज़ूरी दे दी है। देश में पहले से ही नोएडा, तिरुपति, कर्नाटक और तमिलनाडु में ई.एम.सी. हैं।

- एच.डी.एफ.सी. एर्गो ने 31 अक्तूबर को किसानों के लिये प्रौद्योगिकी समर्थित कृषि उपज बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की। यह अपनी तरह का पहला बीमा समाधान है जहाँ एक उपग्रह आधारित सूचकांक का उपयोग स्थानीयकृत कृषि स्तर कवरेज प्रदान करने के लिये किया जाएगा।
- डॉ. मनसुख मांडविया ने 2 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 'विज़न 2030 : केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया' विषय के साथ 'इंडिया केम' (India Chem, 2022) का उद्घाटन किया।
- अक्तूबर में भारत का सकल जी.एस.टी. राजस्व 1,51,718 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है, जो एक वर्ष पहले की तुलना में 16.6% अधिक है। यह अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की शुरुआत के बाद से दूसरा सबसे अधिक मासिक संग्रह है। अब तक सर्वाधिक जी.एस.टी. संग्रह अप्रैल 2022 में किया गया था।
- कर्नाटक ने राज्य भर के सभी स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों के छात्रों के लिये 10 मिनट ध्यान अनिवार्य करने का निर्देश दिया है।
- दिल्ली सरकार ने अपने कॉमन मोबिलिटी ऐप 'वन दिल्ली' का नया वर्जन लॉन्च किया। इसके माध्यम से यात्री बसों को लाइव-ट्रैक कर सकेंगे, टिकट व पास ऑनलाइन खरीद सकेंगे, निःशुल्क गुलाबी पास प्राप्त कर सकेंगे और पास के इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट व बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों का पता लगा सकेंगे।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) इंटरसेप्टर मिसाइल के दूसरे चरण की पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एडी-1 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसे कम एक्सो-वायुमंडलीय और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ-साथ विमान के एंडो-वायुमंडलीय अवरोधन के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- कैबिनेट ने 1 अक्तूबर, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक रबी सीजन 2022-23 के लिये फॉस्फेटिक तथा पोटाश उर्वरकों हेतु पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी दरों को मंज़ूरी दी है। इसके तहत सरकार द्वारा 51,875 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंज़ूर की जाएगी।
- मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी होलोंगी, ईटानगर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को 'डोनी पोलो हवाई अड्डे, ईटानगर' के रूप में नामित करने की मंज़ूरी दे दी है।
- सेना ने अपनी नई लड़ाकू वर्दी के लिये बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) प्राप्त कर लिया है और निर्दिष्ट डिज़ाइन के अनुसार सिलाई के लिये नागरिक एवं सैन्य दर्जी को भी प्रशिक्षण दे रही है। भारतीय सेना के सैनिकों के लिये नए डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट यूनिफॉर्म का अनावरण 15 जनवरी, 2022 को सेना दिवस पर किया गया था।
- उत्तराखंड राज्य में अगले शैक्षणिक सत्र से अब मेडिकल कोर्स दो भाषाओं– अंग्रेज़ी एवं हिंदी में पढ़ाया जाएगा। विदित है कि इससे पूर्व मध्य प्रदेश राज्य भी यह पहल कर चुका है।
- 38 वर्षीय मीनू एंड्रिया ने अफ्रीका की सबसे ऊँची पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की है। वह मात्र पाँच दिनों में 5,895 मीटर की ऊँचाई पर दुनिया के सबसे ऊँचे मुक्त पर्वत के शिखर पर पहुँच गई थी।
- श्रीनगर की डल झील में भारत के पहले तैरते वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के सहयोग से किया गया।
- इंटरएक्टिव मीडिया वेंचर कैपिटल फंड लुमिकाई की 'स्टेट ऑफ इंडिया गेमिंग रिपोर्ट FY22' के अनुसार, भारत का गेमिंग बाज़ार 2.6 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है और वर्ष 2027 तक लगभग चौगुना होकर 8.6 बिलियन डॉलर हो जाएगा।
- वर्ष 2022 के लिये उत्तराखंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'उत्तराखंड गौरव पुरस्कार' पाँच व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा। इस सूची में पूर्व सी.डी.एस. जनरल बिपिन रावत एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित तीन अन्य का नाम शामिल है।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किये।
- भारत-अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास 'युद्ध अभ्यास' का 18वाँ संस्करण उत्तराखंड में आयोजित किया गया। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण अक्तूबर 2021 में अलास्का (USA) में आयोजित किया गया था।
- भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव आयोग द्वारा नेपाल की प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधान सभा के आगामी चुनावों के लिये अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है।

❑❑❑

मानचित्र अध्ययन

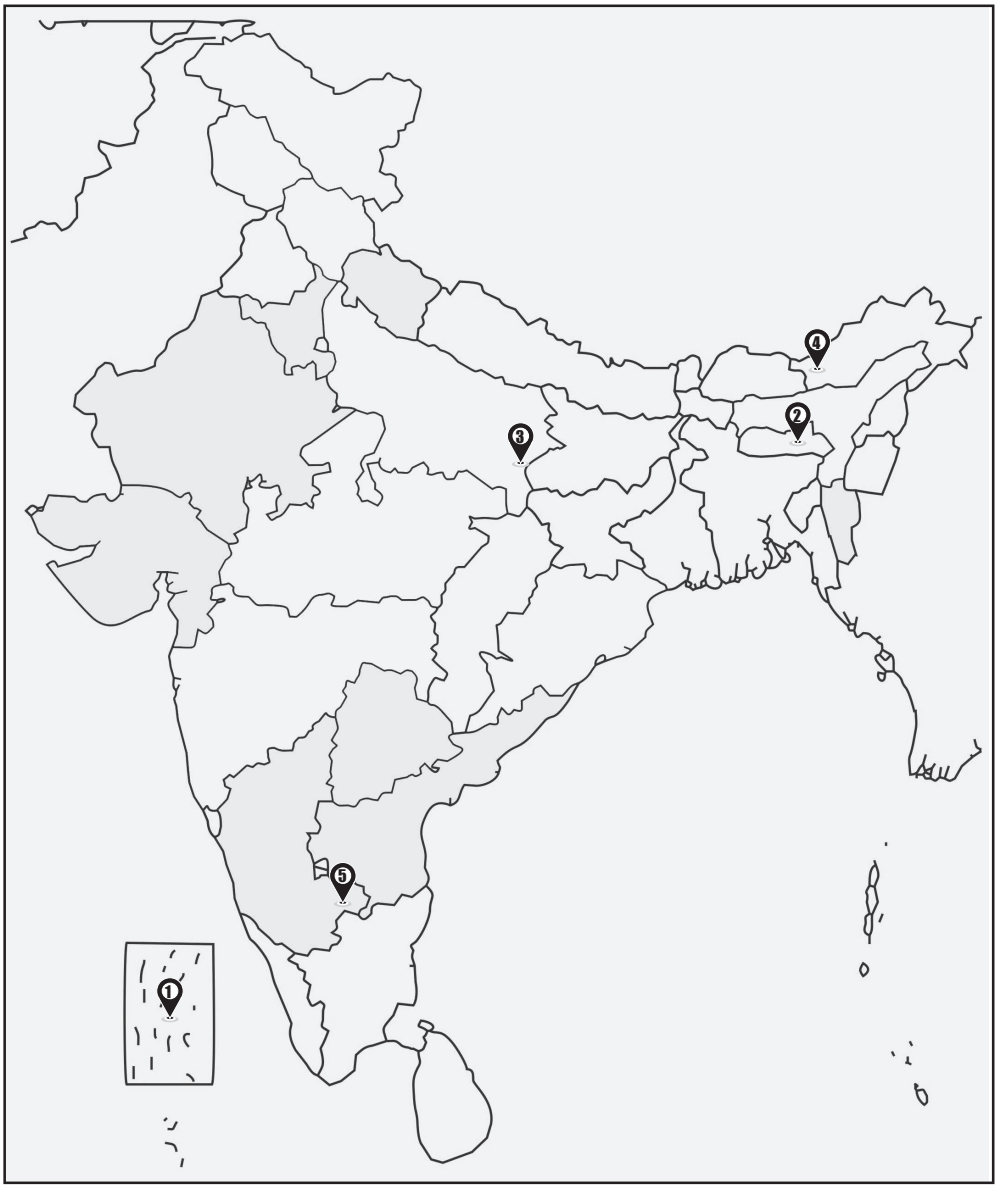

मानचित्र-1 (भारत)

1. वह केंद्र-शासित प्रदेश जिसके दो समुद्र तटों को हाल ही में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको-लेबल 'ब्लू फ्लैग' प्रमाणन प्रदान किया गया है।
2. वह झील जिसे हाल ही में दो राज्य सरकारों ने संयुक्त रूप से 'विश्व स्तरीय' जलीय क्रीड़ा स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है।
3. वह शहर जहाँ पर हाल ही में एक माह तक चलने वाले 'काशी तमिल संगमम्' की शुरुआत हो रही है, जो उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के विभिन्न पहलुओं को समझने का एक मंच है।
4. वह ज़िला जहाँ पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 600 मेगावाट की जल-विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित की।
5. वह स्थान जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नादप्रभु केंपेगौड़ा की 108 फीट ऊँची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, इसे 'स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी' (Statue of Prosperity) नाम दिया गया है।

(इस मानचित्र के उत्तर पृष्ठ संख्या 170 पर देखें)

मानचित्र अध्ययन

मानचित्र-2 (विश्व)

1. वह शहर जहाँ पर हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के कॉप-27 का आयोजन हुआ।
2. वह देश जहाँ पर हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया।
3. वह देश जहाँ पर हाल ही में साइट्स (वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन) के कॉप-19 का आयोजन किया गया।
4. वह स्थान जहाँ पर हाल ही में जी-20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया।
5. वह देश जहाँ पर फुटबाल वर्ल्ड कप फीफा 2022 का आयोजन किया जा रहा है।

(इस मानचित्र के उत्तर पृष्ठ संख्या 170 पर देखें)

करेंट अफेयर्स आधारित अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा आधारित प्रश्न

1. भारत में प्रसादपर्यंत सिद्धांत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. यह अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई है जिसके तहत राज्य के अधीन नियोजित किसी भी व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं।
2. प्रत्येक व्यक्ति, जो रक्षा सेवा या संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

2. भारतीय विधि आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. यह केंद्र सरकार द्वारा गठित एक गैर-सांविधिक निकाय है।
2. यह आयोग राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
3. प्रत्येक 3 वर्ष बाद इसका पुनर्गठन किया जाता है।
4. आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति का मुख्य विधिक सलाहकार होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 1
(c) केवल 2 और 4
(d) केवल 2, 3 और 4

3. हाल ही में, खोजी गई मधुमक्खी की एक स्थानिक प्रजाति 'एपिस करिंजोडियन' (Apiskarinjodian) भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है?

(a) पश्चिमी घाट
(b) पूर्वी घाट
(c) हिमालयी क्षेत्र
(d) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

4. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये :

(पारंपरिक कलाकृति)		(संबंधित राज्य)
1. माता नी पछेड़ी	:	गुजरात
2. किन्नौरी शॉल	:	हिमाचल प्रदेश
3. पाटन पटोला	:	आंध्र प्रदेश
4. पिथौरा पेंटिंग	:	उत्तराखंड

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक युग्म (b) केवल दो युग्म
(c) केवल तीन युग्म (d) सभी चारों युग्म

5. 'एमिशन गैप रिपोर्ट 2022' निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई?

(a) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)
(b) संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)
(c) विश्व बैंक
(d) आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)

6. समाचार प्रसारण एवं डिजिटल मानक प्राधिकरण (NBDSA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. यह न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA) द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है।
2. इसका उद्देश्य समाचार प्रसारण में उच्च मानकों एवं नैतिकता को बढ़ावा देना है।
3. इसका अध्यक्ष एक प्रख्यात न्यायविद् होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

7. मध्य-पूर्व हरित पहल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. इस पहल का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन में कमी पर ध्यान केंद्रित करना है।
2. इसे वर्ष 2021 में सऊदी अरब के नेतृत्व में स्थापित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

8. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण (IEA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1974 में तेल आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये की गई थी।
2. भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है।
3. अभिकरण द्वारा 'विश्व ऊर्जा आउटलुक' रिपोर्ट जारी की जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. भारत में विश्व के कुल मैंग्रोव क्षेत्र का आधा से अधिक पाया जाता है।
2. भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य पश्चिम बंगाल (42.33%) है।
3. सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है।
4. हाल ही में भारत के नेतृत्व में 'मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट' (MAC) की स्थापना की गई।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2 और 3 (b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

10. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिये :

(ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट)		**(राज्य)**
A. शिवराजपुर	:	1. आंध्र प्रदेश
B. पदुबिद्री	:	2. तमिलनाडु
C. रुशिकोंडा	:	3. गुजरात
D. कोवलम	:	4. कर्नाटक

नीचे दिये गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिये :

	A	**B**	**C**	**D**
(a)	1	3	4	2
(b)	3	4	2	1
(c)	3	4	1	2
(d)	3	2	4	1

11. हालिया चर्चित रहे 'ग्लाइफोसेट' के बारे में कौन-सा एक विकल्प सत्य है?

(a) एक प्रकार का खरपतवारनाशी
(b) गाम्बिया में कई बच्चों की मौत के लिये ज़िम्मेदार कफ सिरप
(c) हरित पटाखों में प्रयुक्त एक संघटक
(d) वायु में पाया जाने वाला एक प्रदूषणकारी तत्त्व

12. मैन एंड बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) का एक अंतर-सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है।
2. इसे वर्ष 1971 में शुरू किया गया था।
3. इसका उद्देश्य लोगों एवं उनके वातावरण के मध्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिये एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

13. रेलवे स्टेशनों को दिया जाने वाला 'ईट राइट स्टेशन' प्रमाणन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जाता है?

(a) रेल मंत्रालय
(b) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)
(c) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(d) भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)

14. कागज़ को मोड़कर बनाई जाने वाली कला 'ऑरिगेमी' (Origami) का संबंध मूलत: किस देश से है?

(a) इंडोनेशिया (b) भारत
(c) जापान (d) मलेशिया

15. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हताओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यूनतम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो।
3. किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यूनतम 5 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

16. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. भारत के कुल कृषि आयात में वनस्पति तेलों की हिस्सेदारी लगभग 60% है।
2. वर्तमान में वनस्पति तेल भारत द्वारा आयात की जाने वाली शीर्ष तीन मदों में शामिल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

17. कार्बन उत्सर्जन की एक महत्त्वपूर्ण मात्रा को अवशोषित करने वाले बोरियल वन ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे का सामना कर रहे हैं। ये वन विश्व के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?

(a) भूमध्य सागरीय क्षेत्र (b) आर्कटिक क्षेत्र

(c) अंटार्कटिक क्षेत्र (d) कैरेबियन क्षेत्र

18. अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन (IDRA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. इसे कॉप-27 के दौरान भारत ने स्पेन के सहयोग से शुरू किया।
2. इसका प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2030 तक सूखे की स्थिति से निपटना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

19. 'निकोबारी होदी' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. यह वर्षा जल संग्रहण की एक पारंपरिक विधि है।
2. इसे स्थानीय रूप से उपलब्ध वृक्षों का उपयोग करके बनाया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

20. मैस्टाइटिस नामक संक्रामक रोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. यह डेयरी मवेशियों में होने वाला एक सामान्य रोग है जिसमें पशुओं की त्वचा पर चकते उभर आते हैं।
2. यह रोग सूक्ष्मजीवों के कारण होता है, जिसमें विषाणु, माइकोप्लाज़्मा, कवक और जीवाणु शामिल हैं।
3. वर्तमान में इस रोग के विरुद्ध कोई टीका उपलब्ध नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

21. स्वतंत्रता सेनानी ऊदा देवी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. ऊदा देवी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध दलित महिलाओं को एकजुट करने का कार्य किया।
2. इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

22. 'लाडली लक्ष्मी योजना' का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है?

(a) हरियाणा (b) हिमाचल प्रदेश

(c) उत्तराखंड (d) मध्य प्रदेश

23. 'हिमालयन ग्रे लंगूर' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. इसे चंबा सेक्रेड लंगूर एवं कश्मीर ग्रे लंगूर के नाम से भी जाना जाता है।
2. यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की लाल सूची में 'संकटग्रस्त' (Endagered) प्रजाति के रूप में वर्गीकृत है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

24. हाल ही में चर्चित रहा 'काशी विश्वनाथर मंदिर' किस राज्य में स्थित है?

(a) उत्तर प्रदेश (b) मध्य प्रदेश

(c) तमिलनाडु (d) कर्नाटक

25. 'स्त्रीदेश नाट्य विद्या' किस राज्य की महिला शासकों से संबंधित है?

(a) त्रिपुरा (b) जम्मू एवं कश्मीर

(c) राजस्थान (d) कर्नाटक

26. गांधी मंडेला पुरस्कार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. दलाई लामा इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं।
2. यह पुरस्कार गांधी तथा मंडेला के दर्शन का पालन करने वाली विभूतियों को प्रदान किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

27. 'नादप्रभु केंपेगौड़ा' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. बेंगलुरु में स्थापित इनकी कांस्य प्रतिमा को 'स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी' के रूप में जाना जाता है।

2. इन्हें बेंगलुरु शहर के संस्थापक के रूप में जाना जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही **नहीं** है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

28. हाल ही में, भारत में सैटेलाइट टीवी चैनलों को 'राष्ट्रीय महत्त्व एवं सामाजिक प्रासंगिकता' के विषयों पर सामग्री प्रसारित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इनमें कौन-से विषय शामिल हैं–

1. कृषि एवं ग्रामीण विकास
2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
4. पर्यावरण एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण
5. राष्ट्रीय अखंडता

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिये :

(a) केवल 1, 3 और 4 (b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 1, 2, 4 और 5 (d) 1, 2, 3, 4 और 5

29. 'ता प्रोह्म मंदिर' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. कंबोडिया के सियाम रीप में स्थित यह मंदिर भगवान ब्रह्मा को समर्पित है।
2. इसका निर्माण 12वीं-13वीं शताब्दी में खमेर राजा जयवर्मन सप्तम ने करवाया था।
3. इस मंदिर परिसर में अवस्थित 'हॉल ऑफ डांसर्स' का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2

(c) केवल 3 (d) केवल 1, 2 और 3

30. 'ह्वासोंग-17' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. यह विश्व की सबसे बड़ी रोड मोबाइल तरल ईंधन वाली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है।
2. इसकी मारक क्षमता 15,000 किमी. है।
3. इसे ट्रांसपोर्टर-इरेक्टर-लॉन्चर से प्रक्षेपित किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

31. 'बतागुर कचुगा' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. यह भारत में केवल राष्ट्रीय चंबल नदी घड़ियाल अभयारण्य में पाया जाता है।
2. यह प्रजाति नदी के मुहाने पर रेत में घोंसले का निर्माण करती है।
3. यह भारत की स्थानिक प्रजाति हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

32. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. रूस, यूरोप में स्वीडन, एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस और जॉर्जिया के साथ सीमा साझा करता है।
2. नोवोरोस्सिएस्क रूस का गर्म पानी का बंदरगाह है जो वर्ष भर नौगम्य रहता है।
3. सेवस्तोपोल बंदरगाह काला सागर के तट पर अवस्थित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 (d) 1, 2 और 3

33. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. कामेंग नदी पर स्थित कामेंग जलविद्युत परियोजना एक रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है।
2. इसे 'पेरिस समझौते' के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने के लिये स्थापित किया गया है।
3. यह पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 2 (d) केवल 1 और 3

34. 17वें 'पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन' का आयोजन किया गया :

(a) इंडोनेशिया (b) कंबोडिया

(c) म्यांमार (d) फिलीपींस

35. खसरा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. यह एक अत्यधिक संक्रामक जीवाणु जनित रोग है।
2. यह निकट व्यक्तिगत संपर्क से फैलता है।
3. सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत दो वर्ष की उम्र तक इसके दो टीके लगाए जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

36. धान की खेती के लिये आवश्यक पोषक तत्त्वों में शामिल हैं-

1. नाइट्रोजन 2. फॉस्फोरस
3. पोटाश 4. जिंक

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिये:

(a) केवल 1, 3 और 4 (b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

37. 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. इसका उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।
2. इन विद्यालयों में सी.बी.एस.सी. पर आधारित पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

38. जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, 2023 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. इस सूचकांक में भारत को 10वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
2. भारत ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में उच्च रेटिंग प्राप्त की है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

39. 'नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. इसके तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन मेलबर्न में किया गया।
2. इसका उद्देश्य आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने पर बल देना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही **नहीं** है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

40. 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. इसके महानिदेशक का चुनाव विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।
2. विश्व स्वास्थ्य सभा इसकी शीर्ष निर्णयकारी निकाय है।
3. यह वर्ष 1948 में स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2 (d) 1, 2 और 3

41. भारतीय जैविक डाटा केंद्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. यह डिजिटल डाटा को 'ब्रह्म' नामक 4 पेटाबाइट क्षमता वाले सुपरकंप्यूटर पर संग्रहीत करेगा।
2. इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भुवनेश्वर के सहयोग से क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में स्थापित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

42. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये :

(विद्रोह)		**(नेतृत्वकर्ता)**
1. संथाल संग्राम	:	सिद्धू और कान्हू मुर्मू
2. लरका आंदोलन	:	बुधु भगत
3. हूल क्रांति	:	तिलका मांझी
4. चुआड़ विद्रोह	:	शहीद दुर्जन सिंह

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक युग्म (b) केवल दो युग्म
(c) केवल तीन युग्म (d) सभी चारों युग्म

43. 'लचित बोरफुकन' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. ये मुगल बादशाह औरंगज़ेब के समकालीन थे।
2. इनको 'पूर्वोत्तर के शिवाजी' के रूप में जाना जाता है।
3. इनके नाम पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में सर्वश्रेष्ठ कैडेट का स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

44. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. हाथी को भारत के 'राष्ट्रीय विरासत पशु' के रूप में मान्यता दी गई है।
2. केरल में हाथी रिज़र्व की संख्या सर्वाधिक है।
3. केंद्र प्रायोजित 'प्रोजेक्ट एलीफैंट' के तहत प्रमुख हाथी आबादी वाले राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

45. हाल ही, चर्चा में रहा '2022 एपी7' है?
(a) क्षुद्रग्रह
(b) कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित बग
(c) कवक प्रजाति
(d) एंजाइम

46. 'प्रधानमंत्री दक्षता एवं कुशलता संपन्न हितग्राही योजना' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :
1. इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है।
2. इसके तहत नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
3. इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

47. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये :

सूची-I (पुस्तकें)	सूची-II (रचयिता)
A. द मेकिंग ऑफ अ कैट्सट्रॉफ	1. जयति घोष
B. फोर्क्स इन द रोड्स	2. सी. रंगराजन
C. द चाइना फैक्टर	3. शांतनु रॉय चौधरी
D. फाल फ्रॉम ग्रेस	4. वी. बालासुब्रमण्यन

नीचे दिये गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिये :

	A	B	C	D
(a)	1	3	2	4
(b)	4	1	2	3
(c)	1	2	3	4
(d)	3	2	4	1

48. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये :

(हाथी रिज़र्व)		(संबंधित राज्य)
1. लेमरू	:	छत्तीसगढ़
2. अगस्त्यमलाई	:	तमिलनाडु
3. तराई हाथी रिज़र्व	:	उत्तर प्रदेश
4. धनश्री हाथी रिज़र्व	:	मध्य प्रदेश

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक युग्म (b) केवल दो युग्म
(c) केवल तीन युग्म (d) सभी चारों युग्म

49. पहले आसियान-भारत स्टार्ट-अप महोत्सव, 2022 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :
1. इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया।
2. यह भारत सरकार के आसियान-भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास कोष द्वारा समर्थित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही **नहीं** है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

50. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :
1. नि:शक्तता विषय को संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में रखा गया है।
2. भारत विकलांग व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का पक्षकार देश है।
3. दिव्यांगता, केंद्र स्तर पर सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के दायित्वों में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

❑❑❑

प्रारंभिक परीक्षा आधारित प्रश्नों के उत्तर

1.	(b)	2.	(a)	3.	(a)	4.	(b)	5.	(a)	6.	(d)	7.	(c)	8.	(c)	9.	(a)	10.	(c)
11.	(a)	12.	(b)	13.	(b)	14.	(c)	15.	(a)	16.	(a)	17.	(b)	18.	(d)	19.	(b)	20.	(b)
21.	(a)	22.	(d)	23.	(c)	24.	(c)	25.	(b)	26.	(c)	27.	(d)	28.	(d)	29.	(a)	30.	(d)
31.	(d)	32.	(d)	33.	(b)	34.	(b)	35.	(b)	36.	(d)	37.	(c)	38.	(b)	39.	(a)	40.	(d)
41.	(c)	42.	(b)	43.	(d)	44.	(c)	45.	(a)	46.	(d)	47.	(c)	48.	(c)	49.	(d)	50.	(d)

मुख्य परीक्षा आधारित प्रश्न

1. 'कोरोनल होल' क्या है? इसके प्रमुख प्रभावों की चर्चा कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

कोरोनल होल को परिभाषित करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

- कोरोनल होल से संबंधित प्रमुख विशेषताओं, जैसे– तीव्र सौर पवनें, कम तापमान, गहरा रंग, सौर न्यूनतम के दौरान परिलक्षित आदि की चर्चा करें।
- इसके प्रमुख प्रभावों के अंतर्गत भू-चुंबकीय तूफान, अंतरिक्ष वातावरण को समझने में सहायक आदि का उल्लेख करें।

निष्कर्ष

इसके माध्यम से अंतरिक्ष वातावरण के संबंध में प्राप्त जानकारी का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें।

2. भारत में बाल-विवाह एक सामाजिक कुरीति के रूप में अभी भी विद्यमान है। इससे निपटने के लिये विद्यमान विभिन्न विधिक प्रावधानों की चर्चा करते हुए कुछ सुझाव भी प्रस्तुत कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

भारत में बाल विवाह की वर्तमान स्थिति की चर्चा करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

- भारत में बाल विवाह उन्मूलन हेतु विद्यमान विधिक प्रावधानों, जैसे– बाल विवाह निषेध अधिनियम, पोक्सो अधिनियम, कर्नाटक सरकार का बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, विवाह की आयु में लैंगिक समानता आदि की चर्चा करें।
- इसके साथ ही अन्य प्रयासों, जैसे– बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और कन्या समृद्धि योजना आदि का उल्लेख करें।
- बाल विवाह उन्मूलन हेतु कुछ प्रमुख सुझावों, जैसे– गरीबी उन्मूलन, महिलाओं के शिक्षा के वर्ष सुनिश्चित करना, बेहतर शिक्षा एवं बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता आदि की चर्चा करें।

निष्कर्ष

जागरूकता प्रसार के साथ ही अधिनियमों के सख्त प्रवर्तन पर बल देते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें।

3. 'समान नागरिक संहिता' की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिये। क्या यह देश में विद्यमान विभिन्न पर्सनल लॉ की अवहेलना करता है? टिप्पणी कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

समान नागरिक संहिता की चर्चा करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

- समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रमुख बिंदुओं, जैसे– एक समान कानून, नीति निदेशक तत्त्व का भाग, एकमात्र राज्य गोवा में लागू होने आदि की चर्चा करें।
- इसकी आलोचना के आधारों के अंतर्गत अनुच्छेद-25 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, भारत की विविधता, रीति-रिवाज एवं क्षेत्रीय परंपराओं को खतरा, आदिवासियों की पहचान का संकट, सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा आदि का उल्लेख करें।

निष्कर्ष

इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिये आवश्यक बिंदुओं की चर्चा करते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें।

4. 'ब्लू फ्लैग प्रमाणन' क्या है? इसके प्रमुख लाभों की चर्चा कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

ब्लू फ्लैग प्रमाणन की चर्चा करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

- ब्लू फ्लैग प्रमाणन से संबंधित प्रमुख बिंदुओं, जैसे– पर्यावरण अनुकूल एवं स्वच्छ समुद्री तटों को प्रदत्त, इसके पात्रता मानदंडों आदि की चर्चा करें।
- इससे होने वाले लाभों, जैसे– वैश्विक पहचान, पर्यटन एवं बुनियादी ढाँचा विकास को बढ़ावा आदि का उल्लेख करें।

निष्कर्ष

भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन तटों का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें।

5. 'मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट' क्या है? मैंग्रोव वन के विभिन्न लाभों की चर्चा कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

मैंग्रोव वनों की चर्चा करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

- मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट से संबंधित प्रमुख बिंदुओं, जैसे– सदस्य देशों तथा इसके उद्देश्यों की चर्चा करें।
- मैंग्रोव वनों के महत्त्व, जैसे– कार्बन सिंक में सहायता, ज्वार एवं चक्रवात से सुरक्षा, समुद्री जैव विविधता को बढ़ावा आदि का उल्लेख करें।

निष्कर्ष

मैंग्रोव वनों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें।

6. न्यायिक नियुक्ति में कॉलेजियम व्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है, इससे संबंधित प्रमुख न्यायिक वादों की चर्चा करते हुए इसके आलोचना के बिंदुओं का भी उल्लेख कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

कॉलेजियम व्यवस्था की चर्चा करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

- कॉलेजियम व्यवस्था से संबंधित प्रमुख बिंदुओं जैसे न्यायिक नियुक्ति के लिये संस्था, इसकी संरचना आदि की चर्चा करें।
- इससे संबंधित प्रमुख न्यायिक वादों जैसे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय न्यायाधीश वाद का उल्लेख करें।
- इसकी आलोचना के प्रमुख बिंदुओं जैसे स्पष्टता एवं पारदर्शिता का अभाव, नियुक्ति में विलंब एवं भाई-भतीजावाद आदि का उल्लेख करें।

निष्कर्ष

न्यायिक नियुक्ति हेतु एक पारदर्शी व्यवस्था, जैसे– न्यायिक नियुक्ति आयोग का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें।

7. रूस-यूक्रेन संघर्ष विराम में भारत एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। समीक्षा कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

रूस-यूक्रेन संघर्ष की चर्चा करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

- भारत द्वारा मध्यस्थता से संबंधित प्रमुख बिंदुओं, जैसे स्वयं को तटस्थ घोषित करना, शांति एवं वार्ता पर बल, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित सिद्धांतों का समर्थन आदि की चर्चा करें।
- भारत द्वारा मध्यस्थ बनने से पूर्व विभिन्न पक्षों, जैसे– रूस की महत्त्वाकांक्षा, यूक्रेन में पश्चिमी राष्ट्रों के हित तथा भारत-रूस संबंधों आदि पर विचार करने की आवश्यकता आदि की चर्चा करें।

निष्कर्ष

भारत द्वारा रूस के साथ रक्षा संबंधों तथा चीन के साथ शक्ति संतुलन की आवश्यकता पर बल देते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें।

8. 'ग्रीनवाशिंग' क्या है? इससे निपटने के लिये प्रमुख उपायों की चर्चा कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

जलवायु परिवर्तन के एक पहलू के रूप में ग्रीनवाशिंग की चर्चा करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

- ग्रीनवाशिंग से संबंधित प्रमुख बिंदुओं, जैसे– जलवायु कार्यवाई में अनुचित व्यवहार, भ्रामक जानकारी, असत्यापित दावे, कार्बन क्रेडिट पर इसके प्रभावों आदि की चर्चा करें।
- इससे निपटने के लिये प्रमुख सुझावों, जैसे– नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा, निम्न कार्बन उत्सर्जन पर बल, पर्यावरणीय विनाशकारी गतिविधियों में संलग्न न होना आदि का उल्लेख करें।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'ग्रीनवाशिंग' के लिये शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) का आह्वान करते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें।

9. नार्को टेस्ट की क्रिया विधि को स्पष्ट कीजिये। इसके क्रियान्वयन से संबंधित प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

नार्को टेस्ट की चर्चा करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

- नार्को टेस्ट की क्रियाविधि से संबंधित प्रमुख प्रावधानों, जैसे– नैदानिक एवं मनोचिकित्सा का वर्णन, सोडियम पेंटोथल, स्कोपोलामाइन जैसी दवाओं का उपयोग आदि की चर्चा करें।

- सेल्वी एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य वाद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देश, उच्चतम न्यायालय के मत आदि का उल्लेख करें।

निष्कर्ष

इसके परिणामों की स्थिति की चर्चा करते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें।

10. गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 से संबंधित प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

'गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम' की चर्चा करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

- गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 से संबंधित प्रमुख प्रावधानों, जैसे– विभिन्न परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति, डॉक्टर की सलाह आदि की चर्चा करें।
- गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 से संबंधित प्रमुख बिंदुओं, जैसे– चिकित्सीय, मानवीय एवं सामाजिक आधार पर सुरक्षित और वैध गर्भपात सेवाओं का विस्तार तथा निजता का संरक्षण आदि का उल्लेख करें।

निष्कर्ष

निजता के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें।

11. सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा वर्तमान में किये गए विभिन्न प्रयासों की चर्चा करते हुए सुझाव प्रस्तुत कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की चर्चा करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

- शिक्षा पर वैश्विक घोषणा के बाद सरकार द्वारा मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये किये गए विभिन्न प्रयासों, जैसे– निपुण भारत पहल, शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट, बिहार शिक्षा परियोजना, सर्व शिक्षा अभियान आदि की चर्चा करें।
- इसके अतिरिक्त इसमें सुधार के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की भर्ती और शिक्षक विकास संस्थानों की स्थापना, स्कूलों को सीधे वित्त का हस्तांतरण, सामुदायिक भागीदारी पर बल, प्रौद्योगिकी का उपयोग आदि का उल्लेख करें।

निष्कर्ष

सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से संबंधित नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल देते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें।

12. 'आक्रामक विदेशी प्रजाति' को परिभाषित करते हुए इसके प्रभावों की चर्चा कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

विदेशी आक्रामक प्रजाति की चर्चा करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

- विदेशी आक्रामक प्रजाति से संबंधित प्रमुख बिंदुओं, जैसे गैर-स्थानिक प्रजाति, प्रतिकूल प्रभाव आदि की चर्चा करें।
- इसके प्रभावों, जैसे– जैव विविधता में कमी, आहार शृंखला में अवरोध, पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन, आर्थिक क्षति आदि का उल्लेख करें।

निष्कर्ष

इससे निपटने के लिये इसके वैकल्पिक उपयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें।

13. राजनीति में नैतिकता संभव नहीं है तथा नैतिकता के बिना राजनीति विनाशकारी है। इस कथन की समीक्षा कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

वर्तमान समय में राजनीति में नैतिकता की आवश्यकता पर बल देते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

- राजनीति में नैतिकता पर मैकियावेली के विचारों, राष्ट्रहित, सत्ता प्राप्ति आदि की चर्चा करें।
- नैतिकताविहीन राजनीति से संबंधित प्रमुख बिंदुओं, जैसे– अनावश्यक प्रतिस्पर्द्धा, चुनावों के दौरान हिंसा, जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त, असंसदीय, अनैतिक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग आदि का उल्लेख करें।

निष्कर्ष

राजनीति एवं नैतिकता पर गांधी जी के विचारों का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें।

14. नाटो का 'वन-फॉर-ऑल, ऑल-फॉर-वन सिद्धांत' क्या है? क्या नाटो का विस्तार रूस एवं पश्चिमी देशों के मध्य तनाव का कारण है?

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

नाटो की चर्चा करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

- नाटो से संबंधित प्रमुख बिंदुओं में पश्चिमी रक्षात्मक सैन्य गठबंधन, इसके सदस्य देश आदि की चर्चा करें।
- नाटो के चार्टर में उल्लिखित 'सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत' का उल्लेख करें।
- नाटो के कारण पश्चिमी देशों तथा रूस के मध्य उत्पन्न तनाव के कारणों में सदस्य देशों तथा रूस के मध्य साझा सीमा, साझा सीमा क्षेत्र में नाटो की सैन्य उपस्थिति, आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण बंदरगाहों तक नाटो की रणनीतिक पहुँच आदि का उल्लेख करें।

निष्कर्ष

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में नाटो की भूमिका का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें।

15. वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जी-20 की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

जी-20 समूह की चर्चा करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

जी-20 समूह की वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में प्रासंगिकता से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को हालिया शिखर सम्मेलन के दौरान लिये गए निर्णयों, जैसे– रूसी आक्रामकता की निंदा, वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास पर बल, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे, डिजिटल परिवर्तन तथा स्वास्थ्य संबंधी नवीन पहल आदि का उल्लेख करें।

निष्कर्ष

वैश्विक स्थिरता एवं सतत विकास के लिये जी-20 समूह की भूमिका पर बल देते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें।

16. वर्तमान में पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है, इस परिदृश्य में इससे निपटने के लिये आयोजित हालिया जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन (कॉप-27) की उपलब्धियों की चर्चा कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की चर्चा करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

- जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा सामना की जा रही आपदाओं, जैसे– बाढ़, सूखा, हिमस्खलन, ग्लेशियरों का पिघलना आदि की चर्चा करें।
- इन चुनौतियों से निपटने के लिये कॉप-27 की उपलब्धियों में हानि एवं क्षति कोष, तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने के लिये विशेष प्रयास, शमन कार्य योजना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की स्थापना, मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट, अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम आदि का उल्लेख करें।

निष्कर्ष

जलवायु शिखर सम्मेलन में लिये गए निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल देते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें।

17. 'निकोबार परियोजना' के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए इससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों की भी चर्चा कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

निकोबार परियोजना की चर्चा करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

- निकोबार परियोजना के महत्त्व से संबंधित प्रमुख बिंदुओं, जैसे– महत्त्वपूर्ण आर्थिक अवस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के रूप में, पर्यटन को बढ़ावा, रणनीतिक महत्त्व आदि की चर्चा करें।
- इससे संबंधित प्रमुख चुनौतियों, जैसे– वन क्षरण, समुद्री अपवाह के गाद में वृद्धि, प्रवाल भित्तियों का नष्ट होना, मैंग्रोव वनों का क्षरण, स्थानीय आदिवासी समुदायों पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित आदि का उल्लेख करें।

निष्कर्ष

इस परियोजना के तहत सतत विकास पर बल देते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें।

18. 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी' क्या है? भारत के लिये इसके महत्त्व को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी की चर्चा करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी से संबंधित प्रमुख बिंदुओं में मानव केंद्रित विकास में सहायता करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय पहल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा मानवाधिकार, समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास पर बल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिये एक मंच आदि की चर्चा करें।
- भारत के लिये इसके महत्त्व, जैसे– समावेशी विकास, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, ई-कॉमर्स, वित्त, दूरसंचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ आदि का उल्लेख करें।

निष्कर्ष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सतत एवं समावेशी उपयोग की अवधारणा पर बल देते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें।

19. 'केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा' से आप क्या समझते हैं? इसके लाभों की चर्चा कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा की चर्चा करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

- केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा की प्रमुख विशेषताओं, जैसे– ब्लॉकचेन एवं अन्य तकनीकों पर आधारित कानूनी निविदा, फिएट मुद्रा के साथ विनिमय के योग्य होना, इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक संप्रभु मुद्रा, रिज़र्व बैंक द्वारा निगरानी आदि की चर्चा करें।
- इसके लाभों, जैसे– मुद्रा लागत में कमी, भौतिक नकदी के उपयोग में कमी, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा, क्षति होने या जाली मुद्रा की समस्या में कमी आदि का उल्लेख करें।

निष्कर्ष

इसके माध्यम से केंद्रीय बैंक की निगरानी में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें।

20. जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न उपायों की चर्चा कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

जल उपयोग दक्षता की चर्चा करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न उपायों में कम जल खपत वाली फसलों को बढ़ावा देना, सूक्ष्म सिंचाई पर बल देना, भू-जल की कीमत तय करना, जलग्रहण क्षेत्र का विकास करना, सौर ऊर्जा का विकास करना, जल प्रबंधन प्रदर्शन का आकलन करना आदि का उल्लेख करें।

निष्कर्ष

सतही और भू-जल संसाधनों के सतत, कुशल और न्यायसंगत प्रबंधन की आवश्यकता पर बल देते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें।

❑❑❑

मानचित्र अध्ययन (पृष्ठ संख्या 158 & 159) के उत्तर

मानचित्र-1 (भारत)

1. लक्षद्वीप
2. उमियम झील (मेघालय)
3. वाराणसी
4. पश्चिमी कामेंग (अरुणाचल प्रदेश)
5. बेंगलुरु

मानचित्र-2 (विश्व)

1. शर्म अल-शेख (मिस्र)
2. कंबोडिया
3. पनामा
4. बाली (इंडोनेशिया)
5. कतर

संस्कृति IAS

दिल्ली के साथ अब प्रयागराज में भी...

UPSC प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज़-2023

क्योंकि पी.टी. निकलना है ज़रूरी !

- ☑ हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनों माध्यमों में उपलब्ध
- ☑ ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों मोड
- ☑ प्रत्येक टेस्ट के प्रश्नों के विस्तृत व्याख्या सहित उत्तर

आरंभ 4 दिसंबर 2022

फीस ₹12,000

प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिये फीस मात्र ₹5,500

कुल 24 टेस्ट

19 सामान्य अध्ययन

10 खंडवार टेस्ट
03 मॉड्यूल आधारित टेस्ट 06 कॉम्प्रिहेन्सिव टेस्ट

05 सीसैट

टेस्ट सेंटर:
दिल्ली एवं प्रयागराज

Demo
एक निःशुल्क डेमो टेस्ट

sanskritiIAS.com
sanskritiIAS app
दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध

महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ

- अवधारणात्मक एवं तथ्यात्मक दोनों प्रकार के प्रश्नों को उचित अनुपात में रखकर विभिन्न प्रारूपों में टेस्ट आयोजित किये जाएंगे। इससे एक निश्चित अवधि में न सिर्फ आपकी तैयारी का बेहतर आकलन हो सकेगा, बल्कि उसमें अपेक्षित सुधार भी होगा।
- सिविल सेवा परीक्षा के दौरान होने वाले मानसिक तनाव से निजात दिलाने एवं बेहतर समय प्रबंधन हेतु यूपीएससी एग्ज़ाम हॉल जैसे परिवेश में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
- प्रत्येक टेस्ट में सामान्य अध्ययन के विभिन्न विषयों के परंपरागत एवं अवधारणा आधारित प्रश्नों के साथ संबंधित विषयों से जुड़े महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों के प्रश्नों का समावेश किया जाएगा।
- प्रत्येक टेस्ट के पश्चात् सभी प्रश्नों के उत्तरों की विस्तृत व्याख्या उपलब्ध कराई जाएगी।

हेड ऑफिस
636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-09

9555-124-124

प्रयागराज केंद्र
7/3/AA/1, ताशकंद मार्ग,
पत्रिका चौराहा, प्रयागराज, उ.प्र.

संस्कृति IAS

जहाँ एक नहीं, हर शिक्षक है श्रेष्ठ

श्री अखिल मूर्ति

इतिहास, कला एवं संस्कृति

श्री अमित कुमार सिंह
(IGNITED MINDS)

एथिक्स

श्री ए.के. अरुण

भारतीय अर्थव्यवस्था

श्री सीबीपी श्रीवास्तव
(DISCOVERY IAS)

राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय, गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा

श्री कुमार गौरव

भूगोल, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन

श्री राजेश मिश्रा

भारतीय राजव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध

श्री रीतेश आर जायसवाल

सामान्य विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

श्री विकास रंजन

सामाजिक मुद्दे

क्या प्रिलिम्स में फेल होने को लेकर मन में डर है...

तो मिलिये और प्रिलिम्स में सफलता सुनिश्चित कीजिये

प्रिलिम्स गाइडेन्स प्रोग्राम (PGP)

संघर्ष से सफलता तक

कनेक्ट विद फैकल्टी

सेमिनार

11 दिसंबर

शाम 5:00 बजे

द्वारा - **श्री अखिल मूर्ति**

पूर्णतः निःशुल्क

प्रिलिम्स में आपके रिज़ल्ट को सुनिश्चित करने का संस्कृति IAS का अनूठा कार्यक्रम

- कोर्स में सीटें सीमित हैं।
- एडमिशन के लिये रजिस्ट्रेशन आवश्यक।
- रजिस्ट्रेशन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होगा।
- ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी।

नोटः

निम्नलिखित कक्षाएँ संस्कृति IAS के एप्प पर निःशुल्क मिलेंगी

- कॉम्प्रिहेंशन
- करेंट अफेयर्स क्लासेज़
- QAD
- 2 फुल टेस्ट (GS + CSAT)

हेड ऑफिस
636, भू-तल
मुखर्जी नगर, दिल्ली-09

9555-124-124
sanskritiIAS.com
Follows us:

प्रयागराज केंद्र
ताशकंद मार्ग, पत्रिका चौराहा
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश